उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

MAEC-109
वित्तीय संस्थायें

पाठ्यक्रम

खण्ड–1 वित्तीय प्रणाली की प्रकृति और भूमिका	4
इकाई–1 वित्तीय प्रणाली की संरचना और कार्य।	5–14
इकाई–2 वित्तीय विकास के संकेतक।	15–22
इकाई–3 वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास।	23–35
इकाई–4 वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय मध्यस्थ।	36–46
खण्ड–2 केंद्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक	47
इकाई–5 केंद्रीय बैंक एवं उसके कार्य, मौद्रिक नीति।	48–58
इकाई–6 वाणिज्य बैंकों का विकास एवं संरचना।	59–70
इकाई–7 सहकारी बैंक एवं नाबार्ड निष्पादन एवं नीतियां।	71–83
इकाई–8 भारत में ब्याज दर एवं मुद्रा स्फीति : स्थिति एवं मुद्दे।	84–90
खण्ड–3 मुद्रा बाजार एवं एन.बी.एफ.आई.	91
इकाई–9 मुद्रा बाजार की संरचना एवं कार्य।	92–100
इकाई–10 कालमनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कामर्शियल बिल मार्केट।	101–111
इकाई–11 सरकारी प्रतिभूति बाजार।	112–119
इकाई–12 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं।	120–133
खण्ड–4 पूंजी बाजार एवं विनियामक वित्तीय संस्थाएं	134
इकाई–13 पूंजी बाजार की संरचना एवं कार्य।	135–145
इकाई–14 डेरिवेटिव बाजार, फ्यूचर एवं ऑप्शन (वायदा एवं विकल्प) और अन्य डेरिवेटिव्स।	146–154
इकाई–15 विनियामक वित्तीय संस्थाएं– सेबी ,आईआरडीए।	155–163
इकाई–16 भारतीय वित्तीय बाजार एवं आर्थिक विकास।	164–176

MAEC-109 वित्तीय संस्थायें

परामर्श–समिति

प्रोफेसर सत्यकाम	**कुलपति–अध्यक्ष**
प्रो. सत्यपाल तिवारी	निदेशक, मानविकी विद्याशाखा कार्यक्रम संयोजक
श्री विनय कुमार	कुलसचिव–सचिव

विशेषज्ञ समिति

प्रो. सत्यपाल तिवारी	**अध्यक्ष**	उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह		अर्थशास्त्र विभाग, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ. सतेन्द्र कुमार	**संयोजक**	अर्थशास्त्र विभाग, उ.प्र.रा.ट.मु. विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रो. उमेश प्रताप सिंह		आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, ईविंग क्रिश्चयन कालेज, प्रयागराज
डॉ. भारतेन्द्र चतुर्वेदी		सह–आचार्य,अर्थशास्त्र विभाग,इलाहाबाद विश्वविद्यालय,प्रयागराज
डॉ. महेन्द्र त्रिपाठी		सह–आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, काशी नरेश पी.जी.कालेज, संत रविदास नगर ज्ञानपुर
डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा		अर्थशास्त्र विभाग, ईश्वर शरण पी.जी. कालेज, प्रयागराज

पाठ्यक्रम समन्वयक

डॉ. सतेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, उ.प्र.रा.ट.मु.वि.वि., प्रयागराज

सम्पादक–

प्रो. प्रहलाद कुमार	से.नि. आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज	खण्ड–2,4
प्रो. शीलप्रिय त्रिपाठी	से.नि. आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा पी.जी. कॉलेज, प्रयागराज	खण्ड–1,3

परिमापक

डॉ. सतेन्द्र कुमार,	सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त वि.वि., प्रयागराज

लेखक मण्डल

डॉ. अनिल कुमार यादव	सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, उ.प्र.राजर्षि टण्डन मुक्त वि.वि., प्रयागराज खण्ड–1, इकाई–1,2,3,4
डॉ. सतेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, उ.प्र.राजर्षि टण्डन मुक्त वि.वि., प्रयागराज खण्ड–2, इकाई–5,6,7,8
डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह	सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, उ.प्र.राजर्षि टण्डन मुक्त वि.वि., प्रयागराज खण्ड–3, इकाई–9,10,11,12
डॉ. सुशील कुमार त्रिपाठी	सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, बाबा बरुआ दास पी.जी. कॉलेज, अंबेडकर नगर,उ.प्र. खण्ड–4, इकाई–13,14,15,16

मुद्रित– सितम्बर–2025

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज – (वर्ष)

ISBN- 978-81-991472-1-8

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, सितम्बर–2025

मुद्रक : चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा. लि. 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज.

पाठ्यक्रम परिचय

यह स्व–अध्ययन सामग्री ''MAEC-109 वित्तीय संस्थाएँ'' नामक पाठ्यक्रम पर केंद्रीत है। जिसे चार खण्डों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक खंड में वित्तीय संस्थानों के विभिन्न पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से कुल 16 इकाइयों में प्रस्तुत किया गया है। जो की वित्तीय संस्थानों से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता हैं। उन बुनियादी तत्वों को भी शामिल करता हैं, जो वित्तीय संस्थानों की व्याख्या करते हैं। यह वित्तीय संस्थाओं से संबंधित खण्ड–1 वित्तीय प्रणाली की प्रकृति और भूमिका को समझने में मदद करेगा। खण्ड–2 केंद्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों तथा नीतियों को समझने में सहयोग प्रदान करेगा। खण्ड–3 मुद्रा बाजार एवं गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एन.बी.एफ.आई.) और खण्ड–4 पूंजी बाजार एवं विनियामक वित्तीय संस्थानों को भी समझने में सहयोग प्रदान करेगा।

खण्ड–1 वित्तीय प्रणाली की प्रकृति और भूमिका

खण्ड एवं इकाई परिचय

प्रस्तुत खण्ड–1 शीर्षक 'वित्तीय प्रणाली की प्रकृति और भूमिका' राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के स्वअध्ययन सामग्री एम.ए.ई.सी MAEC-109 'वित्तीय संस्थाएं' नामक पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करता ही यह वित्तीय संस्थायें के परिचय एवं भारत की वित्तीय प्रणाली से सम्बन्धित, सभी पहलुओं को सारगर्भित करता है। जिससे कि शिक्षार्थियों को वित्तीय संस्थाएं पाठ्यक्रम से वित्तीय संस्थाओं की परिभाषा, अर्थ, महत्व, वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की वित्तीय स्थिति, भारत में स्थित बैकिंग एवं गैर बैकिंग वित्तीय संस्थाओं की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है।

प्रस्तुत खण्ड के प्रथम इकाई–1 शीर्षक 'वित्तीय प्रणाली की संरचना और कार्य' में लेखक ने वित्तीय प्रणाली की संरचना, औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताए, वित्तीय प्रणाली की चुनौतियां, वित्तीय प्रणाली में नीतिगत सुधार एवं नवाचार के विषय में विस्तृत चर्चा की है।

प्रस्तुत खण्ड के द्वितीय इकाई–2 शीर्षक 'वित्तीय विकास के संकेतक' में लेखक ने वित्तीय विकास के उद्देश्य, मापन का ढ़ांचा, प्रमुख संकेतक, वित्तीय विकास के वैश्विक संकेतक और सूचकांक, भारत में वित्तीय विकास के संकेतकों की स्थिति, वित्तीय विकास के संकेतकों में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय विकास की स्थिति की विस्तृत व्याख्या की है।

प्रस्तुत खण्ड के तृतीय इकाई–3 'शीर्षक 'वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास' में लेखक ने वित्तीय प्रणाली एवं विकास हेतु वित्तीय प्रणाली के कार्य, आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली के सामने चुनौतियां, आर्थिक–विकास हेतु वित्तीय प्रणाली में नीतिगत सुधार, वित्तीय प्रणाली एवं आर्थिक विकास में संबंध, आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका आदि की विस्तृत व्याख्या की है।

प्रस्तुत खण्ड के चतुर्थ इकाई–4 'शीर्षक 'वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय मध्यस्थ' में लेखक ने वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया, प्रकार विशेषतायें, भारत में वित्तीय मध्यस्थता की स्थिति, भारत के आर्थिक विकास हेतु वित्तीय मध्यस्थता के सामने चुनौतियां एवं आर्थिक विकास हेतु वित्तीय मध्यस्थता में नीतिगत सुझाव आदि की विस्तृत व्याख्या की है।

इकाई–1
वित्तीय प्रणाली की संरचना और कार्य

इकाई की रूपरेखा

1.1 उदेश्य

1.2 प्रस्तावना

1.3 वित्तीय प्रणाली की संरचना

1.4 औपचारिक वित्तीय प्रणाली

1.5 अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली

1.6 वित्तीय प्रणाली के प्रमुख कार्य

1.7 भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ

1.8 वित्तीय प्रणाली की चुनौतियाँ

1.9 वित्तीय प्रणाली में सुधार और नवाचार

1.10 सारांश

1.11 बोध प्रश्न

1.12 अभ्यासार्थ प्रश्न

1.13 उपयोगी पुस्तके/ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.1 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय प्रणाली की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय प्रणाली के प्रमुख कार्य से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में औपचारिक वित्तीय प्रणाली से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषता से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों के बारे में जानेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय प्रणाली में सुधार और नवाचार के बारे में जानेंगे।

1.2 प्रस्तावना

वित्तीय प्रणालियाँ पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। वे बचत एकत्र करते हैं और उन्हें औद्योगिक निवेश के लिए वितरित करते हैं, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं और आर्थिक विकास को गति देते हैं। पूंजी निर्माण में तीन परस्पर संबंधित गतिविधियाँ बचत, वित्त और निवेश शामिल हैं। पूंजी निर्माण की मात्रा इन गतिविधियों की तीव्रता और दक्षता पर निर्भर करती है। स्थानांतरण प्रक्रिया, जिसमें बचत–अधिशेष इकाइयों से बचत–घाटे वाली इकाइयों में बचत का स्थानांतरण शामिल है, पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रणाली की उत्पत्ति बचत और निवेश के बीच के संबंध से पता लगाई जा सकती है, जो

आर्थिक इकाइयों के बीच भिन्न होती है। इस सम्बन्ध में गोल्डस्मिथ ने तीन श्रेणियों की पहचान की बचत–अधिशेष इकाइयाँ, बचत–घाटे वाली इकाइयाँ और तटस्थ इकाइयाँ है। पूंजी निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए, बचत–अधिशेष इकाइयों की बचत को बचत–घाटे वाली इकाइयों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रणालियाँ बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं, जो औद्योगिक निवेश में बचत के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती हैं। निवेश आम तौर पर आवश्यक तकनीकी और बाजार की जानकारी और स्वभाव वाले व्यवसायियों के एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित होता है, जबकि बचत गतिविधि उन व्यक्तियों के बीच फैली होती है, जिनमें सक्रिय निवेश के लिए कौशल, क्षमता और व्यक्तिगत विशेषताओं की कमी होती है। आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। भौगोलिक और तकनीकी सीमाएँ निवेश प्रक्रिया को बाधित करती हैं, लेकिन वित्तीय प्रणालियाँ बचत की आपूर्ति और निवेश योग्य निधियों की माँग को एक साथ लाकर इस अंतर को भर देती हैं। इस प्रकार, पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास के लिए वित्तीय प्रणालियाँ आवश्यक हैं।

एक मजबूत और बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करती है, लेन–देन की लागत को कम करती है, बचत को जुटाती है और निवेश को सुविधाजनक बनाती है। वित्तीय प्रणाली बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है, अधिशेष आर्थिक इकाइयों से घाटे वाली इकाइयों तक धन पहुंचाती है, और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादक गतिविधियों का समर्थन करती है। आधुनिक दुनिया में, कोई भी अर्थव्यवस्था एक अच्छी तरह से एकीकृत और स्थिर वित्तीय प्रणाली के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है जो इन आवश्यक भूमिकाओं को दक्षता और ईमानदारी के साथ निभाती है। वित्तीय प्रणाली संस्थानों, उपकरणों, बाजारों और नियामक निकायों से बनी एक व्यापक और जटिल संरचना है जो धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करती है। ये घटक एक परिभाषित नियामक और कानूनी ढांचे के तहत काम करते हैं, जो पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। संक्षेप में, वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था की संचार प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिससे पूंजी उन क्षेत्रों तक पहुँचती है जहाँ इसका सबसे कुशल और उत्पादक उपयोग किया जा सकता है।

वित्तीय संस्थाएँ, जैसे कि बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और विकास वित्त संस्थान, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, बचतकर्ताओं से निवेशकों तक धन पहुँचाते हैं और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाते हैं। वित्तीय बाजार, जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ वित्तीय परिसंपत्तियों का कारोबार होता है, उसको मोटे तौर पर मुद्रा बाजार (अल्पकालिक उपकरण) और पूंजी बाजार (दीर्घकालिक उपकरण) में वर्गीकृत किया जा सकता है। आम उपकरणों में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और विकल्प और वायदा जैसे डेरिवेटिव शामिल हैं। वित्तीय सेवाएँ, जैसे कि फंड प्रबंधन, निवेश सलाह, बीमा, भुगतान और निपटान प्रणाली, क्रेडिट रेटिंग और पोर्टफोलियो प्रबंधन, सिस्टम में गहराई और तरलता जोड़ते हैं और निवेशकों और कंपनियों को अपने वित्तीय संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाते हैं। वित्तीय प्रणाली स्थिरता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढाँचों द्वारा शासित होती है। वित्तीय प्रणाली के कार्य आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता में योगदान करते हैं। वे विभिन्न जोखिम–वापसी प्रोफाइल वाले विभिन्न वित्तीय साधनों की पेशकश करके बचत जुटाते हैं, वित्तीय बाजारों और संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से निवेश की सुविधा प्रदान करते हैं, मूल्य खोज निर्धारित करते हैं, तरलता प्रदान करते हैं, जोखिम प्रबंधन साधन प्रदान करते हैं, लेन–देन की लागत कम करते हैं और आर्थिक स्थिरीकरण और नीति कार्यान्वयन को लागू करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय प्रणाली समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने वित्तीय सेवाओं में पहुँच का विस्तार, दक्षता में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देकर विकासशील देशों में वित्तीय प्रणालियों को बदल दिया है। भारत ने 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद अपने वित्तीय ढांचे में एक नाटकीय परिवर्तन देखा है, जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार और नियामक संरचनाओं में सुधार ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की गहराई, लचीलापन और वैश्विक एकीकरण में सुधार किया है। चुनौतियों और आगे की राह में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), नियामक मध्यस्थता, प्रणालीगत जोखिम, साइबर खतरे और वित्तीय बहिष्करण जैसे मुद्दे शामिल हैं। नियामक निगरानी को मजबूत करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, विवेक के साथ तकनीकी नवाचारों को अपनाना और वित्तीय साक्षरता को गहरा करना एक अधिक मजबूत और समावेशी वित्तीय प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक है।

1.3 वित्तीय प्रणाली की संरचना

वित्तीय प्रणाली किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक संस्थान शामिल हैं। औपचारिक संस्थान बैंकों, बीमा कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंजों और NBFC जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा कानूनी रूप से पंजीकृत और विनियमित होते हैं, जबकि अनौपचारिक संस्थान विनियमन के बाहर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। वित्तीय संस्थान पूंजी एकत्र करते हैं और इसे आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक बैंक पूंजी एकत्र करते हैं और वितरित करते हैं, व्यक्तिगत ग्राहकों, कंपनियों और सरकार को सेवाएँ प्रदान करते हैं। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) बैंकिंग लाइसेंस के बिना ऋण, बीमा, म्यूचुअल फंड और निवेश सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे कम पहुँच वाले क्षेत्रों में लोगों और कंपनियों तक वित्तीय पहुँच बढ़ती है। बीमा कंपनियाँ जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रीमियम वसूलते हुए जोखिम प्रबंधन की भूमिका निभाती हैं। वित्तीय बाजार ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ वित्तीय संसाधनों का आदान–प्रदान होता है। मुद्रा बाजार का उपयोग अल्पकालिक उधार और निवेश के लिए किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार दीर्घकालिक वित्त के लिए होते हैं। NSE और BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज इन बाजारों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वित्तीय साधन ऐसे अनुबंध हैं जिनके माध्यम से इक्विटी, बॉन्ड और डेरिवेटिव सहित वित्तीय संपत्तियाँ बनाई या स्थानांतरित की जाती हैं। वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विनियामक निकायों को नियोजित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, बैंकों को लाइसेंस जारी करता है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) पूंजी बाजार और निवेशक सुरक्षा को नियंत्रित करता है, जबकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। भारत की वित्तीय प्रणाली एक समन्वित ढांचा है जो आर्थिक विकास, निवेश, बचत और जोखिम प्रबंधन को आगे बढ़ाता है। औपचारिक और अनौपचारिक संस्थानों की समानांतर भूमिका, मजबूत विनियामक प्रणाली और निरंतर नवाचार के अवसर इसे गतिशील और समावेशी बनाते हैं।

वित्तीय प्रणाली की संरचना	**औपचारिक वित्तीय प्रणाली**	**अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली**
परिभाषा	सरकारी कानूनों और वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा विनियमित	अनियमित या शिथिल रूप से विनियमित पारंपरिक और समुदाय–आधारित संस्थाएँ
नियामक निकाय	RBI, SEBI, IRDAI, वित्त मंत्रालय	कोई औपचारिक विनियामक निकाय नहीं
संस्थाएँ / उदाहरण	– बैंक (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र)	– साहूकार
प्रयुक्त साधन	– गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)	– चिट फंड
कानूनी ढाँचा	– बीमा कंपनियाँ (LIC, GIC)	– स्वदेशी बैंकर
पारदर्शिता	– स्टॉक एक्सचेंज (NSE, BSE)	– एसएचजी
दस्तावेजीकरण	चेक, ऋण, क्रेडिट कार्ड, बॉन्ड, शेयर	– मित्र और रिश्तेदार
ब्याज दरें	RBI अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बीमा अधिनियम जैसे अधिनियमों द्वारा शासित	नकद आधारित उधार और उधार
पहुँच	उच्च – लेखापरीक्षित, निगरानी और सार्वजनिक रूप से प्रकट	सामाजिक विश्वास, रीति–रिवाजों और रिश्तों पर आधारित
जोखिम स्तर	व्यापक – KYC मानदंड, समझौता प्रपत्र	कम – अनौपचारिक रिकॉर्ड या कोई नहीं
लचीलापन	विनियमित, आमतौर पर कम	न्यूनतम या कोई दस्तावेज नहीं

```
                    वित्तीय प्रणाली (Financial System)
                                /              \
                   औपचारिक प्रणाली          अनौपचारिक प्रणाली
                   (Formal System)          (Informal System)
                          |                          |
       ------------------------------   ------------------------------
  |        |           |          |          |        |          |
बैंक     गैर-बैंक     बीमा        शेयर      साहूकार    चिट फंड     रिश्तेदार/
(PSBs,   वित्तीय     कंपनियाँ     बाजार     (Money-    कंपनियाँ     मित्र
RRBs,    संस्थान     (LIC,       (NSE,    lenders)  (Unregulated) (Personal
Co-op)   (NBFCs)     GIC)        BSE)                              Lending)
```

1.4 औपचारिक वित्तीय प्रणाली

औपचारिक वित्तीय प्रणाली वित्तीय संस्थाओं, उपकरणों और बाजारों की संगठित और विनियमित संरचना को संदर्भित करती है जो सरकारी अधिकारियों की देखरेख में संचालित होती हैं। इसमें वाणिज्यिक बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) और वित्त मंत्रालय जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है और उनकी निगरानी की जाती है। ये संस्थाएँ बचत को उत्पादक निवेशों में बदलने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में औपचारिक वित्तीय प्रणाली की विशेषता सख्त सरकारी विनियमन और पर्यवेक्षण है, जिसमें RBI, SEBI, IRDA जैसे प्राधिकरण प्रणाली की सुदृढ़ता, अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विनियामक निकाय सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय संस्थान कानूनी ढाँचे के भीतर काम करें, जोखिम प्रबंधन मानकों को बनाए रखें और जनता और निवेशकों के हितों के प्रति जवाबदेह रहें। कानूनी पहचान औपचारिक वित्तीय प्रणाली की एक और प्रमुख विशेषता है, क्योंकि सभी संस्थाएँ कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं और उचित कानूनों के तहत पंजीकृत हैं। यह वैधता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करता है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बैंकिंग लोकपाल योजना और निवेशक सुरक्षा निधि जैसे कानूनी ढाँचों के माध्यम से ग्राहकों की सुरक्षा करता है।

पारदर्शिता औपचारिक वित्तीय प्रणाली की एक और ताकत है, क्योंकि संस्थाएँ लेखांकन, वित्तीय प्रकटीकरण, आंतरिक नियंत्रण और बाहरी लेखा परीक्षा के लिए मानकीकृत प्रथाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। विनियामक निकाय संस्थाओं को स्थिरता और स्पष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक या भारतीय लेखा मानक अपनाने का आदेश देते हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन ढाँचा सुनिश्चित करता है कि कंपनियाँ हितधारकों के हित में कार्य करें। वित्तीय समावेशन औपचारिक वित्तीय प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलों में डिजिटल बैंकिंग, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), माइक्रोफाइनेंस और एसएचजी लिंकेज, और बैंकिंग संवाददाता और व्यवसाय सुविधाकर्ता शामिल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राहकों को बैंक में जाए बिना भी खाते खोलने, धन हस्तांतरित करने, ऋण के लिए आवेदन करने और बीमा खरीदने की अनुमति देता है। 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) बिना बैंक वाले नागरिकों को शून्य–शेष बैंक खाते प्रदान करती है, जो लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), सब्सिडी और पेंशन से जोड़ती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) एलपीजी, भोजन, छात्रवृत्ति और मनरेगा मजदूरी के लिए सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करता है, जिससे रिसाव कम होता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित होता है। माइक्रोफाइनेंस और एसएचजी लिंकेज भी नाबार्ड के सहयोग से औपचारिक बैंकों द्वारा

समर्थित पहल हैं। बैंकिंग संवाददाता और व्यवसाय सुविधाप्रदाता मोबाइल उपकरणों और माइक्रो–एटीएम का उपयोग करके दूरदराज के, बैंकिंग की सुविधा से वंचित गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाते हैं, जिससे गरीबी कम करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, तथा उद्यमशीलता और आय सृजन के अवसर पैदा करने में मदद मिलती है।

औपचारिक वित्तीय प्रणाली किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य और स्थिरता की रीढ़ होती है। इसकी विनियमित संरचना, कानूनी जवाबदेही, पारदर्शिता पर जोर और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता इसे सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है। प्रौद्योगिकी और विकासशील सामाजिक आवश्यकताओं के साथ निरंतर अनुकूलन करके, भारत में औपचारिक वित्तीय प्रणाली न केवल निवेशकों के विश्वास और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत कर रही है, बल्कि समावेशी प्रथाओं के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को भी पाट रही है। दीर्घकालिक समृद्धि के लिए, यह आवश्यक है कि ये संस्थान मजबूत, जन–केंद्रित और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप बने रहें।

1.5 अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली

भारत की वित्तीय प्रणाली औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं का मिश्रण है, जिसमें औपचारिक प्रणाली आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता की नींव है। यह धन उधारदाताओं, चिट फंड कंपनियों और परिवार, दोस्तों या परिचितों से व्यक्तिगत उधार के माध्यम से संचालित होती है। इन प्रणालियों में उच्च ब्याज दरें, कोई कागजी कार्रवाई नहीं और त्वरित ऋण उपलब्धता होती है। वे ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं। चिट फंड कंपनियां सामूहिक बचत और ऋण योजनाएं हैं जिनमें धोखाधड़ी और भागने के मामलों का उच्च जोखिम है। दूसरी ओर, व्यक्तिगत ऋण विश्वास पर आधारित है और इसमें दस्तावेजीकरण या अनुबंध का अभाव है। औपचारिक प्रणाली को RBI, SEBI, IRDA जैसी सरकारी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसमें सरकारी निगरानी, कानूनी स्थिति, पारदर्शिता और लाभार्थियों की सुरक्षा का अभाव है। अनौपचारिक प्रणाली, त्वरित ऋण के कारण व्यावहारिक होते हुए भी शोषण और वित्तीय असुरक्षा के लिए अधिक प्रवण है। एक सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायसंगत वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए, भारत को ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और अनौपचारिक प्रणालियों को औपचारिक ढांचे में एकीकृत करने की आवश्यकता है। यह संतुलन एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है जो सभी वर्गों की आवश्यकताओं को सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से पूरा कर सके।

1.6 वित्तीय प्रणाली के प्रमुख कार्य

वित्तीय प्रणाली एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो अर्थव्यवस्था में पूंजी, जोखिम, भुगतान, सूचना और स्थिरता का प्रबंधन करता है। यह विभिन्न संस्थानों, बाजारों, उपकरणों और नियामकों के माध्यम से प्रमुख कार्य करता है। वित्तीय प्रणाली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूंजी का संचय और प्रभावी आवंटन है, जो दो चरणों संचय और आवंटन में होता है। यह प्रक्रिया बचत और संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा मिलता है। वित्तीय प्रणाली आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और उनसे निपटने के लिए उपकरण भी प्रदान करती है, जैसे कि मृत्यु, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या बाजार मूल्य में उतार–चढ़ाव। बीमा कंपनियाँ व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, जबकि डेरिवेटिव बाजार निवेशकों और कंपनियों को मूल्य में उतार–चढ़ाव के विरुद्ध बचाव के लिए वित्तीय साधन प्रदान करते हैं। वित्तीय प्रणाली दैनिक आर्थिक गतिविधियों को सरल और तेज करने के लिए सुव्यवस्थित भुगतान और निपटान प्रणाली प्रदान करती है। UPI, RTGS, NEFT, IMPS, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि जैसी भुगतान प्रणालियाँ लेन–देन को डिजिटल और सुरक्षित बनाती हैं, जबकि निपटान प्रणाली धन और प्रतिभूतियों का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता और विनियमन आवश्यक है, क्योंकि अस्थिरता से बैंक विफलता, बाजार में गिरावट या मुद्रा अवमूल्यन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। RBI, SEBI और IRDAI जैसे नियामक निकाय यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय संस्थान कानून और नैतिक नियमों का पालन करें, जोखिम को सीमित करें, तरलता बनाए रखें और ग्राहकों के हितों की रक्षा करें। वित्तीय प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि सटीक, समय पर और पारदर्शी जानकारी किसी भी वित्तीय निर्णय का आधार है। कंपनियाँ और बाजार वार्षिक रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग, वित्तीय समाचार पोर्टल, SEBI फाइलिंग और नीतिगत जानकारी के अन्य स्रोतों के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखते हैं। वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य केवल पैसे का

लेन–देन नहीं है, बल्कि पूंजी निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और पारदर्शिता जैसे व्यापक उद्देश्यों को पूरा करना भी है। इसके प्रमुख कार्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं और व्यक्ति से लेकर सरकार तक सभी को वित्तीय सशक्तीकरण प्रदान करते हैं।

1.7 भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताएँ

भारतीय वित्तीय प्रणाली एक जटिल और संगठित संरचना है जो देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुई है। यह बैंकों, गैर–बैंकिंग संस्थानों, वित्तीय बाजारों, बीमा कंपनियों, नियामक निकायों और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालित होती है। प्रणाली की मिश्रित संरचना यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान समान रूप से कार्य करें, ग्रामीण और गरीब वर्गों को सेवाएँ प्रदान करते हुए सामाजिक–आर्थिक दायित्वों को भी पूरा करें। इस मिश्रण को बढ़ती प्रतिस्पर्धा, दक्षता, ग्रामीण और वंचित वर्गों तक पहुँचने और सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन से लाभ मिलता है। भारत की वित्तीय प्रणाली शहरी और ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए भी विकसित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष संस्थान जैसे ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और नाबार्ड स्थापित किए गए हैं। शहरी वित्त अधिक विविध और प्रौद्योगिकी–आधारित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, क्रेडिट कार्ड, शेयर बाजार, बीमा, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत ऋण सेवाएँ शामिल हैं। डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता, पहुँच और गति में उल्लेखनीय सुधार किया है। प्रमुख डिजिटल पहलों में यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) शामिल हैं। इन पहलों की वजह से कैशलेस लेन–देन में वृद्धि हुई है, दूरदराज के गांवों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है और कम लागत पर अधिक सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। वित्तीय समावेशन भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों, खासकर गरीब, ग्रामीण, महिलाओं और पिछड़े समुदायों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। जन धन योजना, पीएम मुद्रा योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और बीमा और पेंशन योजना जैसी सरकारी योजनाएं कैशलेस अर्थव्यवस्था, गरीबी में कमी, महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं के पारदर्शी लाभ वितरण और वास्तविक बदलाव में योगदान देती हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली अपनी मिश्रित संरचना, ग्रामीण–शहरी वित्त में संतुलन, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयासों के कारण अन्य देशों से अलग है।

- **बचत जुटाना**– घरों, फर्मों और सरकार से व्यक्तिगत और संस्थागत बचत एकत्र करना और राष्ट्रीय बचत दर को बढ़ाता है एवं बेकार पड़े पैसे को उत्पादक निवेश में लगाता है।
- **संसाधनों का आवंटन**– सबसे अधिक उत्पादक और लाभदायक निवेश अवसरों के लिए धन को निर्देशित करता है। संसाधनों के कुशल उपयोग और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है।
- **पूंजी निर्माण को सुगम बनाना**–व्यवसायों और बुनियादी ढांचे को वित्त पोषण प्रदान करके बचत को निवेश में परिवर्तित करता है। आर्थिक विकास, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देता है।
- **जोखिम प्रबंधन**– वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए बीमा, डेरिवेटिव और विविधीकरण जैसे उपकरण प्रदान करता है। निवेशकों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए अनिश्चितता को कम करता है।
- **तरलता प्रदान करना**–वित्तीय साधनों (स्टॉक, बॉन्ड, आदि) की आसान खरीद और बिक्री को सक्षम बनाता है। बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- **भुगतान प्रणाली को सुगम बनाना**– सुचारू वित्तीय लेनदेन (UPI, NEFT, RTGS, कार्ड) के लिए तंत्र प्रदान करता है। आर्थिक आदान–प्रदान की गति, सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाता है।
- **मूल्य निर्धारण**– बाजारों में मांग और आपूर्ति के माध्यम से वित्तीय साधनों की कीमत निर्धारित करता है। उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता है और निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करता है।

- **आर्थिक विकास को बढ़ावा देना**– ऋण और निवेश के माध्यम से सभी क्षेत्रों –कृषि, उद्योग, सेवाओं में विकास का समर्थन करता है। समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है।

1.8 वित्तीय प्रणाली की चुनौतियाँ

वित्तीय प्रणाली आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देखा जा सकता है। इनमें गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), विनियामक समन्वय की कमी, साइबर सुरक्षा खतरे और वित्तीय साक्षरता का खराब स्तर शामिल हैं। एनपीए ऐसे ऋण या अग्रिम होते हैं, जिनका मूलधन या ब्याज भुगतान बकाया होता है, जो बैंक की बैलेंस शीट पर दबाव डालते हैं, लाभप्रदता को कम करते हैं और ऋण देने की क्षमता को कम करते हैं। एनपीए के कारणों में खराब क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली, अत्यधिक ऋण लेना और आर्थिक मंदी, क्रोनी पूंजीवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप, कानूनी वसूली में देरी, विश्वास का क्षरण, ऋण संकट और सरकारी बोझ शामिल हैं। एनपीए संकट को हल करने के लिए शासन को मजबूत करना और ऋण निगरानी तंत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। भारत की वित्तीय प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), और पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) सहित संस्थानों के एक जटिल जाल द्वारा विनियमित है। हालाँकि, इन विनियामक निकायों के बीच स्पष्ट समन्वय की कमी ने महत्वपूर्ण निरीक्षण अंतराल और अक्षमताएँ पैदा की हैं। खराब समन्वय के कारण चुनौतियों में अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र, असंगत मानक, प्रणालीगत जोखिमों के प्रति विलंबित प्रतिक्रियाएँ, नीतिगत संघर्ष और विखंडित विनियामक निरीक्षण शामिल हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) जैसी पहल अंतर–नियामक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसकी भूमिका वैधानिक के बजाय सलाहकार बनी हुई है। वित्तीय शासन को सुव्यवस्थित करने और जवाबदेही में सुधार करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। वित्तीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल जोखिम एक बड़ी चिंता बन गए हैं। प्रमुख डिजिटल जोखिमों में फिशिंग और पहचान की चोरी, मैलवेयर हमले, डेटा उल्लंघन, नकली ऐप और भुगतान धोखाधड़ी, तैयारी की कमी, विरासत बुनियादी ढाँचा और विनियामक अंतराल शामिल हैं। RBI के साइबर सुरक्षा ढाँचे और CERT–In दिशा–निर्देश जैसी पहल एक शुरुआती बिंदु प्रदान करती हैं, लेकिन डिजिटल रूप से सुरक्षित वित्तीय वातावरण बनाने के लिए मजबूत कार्यान्वयन, नियमित ऑडिट और जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। वित्तीय साक्षरता, जिसका अर्थ है व्यक्तियों की वित्तीय कौशल को समझने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, भारत में बहुत कम है। कम वित्तीय साक्षरता के परिणामस्वरूप खराब बचत और निवेश निर्णय, ऋण जाल, वित्तीय उत्पादों का कम उपयोग और धोखाधड़ी की संभावना होती है। कम वित्तीय साक्षरता में योगदान देने वाले कारकों में औपचारिक शिक्षा का निम्न स्तर, वित्तीय शिक्षा तक पहुँच में लैंगिक असमानताएँ और स्कूल या जमीनी स्तर पर संस्थागत पहलों की कमी शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, RBI और SEBI ने जागरूकता अभियान और वित्तीय साक्षरता केंद्र शुरू किए हैं। हालाँकि, स्कूल के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करना, सामुदायिक नेताओं को शामिल करना और स्थानीय माध्यमों का उपयोग करना दीर्घकालिक प्रभाव के लिए आवश्यक है। वित्तीय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियाँ– NPA, विनियामक विखंडन, डिजिटल खतरे और वित्तीय निरक्षरता – आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण खतरे हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनी और संस्थागत सुधार, तकनीकी उन्नयन और सामुदायिक–स्तरीय जुड़ाव शामिल हैं। एक लचीली वित्तीय प्रणाली को राष्ट्रीय प्रगति के स्तंभ के रूप में काम करने के लिए कुशल, नवीन, पारदर्शी, सुरक्षित और समावेशी होना चाहिए।

- **वित्तीय बहिष्कार** ग्रामीण और गरीब आबादी के एक बड़े हिस्से के पास औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच नहीं है। हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए बचत, निवेश और आर्थिक अवसरों को सीमित करता है।

- **उच्च गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)** बैंकों को अवैतनिक ऋणों के कारण बढ़ते एनपीए का सामना करना पड़ता है। बैंक की लाभप्रदता कमजोर होती है और आगे ऋण देने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।

- **विनियामक अंतराल** ओवरलैपिंग या पुराने विनियमन सुधारों को धीमा कर सकते हैं और खामियाँ पैदा कर

सकते हैं। निवेशकों का विश्वास कम होता है और वित्तीय शासन कमजोर होता है।

- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व** ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित वित्तीय स्रोतों पर भारी निर्भरता और जोखिम बढ़ता है, उच्च ब्याज दरों के माध्यम से शोषण होता है।
- **साइबर सुरक्षा खतरे** डिजिटल लेनदेन में वृद्धि से सिस्टम धोखाधड़ी और हैकिंग के लिए उजागर होता है। विश्वास का उल्लंघन होता है और उपयोगकर्ताओं और संस्थानों को वित्तीय नुकसान होता है।
- **कम वित्तीय साक्षरता** कई लोगों में बैंकिंग, बीमा और निवेश की बुनियादी समझ की कमी होती है। खराब वित्तीय निर्णय, औपचारिक चौनलों का कम उपयोग और धोखाधड़ी की चपेट में आना।
- **बैंकिंग क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता** भारत की वित्तीय प्रणाली पूंजी बाजारों की तुलना में बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। लचीलेपन को कम करता है और व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण विकल्पों को सीमित करता है।

1.9 वित्तीय प्रणाली में सुधार और नवाचार

तकनीकी उन्नति, संस्थागत, विनियामक और वैचारिक परिवर्तनों के कारण वित्तीय प्रणालियाँ परिवर्तनकारी परिवर्तनों से गुजर रही हैं। भारत कई सुधारों और नवाचारों विशेष रूप से डिजिटल वित्त, वित्तीय समावेशन और विनियामक आधुनिकीकरण में में सबसे आगे रहा हैं। वित्तीय सुधार के चार प्रमुख स्तंभों में फिनटेक और डिजिटलीकरण, समावेशन पहल, विनियामक सुधार और संधारणीय वित्त शामिल हैं। फिनटेक का तात्पर्य नवीन, कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीकों से वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग से है। फिनटेक के प्रमुख घटकों में डिजिटल भुगतान, ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म, रोबोट–सलाहकार और धन प्रबंधन, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी और बीमा तकनीक शामिल हैं। डिजिटलीकरण के लाभों में कम लेनदेन लागत, बेहतर गति, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच में वृद्धि और क्रेडिट स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन में डेटा–संचालित निर्णय लेना शामिल है। समावेशन पहल का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सस्ती और उचित वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है। भारत ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), आधार–सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), माइक्रोफाइनेंस और एसएचजी, पीएम मुद्रा योजना, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक, तथा निम्न आय वाले परिवारों और एमएसएमई जैसे विशिष्ट क्षेत्रों का निर्माण जैसी प्रमुख पहल की हैं। एक कुशल, लचीली और निष्पक्ष वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक सुधार आवश्यक हैं। प्रमुख विनियामक सुधारों में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 शामिल है जिसने ऋण समाधान प्रक्रिया को मजबूत किया, माल और सेवा कर (जीएसटी) जिसने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, सेबी सुधार और आरआरबी का विनियामक सैंडबॉक्स किया। विनियामक सुधारों के उद्देश्यों में वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना, पारदर्शिता में सुधार करना, प्रणालीगत जोखिमों को कम करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। संधारणीय वित्त से तात्पर्य वित्तीय प्रथाओं से है जो निवेश और ऋण देने के निर्णयों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कारकों पर विचार करते हैं। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानता जैसे–जैसे वैश्विक महत्व में बढ़ रही है, वित्तीय प्रणाली को स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए फिर से आकार दिया जा रहा है। संधारणीय वित्त के ESG तत्वों में ग्रीन बॉन्ड, सामाजिक प्रभाव निवेश, ESG अनुपालन और प्रकटीकरण, और बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में कार्बन ट्रेडिंग और पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन शामिल हैं। इस क्षेत्र में भारत की प्रगति में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य ESG प्रकटीकरण शामिल है। ग्रीन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन बैंक और NBFC धीरे–धीरे पर्यावरणीय जोखिमों को अपनी क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं में शामिल कर रहे हैं। संधारणीय वित्त को मुख्यधारा में लाने में आने वाली बाधाओं में ESG वित्त में सीमित जागरूकता और विशेषज्ञता, मानकीकृत माप उपकरणों और बेंचमार्क की कमी और अल्पकालिक लाभ उद्देश्यों और दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों के बीच संभावित संघर्ष शामिल हैं। आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय, डिजिटल सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संरेखित करने के लिए वित्तीय प्रणाली सुधार और नवाचार आवश्यक हैं। हालाँकि, इन सुधारों को सावधानी, पारदर्शिता और समानता के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचें।

1.10 सारांश

वित्तीय प्रणाली किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है, जो संसाधनों के कुशल आवंटन, बचत को जुटाने और निवेश को बढ़ावा देने में सहायता करती है। यह अध्ययन वित्तीय प्रणाली की संरचना और मुख्य कार्यों की समीक्षा करता है, तथा इसके अभिन्न घटकों जैसे वित्तीय संस्थानों, बाजारों, उपकरणों और नियामक ढाँचों पर प्रकाश डालता है। अध्ययन में पता लगाया गया है कि ये तत्व जोखिम प्रबंधन, तरलता प्रावधान, मूल्य खोज और पूंजी निर्माण सहित प्रमुख कार्यों के माध्यम से आर्थिक स्थिरता और विकास का समर्थन करने के लिए कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच की खाई को पाटने में वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका और प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने में नियामक निकायों के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्तीय प्रणालियों में पारंपरिक और उभरते दोनों रुझानों का विश्लेषण करके, शोधपत्र उनकी गतिशील प्रकृति और तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत और समावेशी वित्तीय बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।

1.11 बोध प्रश्न–

- **वित्तीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं?**

उत्तर– वित्तीय प्रणाली से तात्पर्य संस्थाओं, बाजारों, साधनों और विनियमों के नेटवर्क से है जो अर्थव्यवस्था के भीतर धन के प्रवाह को सुगम बनाते हैं। यह बचत जुटाने, पूंजी आवंटित करने और वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में मदद करता है। एक मजबूत वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास और स्थिरता का समर्थन करती है।

- **भारतीय वित्तीय प्रणाली में सेबी की क्या भूमिका है?**

उत्तर– सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। यह पूंजी बाजारों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करता है। सेबी स्टॉक एक्सचेंजों, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स की निगरानी और विनियमन भी करता है।

- **वित्तीय बाजार के प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।**

उत्तर– वित्तीय बाजारों को मोटे तौर पर मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में वर्गीकृत किया जाता है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक निधियों (एक वर्ष से कम) से संबंधित होते हैं, जबकि पूंजी बाजार स्टॉक और बॉन्ड जैसे दीर्घकालिक निवेशों को संभालते हैं। ये बाजार अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन और पूंजी निर्माण में मदद करते हैं।

- **वित्तीय प्रणाली में बीमा कंपनियों का क्या महत्व है?**

उत्तर– बीमा कंपनियाँ अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे दीर्घकालिक बचत जुटाती हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करती हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उनकी स्थिरता समग्र वित्तीय प्रणाली में विश्वास को भी मजबूत करती है।

- **भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना से आप क्या समझते है?**

उत्तर– भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना में वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, वित्तीय साधन और विनियामक निकाय शामिल हैं। इसमें बैंक, NBFC, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव जैसे उपकरण शामिल हैं। यह संरचना अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों के कुशल जुटाव और आवंटन की सुविधा प्रदान करती है।

- **वित्तीय प्रणाली के प्रमुख कार्यों का क्या महत्व है?**

उत्तर– वित्तीय प्रणाली के प्रमुख कार्यों में बचत जुटाना, पूंजी का कुशलतापूर्वक आवंटन करना और भुगतान

की सुविधा प्रदान करना शामिल है। यह वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। ये कार्य निवेश, उद्यमशीलता और समग्र आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं।

1.12 अभ्यासार्थ प्रश्न

- भारतीय वित्तीय प्रणाली की संरचना का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
- वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजारों और वित्तीय साधनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
- विनियामक संस्थाओं का वित्तीय प्रणाली में क्या महत्व है?
- मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर है?
- भारतीय वित्तीय प्रणाली की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
- वित्तीय प्रणाली के प्रमुख कार्यों को विस्तार से समझाइए।

1.13 उपयोगी पुस्तके / सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688–726.
- Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1998). Law, finance, and firm growth. Journal of Finance, 53(6), 2107–2137.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2000). A new database on financial development and structure. World Bank Economic Review, 14(3), 597–605.
- Allen, F., & Gale, D. (2004). *Financial intermediaries and markets*. Econometrica, 72(4), 1023–1061.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Financial dependence and growth. American Economic Review, 88(3), 559–586.
- Beck, T., & Levine, R. (2002). Industry growth and capital allocation: Does having a market- or bank-based system matter? Journal of Financial Economics, 64(2), 147–180.
- Goldsmith, R. W. (1969). *Financial Structure and Development*. Yale University Press. – Classic work analyzing how financial structure evolves with economic development.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). Legal determinants of external finance. Journal of Finance, 52(3), 1131–1150.
- Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2008). Finance, financial sector policies, and long-run growth. World Bank Policy Research Working Paper No. 4469.
- King, R. G., & Levine, R. (1993). *Finance and growth: Schumpeter might be right*. Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737.

इकाई—2
वित्तीय विकास के संकेतक

इकाई की रूपरेखा

2.1 उदेश्य

2.2 प्रस्तावना

2.3 वित्तीय विकास के मापन का ढांचा

2.4 वित्तीय विकास के प्रमुख संकेतक

2.5 वित्तीय विकास के वैश्विक संकेतक और सूचकांक

2.6 भारत में वित्तीय विकास के संकेतकों की स्थिति

2.7 वित्तीय विकास के संकेतकों में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव

2.8 सारांश

2.9 बोध प्रश्न

2.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

2.11 उपयोगी पुस्तके/ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

2.1 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय विकास के प्रमुख संकेतक से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय विकास के वैश्विक संकेतक और सूचकांक से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में वित्तीय विकास के संकेतकों की स्थिति से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय विकास के संकेतकों में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव के बारे में जानेंगे।

2.2 प्रस्तावना

वित्तीय विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से किसी देश की वित्तीय प्रणाली, जिसमें वित्तीय संस्थान और बाजार शामिल हैं, आकार में बढ़ती है, दक्षता में सुधार करती है, पहुंच बढ़ाती है और स्थिरता को मजबूत करती है। यह जनता से बचत जुटाने, उत्पादक निवेश के लिए संसाधन आवंटित करने, व्यापार और आर्थिक विनिमय को सुविधाजनक बनाने, धन के उपयोग की निगरानी करने और जोखिमों का प्रबंधन करने की वित्तीय प्रणाली की क्षमता को दर्शाता है। एक वित्तीय रूप से विकसित अर्थव्यवस्था आमतौर पर यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति और व्यवसाय सुरक्षित रूप से बचत कर सकें, आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त कर सकें और कुशलता से निवेश कर सकें। इसमें ऐसी प्रणालियाँ भी शामिल हैं जो आसान और सुरक्षित लेनदेन को सक्षम बनाती हैं, बीमा और जोखिम साधनों के माध्यम से अनिश्चितता का प्रबंधन करती हैं और संकटों से बचने के लिए वित्तीय व्यवहार को विनियमित करती हैं। वित्तीय विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच एक मजबूत, अनुभवजन्य रूप से सिद्ध संबंध है। एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली पूंजी निर्माण को बढ़ाकर, उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देकर और उपभोग और निवेश को सुविधाजनक बनाकर समग्र विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। एक वित्तीय रूप से विकसित प्रणाली निष्क्रिय बचत को उत्पादक निवेशों में लगाती है, संसाधन आवंटन में

दक्षता बढ़ाती है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, नवाचार और उद्यमशीलता का समर्थन करती है और जोखिमों का प्रबंधन करती है और स्थिरता सुनिश्चित करती है। वित्तीय विकास के संकेतक समय के साथ प्रगति को ट्रैक करने, सिस्टम में अंतराल की पहचान करने, उचित नीति उपायों को डिजाइन करने और अन्य देशों के साथ तुलना करने के लिए आवश्यक हैं। ये संकेतक चार व्यापक श्रेणियों वित्तीय गहराई, वित्तीय पहुँच, वित्तीय दक्षता और वित्तीय स्थिरता में आते हैं। वित्तीय गहराई वित्तीय संस्थानों और बाजारों के आकार और तरलता को मापती है, जबकि वित्तीय पहुँच यह दर्शाती है कि व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँचना कितना आसान है। वित्तीय दक्षता यह आकलन करती है कि वित्तीय संस्थान संसाधनों को कितनी अच्छी तरह आवंटित करते हैं और संचालन का प्रबंधन करते हैं, जबकि वित्तीय स्थिरता आर्थिक जोखिमों से बचने के लिए संचालित प्रणाली का अवलोकन करती है। संकेतक नीति निर्माताओं को इस तरह के सवालों का जवाब देने में मदद करते हैं कि क्या छोटे व्यवसाय किफायती ऋण तक पहुँच सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार या संकुचन होता है, और क्या डिजिटल वित्तीय सेवाएँ क्षेत्रीय असमानताओं को कम करती हैं। वे भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जैसे सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में भी मदद करते हैं, जिसमें बैंक खातों की संख्या और डेबिट कार्ड के उपयोग जैसे वित्तीय समावेशन संकेतकों में तेज वृद्धि देखी गई। सापेक्ष ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए विभिन्न देशों में वित्तीय विकास संकेतकों की तुलना करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय विकास आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समानता का एक आवश्यक इंजन है। इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए, देशों को संकेतकों के एक व्यापक सेट का उपयोग करके अपनी वित्तीय प्रणालियों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए। ये संकेतक न केवल वित्तीय क्षेत्र की प्रगति को मापते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि आर्थिक विकास किस हद तक समावेशी, स्थिर और भविष्य के लिए तैयार है।

वित्तीय विकास किसी अर्थव्यवस्था के भीतर वित्तीय संस्थानों और बाजारों के संवर्धन से है, जो आर्थिक विकास को बढ़ाने, गरीबी को कम करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और कुशल संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अच्छी तरह से विकसित वित्तीय प्रणाली बचत, निवेश, जोखिम प्रबंधन और बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच धन के सुचारू प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्तीय विकास को सामाजिक–आर्थिक प्रगति के प्रमुख चालक के रूप में मान्यता दी है। वित्तीय प्रणाली के विकास को समझने और मापने के लिए, मानकीकृत और वस्तुनिष्ठ संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ये संकेतक वित्तीय प्रणाली की गहराई या आकार, समाज के विभिन्न वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच, वित्तीय मध्यस्थों की दक्षता और आर्थिक झटकों के समय स्थिरता जैसे कई आयामों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। नीति निर्माताओं, निवेशकों, शोधकर्ताओं और नागरिकों के लिए वित्तीय विकास को मापना आवश्यक है, क्योंकि वे किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय बुनियादी ढांचे के स्वास्थ्य और क्षमता को दर्शाते हैं। वित्तीय विकास के संकेतकों को आमतौर पर चार मुख्य श्रेणियों वित्तीय गहराई, वित्तीय पहुँच, वित्तीय दक्षता और वित्तीय स्थिरता में बांटा जाता है। वित्तीय गहराई वित्तीय संस्थानों और बाजारों के आकार और तरलता को मापती है, जबकि वित्तीय पहुँच यह मापती है कि व्यक्ति और व्यवसाय किस हद तक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। दक्षता संकेतकों में शुद्ध ब्याज मार्जिन, परिचालन लागत अनुपात, वित्तीय संस्थानों की परिसंपत्तियों और इक्विटी पर रिटर्न और वित्तीय संस्थानों की परिसंपत्तियों और इक्विटी पर रिटर्न शामिल हैं। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए, वित्तीय विकास संकेतक नीति उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, जो देशों में प्रदर्शन की तुलना करने, विनियामक सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, वित्तीय समावेशन रणनीतियों को डिजाइन करने और समय के साथ नीति परिवर्तनों के प्रभाव को ट्रैक करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई संकेतक छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को कम ऋण दिखाता है, तो यह ऋण गारंटी योजनाएँ बनाने या ऋण सूचना प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता का सुझाव दे सकता है। भारत की वित्तीय विकास कहानी प्रगति और चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत करती है। एक ओर, भारत ने UPI, वित्तीय समावेशन के लिए जन धन योजना और बढ़ते फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से बैंकिंग में डिजिटल क्रांति देखी है। हालाँकि, उच्च NPA, सीमित ग्रामीण ऋण और अनौपचारिक वित्त चौनल जैसे लगातार मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। वित्तीय विकास संकेतकों का उपयोग करके भारत की प्रगति को ट्रैक करना उपलब्धियों और नीतिगत अंतराल दोनों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान कर सकता है। वित्तीय विकास के संकेतक किसी अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली की ताकत, समावेशिता और स्थिरता का निदान करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाएं अधिक एकीकृत और डिजिटल होती जाती हैं, वित्तीय विकास की बदलती प्रकृति को पकड़ने के लिए

नए संकेतक, जैसे कि फिनटेक अपनाना या डिजिटल क्रेडिट का उपयोग, भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वित्तीय विकास आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कुशल संसाधन आवंटन, उत्पादकता वृद्धि, गरीबी में कमी और समावेशी विकास को सक्षम बनाता है। इसे समझने के लिए चार आयामों गहराई, पहुँच, दक्षता और स्थिरता में मापने योग्य और सार्थक संकेतकों की आवश्यकता होती है। ये संकेतक वित्तीय संस्थानों और बाजारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, देश की वित्तीय वास्तुकला में ताकत और कमजोरियों का निदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। वे साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण, वित्तीय समावेशन में अंतराल की पहचान करने, संरचनात्मक सुधारों का मार्गदर्शन करने, वित्तीय कमजोरियों की निगरानी करने और अधिक न्यायसंगत और कुशल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। पहुँच संकेतकों में सुधार करके वंचित आबादी को बैंकिंग और ऋण सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थिरता संकेतकों को मजबूत करना सुनिश्चित करता है कि वित्तीय प्रणालियाँ झटकों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं, जिससे आर्थिक विकास सुरक्षित है। वित्तीय विकास संकेतक अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं और समय के साथ प्रगति को ट्रैक करने में भी मदद करते हैं। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाएँ नई तकनीकों को अपनाती हैं, इन संकेतकों का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे डिजिटल वित्तीय समावेशन और साइबर सुरक्षा तत्परता जैसे नए मेट्रिक्स को शामिल करना आवश्यक हो गया है। भारत में, ये संकेतक प्रधानमंत्री जन धन योजना, यूपीआई–आधारित भुगतान और बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्पूंजीकरण जैसे सुधारों के मूल्यांकन में उपयोगी रहे हैं। हालाँकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों और आय और लिंग समूहों के बीच असमानताएँ बनी हुई हैं। वित्तीय संकेतकों की मजबूत समझ इन अंतरों को पाटने में मदद कर सकती है।

2.3 वित्तीय विकास के मापन का ढांचा

वित्तीय विकास एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसके लिए एक अच्छी तरह से संरचित विश्लेषणात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। वित्तीय विकास को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले तीन प्रमुख ढांचे संस्थागत दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण और कार्यात्मक दृष्टिकोण हैं। प्रत्येक वित्तीय प्रणालियों की परिपक्वता, समावेशिता और दक्षता का आकलन करने के लिए एक अद्वितीय लेंस प्रदान करता है। संस्थागत दृष्टिकोण बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रदर्शन, संरचना और विकास का मूल्यांकन करता है। यह वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में इन संस्थाओं की भूमिका और उन्हें किस हद तक विनियमित, पर्यवेक्षित और अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जाता है, इसका मूल्यांकन करता है। प्रमुख घटकों में बैंकिंग क्षेत्र का आकार और पहुँच, पूंजी बाजार संस्थान (स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड), वित्तीय अवसंरचना (क्रेडिट ब्यूरो, भुगतान प्रणाली) और नियामक संस्थान (भारत में RBI, SEBI, IRDAI) शामिल हैं। यह दृष्टिकोण वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और शासन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी है, क्योंकि मजबूत बैंकिंग कानून और केंद्रीय बैंक की निगरानी विश्वास को बढ़ावा देती है और निवेश को आकर्षित करती है। संस्थागत मजबूती अक्सर स्थायी वित्तीय विकास के लिए एक पूर्व शर्त होती है। उदाहरण के लिए, भारत के वित्तीय विकास का आंशिक रूप से संस्थागत दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें RBI की मौद्रिक नीतियों की मजबूती, SME वित्तपोषण में SIDBI की भूमिका और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों का प्रसार शामिल है। संरचनात्मक दृष्टिकोण वित्तीय प्रणाली की संरचना और गहराई पर जोर देता है, वित्तीय संस्थानों और बाजारों के प्रकार और अनुपात पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह भी बताता है कि वे आर्थिक प्रणाली के भीतर कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। यह अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाओं की संरचना और वितरण को मैप करने में मदद करता है, यह दर्शाता है कि किसी देश का वित्तीय विकास संकीर्ण है या व्यापक–आधारित। संरचनात्मक रूप से संतुलित वित्तीय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी क्षेत्रों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तपोषण की जरूरतें पूरी हों। कार्यात्मक दृष्टिकोण यह देखता है कि वित्तीय प्रणाली क्या करती है, न कि यह कि यह किससे बनी है। यह मूल्यांकन करता है कि वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था में अपने आवश्यक कार्यों को कितनी प्रभावी ढंग से करती है। इस दृष्टिकोण के लाभों में गतिशील और भविष्योन्मुखी होना, नवाचार को समायोजित करना और वित्तीय प्रौद्योगिकियों को बदलना शामिल है। वित्तीय विकास की व्यापक समझ के लिए, इन रूपरेखाओं को एक साथ लागू किया जाना चाहिए, जिससे नीति निर्माताओं को लक्षित सुधार तैयार करने, समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने, प्रगति की निगरानी करने और वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को अपनाने में मदद मिल सके।

2.4 वित्तीय विकास के प्रमुख संकेतक

वित्तीय विकास एक जटिल अवधारणा है जिसमें वित्तीय संस्थानों और बाजारों का विस्तार, पहुंच, दक्षता और लचीलापन शामिल है। वित्तीय विकास के प्रमुख संकेतकों में वित्तीय गहराई, पहुंच, दक्षता और स्थिरता शामिल हैं। ये संकेतक नीतिगत हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं और वित्तीय प्रणालियों की आर्थिक क्षमता और समावेशिता को दर्शाते हैं। वित्तीय गहराई अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष वित्तीय संस्थानों और बाजारों के आकार और तरलता को मापती है। भारत की वित्तीय परिसंपत्तियों का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात लगभग 130% है, जबकि अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह 200% से अधिक है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र की कुल संपत्ति 200 लाख करोड़ से अधिक है, जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्रित है। पूंजी बाजार की गहराई इक्विटी और ऋण बाजारों के आकार, तरलता और पहुंच को संदर्भित करती है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच यह मापती है कि व्यक्ति और व्यवसाय कितनी आसानी से औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। भारत में प्रति 100,000 वयस्कों पर लगभग 14 शाखाएँ हैं, जो बैंक राष्ट्रीयकरण और PMJDY के बाद मजबूत ग्रामीण आउटरीच को दर्शाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म (UPI और मोबाइल वॉलेट) में तेजी से वृद्धि ने वित्तीय पहुँच में क्रांति ला दी है, 2024 में हर महीने 12 बिलियन से ज्यादा लेन–देन होंगे। वित्तीय समावेशन सूचकांक (FII) पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता में समावेशन को दर्शाता है, जो जन धन, आधार–सक्षम भुगतान और DBT जैसी सरकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाता है। वित्तीय विकास में दक्षता में पूंजी आवंटन की उत्पादकता में सुधार करते हुए वित्तीय मध्यस्थता की लागत को कम करना शामिल है। भारत का शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) लगभग 3% है, जो विकसित बाजारों से ज्यादा है। व्यक्तियों और एमएसएमई को किफायती ऋण तक पहुँचने के लिए ऋण की उपलब्धता और दरें महत्वपूर्ण हैं। भारत की ऋण दरें एमएसएमई के लिए 8–11% के बीच हैं, लेकिन अनौपचारिक ऋणदाता अभी भी उच्च दरों के साथ ग्रामीण बाजारों पर हावी हैं। दक्ष वित्तीय प्रणालियाँ सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करती हैं, लेकिन भारत में चुनौतियों में बड़े निगमों में ऋण का अत्यधिक संकेन्द्रण और कृषि, छोटे व्यवसायों और महिला उद्यमियों को सीमित ऋण प्रवाह शामिल हैं। वित्तीय क्षेत्र सुधारों का उद्देश्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों और फिनटेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन विकृतियों को ठीक करना है। वित्तीय स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय संस्थान झटकों के प्रति लचीले हों और प्रणालीगत जोखिमों को कम करें। भारत का गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) अनुपात (सकल) 2018 में 11% पर पहुंच गया था, लेकिन विभिन्न कारकों के कारण यह घटकर 3.2% (2023) रह गया है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास घाटे को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त बफर हो, और तरलता कवरेज अनुपात (LCR) तरलता तनाव के प्रति अल्पकालिक लचीलापन सुनिश्चित करता है। एक लचीला, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इन संकेतकों को संतुलित रूप से मजबूत करना आवश्यक है।

2.5 वित्तीय विकास के वैश्विक संकेतक और सूचकांक

वित्तीय विकास का तात्पर्य वित्तीय मध्यस्थों और बाजारों की वृद्धि से है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच (WEF) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न सूचकांकों और संकेतकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर मापा जाता है। ये संकेतक नीति निर्माताओं, निवेशकों और शोधकर्ताओं को वित्तीय बुनियादी ढांचे, पहुंच, गहराई और दक्षता के संदर्भ में देशों की प्रगति और तुलनात्मक स्थिति का आकलन करने में मदद करते हैं। IMF और विश्व बैंक व्यापक वित्तीय विकास संकेतक एकत्र करते हैं और प्रकाशित करते हैं, जिसमें मैक्रो–लेवल डेटा (जैसे जीडीपी अनुपात और ब्याज दर प्रसार के लिए क्रेडिट) और माइक्रो–लेवल एक्सेस संकेतक (जैसे प्रति 100,000 वयस्कों पर बैंक शाखाओं या एटीएम की संख्या) दोनों शामिल हैं। विश्व बैंक का वैश्विक वित्तीय विकास डेटाबेस देशों में वित्तीय प्रणाली की विशेषताओं को ट्रैक करता है, जिसे चार आयामों गहराई, पहुंच, दक्षता और स्थिरता में व्यवस्थित किया जाता है। IMF वित्तीय पहुंच सर्वेक्षण (FAS) एक वैश्विक डेटाबेस है जो वाणिज्यिक बैंकों, एटीएम, मोबाइल मनी एजेंटों और वाणिज्यिक बैंकों में जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं को कवर करता है। यह वित्तीय समावेशन की निगरानी करके संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करता है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वित्तीय प्रणाली विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों, नीतियों और संस्थानों का आकलन करने के लिए वित्तीय विकास सूचकांक विकसित किया है। WEF की वित्तीय विकास रिपोर्ट के माध्यम से 2008 में पेश किया गया यह सूचकांक वित्तीय प्रणालियों और पूंजी बाजारों के समग्र

विकास के आधार पर देशों को रैंक करता है। इसमें संस्थागत वातावरण, कारोबारी माहौल, वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ, गैर–बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ और वित्तीय बाजार जैसे घटक शामिल हैं। व्यापार करने में आसानी – ऋण तक पहुँच संकेतक यह आकलन करता है कि व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त करना कितना आसान है। ऋण प्राप्त करना संकेतक कानूनी अधिकारों की ताकत और ऋण सूचना की गहराई का मूल्यांकन करता है, कानूनी और संस्थागत सुधारों को प्रोत्साहित करता है, ऋण सूचना प्रणालियों को बढ़ावा देता है, ऋण देने में पारदर्शिता की सुविधा देता है, जोखिम प्रीमियम को कम करता है और निवेशकों के विश्वास और वित्तीय समावेशन में सुधार करता है। वैश्विक वित्तीय विकास संकेतक एक महत्वपूर्ण लेंस प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से किसी देश की वित्तीय प्रणाली की ताकत और समावेशिता का विश्लेषण किया जा सकता है।

2.6 भारत में वित्तीय विकास के संकेतकों की स्थिति

स्वतंत्रता के बाद से भारत का वित्तीय विकास काफी हद तक विकसित हुआ है, जो राज्य–नियंत्रित बैंकिंग प्रणाली से अधिक उदार, प्रौद्योगिकी–संचालित और समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हुआ है। भारत के वित्तीय विकास के प्रमुख संकेतकों में वित्तीय गहराई (ऋण–जीडीपी अनुपात), पहुंच (बैंकिंग घनत्व, खाता स्वामित्व), दक्षता (वित्तीय मध्यस्थता की लागत) और स्थिरता (एनपीए, पूंजी पर्याप्तता) शामिल हैं। भारत के वित्तीय विकास की जांच कई चरणों में की जा सकती हैरू उदारीकरण से पहले का युग (1947–1991), जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व था, उसके बाद उदारीकरण के बाद के सुधार (1991–2010), जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश हुआ, विवेकपूर्ण मानदंडों और बैंकिंग विनियमों में सुधार हुआ और पूंजी बाजार सुधारों और सेबी को मजबूत किया गया। आधुनिक युग (2010–वर्तमान) में फिनटेक, यूपीआई, डिजिटल ऋण और मोबाइल बैंकिंग में वृद्धि के साथ डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया है। भारत में क्षेत्रीय वित्तीय विकास राज्यों में असमान बना हुआ है, दक्षिणी राज्यों में वित्तीय पहुँच और साक्षरता अधिक है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य ऋण–जमा अनुपात, एटीएम पैठ और डिजिटल अपनाने में पिछड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में ऋण, बीमा और पूंजी बाजारों तक बेहतर पहुँच है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अनौपचारिक ऋण पर बहुत अधिक निर्भर हैं। बेहतर खाता स्वामित्व के बावजूद महिलाओं के पास औपचारिक ऋण पहुँच कम है, और कई राज्यों में महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय साक्षरता और ऋण सहायता अपर्याप्त है। भारत सरकार ने संतुलित और समावेशी वित्तीय विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया और यूपीआई, वित्तीय साक्षरता और समावेशन उपाय, बुनियादी ढाँचा और नीति सुधार, और ऋण गारंटी योजनाएँ और एमएसएमई फंडिंग आदि। भारत की वित्तीय विकास यात्रा महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। प्रौद्योगिकी के एकीकरण, बैंकिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार और लक्षित सरकारी नीतियों ने पहुँच और दक्षता को बढ़ाया है। हालाँकि, क्षेत्रीय असमानताएँ, ग्रामीण बहिष्कार और लैंगिक अंतर गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनके लिए निरंतर नीति नवाचार, मजबूत नियामक समर्थन और विकास के साथ–साथ समानता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में वित्तीय विकास को न केवल गहन करना होगा, बल्कि पहुंच को लोकतांत्रिक भी बनाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक नागरिक औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भाग ले सके और उससे लाभ उठा सके।

2.7 वित्तीय विकास के संकेतकों में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव

आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण है, और वित्तीय संकेतकों में सुधार के लिए सक्रिय और समावेशी नीति उपायों की आवश्यकता है। मुख्य फोकस क्षेत्रों में डिजिटल वित्त, ग्रामीण आउटरीच और वित्तीय साक्षरता शामिल हैं। इन क्षेत्रों में प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप समग्र वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सकते हैं और समावेशी, टिकाऊ और लचीला विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। डिजिटल वित्त में मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल वॉलेट और फिनटेक एप्लिकेशन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ वित्तीय सेवाओं को एकीकृत करना शामिल है। वित्तीय पहुँच और दक्षता में सुधार करने के लिए, सरकारों को हाई–स्पीड इंटरनेट में निवेश करना चाहिए, 5G और सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा देना चाहिए, इंडिया स्टैक फ्रेमवर्क का विस्तार करना चाहिए, फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना चाहिए, डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए, UPI और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना चाहिए और QR–कोड

इंफ्रास्ट्रक्चर और POS टर्मिनलों का विस्तार करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुँच भौगोलिक, अवसंरचनात्मक और सामाजिक–आर्थिक बाधाओं से बाधित है। लक्षित हस्तक्षेप इस अंतर को पाट सकते हैं और समावेशी वित्तीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) मॉडल को मजबूत करना, लघु वित्त बैंकों और सहकारी संस्थानों को बढ़ावा देना, बुनियादी ढाँचे में सुधार करना, ऋण और बीमा की स्थिरता को प्रोत्साहित करना और वित्तीय साक्षरता में सुधार करना आवश्यक कदम हैं। वित्तीय शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना, मानकीकृत सामग्री वितरण के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों के साथ साझेदारी करना, तथा एनजीओ, एसएचजी और युवा क्लबों के माध्यम से गांव–स्तर पर वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू करना साक्षरता बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। सरकार और विनियामक के नेतृत्व वाले अभियान आरबीआई के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) का विस्तार कर सकते हैं, सेबी और आईआरडीएआई को जनसंचार माध्यमों के माध्यम से निवेश उत्पादों और बीमा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए, तथा कम आय वाले क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता सप्ताह, मोबाइल कार्यशालाएं और घर–घर अभियान चलाना चाहिए। महिलाओं, आदिवासियों, वरिष्ठ नागरिकों और प्रवासियों के लिए साक्षरता मॉड्यूल तैयार करके और सहकर्मी शिक्षा का संचालन करने के लिए सामुदायिक नेताओं या वित्तीय साक्षरता राजदूतों को बढ़ावा देकर महिलाओं और हाशिए के समूहों को सशक्त बनाया जा सकता है। वित्तीय साक्षरता को कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ जोड़कर नागरिकों को और सशक्त बनाया जा सकता है। वित्तीय संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए बहुआयामी, समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो पहुंच, साक्षरता, बुनियादी ढांचे और नवाचार को संबोधित करता हो। डिजिटल वित्त को बढ़ावा देकर, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करके और नागरिकों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाकर, सरकारें एक लचीला, समावेशी और दूरदर्शी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बना सकती हैं। ये नीतिगत सिफारिशें न केवल विकास के मार्ग हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

2.8 सारांश

वित्तीय विकास आर्थिक वृद्धि, स्थिरता और समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बचत जुटाने, पूंजी आवंटित करने और जोखिम प्रबंधन में वित्तीय संस्थानों, बाजारों और साधनों के विस्तार और दक्षता को शामिल किया गया है। वित्तीय विकास की सीमा और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, अर्थशास्त्री और नीति निर्माता विभिन्न संकेतकों पर भरोसा करते हैं जो वित्तीय प्रणालियों की गहराई, पहुंच, दक्षता और स्थिरता को दर्शाते हैं। प्रस्तुत अध्ययननिजी क्षेत्र को घरेलू ऋण, बाजार पूंजीकरण, वित्तीय समावेशन मीट्रिक, ब्याज दर प्रसार और संस्थागत गुणवत्ता सूचकांक जैसे प्रमुख वित्तीय विकास संकेतकों की समीक्षा करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि ये संकेतक विभिन्न देशों और समय के साथ वित्तीय प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कैसे उपकरण के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, सार संरचनात्मक असमानताओं को समझने के लिए बैंकिंग और पूंजी बाजारों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और औपचारिक बनाम अनौपचारिक वित्त के बीच अंतर करने वाले अलग–अलग आँकड़ो के महत्व पर जोर देता है। इन संकेतकों का विश्लेषण करके, अध्ययन अंतराल की पहचान करने, प्रगति को ट्रैक करने और समावेशी और स्थिर वित्तीय क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से नीतिगत उपायों को तैयार करने में योगदान देता है।

2.9 बोध प्रश्न

- **वित्तीय विकास के संकेतक से आप क्या समझते हैं?**

  उत्तर– वित्तीय विकास के संकेतक मापने योग्य कारक हैं जो किसी देश की वित्तीय प्रणाली की दक्षता, गहराई, पहुंच और स्थिरता को दर्शाते हैं। वे यह आकलन करने में मदद करते हैं कि वित्तीय संस्थान और बाजार आर्थिक विकास का कितना अच्छा समर्थन करते हैं। सामान्य संकेतकों में वित्तीय गहराई (जैसे, ऋण–से–जीडीपी अनुपात), वित्तीय समावेशन और वित्तीय दक्षता शामिल हैं।

- **वित्तीय विकास के मापन की क्या भूमिका है?**

  उत्तर– वित्तीय विकास का मापन किसी देश की वित्तीय प्रणाली के प्रदर्शन और प्रगति का मूल्यांकन करने

में मदद करता है। यह वित्तीय पहुँच, दक्षता और स्थिरता में अंतराल की पहचान करता है। यह नीति निर्माताओं को समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रभावी सुधार और रणनीति तैयार करने में सक्षम बनाता है।

- **वित्तीय विकास के प्रमुख संकेतक का विवरण दीजिए।**

  उत्तर– वित्तीय विकास के मुख्य संकेतकों में वित्तीय गहराई (जैसे, जीडीपी के लिए ऋण और परिसंपत्ति अनुपात), वित्तीय पहुंच (व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता) और वित्तीय दक्षता (लागत–प्रभावी वित्तीय मध्यस्थता) शामिल हैं। ये संकेतक दर्शाते हैं कि वित्तीय प्रणाली बचत, निवेश और आर्थिक गतिविधि का कितना अच्छा समर्थन करती है।

- **वित्तीय विकास के संकेतकों की स्थिति क्या है?**

  उत्तर– वित्तीय विकास संकेतकों की स्थिति दर्शाती है कि किसी देश की वित्तीय प्रणाली पहुँच, गहराई, दक्षता और स्थिरता के माध्यम से विकास का कितना अच्छा समर्थन करती है। भारत में, संकेतक मजबूत संस्थागत स्थिरता (कम एनपीए, उच्च पूंजी पर्याप्तता), डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे यूपीआई) के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विस्तार और घरेलू ऋण में वृद्धि दिखाते हैं। हालांकि, बचत दरों में गिरावट और व्यक्तिगत ऋण में वृद्धि जैसे जोखिम स्थायी और समावेशी वित्तीय विकास पर निरंतर नीतिगत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

- **वित्तीय विकास के संकेतकों में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव क्या है?**

  उत्तर– वित्तीय विकास के संकेतकों में सुधार के लिए नीतिगत सुझावों में व्यापक यूपीआई और फिनटेक पहुंच के माध्यम से डिजिटल वित्त को बढ़ावा देना शामिल है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को मजबूत करने से व्यक्ति सूचित आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। विनियामक ढांचे में सुधार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता है। समावेशी बैंकिंग नीतियों को प्रोत्साहित करने से वंचित आबादी के लिए ऋण और बचत तक पहुंच बढ़ती है।

2.10 अभ्यासार्थ प्रश्न

- वित्तीय विकास क्या हैं?
- वित्तीय विकास के मापन का ढांचा क्या है?
- वित्तीय विकास के प्रमुख संकेतकों का वर्णन कीजिए।
- भारत में वित्तीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन से नीतिगत प्रयास किए गए हैं?
- वित्तीय विकास के वैश्विक संकेतकों एवं सूचकांकों की भारत के साथ किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं?
- आपके विचार से भारत में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता हैं?

2.11 उपयोगी पुस्तकें/ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- **Levine, R. (1997).** *Financial development and economic growth: Views and agenda.* Journal of Economic Literature, **35**(2), 688–726.
- **Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007).** *Finance, inequality and the poor.* Journal of Economic Growth, **12**(1), 27–49.
- **Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2008).** *Finance, financial sector policies, and long-run growth.* World Bank Policy Research Working Paper No. 4469.

- **Svirydzenka, K. (2016).** *Introducing a new broad-based index of financial development.* IMF Working Paper WP/16/5. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Introducing-a-New-Broad-based-Index-of-Financial-Development-43621
- **Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2009).** *Financial institutions and markets across countries and over time: Data and analysis.* World Bank Policy Research Working Paper No. 4943.
- **Chinn, M. D., & Ito, H. (2006).** *What matters for financial development? Capital controls, institutions, and interactions.* Journal of Development Economics, **81**(1), 163–192.
- **Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998).** *Financial dependence and growth.* American Economic Review, **88**(3), 559–586

इकाई–3
वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास

इकाई की रूपरेखा

3.1 उद्देश्य

3.2 प्रस्तावना

3.3 वित्तीय प्रणाली एवं आर्थिक विकास

3.4 आर्थिक विकास हेतु वित्तीय प्रणाली के कार्य

3.5 वित्तीय प्रणाली की चुनौतियाँ

3.6 भारत के आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली का प्रभाव

3.7 आर्थिक विकास

3.8 आर्थिक विकास के सिद्धांत

3.9 आर्थिक विकास के उद्देश्य

3.10 आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक

3.11 आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका

3.12 आर्थिक विकास और सामाजिक कारक

3.13 वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच संबंध

3.14 सारांश

3.15 बोध प्रश्न

3.16 अभ्यासार्थ प्रश्न

3.17 उपयोगी पुस्तके/ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय प्रणाली के कार्य से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रभाव से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में आर्थिक विकास से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में आर्थिक विकास के उद्देश्य के बारे में जानेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक के बारे में जानेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में आर्थिक विकास और सामाजिक कारक के बारे में जानेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच संबंध से अवगत होंगे।

3.2 प्रस्तावना

वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच संबंध एक सदी से भी अधिक समय से आर्थिक सिद्धांत और नीतिगत चर्चा के केन्द्र में रहा है। किसी भी देश के सतत् आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली आवश्यक है, क्योंकि यह संसाधनों के कुशल प्रवाह को और सुगम बनाती है, जोखिमों का प्रबंधन करती है और नवाचार को बढ़ावा देती है। यह बुनियादी ढाँचा और संस्थान का आधार प्रदान करती है जिसके माध्यम से वित्तीय संसाधनों को अधिशेष इकाइयों (बचतकर्ताओं) से घाटे वाली इकाइयों (निवेशकों) में स्थानांतरित किया जाता है, जो पूंजी निर्माण, नवाचार और दीर्घकालिक विकास में योगदान देता है। एक वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थानों, बाजारों, उपकरणों, सेवाओं और नियामक निकायों का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है जो किसी अर्थव्यवस्था के भीतर धन के प्रवाह को सुगम बनाता है। प्रत्येक घटक वित्तीय पारिस्थितिकीय तंत्र की दक्षता, तरलता और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक विकास से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में निरंतर वृद्धि से है, जिसे आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि से मापा जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में, आर्थिक विकास को अब केवल पूंजी और श्रम के कार्य के रूप में नहीं देखा जाता है बल्कि संस्थानों की गुणवत्ता, वित्तीय मध्यस्थता और सूचना की उपलब्धता तेजी से विकास के प्रक्षेपवक्र को भी परिभाषित करती है। वित्त–विकास संबंध के सैद्धांतिक आधार विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से विकसित हुए हैं, जिनमें शास्त्रीय और नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री, अंतर्जात विकास सिद्धांत और अनुभवजन्य शोध शामिल हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र में आम सहमति इस बिन्दु पर यह है कि वित्तीय प्रणालियाँ लेन–देन की लागत को कम करके, पूंजी को कुशलतापूर्वक आवंटित करके और समय और स्थान के पार जोखिम का प्रबंधन करके विकास में योगदान करती हैं। वित्तीय प्रणाली कई परस्पर जुड़े चैनलों के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रभावित करती है जिसमें मुख्यरुप से बचत जुटाना, पूंजी का कुशल आवंटन, जोखिम प्रबंधन, व्यापार और विशेषज्ञता को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना हैं। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच वित्तीय प्रणालियों की संरचना और प्रभावशीलता काफी भिन्न होती है। विकसित देशों में आमतौर पर परिपक्व वित्तीय बाजार, गहरे पूंजी बाजार और विविध संस्थान होते हैं, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ अक्सर बैंक–प्रधान प्रणालियों को प्रदर्शित करती हैं, जिनमें पूंजी बाजारों की सीमित पहुंच, कम नियामक दक्षता और अनौपचारिक वित्त, कम डिजिटल साक्षरता और कमजोर कानूनी प्रवर्तन जैसी चुनौतियाँ होती हैं। एक मजबूत वित्तीय प्रणाली के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक उदारीकृत या कम विनियमित वित्तीय बाजार संकट पैदा कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक और बाजार नियामक जैसी संस्थाएं विकास को बढ़ावा देने और स्थिरता बनाए रखने में दोहरी भूमिका निभाती हैं। चुनौतियाँ और उभरते रुझान वित्तीय प्रणालियों की विकास–सक्षम क्षमता को खतरे में डालते हैं, जैसे कि बढ़ती गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), उभरते बाजारों में बैंकिंग संकट, छाया बैंकिंग और गैर–बैंक वित्त से प्रणालीगत जोखिम, वित्तीय पहुँच में असमानता और हरित और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए स्थायी वित्त की आवश्यकता। फिनटेक नवाचार, ब्लॉकचेन, डिजिटल भुगतान और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ (सीबीडीसी) वित्तीय परिदृश्य को बदल रही हैं, समावेशी और कुशल आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते प्रस्तुत कर रही हैं।

3.3 वित्तीय प्रणाली

वित्तीय प्रणाली किसी अर्थव्यवस्था के मौद्रिक और पूंजी प्रवाह की रीढ़ होती है, जिसमें संस्थान, बाजार, उपकरण, सेवाएं और विनियामक ढांचे शामिल होते हैं जो वित्तीय लेनदेन और संसाधन आवंटन की सुविधा प्रदान करते हैं। एक अच्छी तरह से संरचित वित्तीय प्रणाली बचत, निवेश, पूंजी निर्माण और आर्थिक दक्षता को बढ़ाती है, साथ ही जोखिमों का प्रबंधन, तरलता सुनिश्चित करना और सतत विकास को बढ़ावा देती है। वित्तीय प्रणाली को मोटे तौर पर तीन मुख्य घटकों वित्तीय संस्थान (औपचारिक और अनौपचारिक), वित्तीय बाजार (मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार), और वित्तीय मध्यस्थ (बैंक, एनबीएफसी, बीमा कंपनियां) के माध्यम से समझा जा सकता है। औपचारिक वित्तीय संस्थान आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त संस्थाएँ हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जैसे नियामक निकायों द्वारा शासित होती हैं। ये संस्थान सख्त विनियामक मानदंडों का पालन करते हैं और मुख्यधारा की वित्तीय

प्रणाली का अभिन्न अंग हैं। अनौपचारिक वित्तीय संस्थान औपचारिक विनियमन के दायरे से बाहर काम करते हैं और अक्सर विश्वास, संबंधों और सामुदायिक मानदंडों के आधार पर काम करते हैं। वे लचीलापन प्रदान करते हैं लेकिन शोषण, उपभोक्ता संरक्षण की कमी और औपचारिक कानूनी सहारा की अनुपस्थिति जैसे जोखिम उठाते हैं। वित्तीय बाजार वित्तीय प्रणाली के आवश्यक घटक हैं, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और साधनों के आदान–प्रदान को सक्षम करते हैं। वे मूल्य खोज, तरलता प्रबंधन और पूंजी के कुशल आवंटन में मदद करते हैं। मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का एक खंड है जहाँ अल्पावधि उधार और निधियों का उधार होता है, आमतौर पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए। प्रमुख साधनों में ट्रेजरी बिल (टी–बिल), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी), और कॉल और नोटिस मनी शामिल हैं। पूंजी बाजार दीर्घकालिक निवेश से संबंधित है, जो इक्विटी और ऋण साधनों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। इसमें प्राथमिक बाजार शामिल है जहाँ नई प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं (जैसे, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) और द्वितीयक बाजार जहाँ मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है (जैसे, एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज)। प्रमुख साधनों में इक्विटी, बॉन्ड और ऋणपत्र, और म्यूचुअल फंड और ईटीएफ शामिल हैं। वित्तीय मध्यस्थ बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं, निधियों के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करते हैं, जोखिमों को कम करते हैं और पूंजी निर्माण को बढ़ाते हैं। बैंक सबसे प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ हैं, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों (जैसे, एसबीआई, एचडीएफसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। वे बचत को बढ़ावा देकर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके और बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करके अर्थव्यवस्था में एक स्थिर भूमिका निभाते हैं। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकिंग जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। वे विशिष्ट क्षेत्रों और वंचित क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई और अनौपचारिक उद्यमों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। बीमा कंपनियाँ जीवन और गैर–जीवन बीमा पॉलिसियों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन, और सरकारी बॉन्ड, इक्विटी और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में प्रीमियम संग्रह के माध्यम से निवेश की भूमिका निभाती हैं। वित्तीय प्रणाली की संरचना किसी राष्ट्र की आर्थिक परिपक्वता और संस्थागत ताकत का प्रतिबिंब होती है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना और डिजिटलीकरण, विनियमन और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से अनौपचारिक प्रणालियों के लाभों को शामिल करना समावेशी विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

3.4 वित्तीय प्रणाली के कार्य

वित्तीय प्रणाली किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो संसाधनों को जुटाने, जोखिमों का प्रबंधन करने और बाजार की दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बचतकर्ताओं और निवेशकों को जोड़ती है, संसाधनों के इष्टतम उपयोग, रोजगार में वृद्धि, उच्च उत्पादकता और तकनीकी उन्नति के लिए पूंजी के आवंटन की सुविधा प्रदान करती है। एक अच्छी तरह से संरचित वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थान (बैंक, NBFC, बीमा फर्म), वित्तीय बाजार (मुद्रा और पूंजी बाजार), वित्तीय साधन (स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव) और नियामक ढांचे शामिल हैं। वित्तीय प्रणाली पूंजी जुटाने और उसे चौनल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उत्पादन, नवाचार और बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा योजना और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से पूंजी संचय शामिल है। वित्तीय मध्यस्थता बचत को उत्पादक निवेशों की ओर निर्देशित करके पूंजी आवंटन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग, रोजगार में वृद्धि, उच्च उत्पादकता और तकनीकी उन्नति सुनिश्चित होती है। जोखिम प्रबंधन और बीमा आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे जोखिमों को प्रबंधित करने, वितरित करने और कम करने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। बीमा सेवाएँ व्यक्तियों और व्यवसायों को अप्रत्याशित नुकसान से बचाने, आर्थिक अनिश्चितता को कम करने, दीर्घकालिक योजना को प्रोत्साहित करने, आजीविका और परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और कमजोर आबादी के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। विकल्प, वायदा और स्वैप जैसे वित्तीय व्युत्पन्न, बाजार की अस्थिरता, ब्याज दर में उतार–चढ़ाव और मुद्रा जोखिमों से बचाव में मदद करते हैं, जोखिम को उन लोगों तक पुनर्वितरित करते हैं जो इसे बेहतर तरीके से सहन करने में सक्षम हैं।

वित्तीय प्रणाली डिजिटल और भौतिक भुगतान और निपटान सेवाओं के नेटवर्क के माध्यम से कुशल और सुरक्षित धन हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। चेक, डिमांड ड्राफ्ट और NEFT/RTGS जैसे पारंपरिक साधनों को अब

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM), मोबाइल वॉलेट (Paytm, Google Pay) और डेबिट/क्रेडिट कार्ड नेटवर्क (Visa, RuPay, MasterCard) जैसे डिजिटल भुगतान नवाचारों द्वारा पूरक बनाया गया है। वित्तीय स्थिरता और विनियमन व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे बैंकिंग संकटों को रोकते हैं, मुद्रास्फीति और ऋण वृद्धि की निगरानी करते हैं, ब्याज दरों और तरलता का प्रबंधन करते हैं, और अत्यधिक सट्टेबाजी या उत्तोलन से बचते हैं। विनियामक संस्थाएँ अनुपालन, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की देखरेख करती हैं, वित्तीय संस्थाओं की निगरानी करती हैं, लाइसेंसिंग और पंजीकरण, उपभोक्ता संरक्षण और बाजार के आचरण और शोधन क्षमता की निगरानी करती हैं। वित्तीय निर्णय लेने के लिए सूचना प्रसार महत्वपूर्ण है, और वित्तीय प्रणाली सूचना प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के डेटा, वित्तीय परिणाम और बाजार के रुझान प्रकाशित करते हैं, जबकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ उधारकर्ता की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करती हैं और वित्तीय समाचार प्लेटफॉर्म व्यापक आर्थिक संकेतक, ब्याज दर नीतियाँ और वैश्विक वित्तीय विकास का प्रसार करते हैं। सूचना का कुशल प्रसार सूचना विषमता, प्रतिकूल चयन और नैतिक जोखिम, निवेश निर्णयों में अनिश्चितता को कम करता है, और हितधारकों को विकल्पों की तुलना करने, जोखिम–वापसी प्रोफाइल का मूल्यांकन करने और सूचित वित्तीय विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। वित्तीय प्रणाली के प्रमुख कार्य–पूंजी जुटाना, जोखिम प्रबंधन, कुशल भुगतान प्रणाली, प्रणालीगत स्थिरता और सूचना प्रसार–एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। साथ मिलकर, वे आधुनिक आर्थिक गतिविधि और विकास की नींव बनाते हैं। एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली न केवल बाजारों के सुचारू संचालन का समर्थन करती है, बल्कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने, उद्यमशीलता को सशक्त बनाने और आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका भी निभाती है। विशेष रूप से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय प्रणाली के प्रत्येक कार्य को मजबूत करना टिकाऊ और न्यायसंगत प्रगति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

3.5 वित्तीय प्रणाली की चुनौतियाँ

1990 के दशक में उदारीकरण के बाद से भारतीय वित्तीय प्रणाली ने महत्वपूर्ण विस्तार का अनुभव किया है, लेकिन इसे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसके प्रदर्शन और समावेशिता को प्रभावित करती हैं। इनमें गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का संचय, खंडित विनियमन, तेजी से डिजिटल होते माहौल में बढ़ते साइबर खतरे और वित्तीय साक्षरता की व्यापक कमी शामिल है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने 2014 के बाद एनपीए में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिसका कारण क्रेडिट बूम के दौरान आक्रामक ऋण देना, आर्थिक मंदी, बड़े बुनियादी ढांचे और कॉर्पोरेट परियोजनाओं में देरी और कमजोर क्रेडिट मूल्यांकन और शासन विफलताएं हैं। एनपीए संकट से निपटने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR) और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) का निर्माण जैसी पहल शुरू की गई हैं। हालाँकि, खराब ऋणों का समाधान एक धीमी और जटिल प्रक्रिया बनी हुई है। भारत जैसी जटिल अर्थव्यवस्था के लिए विनियामक समन्वय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्तीय प्रणाली में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा विनियमित कई क्षेत्र शामिल हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) जैसे निकायों के माध्यम से एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, और विभिन्न रिपोर्टों में एक एकीकृत वित्तीय नियामक की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है। स्पष्ट अधिकार क्षेत्र सीमाएँ, सुव्यवस्थित अनुपालन और एक सामान्य विनियामक डेटा–साझाकरण ढांचा प्रणालीगत दक्षता सुनिश्चित करने और भविष्य के संकटों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। साइबर सुरक्षा और डिजिटल जोखिम भी भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटलीकरण ने विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और तकनीकी अखंडता से संबंधित नई चुनौतियाँ पेश की हैं। साइबर सुरक्षा चुनौतियों में योगदान देने वाले कारकों में सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में कम सार्वजनिक जागरूकता, ग्रामीण बैंकों और NBFC में अपर्याप्त साइबर बुनियादी ढाँचा और समान डेटा सुरक्षा कानूनों की अनुपस्थिति शामिल है। वित्तीय जागरूकता में सुधार के प्रयासों में त्त्ठ८ का वित्तीय साक्षरता सप्ताह और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षा केंद्रों का शुभारंभ, SEBI के निवेशक शिक्षा कार्यक्रम और वित्तीय जागरूकता शिविर, और बुनियादी वित्तीय शिक्षा को शामिल करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम सुधार शामिल हैं। हालाँकि, भाषा अवरोधों, डिजिटल निरक्षरता और दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित पहुँच के कारण अभी भी अंतराल मौजूद हैं। वित्तीय साक्षरता को केवल तकनीकी कौशल के रूप में नहीं, बल्कि लिंग, डिजिटल और ग्रामीण समावेशन रणनीतियों के साथ संरेखित एक प्रमुख जीवन योग्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय वित्तीय प्रणाली को उच्च गैर–निष्पादित आस्तियों (एनपीए), खंडित विनियमन, बढ़ते साइबर खतरों

और वित्तीय निरक्षरता सहित प्रणालीगत और संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों को हल करने के लिए, मजबूत कानूनी ढांचे, संस्थागत समन्वय, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और जमीनी स्तर पर वित्तीय शिक्षा सहित एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इससे भारत को टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए एक लचीला, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी।

3.6 भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रभाव

हाल के दशकों में भारत की वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसने आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगस्त 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना था। कुछ ही वर्षों में, 500 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें से अधिकांश पहले से बैंक से वंचित आबादी के थे, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के समुदायों से। इस योजना का प्रभाव केवल आँकड़ों से परे है, क्योंकि इसने आय असमानता में कमी, बचत व्यवहार में वृद्धि और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) में योगदान दिया है। आधार एकीकरण और मोबाइल लिंकेज (जेएएम ट्रिनिटी– जन धन, आधार, मोबाइल) के साथ, सरकार सीधे लाभार्थियों के खातों में धन जमा कर सकती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के लिए वित्तीय पहुँच में भी काफी सुधार हुआ है, जिससे लिंग–संवेदनशील वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। जनधन खाताधारकों में अब महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, जिससे उन्हें ज्यादा स्वायत्तता, आपातकालीन बचत और घरों में निर्णय लेने की सुविधा मिलती है। हालाँकि, अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें कम खाता उपयोग और निष्क्रिय खाते शामिल हैं, जो स्थायी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय साक्षरता और गहन जुड़ाव की आवश्यकता को इंगित करते हैं। 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। वित्तीय प्रणाली में इसके सबसे क्रांतिकारी योगदानों में से एक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) रहा है, जिसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया था। UPI ने मोबाइल फोन का उपयोग करके वास्तविक समय, कम लागत और सुरक्षित पीयर–टू–पीयर और पीयर–टू–मर्चेंट लेनदेन को सक्षम करके भारत में भुगतान परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है। 2025 तक, इसने कार्ड और नकद भुगतान को पार करते हुए प्रति माह 10बिलियन से अधिक लेनदेन की सुविधा प्रदान की। फोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भीम जैसे प्लेटफॉर्म ने अर्ध–शहरी और ग्रामीण भारत में गहरी पैठ बना ली है, जिससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, छोटे व्यवसायों के लिए लेन–देन की लागत कम हुई है और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को औपचारिक रूप दिया गया है। माइक्रोफाइनेंस भारत की गरीबी के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ पारंपरिक बैंकिंग सेवाएँ अक्सर नहीं पहुँच पाती हैं। छोटे, संपार्श्विक–मुक्त ऋणों के माध्यम से, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) ने कम आय वाले परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को आय–उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे स्व–रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। हालाँकि, इस क्षेत्र को आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अत्यधिक ऋणग्रस्तता, अनौपचारिक ऋण में विनियमन की कमी और कुछ निजी MFI द्वारा उच्च ब्याज दरें शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में माइक्रोफाइनेंस के लिए एक संशोधित नियामक ढाँचा पेश किया, जिसमें उधारकर्ता सुरक्षा, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत में वित्तीय प्रणाली अब बैंकों, शेयर बाजारों और शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह समावेशी, प्रौद्योगिकी–संचालित और जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने वाली एक शक्तिशाली प्रणाली के रूप में विकसित हो गई है।

3.7 आर्थिक विकास

आर्थिक विकास अर्थशास्त्र में एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीवन स्तर और आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नीति निर्माताओं और समुदायों द्वारा निरंतर प्रयास शामिल हैं। यह आय वृद्धि से परे है और इसमें साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और गरीबी के स्तर जैसे संकेतकों में सुधार शामिल है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन इस बात पर जोर देते हैं कि विकास को वास्तविक स्वतंत्रता का विस्तार करने

और मानव क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। माइकल टोडारो आर्थिक विकास को जीवन स्तर में वृद्धि, आत्म–सम्मान की जरूरतों, उत्पीड़न से मुक्ति और अधिक विकल्प के रूप में परिभाषित करते हैं। यह क्षमता दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, जो विकास को जीवन को चुनने की स्वतंत्रता के रूप में देखता है। आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है जिसमें अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन, बेहतर संस्थान, तकनीकी उन्नति और मानव कल्याण में वृद्धि शामिल है। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से कहीं अधिक व्यापक अवधारणा है, जो जीवन स्तर, समानता और स्थिरता में सुधार पर केंद्रित है। विकास संकेतक आर्थिक और सामाजिक प्रगति को मापने, तुलना करने और निर्देशित करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। जैसे–जैसे समाज विकसित होते हैं, वैसे–वैसे उनकी सफलता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी विकसित होते हैं, जिससे विकास संकेतक सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरह से अनिवार्य हो जाते हैं।

3.8 आर्थिक विकास के सिद्धांत

आर्थिक विकास से तात्पर्य लोगों की आर्थिक लाभ और जीवन की गुणवत्ता में निरंतर और समावेशी सुधार से है, विशेष रूप से अविकसित और विकासशील देशों में। समय के साथ, अर्थशास्त्रियों ने यह समझने के लिए कई सैद्धांतिक रूपरेखाएँ विकसित की हैं कि अर्थव्यवस्थाएँ कैसे बढ़ती हैं और गरीबी, असमानता और अविकसितता को कैसे दूर किया जाए। शास्त्रीय और नवशास्त्रीय सिद्धांत, हैरोड–डोमर मॉडल, रोस्टो का चरणबद्ध विकास सिद्धांत और अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण चार प्रमुख सिद्धांत हैं। शास्त्रीय सिद्धांत बाजारों और पूंजी पर जोर देता है, जबकि नवशास्त्रीय सिद्धांत ने शास्त्रीय विचारों को परिष्कृत किया और आर्थिक विकास का विश्लेषण करने के लिए गणितीय मॉडलिंग की शुरुआत की। सोलो ग्रोथ मॉडल ने स्थिर–अवस्था विकास की अवधारणा पेश की और दीर्घकालिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डाला। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि ये सिद्धांत संस्थागत कारकों, असमानता और पर्यावरणीय चिंताओं को अनदेखा करते हैं, साथ ही सही बाजारों और पूर्ण रोजगार को मानते हैं, जो कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवास्तविक है। हैरोड–डोमर मॉडल बचत, निवेश और आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विकास नियोजन में प्रभावशाली रहा है, खासकर उत्तर–औपनिवेशिक और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में। आलोचकों का तर्क है कि यह तकनीकी प्रगति और श्रम वृद्धि को नजरअंदाज करता है, निरंतर पूंजी–उत्पादन अनुपात मानता है, और संरचनात्मक मुद्दों या आय वितरण को संबोधित नहीं करता है। रोस्टोव के आर्थिक विकास के चरण औद्योगिक राष्ट्रों के विकास पथों से प्रेरित विकास का एक रैखिक, ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तावित करते हैं। इसके पाँच चरण पारंपरिक समाज, तीव्र औद्योगिकीकरण, परिपक्वता की ओर बढ़ना और उच्च सामूहिक उपभोग का युग हैं। जबकि इसे समझना आसान है और व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है, यह यूरोसेंट्रिक है और औपनिवेशिक इतिहास, असमानता और बाहरी निर्भरता को नजरअंदाज करता है। अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण विकास को स्वतंत्रता और मानव क्षमताओं के विस्तार के रूप में फिर से परिभाषित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि विकास को केवल जीडीपी या आय के स्तर से नहीं बल्कि मानव क्षमताओं के संवर्द्धन से आंका जाना चाहिए, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, लैंगिक समानता और राजनीतिक और नागरिक अधिकार। आर्थिक विकास के सिद्धांत मुक्त बाजारों में शास्त्रीय मान्यताओं से अमर्त्य सेन जैसे अधिक समावेशी और मानव–केंद्रित दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। प्रत्येक सिद्धांत विकास की प्रक्रिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, प्रत्येक विकास की प्रक्रिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सफल विकास रणनीतियों को कई सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, प्रत्येक देश के विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत संदर्भों के लिए नीतियों को तैयार करना चाहिए।

3.9 आर्थिक विकास के उद्देश्य

आर्थिक विकास एक बहुआयामी लक्ष्य है जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता और कल्याण में सुधार करना है। यह केवल राष्ट्रीय आय या उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानव कल्याण के बारे में भी है। आर्थिक विकास के प्रमुख उद्देश्यों में गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी, जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करना शामिल है। गरीबी उन्मूलन आर्थिक विकास का एक मूलभूत उद्देश्य है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण तक कम पहुँच होती है, जिससे अभाव, सामाजिक बहिष्कार, हाशिए पर जाने और राजनीतिक अस्थिरता का चक्र चलता रहता है। विकास रणनीतियों में वितरण नीतियाँ, लक्षित कार्यक्रम और समावेशी विकास रणनीतियाँ शामिल हैं, जो आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच पर जोर

देती हैं। बेरोजगारी में कमी अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ी चुनौती है, और इसे सार्वजनिक व्यय और रोजगार सृजन के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए रोजगार सृजन आवश्यक है। जीवन स्तर में सुधार आर्थिक विकास का एक केंद्रीय उद्देश्य है, और जीडीपी जैसे पारंपरिक उपाय पूरी तरह से कल्याण को कवर नहीं करते हैं। आधुनिक विकास अर्थशास्त्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पर्यावरण गुणवत्ता जैसे गैर–मौद्रिक आयाम शामिल हैं। मानव विकास सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि वास्तविक विकास लोगों को लंबा, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन जीने में सक्षम बनाना चाहिए। विकास रणनीतियों में उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में मानव विकास सूचकांक (HDI), बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) और जीवन की गुणवत्ता सूचकांक शामिल हैं। नीतिगत उपायों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और शिक्षा में निवेश, आवास और पोषण के लिए सब्सिडी और सहायता, और कमजोर आबादी को लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करना आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राष्ट्रीय सामंजस्य में बाधा डालते हैं और अक्षमताएँ पैदा करते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन अवसंरचना में अंतर, असमान औद्योगीकरण और निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के कारण हो सकता है। विकास प्रतिक्रियाओं में लक्षित नीतियों, विकेंद्रीकृत नियोजन, ग्रामीण अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश और क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्रों और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करके पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना शामिल है। आर्थिक विकास जीडीपी बढ़ाने से कहीं आगे जाता है और गरीबी को खत्म करने, बेरोजगारी को कम करने, जीवन स्तर को बढ़ाने और क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने का एक व्यापक प्रयास है। ये लक्ष्य कल्याणकारी अर्थशास्त्र, मानव विकास सिद्धांत और समावेशी विकास मॉडल में गहराई से निहित हैं। नीति निर्माताओं को ऐसी विकास रणनीतियाँ बनानी चाहिए जो जन–केंद्रित, न्यायसंगत और समावेशी हों, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग और क्षेत्र तक पहुँचे।

3.10 आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक

आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें न केवल आर्थिक वृद्धि शामिल है बल्कि जीवन की गुणवत्ता, समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन में सुधार भी शामिल है। किसी अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए, विभिन्न संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जो न केवल किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं बल्कि इसकी सामाजिक प्रगति और मानव कल्याण को भी दर्शाते हैं। प्रति व्यक्ति आय को किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी गणना किसी देश की कुल जनसंख्या से सकल राष्ट्रीय आय (GNI) को विभाजित करके की जाती है। इसका उपयोग अक्सर राष्ट्रों की सापेक्ष आर्थिक भलाई की तुलना करने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह आय असमानता, पर्यावरणीय गिरावट या जीवन लागत में अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। इसलिए, विकास का सटीक आकलन करने के लिए इसे व्यापक उपायों द्वारा पूरक होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक (HDI) महबूब उल हक द्वारा विकसित और अमर्त्य सेन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था शिक्षा – स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षय और जीवन स्तर – प्रति व्यक्ति जीएनआई (पीपीपी समायोजित)। यह विकास के लिए मानव–केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों की पसंद और क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतक महत्वपूर्ण विकास संबंधी चिंताएँ हैं। गरीबी दर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को मापती है, जिसे आमतौर पर न्यूनतम आय सीमा द्वारा परिभाषित किया जाता है। सामान्य संकेतकों में साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्वास्थ्य संकेतक जैसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिशु और मातृ मृत्यु दर, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य सेवा व्यय शामिल हैं। गिनी गुणांक एक राष्ट्र के भीतर आय असमानता का एक माप है, जो 0 से 1 तक होता है, जहाँ 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है (सभी की आय समान है) और 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है (एक व्यक्ति के पास सारी आय है)। विकास अर्थशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि असमानता सतत विकास में बाधा डाल सकती है, सामाजिक अशांति पैदा कर सकती है और गरीबी–घटाने की रणनीतियों की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। उच्च गिनी मूल्य संकेत देते हैं कि आर्थिक लाभ कुछ लोगों के बीच केंद्रित है, जो समावेशी और न्यायसंगत विकास के लक्ष्यों को पराजित करता है। ये संकेतक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास नीतियों के मूल्यांकन और मार्गदर्शन के लिए एक एकीकृत ढांचा बनाते हैं। नीति निर्माताओं को इन संकेतकों की संदर्भ में व्याख्या करनी चाहिए और समावेशी, टिकाऊ और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने के

लिए उनका पूरक रूप से उपयोग करना चाहिए।

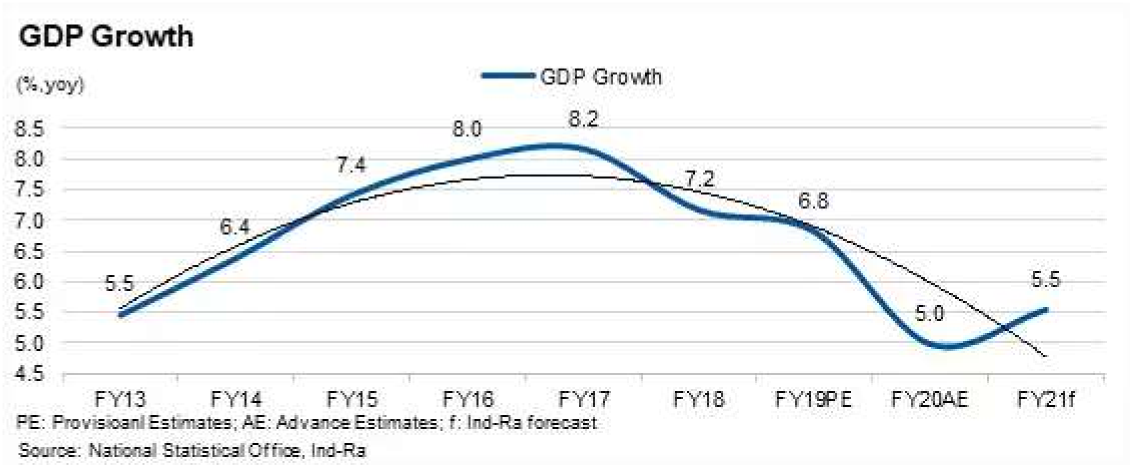

प्रस्तुत ग्राफ 2013 से 2021 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है, जो आर्थिक विकास में लगातार तेजी का संकेत देता है। ग्राफ वित्त वर्ष 2013 में मंदी को दर्शाता है, जिसमें जीडीपी विकास दर केवल 5.5% थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2016 तक, विकास दर में काफी वृद्धि हुई, जो 8.0% तक पहुंच गई। इसका श्रेय वित्तीय प्रणाली सुधारों, निवेश में वृद्धि और सरकारी नीतियों को दिया जा सकता है। वित्त वर्ष 2017 में शिखर 8.2% था, जो आर्थिक गतिविधियों में सर्वकालिक उच्च स्तर का संकेत देता है। वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 19 में गिरावट थोड़ी धीमी थी, वित्त वर्ष 20AE (2019–20) में तेज गिरावट के साथ, संभवतः NBFC संकट, मंदी, मांग में गिरावट और वैश्विक आर्थिक तनाव के कारण। वित्त वर्ष 20 में गिरावट और वित्त वर्ष 21 में सुधार से पता चलता है कि प्रभावी नीतिगत उपाय आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं।

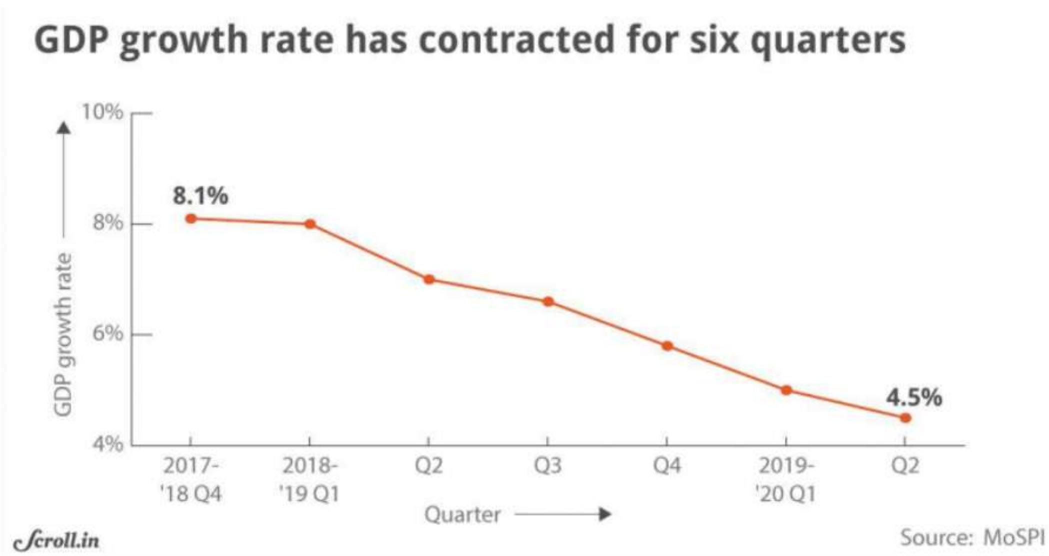

प्रस्तुत ग्राफ से पता चलता है कि भारत की जीडीपी विकास दर लगातार छह तिमाहियों से सिकुड़ रही है, जो 8.1% से गिरकर 4.5% हो गई है। इस गिरावट को चक्रीय मंदी, तीव्र विकास के बाद मांग में गिरावट की अवधि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। निजी क्षेत्र में निवेश और खपत में गिरावट और उपभोक्ता खपत में मंदी भी मांग में गिरावट में योगदान करती है। वित्तीय क्षेत्र के तनाव, जैसे कि एनबीएफसी संकट और बैंकों में एनपीए, ने विकास को धीमा कर दिया है, जिससे व्यापार और औद्योगिक गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। नीति अनिश्चितता, जिसमें जीएसटी, विमुद्रीकरण और व्यापार सुधारों के प्रारंभिक प्रभाव शामिल हैं। व्यापार युद्ध, तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव और वैश्विक मंदी जैसे वैश्विक कारक भी भारत की जीडीपी वृद्धि को प्रभावित

करते हैं।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी)

एनडीपी = सकल घरेलू उत्पाद – मूल्यह्रास

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी)

जीएनपी = जीडीपी + एक्स – एम

कहाँ,

X = किसी देश के बाहर रहने वाले लोगों की आय
M = किसी देश में विदेशियों की आय

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी)

किसी अर्थव्यवस्था में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) मूल्यह्रास के कारण होने वाली हानि को घटाने के बाद प्राप्त सकल राष्ट्रीय उत्पाद है।

एनएनपी = जीएनपी – मूल्यह्रास

बाजार मूल्य पर एनएनपी

यह उपभोक्ता लागत पर एनएनपी का मूल्य है।

बाजार लागत पर एनएनपी = कारक लागत पर एनएनपी + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

3.11 आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका

आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। कृषि, उद्योग और सेवाएँ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, कृषि खाद्य सुरक्षा, रोजगार, कच्चा माल और निर्यात आय प्रदान करती है। भारत में, 40% से अधिक आबादी कृषि में लगी हुई है, जो गरीबी में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालाँकि, कम उत्पादकता, जलवायु निर्भरता, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और छोटी जोत जैसी चुनौतियाँ इसकी दक्षता में बाधा डालती हैं। राग्नार नर्कसे और डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो जैसे विकास अर्थशास्त्रियों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण चरण है। यह आर्थिक विविधीकरण, रोजगार सृजन, पूंजी निर्माण, तकनीकी उन्नति और शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देता है। उद्योग के उप–क्षेत्रों में भारी और बुनियादी उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग और लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) शामिल हैं। सरकारें औद्योगिक नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेवा क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, पर्यटन और सार्वजनिक प्रशासन शामिल हैं, अधिकांश विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक का योगदान देता है, जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण और बढ़ते हिस्से को रोजगार देता है, और सीधे मानव विकास में योगदान देता है। परिवहन, संचार और वित्तीय सेवाओं द्वारा बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान किया जाता है, जबकि आईटी–सक्षम सेवाएं, पर्यटन और वित्तीय सेवाएं महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित करती हैं। "तीन–क्षेत्रीय परिकल्पना" बताती है कि जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाएँ विकसित होती हैं, वे

कृषि से उद्योग और अंततः सेवाओं में परिवर्तित होती हैं, जो उत्तर–औद्योगिक समाजों में प्रमुख हो जाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ने और नवाचार करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। भारत जैसे देशों में, आईटी एक रणनीतिक क्षेत्र बन गया है जो रोजगार, निर्यात और नवाचार को बढ़ावा देता है। प्रमुख योगदानों में रोजगार सृजन, नवाचार और उद्यमिता, डिजिटल समावेशन, विदेशी मुद्रा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सरकारी समर्थन शामिल हैं। आर्थिक विकास कृषि, उद्योग, सेवाओं और आईटी जैसे ज्ञान–आधारित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के परस्पर क्रिया द्वारा संचालित होता है। कृषि खाद्य सुरक्षा और रोजगार सुनिश्चित करती है, उद्योग पूंजी निर्माण और तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है, सेवा क्षेत्र मानव पूंजी को बढ़ाता है और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, जबकि आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं प्रभावी नीतियों द्वारा क्षेत्रीय तालमेल को प्रोत्साहित करना चाहिए, समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और संतुलित और सतत विकास के लिए क्षेत्र–विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना चाहिए।

3.12 आर्थिक विकास और सामाजिक कारक

आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ आय या उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय क्षमताओं का विस्तार, अवसरों तक समान पहुँच और समाज की समग्र भलाई भी शामिल है। अमर्त्य सेन जैसे विकास अर्थशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक कारक – शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय – विकास के आवश्यक निर्धारक हैं। ये कारक सीधे मानव पूंजी निर्माण, उत्पादकता और समावेशी विकास में योगदान करते हैं। शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति, मानव पूंजी निर्माण, उत्पादकता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा श्रमिकों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाती है, जिससे आय और विकास बढ़ता है। यह नागरिक भागीदारी, जागरूकता और लोकतांत्रिक शासन को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य विकास का एक घटक और निर्धारक दोनों है। एक स्वस्थ आबादी अधिक उत्पादक होती है, सीखने में सक्षम होती है और झटकों के प्रति लचीली होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक लाभ उत्पन्न करते हैं, जो सतत विकास की नींव रखते हैं। लैंगिक समानता का तात्पर्य सभी लिंगों के व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अवसर हैं। यह न केवल मानवाधिकारों का मामला है, बल्कि समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक पूर्व शर्त भी है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि लैंगिक सशक्तिकरण सीधे गरीबी में कमी और विकास में योगदान देता है। लैंगिक समानता के आर्थिक लाभों में श्रम शक्ति में भागीदारी में वृद्धि, उच्च घरेलू आय, बेहतर शासन और नवाचार, और बेहतर शासन और नवाचार शामिल हैं। सामाजिक न्याय और समावेशन समाज के भीतर संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण को संदर्भित करता है। सामाजिक समावेशन यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर पड़े समूह – जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति और बुजुर्ग – आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हों। विकास के लिए समान विकास आवश्यक है, क्योंकि इससे "गरीबी के महासागरों में समृद्धि के द्वीप" बनने का जोखिम है। कम असमानता और अधिक समावेशन वाले समाजों में कम संघर्ष और अधिक स्थिरता का अनुभव होता है। आबादी के कुछ हिस्सों को बाहर करने से मानव पूंजी का कम उपयोग होता है। मुख्य समावेशन रणनीतियों में शिक्षा और रोजगार में सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (जैसे, पीडीएस, पेंशन, मनरेगा), अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय और सशक्तिकरण के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक कारक न केवल परिणाम हैं, बल्कि आर्थिक विकास के प्रमुख चालक भी हैं। मानव पूंजी में निवेश करना, समान पहुँच सुनिश्चित करना और न्यायपूर्ण समाज बनाना दीर्घकालिक, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

3.13 वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच संबंध

वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है, जो वित्तीय संसाधनों के कुशल जुटाव और आवंटन को सुगम बनाता है। यह बचतकर्ताओं को उधारकर्ताओं से जोड़ता है, जोखिम साझा करने में सक्षम बनाता है, और आवश्यक वित्तीय अवसंरचना प्रदान करता है, आर्थिक गतिविधि, निवेश और नवाचार का समर्थन करता है।

विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय प्रणाली की ताकत और दक्षता आर्थिक विकास की गति, संरचना और समावेशिता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भारत जैसे देशों के लिए, जहाँ लाखों लोग औपचारिक वित्त के दायरे से बाहर हैं, एक मजबूत और समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण केवल एक व्यापक आर्थिक लक्ष्य नहीं है – यह एक नैतिक और विकासात्मक अनिवार्यता है। वित्तीय गहराई का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय परिसंपत्तियों के आकार और विविधता से है। अधिक वित्तीय गहराई पूंजी तक बेहतर पहुँच, बेहतर तरलता और एक विविध निवेश वातावरण को सक्षम बनाती है। एक गहरी वित्तीय प्रणाली निष्क्रिय बचत को जुटाती है और उन्हें उत्पादक पूंजी में बदल देती है, पूंजी आवंटन की दक्षता बढ़ाती है, इक्विटी और बॉन्ड बाजारों के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश का समर्थन करती है, और जोखिम प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता के लिए तंत्र प्रदान करती है। किंग और लेविन (1993) और विश्व बैंक द्वारा किए गए शोध से वित्तीय विकास और जीडीपी वृद्धि के बीच एक मजबूत संबंध दिखाई देता है। भारत में, शेयर बाजार की बढ़ती गतिविधि, बैंक ऋण विस्तार और डिजिटल भुगतान के साथ पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय गहनता बढ़ी है। हालाँकि, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं, जो लक्षित वित्तीय विकास की आवश्यकता को उजागर करती हैं। एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली सीधे उत्पादक उद्देश्यों के लिए पूंजी जुटाने में योगदान देती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश, रोजगार सृजन और उच्च आय में वृद्धि होती है। वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से बैंक, NBFC और पूंजी बाजार, बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, जोखिम का मूल्यांकन करते हैं, ऋण योग्यता निर्धारित करते हैं और बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक परियोजनाओं, कृषि और संबद्ध गतिविधियों, छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स की ओर संसाधनों को चौनल करने के लिए वित्तीय उत्पादों की एक श्रृंखला की पेशकश करते हैं। जब ऋण आसानी से सुलभ और अच्छी तरह से विनियमित होता है, तो यह व्यवसायों को संचालन को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी में निवेश करने और उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

भारत में, 1990 के दशक से बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में सुधारों ने एमएसएमई, कृषि और आवास जैसे क्षेत्रों में ऋण का विस्तार किया है। मुद्रा ऋण, स्टैंड–अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ इस बात के उदाहरण हैं कि वित्तीय सहायता कैसे उद्यमशीलता के विकास और रोजगार सृजन में तब्दील होती है। हालांकि, गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), ऋण वितरण में क्षेत्रीय असमानताएँ और नौकरशाही की देरी जैसी चुनौतियाँ अभी भी वित्तीय निवेशों की पूर्ण रोजगार क्षमता को सीमित करती हैं। वित्तीय समावेशन एक विकास चालक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कम आय वाले परिवार, ग्रामीण आबादी, महिलाएँ और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को किफायती ऋण, बचत और पेंशन उत्पाद, बीमा और जोखिम सुरक्षा और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तक पहुँच प्राप्त हो। भारत में प्रमुख पहलों में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और फिनटेक नवाचार शामिल हैं। वित्तीय प्रणाली एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है, जो विकास के प्रत्येक आयाम निवेश, रोजगार, नवाचार और समावेशन को प्रभावित करता है। ऋण पहुँच, विनियामक समन्वय, डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय शिक्षा में सुधार सहित इसकी वित्तीय वास्तुकला को मजबूत करना, सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में वित्तीय प्रणाली की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी होगी।

3.14 सारांश

वित्तीय प्रणाली बचत को संगठित करके, संसाधनों के कुशल आवंटन की सुविधा प्रदान करके, वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करके और नवाचार और उद्यमशीलता का समर्थन करके आर्थिक विकास की गति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पत्र सैद्धांतिक रूपरेखाओं और अनुभवजन्य साक्ष्य दोनों से आकर्षित होकर वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच बहुमुखी संबंधों की खोज करता है। यह पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने में वित्तीय संस्थानों, बाजारों और साधनों के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालता है। अध्ययन में भारत के विकसित वित्तीय परिदृश्य पर विशेष ध्यान देने के साथ विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय प्रणालियों की विभिन्न संरचनाओं की भी जांच की गई है। आर्थिक प्रदर्शन पर वित्तीय विकास के सकारात्मक प्रभाव को पहचानते हुए, पत्र वित्तीय बहिष्कार, नियामक अंतराल और तकनीकी अनुकूलन की आवश्यकता जैसी समकालीन चुनौतियों को भी संबोधित करता है।

3.15 बोध प्रश्न

- **वित्तीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं?**

  उत्तर– वित्तीय प्रणाली संस्थाओं, बाजारों, साधनों और सेवाओं का एक नेटवर्क है जो बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच धन के प्रवाह को सुगम बनाता है। इसमें बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, बीमा कंपनियाँ और विनियामक निकाय शामिल हैं। इसका मुख्य कार्य बचत को जुटाना और आर्थिक विकास के लिए कुशलतापूर्वक पूंजी आवंटित करना है।

- **आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं?**

  उत्तर– आर्थिक विकास से तात्पर्य किसी देश में लोगों की आर्थिक भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया से है। इसमें आय में वृद्धि, गरीबी में कमी, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचा शामिल है। आर्थिक विकास केवल सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से परे समावेशी और सतत प्रगति पर केंद्रित है।

- **आर्थिक विकास के महत्व से आप क्या समझते हैं?**

  उत्तर– आर्थिक विकास का महत्व जीवन स्तर में सुधार, गरीबी को कम करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में निहित है। इससे समाज के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचा तैयार होता है। आर्थिक विकास सतत विकास और सामाजिक प्रगति भी सुनिश्चित करता है।

- **आर्थिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका क्या है?**

  उत्तर– विभिन्न क्षेत्र आय, रोजगार और नवाचार में योगदान देकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, औद्योगिक क्षेत्र विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देता है, और सेवा क्षेत्र आईटी, वित्त और शिक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है। साथ मिलकर, वे एक संतुलित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाते हैं।

- **वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच कैसा संबंध है?**

  उत्तर– वित्तीय प्रणाली बचत को जुटाकर और उन्हें उत्पादक निवेशों में लगाकर आर्थिक विकास का समर्थन करती है। यह पूंजी निर्माण, उद्यमशीलता और बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाती है। एक मजबूत वित्तीय प्रणाली कुशल संसाधन आवंटन और समावेशी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करती है।

3.16 अभ्यासार्थ प्रश्न

- भारत में वित्तीय प्रणाली की संरचना और इसके कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
- भारत में वित्तीय प्रणाली की प्रमुख समस्याओं एवं समाधान प्रस्तावों का विश्लेषण कीजिए।
- आर्थिक विकास के उद्देश्य तथा प्रमुख संकेतकों की व्याख्या कीजिए।
- आर्थिक विकास में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
- भारत में वित्तीय प्रणाली का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के मध्य संबंध को समझाइए।
- वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है?

3.17 उपयोगी पुस्तके / सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Levine, R. (2005). Finance and growth: Theory and evidence. In P. Aghion & S. N. Durlauf

(Eds.), Handbook of Economic Growth (Vol. 1, pp. 865–934).

- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737.
- Schumpeter, J. A. (1911). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle (R. Opie, Trans.). Harvard University Press.
- Beck, T., Levine, R., & Loayza, N. (2000). Finance and the Sources of Growth. Journal of Financial Economics, 58(1–2), 261–300.
- Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1998). Law, Finance, and Firm Growth. The Journal of Finance, 53(6), 2107–2137.
- Goldsmith, R. W. (1969). Financial Structure and Development. Yale University Press.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Financial Dependence and Growth. American Economic Review, 88(3), 559–586.
- ***Patrick, H. T.*** *(1966).* Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries. Economic Development and Cultural Change*, 14(2), 174–189.*

इकाई–4
वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय मध्यस्थ

इकाई की रूपरेखा

4.1 उद्देश्य
4.2 प्रस्तावना
4.3 वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया
4.4 वित्तीय मध्यस्थता के प्रकार
4.5 वित्तीय मध्यस्थता की विशेषताएँ
4.6 वित्तीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थों की भूमिका
4.7 भारत में वित्तीय मध्यस्थता की स्थिति
4.8 वत्तीय मध्यस्थता से जुड़ी चुनौतियाँ
4.9 वित्तीय मध्यस्थता में सुधार हेतु सुझाव
4.10 सारांश
4.11 बोध प्रश्न
4.12 अभ्यासार्थ प्रश्न
4.13 उपयोगी पुस्तके/ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.1 उद्देश्य

- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय मध्यस्थता के प्रकार से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय मध्यस्थता की विशेषताएँ से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय मध्यस्थता की भूमिका से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में भारत में वित्तीय मध्यस्थता की स्थिति से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय मध्यस्थता से जुड़ी चुनौति से अवगत होंगे।
- प्रस्तुत इकाई में वित्तीय मध्यस्थता में सुधार हेतु सुझाव के बारे में जानेंगे।

4.2 प्रस्तावना

वित्तीय मध्यस्थता किसी भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो संसाधनों के कुशल आवंटन, जोखिम प्रबंधन और तरलता परिवर्तन को सुनिश्चित करता है। वित्तीय मध्यस्थ बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं, बचत जुटाने, पूंजी आवंटित करने और लेनदेन और सूचना लागत को कम करने जैसे कार्य करते हैं। वित्तीय मध्यस्थता को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी कैसे प्रवाहित होती है, जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और निवेश, रोजगार और समावेशी विकास जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों में योगदान कैसे दिया जाता है। वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थाएँ हैं जो वित्तीय मध्यस्थता की सेवा प्रदान करती हैं, बचतकर्ताओं से धन एकत्र करती हैं और उन्हें उत्पादक उपक्रमों में उधार देती या निवेश

करती हैं। वे वित्तीय बाजारों के कामकाज को बनाए रखने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय मध्यस्थों के प्रमुख प्रकारों में वाणिज्यिक बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ, विकास वित्तीय संस्थान (DFI) और फिनटेक कंपनियाँ शामिल हैं।

वित्तीय मध्यस्थ कई महत्वपूर्ण कार्य जो आर्थिक स्थिरता और वित्तीय प्रणाली दक्षता को बढ़ावा देते हैं यथा बचत जुटाना, पूंजी आवंटित करना, जोखिम प्रबंधन, तरलता प्रावधान, परिपक्वता परिवर्तन, लेन–देन लागत को कम करना और निगरानी और प्रवर्तन करते हैं। वित्तीय मध्यस्थता हेतु अच्छी तरह से काम करने वाली वह प्रणाली है जो किसी देश की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक है। पूंजी को कुशलतापूर्वक आवंटित करके, यह उत्पादकता को बढ़ाता है, निवेश को प्रोत्साहित करता है और रोजगार पैदा करता है। वित्तीय मध्यस्थ स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को वित्तपोषित करके नवाचार का भी समर्थन करते हैं जो पूंजी तक पहुँचने के लिए संघर्ष सूची प्रयास कर सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में, वित्तीय मध्यस्थता के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जन धन योजना, माइक्रोफाइनेंस और डिजिटल वित्तीय समावेशन जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण–शहरी विभाजन और औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर को पाटने में मदद करती है। वित्तीय मध्यस्थता वित्तीय स्थिरता में योगदान देती है, खासकर आर्थिक तनाव की अवधि के दौरान। केंद्रीय बैंक, सहकारी संस्थान और NBFC जैसे मध्यस्थ तरलता प्रबंधन और संकट शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, वित्तीय मध्यस्थता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें क्रेडिट जोखिम और चूक, अति–विनियमन या अल्प–विनियमन, दूरदराज और उपेक्षित क्षेत्रों में वित्तीय बहिष्कार और डिजिटल विभाजन शामिल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) और ब्लॉकचेन–आधारित वित्तीय उत्पादों का उदय पारंपरिक मध्यस्थता को नया रूप, गति और पहुँच प्रदान कर रहा है, लेकिन साथ ही विनियामक और प्रणालीगत जोखिम भी पैदा कर रहा है, जिन्हें स्थायी वित्तीय विकास सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए। वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय मध्यस्थ किसी भी मजबूत आर्थिक प्रणाली के केंद्र में हैं। फंडों को संचालित करके, जोखिमों को कम करके, परिपक्वता को बदलकर और तरलता बढ़ाकर, वे व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण और व्यापक आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। जैसे–जैसे भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएँ गहन वित्तीय समावेशन और नवाचार का अनुसरण करती हैं, मध्यस्थता की भूमिका का विस्तार और विकास जारी है। उनकी अच्छी कार्यप्रणाली, अनुकूलन और पहुँच सुनिश्चित करना एक वित्तीय प्रणाली के लिए आवश्यक है जो न्यायसंगत और लचीले विकास का समर्थन करती है।

वित्तीय मध्यस्थता आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पूंजी के सुचारू और कुशल आवागमन को सुगम बनाती है। बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) जैसी वित्तीय संस्थाएं बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच पुल का काम करती हैं, अतिरिक्त पूंजी वाले लोगों से धन इकट्ठा करती हैं और उन्हें उपभोग, निवेश या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचाती हैं। यह प्रक्रिया वित्तीय बाजारों में सूचना विषमता, लेन–देन लागत और जोखिम से बचने जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान करती है। वित्तीय मध्यस्थता वित्तीय प्रणाली में आवश्यक हैं, जो बचत जुटाने, कुशल पूंजी आवंटन, जोखिम विविधीकरण, तरलता प्रावधान, सूचना और लेन–देन लागत में कमी और वित्तीय नवाचार जैसे प्रमुख कार्य करते हैं। वे बचत को बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि और सेवाओं में निवेश में बदलकर, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके और रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर समावेशी और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। मध्यस्थता उद्यम पूंजी, एंजल फंडिंग और छोटे ऋणों के माध्यम से उद्यमिता विकास का भी समर्थन करते हैं, जो ग्रामीण और अर्ध–शहरी आबादी को आय–उत्पादक गतिविधियाँ शुरू करने के लिए सशक्त बनाते हैं। वे कम आय वाले परिवारों, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में ऋण, बचत और बीमा सेवाओं का विस्तार करके गरीबी और वित्तीय समावेशन को कम करने में भी मदद करते हैं। तरलता बनाए रखने, जमा बीमा की पेशकश करने और ऋण विस्तार या संकुचन के माध्यम से धन की आपूर्ति को विनियमित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वास बनाए रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएँ वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों को नियंत्रित करती हैं। डिजिटल परिवर्तन वित्तीय मध्यस्थता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि वित्तीय मध्यस्थता वित्तीय सेवाओं को तेज, सुरक्षित और अधिक समावेशी बनाने के लिए तेजी से प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। भारत में NPCI–आधारित भुगतान प्रणाली इस बात का एक उदाहरण है कि वित्तीय मध्यस्थता को कैसे पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। वित्तीय मध्यस्थता वह प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था में पूंजी के उत्पादक संचलन को सुनिश्चित करती है, जिसमें वित्तीय मध्यस्थता शहरी–ग्रामीण विभाजन को पाटने,

गरीबी को कम करने और समावेशी विकास को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे–जैसे तकनीक विकसित होती है और वित्तीय परिदृश्य अधिक जटिल होता जाता है, वित्तीय मध्यस्थता का भविष्य अनुकूली विनियमन, डिजिटल नवाचार और न्यायसंगत पहुँच में निहित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।

4.3 वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया

वित्तीय मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो अधिशेष संसाधनों वाले लोगों (बचतकर्ता) से उन लोगों तक धन के प्रवाह को सक्षम बनाती है जिन्हें उत्पादक उद्देश्यों (निवेशकों और उधारकर्ताओं) के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में जोखिमों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना, सूचना संबंधी अंतराल को दूर करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पूंजी को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आवंटित किया जाए। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में, इस मध्यस्थता प्रक्रिया को विभिन्न वित्तीय मध्यस्थों, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा सुगम बनाया जाता है, जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और तरलता को बनाए रखते हुए बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के हितों को संरेखित करने में मदद करते हैं। वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में निष्क्रिय बचत को उत्पादक निवेश में बदलना शामिल है। व्यक्ति और संस्थान जो पैसा बचाते हैं, वे भविष्य में रिटर्न कमाने के इरादे से ऐसा करते हैं, जबकि व्यवसायों और सरकारों को अक्सर परियोजनाओं, संचालन या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रणाली एक चौनल के रूप में कार्य करती है जिसके माध्यम से इन अधिशेष निधियों को उन लोगों तक पहुँचाया जाता है जो उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आम तौर पर परिवारों द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करने या म्यूचुअल फंड, बीमा योजनाओं या पेंशन फंड जैसे वित्तीय साधनों में निवेश करने से शुरू होती है। फिर इन बचतों को वित्तीय मध्यस्थों द्वारा एकत्र किया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है, जो मूल्यांकन करते हैं कि उन्हें कहाँ और कैसे निवेश करना है। फिर संस्थाएँ इन निधियों को व्यक्तियों, निगमों या सरकारों को उधार देती हैं, निवेश या अंडरराइट करती हैं, जिन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है।

वित्तीय मध्यस्थता की प्रमुख भूमिकाओं में से एक बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं की प्राथमिकताओं का मिलान करना है। बचतकर्ता अक्सर कम जोखिम वाले, तरल, अल्पकालिक साधनों की तलाश करते हैं, जबकि निवेशकों को दीर्घकालिक, अतरल निवेशों के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। मध्यस्थ बचतकर्ताओं को जमा उत्पाद प्रदान करके और उधारकर्ताओं को दीर्घकालिक ऋण या ऋण जारी करके इन अंतरों को समेटने में मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करके कि अधिशेष निधियों को बेकार न छोड़ा जाए बल्कि उत्पादक उपयोग की ओर पुनर्निर्देशित किया जाए, वित्तीय प्रणाली उद्यमिता, रोजगार सृजन, बुनियादी ढाँचे के विकास और नवाचार जैसी आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती है। यह प्रक्रिया पूंजी निर्माण, आर्थिक विकास और गरीबी में कमी लाने के लिए आवश्यक है। वित्तीय मध्यस्थता प्रक्रिया का एक अन्य आवश्यक कार्य जोखिम का विभाजन (जोखिम विविधीकरण) है। प्रत्येक निवेश में कुछ स्तर का जोखिम होता है जिसमें क्रेडिट जोखिम हो, बाजार जोखिम हो, तरलता जोखिम हो या परिचालन जोखिम हो। वित्तीय मध्यस्थ इस अंतर को पाटने के लिए सूचना एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उस पर कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय संस्थाएँ पैसे उधार देने से पहले स्क्रीनिंग और क्रेडिट मूल्यांकन करती हैं, उधार देने के बाद निगरानी और प्रवर्तन करती हैं, सूचना एकत्रीकरण और बाजार संकेत, वित्तीय साक्षरता और सलाहकार सेवाएँ, और सूचना की लागत कम करती हैं। वित्तीय मध्यस्थता एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए केंद्रीय है, बिखरी हुई व्यक्तिगत बचत को उत्पादक निवेश में बदलना, जोखिम का प्रबंधन और पुनर्वितरण करना, और यह सुनिश्चित करना कि सूचना विषमताएँ वित्तीय प्रवाह में बाधा न डालें। बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय मध्यस्थ इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वित्तीय सेवाएँ सुलभ, भरोसेमंद और कुशल बनती हैं।

4.4 वित्तीय मध्यस्थता के प्रकार

भारत की वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, और वित्तीय मध्यस्थ आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने और विकास और वृद्धि का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों को मोटे

तौर पर बैंकिंग संस्थानों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड और स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे अन्य बाजार–समर्थक मध्यस्थों में वर्गीकृत किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक वित्तीय प्रणाली का आधार हैं, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों से जमा स्वीकार करते हैं और इन निधियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और उद्यमों को उधार देते हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अत्यधिक विनियमित होते हैं और मौद्रिक नीति संचरण, वित्तीय समावेशन और ऋण वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहकारी बैंक, अपने सदस्यों के स्वामित्व और संचालन में, जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में आवश्यक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी बैंकिंग और ऋण सेवाओं, विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। NBFC बैंकिंग लाइसेंस के बिना बैंकिंग जैसी कई सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो पारंपरिक बैंकों द्वारा छोड़े गए ऋण अंतराल को भरते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ (HFC) व्यक्तियों और डेवलपर्स को आवास ऋण प्रदान करने में माहिर हैं, जबकि माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) छोटे, संपार्श्विक–मुक्त ऋण प्रदान करके कम आय वाले व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों की सेवा करते हैं। वे ग्रामीण ऋण को आगे बढ़ाने, सरकारी योजनाओं का वितरण करने और पिछड़े और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का समर्थन करने में सहायक हैं। बीमा कंपनियाँ जोखिम पूलिंग और जोखिम हस्तांतरण का प्रबंधन करती हैं, जो व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। जीवन बीमा कंपनियाँ मृत्यु के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती हैं और दीर्घकालिक बचत का समर्थन करती हैं, जबकि सामान्य बीमा कंपनियाँ स्वास्थ्य, संपत्ति, वाहन, यात्रा और व्यवसाय से संबंधित जोखिमों को कवर करती हैं। म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड जनता से बचत जुटाते हैं और उन्हें विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, जिससे व्यक्तियों को पूंजी बाजार तक पहुँचने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। भारत में लोकप्रिय म्यूचुअल फंड हाउस में SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड शामिल हैं। म्यूचुअल फंड बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों से निवेश एकत्र करते हैं और इक्विटी, डेट या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, जो पेशेवर प्रबंधन, विविधीकरण और तरलता प्रदान करते हैं। पेंशन फंड को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने और कर्मचारियों और नियोक्ताओं से योगदान एकत्र करने और उन्हें दशकों तक स्थिर रिटर्न उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) इस क्षेत्र में एक प्रमुख पहल है। म्यूचुअल और पेंशन फंड दोनों ही पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उद्योगों और सरकारों को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष उधारदाताओं और निवेशकों के अलावा, वित्तीय प्रणाली में विभिन्न बाजार–समर्थक मध्यस्थ शामिल हैं जो लेनदेन की सुविधा देते हैं, पारदर्शिता बढ़ाते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, दलाल और निवेश सलाहकार एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं जो ग्राहकों की ओर से व्यापार निष्पादित करते हैं, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निगमों और वित्तीय साधनों की साख का आकलन करती हैं। उनकी रेटिंग निवेश निर्णयों और उधार शर्तों को प्रभावित करती है, जिससे वित्तीय प्रणाली में समग्र विश्वास बढ़ता है। भारत की वित्तीय प्रणाली में वित्तीय मध्यस्थों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें से प्रत्येक आर्थिक विकास, जोखिम प्रबंधन, पूंजी निर्माण और वित्तीय समावेशन में अद्वितीय रूप से योगदान देता है। जैसे–जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है और आर्थिक जरूरतें विकसित होती हैं, वित्तीय मध्यस्थ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना रहे हैं, वंचित क्षेत्रों तक पहुँच का विस्तार कर रहे हैं और विनियामक अनुपालन को मजबूत कर रहे हैं। एक लचीले, समावेशी और दूरदर्शी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए वित्तीय मध्यस्थों का एक अच्छी तरह से विविध और कुशलतापूर्वक काम करने वाला समूह आवश्यक है।

4.5 वित्तीय मध्यस्थता की विशेषताएँ

वित्तीय मध्यस्थ हर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संसाधनों को संचालित करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करते हैं और वित्तीय प्रणाली की दक्षता बनाए रखते हैं। वे बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, एक संरचित और विनियमित वातावरण प्रदान करते हैं जहाँ वित्तीय संसाधनों को जुटाया जा सकता है, जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और निवेश को कुशलतापूर्वक आवंटित किया जा सकता है। वित्तीय मध्यस्थों का महत्व उनकी संस्थागत पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय विशेषताओं और कार्यों में निहित है। ये विशेषताएँ सुनिश्चित करती हैं कि पूंजी प्रवाह निरंतर, अच्छी तरह से विनियमित और व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। वित्तीय मध्यस्थों की प्राथमिक

विशेषताओं में से एक व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारों से बिखरी हुई बचत को इकट्ठा करने और उन्हें पूंजी की आवश्यकता वाले क्षेत्रों और व्यक्तियों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने की उनकी क्षमता है। इसमें बचत जुटाना, कुशल पूंजी आवंटन, अविकसित क्षेत्रों का समर्थन करना और सूचना विश्लेषण प्रदान करना शामिल है। वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय जानकारी भी इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसे संसाधित करते हैं, जो आधुनिक वित्तीय प्रणालियों में महत्वपूर्ण है जहाँ उधारकर्ताओं के पास उधारदाताओं या निवेशकों की तुलना में अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में अधिक जानकारी होती है।

वित्तीय मध्यस्थ ऋण या निवेश देने से पहले क्रेडिट मूल्यांकन और स्क्रीनिंग करते हैं, ऋण और निवेश के प्रदर्शन की निगरानी और पर्यवेक्षण करते हैं, और बाजार संकेत और पारदर्शिता का प्रसार करते हैं। वे पैमाने और विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर सूचना की लागत को भी कम करते हैं, जिससे व्यक्तिगत बचतकर्ताओं और निवेशकों के लिए निवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ हो जाती है। जोखिम प्रबंधन वित्तीय बाजारों का एक अपरिहार्य हिस्सा है, और वित्तीय मध्यस्थों के पास इन जोखिमों का आकलन, प्रबंधन और वितरण करने के लिए विशेष तंत्र हैं। वे हजारों या लाखों पॉलिसीधारकों में जोखिम को जोड़ते हैं, जमाकर्ताओं की ओर से क्रेडिट जोखिम को अवशोषित करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों और परिसंपत्ति वर्गों में निवेश में विविधता लाते हैं, और जोखिमों को कम करने या उन्हें अधिक इच्छुक या उन्हें वहन करने में सक्षम पक्षों को हस्तांतरित करने के लिए डेरिवेटिव, स्वैप और प्रतिभूतिकरण जैसे जोखिम साधन बनाते हैं। वित्तीय मध्यस्थ भुगतान से लेकर निपटान, समाशोधन तंत्र और तरलता सहायता तक सब कुछ शामिल करते हुए कुशलतापूर्वक, सुरक्षित और न्यूनतम लागत पर लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। वे चेक, RTGS/NEFT सिस्टम और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, जैसे कि भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरूआत। वे तरलता परिवर्तन प्रदान करते हैं, अल्पकालिक जमा को दीर्घकालिक ऋण में परिवर्तित करते हैं, जमाकर्ताओं को मांग पर धन निकालने की अनुमति देते हैं जबकि उधारकर्ताओं को दीर्घकालिक निवेश करने में सक्षम बनाते हैं। वित्तीय मध्यस्थों के लिए बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी आवश्यक है, बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज तकनीकी बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं जो लाखों दैनिक व्यापार को सक्षम बनाता है। ब्रोकर और डिपॉजिटरी प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा और हस्तांतरण सुनिश्चित करते हैं, जिससे सटीकता और गति के साथ उच्च–मात्रा और उच्च–मूल्य के लेनदेन संभव हो जाते हैं। लेन–देन की लागत को कम करना वित्तीय मध्यस्थों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। मानकीकृत प्रक्रियाओं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कानूनी सुरक्षा उपायों के माध्यम से, वित्तीय मध्यस्थ खोज, सौदेबाजी, प्रवर्तन और लेनदेन को निपटाने से जुड़ी लागतों को कम करते हैं। इन सुविधाजनक सेवाओं के बिना, वित्तीय प्रणाली खंडित, अक्षम और अविश्वसनीय होगी। वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय प्रणाली के इंजन कक्ष हैं, और उनकी प्रभावशीलता प्रमुख विशेषताओं के संयोजन पर निर्भर करती है। वे उत्पादक उपयोगों के लिए पूंजी जमा करते हैं और आवंटित करते हैं, जोखिम को कम करते हैं और प्रबंधित करते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को संसाधित करते हैं, और निर्बाध वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। ये विशेषताएँ उन्हें न केवल वित्तीय सेवा प्रदाता बनाती हैं, बल्कि आर्थिक विकास और स्थिरता के वास्तुकार भी बनाती हैं। प्रभावी बने रहने के लिए, वित्तीय मध्यस्थों को लगातार अनुकूलन करना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहिए, पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए और ग्राहक विश्वास और विनियामक अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन मुख्य कार्यों को मजबूत करने से एक लचीली, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित होती है।

4.6 वित्तीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थों की भूमिका

आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण है। बैंक, NBFC, बीमा फर्म, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड सहित वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय संसाधनों को जुटाने और आवंटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच की खाई को पाटते हैं, जोखिमों का प्रबंधन करते हैं, निवेश की सुविधा प्रदान करते हैं और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये मध्यस्थ आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, वित्तीय समावेशन और संसाधन दक्षता में भी योगदान देते हैं। यह भारत जैसे विकासशील देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ वित्त तक पहुँच असमान है और कई औपचारिक वित्तीय नेटवर्क से बाहर हैं। वित्तीय मध्यस्थ आर्थिक विकास को गति देने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे घरों, व्यवसायों और संस्थानों से बचत जुटाते हैं, और उन्हें बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि और सेवाओं में निवेश करने के लिए निर्देशित करते हैं। इससे भौतिक और

मानव पूंजी का निर्माण होता है, उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि होती है। बैंकों और छठथ्ङ द्वारा दिए गए ऋण से व्यवसायों को परिचालन का विस्तार करने, अधिक श्रमिकों को काम पर रखने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव पड़ता है। वाणिज्यिक बैंक मौद्रिक नीति संचरण में भी भूमिका निभाते हैं, जिससे केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, ब्याज दरों का प्रबंधन करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों को सक्षम बनाता है। एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ बैंकिंग नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि नीति दरों में बदलाव प्रभावी रूप से व्यवसायों और उपभोक्ताओं तक पहुँचाए जाएँ। बचत को निवेश के अवसरों के साथ जोड़कर और स्थिर वित्तीय बाजारों का समर्थन करके, मध्यस्थ सतत आर्थिक विकास की नींव रखते हैं। वित्तीय मध्यस्थ उद्यमशीलता और व्यवसाय विकास के प्रमुख प्रवर्तक हैं, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) और स्टार्टअप के लिए, जिनके पास अक्सर पूंजी के पारंपरिक रूपों तक पहुँच नहीं होती है। वे ऋण, उद्यम पूंजी, बीज निधि और निवेश सलाहकार सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे उद्यमियों को बेहतर निर्णय लेने और व्यवसाय विफलता की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। वित्तीय सलाहकार और सहायता सेवाएँ उद्यमियों को बेहतर निर्णय लेने और व्यवसाय विफलता की संभावना को कम करने में मदद करती हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ाना वित्तीय मध्यस्थों की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है। वे सभी व्यक्तियों और व्यवसायों, विशेष रूप से ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में, बचत, ऋण, बीमा और प्रेषण जैसे किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), सहकारी बैंक और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों जैसे मध्यस्थों ने भारत के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में मदद की है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा समर्थित जन धन योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने हाशिए के समूहों के लिए लाखों शून्य–शेष बचत खाते खोले हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और मोबाइल वॉलेट जैसे डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने वित्तीय मध्यस्थों को पहले बैंकिंग से बाहर रखे गए लोगों तक पहुँचने में सक्षम बनाया है। फिनटेक कंपनियाँ और बैंक अब पहले बैंकिंग से बाहर रखे गए लोगों तक पहुँचने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल ऐप और डिजिटल KYC का उपयोग करते हैं। माइक्रोफाइनेंस और एसएचजी–बैंक लिंकेज कार्यक्रमों ने आय–उत्पादक गतिविधियों के लिए छोटे ऋण प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया है, जिससे कई निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से सक्रिय आर्थिक भागीदार बन गए हैं। वित्तीय मध्यस्थ केवल वित्तीय एजेंट नहीं हैं – वे सामाजिक परिवर्तन के एजेंट हैं, जो वित्तीय सेवाओं तक अधिक समावेशी और न्यायसंगत पहुँच को सक्षम बनाते हैं। वित्तीय मध्यस्थ केवल पूंजी के निष्क्रिय वाहक नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक प्रक्षेपवक्र को आकार देने में सक्रिय भागीदार हैं। विकास को गति देने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका उन्हें विकासशील और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपरिहार्य बनाती है। भारत जैसी विविधतापूर्ण और गतिशील अर्थव्यवस्था में, वित्तीय मध्यस्थों का महत्व विशेष रूप से स्पष्ट है।

4.7 भारत में वित्तीय मध्यस्थता की स्थिति

वित्तीय मध्यस्थता अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक जुटाया जाए और विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित किया जाए। भारत ने पिछले कुछ दशकों में नीतिगत सुधारों, संस्थागत विकास, डिजिटल नवाचार और समावेशन पर बढ़ते जोर से प्रेरित होकर वित्तीय संस्थानों और साधनों की पहुँच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, क्षेत्रीय असमानताएँ, ऋण अंतराल और वित्तीय सेवाओं तक असमान पहुँच जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत की वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली एक विविध और बहुस्तरीय संस्थागत संरचना में निहित है, जिसमें बैंकिंग संस्थान, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), बीमा फर्म, पूंजी बाजार, सहकारी बैंक और कई सरकारी और निजी संस्थाएँ शामिल हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे SBI और PNB), निजी बैंक (जैसे ICICI और HDFC), विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) शामिल हैं। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद से, इन बैंकों ने अपने नेटवर्क का विस्तार किया है और अपनी सेवाओं में विविधता लाई है, जिससे ऋण वृद्धि और वित्तीय प्रारुप में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। एनबीएफसी आकार और महत्व दोनों में बढ़े हैं, खासकर पारंपरिक बैंकों द्वारा कम सेवा वाले क्षेत्रों जैसे माइक्रोफाइनेंस, वाहन ऋण, उपभोक्ता वित्त और आवास आदि है। नाबार्ड, सिडबी और एक्जिम बैंक जैसी संस्थाएँ कृषि, लघु उद्योग और निर्यात जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने में विशेष भूमिका निभाती हैं। पूंजी बाजार और म्यूचुअल फंड निवेश मध्यस्थता के लिए प्रमुख चैनल के रूप में उभरे हैं, जो सार्वजनिक बचत को उत्पादक परिसंपत्तियों में बदल रहे हैं। आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा

विनियामक सुदृढ़ीकरण किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय मध्यस्थ एक ठोस, पारदर्शी और उपभोक्ता–अनुकूल तरीके से काम करें। संस्थागत शासन अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है, जिससे निवेशकों का विश्वास और वित्तीय प्रणाली का लचीलापन बढ़ा है।

भारतीय वित्तीय परिदृश्य में ग्रामीण–शहरी विभाजन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें वित्तीय सेवाओं तक पहुँच अभी भी शहरी केंद्रों की ओर असमान रूप से झुकी हुई है। शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग अवसंरचना अच्छी तरह से विकसित है, एटीएम घनत्व है, और इंटरनेट बैंकिंग, निवेश प्लेटफॉर्म और बीमा कवरेज जैसी उन्नत वित्तीय सेवाओं तक पहुँच है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर वित्तीय केंद्र हैं, जहाँ वाणिज्यिक बैंक, NBFC, फिनटेक और पूंजी बाजार संस्थाएँ है। हालाँकि, ग्रामीण भारत को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अपर्याप्त शाखा उपस्थिति, किसानों और छोटे उद्यमों के लिए कम ऋण उपलब्धता, खराब वित्तीय साक्षरता और सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी चुनौतियाँ शामिल हैं। सरकार और संस्थागत प्रयास इस अंतर को पाटने में सहायक रहे हैं, लेकिन ग्रामीण और शहरी वित्तीय मध्यस्थता में समानता प्राप्त करने के लिए निरंतर नीतिगत ध्यान, लक्षित अवसंरचना निवेश और डिजिटल सशक्तिकरण की आवश्यकता है। डिजिटलीकरण और फिनटेक ने अपार संभावनाओं को खोल दिया है, जो पहले से वंचित आबादी की सेवा करने और लेन–देन को सहज और कुशल बनाने के नए तरीके पेश करते हैं। हालाँकि, वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और विनियामक संतुलन सुनिश्चित करना इन लाभों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे–जैसे भारत +5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, पारंपरिक और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर अपने वित्तीय मध्यस्थता ढांचे को मजबूत करना और विस्तारित करना न्यायसंगत, टिकाऊ और नवाचार–आधारित विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रमुख वित्तीय मध्यस्थों की वृद्धि (2000–2024)

वर्ष	बैंकों का कर्ज (₹ लाख करोड़)	NBFc~ कर्ज (₹ लाख करोड़)	बीमा कवरेज (₹ करोड़ व्यक्ति)	म्यूचुअल फंड AUM (₹ लाख करोड़)
2000	5.2	1.1	3.4	0.7
2010	22.5	6.4	12.3	6.2
2020	52.3	23.1	37.5	27.5
2024	73.8	34.6	52.1	47.9

वित्तीय मध्यस्थता में विभिन्न संस्थानों की भागीदारी (2024)

मध्यस्थ	योगदान (%)
बैंक	52%
NBFC	18%
बीमा कंपनियाँ	15%
म्यूचुअल फंड	10%
माइक्रोफाइनेंस/SHG	5%

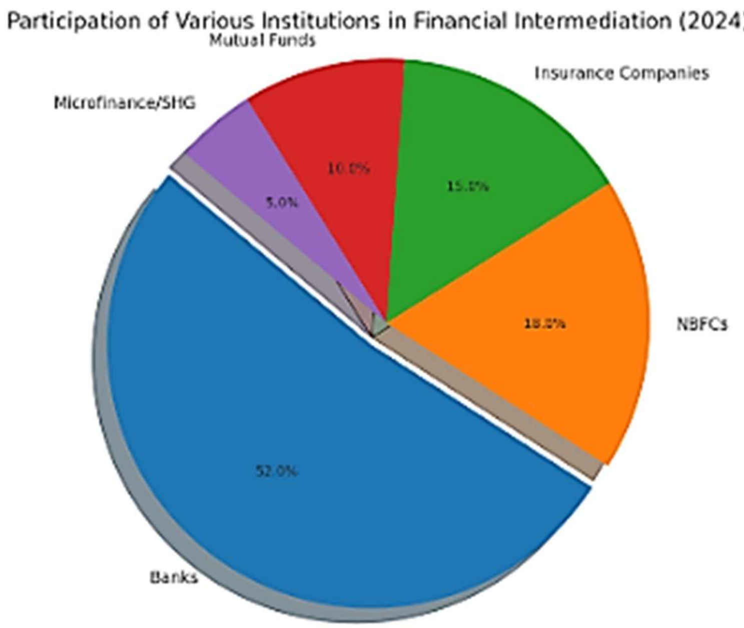

भारत में वित्तीय मध्यस्थता में विभिन्न वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को दर्शाता है। बैंक सबसे ज्यादा 52% योगदान देते हैं, जो शाखाओं के जरिए बचत, ऋण और भुगतान सेवाएँ प्रदान करते हैं। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) 18% योगदान देती हैं, जो छोटे व्यवसायों, उपभोक्ता ऋण और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। LIC, GIC और निजी कंपनियों सहित बीमा कंपनियाँ 15% योगदान देती हैं, जो जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा प्रदान करती हैं। म्यूचुअल फंड 10% योगदान देते हैं, आम नागरिक म्यूचुअल फंड को निवेश विकल्प के रूप में मानते हैं, खासकर SIP योजनाओं के जरिए। माइक्रोफाइनेंस संस्थान और स्वयं सहायता समूह 5% योगदान देते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर, ये संस्थान भारत में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.8 वित्तीय मध्यस्थता से जुड़ी चुनौतियाँ

वित्तीय मध्यस्थता एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो कुशल संसाधन प्रवाह को सुगम बनाती है और निवेश को प्रोत्साहित करती है। भारत में, बैंकिंग बुनियादी ढांचे और फिनटेक नवाचार में प्रगति के साथ, प्रणाली तेजी से विकसित हुई है। हालांकि, बढ़ती गैर–निष्पादित संपत्तियां, नियामक बोझ, साइबर सुरक्षा खतरे और वित्तीय साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। अगर इन मुद्दों को अनदेखा किया गया तो ये वित्तीय संस्थानों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं और वित्तीय समावेशन, नवाचार और आर्थिक विकास में बाधा डाल सकते हैं। भारत की वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) और ऋण चूक का बढ़ता स्तर एक महत्वपूर्ण चुनौती है। एनपीए ऐसे ऋण या अग्रिम होते हैं, जिनका मूलधन या ब्याज भुगतान एक निर्दिष्ट अवधि, आमतौर पर बैंकों के लिए 90 दिन, से अधिक समय तक बकाया रहता है। दोहरी बैलेंस शीट की समस्या, जिसमें बैंक और बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ता दोनों ही वित्तीय रूप से तनावग्रस्त हैं, भारत के वित्तीय संस्थानों के स्वास्थ्य के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। उच्च एनपीए बैंकों की ऋण देने की क्षमता को कम करते हैं, जिससे उन्हें जोखिम से बचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण की कमी होती है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई), स्टार्टअप और अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों के लिए जो विकास के लिए औपचारिक ऋण पर निर्भर होते हैं। हाल के सुधारों, जैसे कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण और सख्त प्रावधान मानदंडों ने कुछ हद तक एनपीए संकट को दूर करने में मदद की है। हालाँकि, यह समस्या वित्तीय स्थिरता और प्रणाली में विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनी हुई है। भारत का वित्तीय क्षेत्र कई विनियामक निकायों द्वारा शासित है, जिसमें बैंकों और NBFC के लिए RBI, पूंजी बाजारों के लिए SEBI, बीमा के लिए IRDAI और पेंशन के लिए PFRDA शामिल हैं। इस खंडित निरीक्षण

का उद्देश्य विशेषज्ञता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसने विनियामक ओवरलैप, देरी और बिचौलियों के लिए अनुपालन बोझ को जन्म दिया है। खंडित निरीक्षण और जटिल और गतिशील विनियमन कई डोमेन में काम करने वाले संस्थानों के लिए चुनौतियां पेश करते हैं, जैसे कि बीमा (बैंक इश्योरेंस) की पेशकश करने वाले बैंक या म्यूचुअल फंड वितरण में लगे NBFCA विनियमन के साथ नवाचार को संतुलित करना नियामकों के लिए तेजी से जटिल हो गया है, और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के गठन जैसे प्रयास समन्वित विनियमन की दिशा में कदम हैं। भारत की वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली में साइबर सुरक्षा जोखिम भी एक बढ़ती हुई चिंता है। बैंक, NBFC, फिनटेक प्लेटफॉर्म और बीमा कंपनियाँ सभी फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी, खातों तक अनधिकृत पहुँच, पहचान की चोरी और नकली KYC दस्तावेजों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों में डेटा उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील हैं। साइबर हमले सेवाओं को बाधित कर सकते हैं, वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं और डिजिटल वित्त में विश्वास को खत्म कर सकते हैं। ग्राहक अपने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जबकि वित्तीय संस्थानों को उल्लंघन के मामले में प्रतिष्ठा को नुकसान और विनियामक दंड का सामना करना पड़ता है। उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों के बीच साइबर स्वच्छता कमजोर बनी हुई है, और छोटे संस्थान अक्सर मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे का खर्च नहीं उठा सकते हैं। बैंकों के लिए RBI के साइबर सुरक्षा ढांचे और इसी तरह के अधिदेशों का उद्देश्य सिस्टम–वाइड सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है, लेकिन इस उभरते जोखिम को दूर करने के लिए क्षमता निर्माण, खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल सुरक्षा में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्राहकों के बीच कम वित्तीय जागरूकता भारत में प्रभावी वित्तीय मध्यस्थता के लिए एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा है। कई उपयोगकर्ता बुनियादी वित्तीय उत्पादों के लाभों, जोखिमों और शर्तों से अनजान हैं, जिससे सेवाओं का कम उपयोग, खराब वित्तीय निर्णय और शोषण या धोखाधड़ी की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। समावेशन की बाधाओं में डिजिटल बैंकिंग का प्रतिरोध, साइबर चोरी का डर और प्रक्रियाओं के बारे में भ्रम शामिल हैं। सरकारी और संस्थागत प्रयास, जैसे कि RBI के वित्तीय साक्षरता केंद्र, PM-FISE (वित्तीय समावेशन और कौशल संवर्धन), और बैंकों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अभियान, जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वित्तीय शिक्षा अभी भी अपर्याप्त रूप से वित्तपोषित है और स्कूली पाठ्यक्रम या सामुदायिक कार्यक्रमों में अपर्याप्त रूप से एकीकृत है। भारत के वित्तीय मध्यस्थता की स्थिरता और सफलता विश्वास को मजबूत करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, वित्तीय क्षमता का निर्माण करने और डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। तभी यह समावेशी और लचीले आर्थिक विकास के सच्चे इंजन के रूप में काम कर सकता है।

4.9 वित्तीय मध्यस्थता में सुधार हेतु सुझाव

वित्तीय मध्यस्थता एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के कामकाज में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और भारत ने पिछले कुछ दशकों में इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, सिस्टम में कई संरचनात्मक और परिचालन अंतराल बने हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय मध्यस्थता समावेशी और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करना जारी रखे, लक्षित नीतिगत उपाय और संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। इन प्रयासों को डिजिटल सशक्तिकरण, विनियामक सुदृढ़ीकरण और व्यापक वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत में वित्तीय मध्यस्थता के भविष्य के लिए डिजिटल सशक्तिकरण अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। एक बिलियन से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं और तेजी से बढ़ते इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पहुँच अंतराल को पाटने, लेन–देन की लागत को कम करने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने का एक बेजोड़ अवसर प्रदान करते हैं। भारत को मजबूत और समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, जैसे कि दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और 4G/5G कवरेज का विस्तार करना, डिजिटल बैंकिंग इंटरफेस में सुधार करना और ग्रामीण बैंकिंग तकनीक को अपग्रेड करना। किफायती स्मार्टफोन और डेटा प्लान यह सुनिश्चित करेंगे कि सबसे गरीब परिवार भी डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सकें। आधार (बायोमेट्रिक आईडी), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और डिजीलॉकर जैसी डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को मजबूत करने से डिजिटल वित्तीय सेवाएँ अधिक सहज और भरोसेमंद बन जाएँगी। बैंकों और फिनटेक के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने से बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन, सरलीकृत खाता खोलना, तुरंत ऋण वितरण और लक्षित बीमा उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। विनियामक सैंडबॉक्स ग्राहक सुरक्षा से समझौता किए बिना ऐसे नवाचारों का परीक्षण कर सकते हैं। डिजिटल सशक्तिकरण का अर्थ सेवाओं को समावेशी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना भी है। इंटरफेस को कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करना चाहिए, वॉयस–आधारित मार्गदर्शन का उपयोग करना चाहिए और सीमित डिजिटल कौशल या साक्षरता वाले

लोगों के लिए कम तकनीक वाले समाधान पेश करने चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल वित्त केवल शहरी–केंद्रित न हो बल्कि वास्तव में अखिल भारतीय हो।

एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली के लिए विनियमन और निगरानी में वृद्धि आवश्यक है। भारत के वित्तीय नियामकों– RBI, SEBI, IRDAI, PFRD ने मजबूत रूपरेखाएँ विकसित की हैं, लेकिन नवाचार को बाधित किए बिना मध्यस्थता को बढ़ाने के लिए विनियामक प्रथाओं को सरल, समन्वित और आधुनिक बनाने की आवश्यकता बनी हुई है। भारत में वित्तीय साक्षरता के निम्न स्तर को संबोधित करने के लिए एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण विनियमन, आनुपातिक विनियमन को प्रोत्साहित करना, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना, उपभोक्ता संरक्षण और निवारण तंत्र, वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाना और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सभी आवश्यक हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करना, समुदाय–आधारित आउटरीच कार्यक्रम और डिजिटल वित्तीय साक्षरता सभी वित्तीय मध्यस्थता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। बैंकों, बीमा कंपनियों और फिनटेक प्लेटफॉर्म को वित्तीय साक्षरता को एक मुख्य जिम्मेदारी के रूप में मानना चाहिए, अपनी सेवाओं को अधिक सुलभ और कम भयावह बनाने के लिए इंटरैक्टिव चौटबॉट, वीडियो व्याख्याता, सरलीकृत नियम और शर्तें और ग्राहक–अनुकूल एजेंटों में निवेश करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान, जैसे 'आरबीआई कहता है', 'डिजिटल इंडिया' और 'गो डिजिटल, गो सिक्योर', जो सामुदायिक जुड़ाव के साथ मास मीडिया को जोड़ते हैं, इन प्रयासों के पैमाने और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। भारत की वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें असमान पहुंच, विनियामक कठोरता, प्रणालीगत जोखिम और उपयोगकर्ता जागरूकता से संबंधित चुनौतियां अभी भी इसकी पूरी क्षमता को कमजोर कर रही हैं। वित्तीय मध्यस्थता को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता हैरू डिजिटल सशक्तिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रौद्योगिकी समावेशी, सुलभ और सुरक्षित हो विनियामक सुधार को स्थिरता से समझौता किए बिना नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निरीक्षण को सरल, समन्वित और आधुनिक बनाना चाहिएय और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को प्रत्येक नागरिक को वित्तीय प्रणाली को समझने और उसमें आत्मविश्वास से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।

4.10 सारांश

वित्तीय मध्यस्थता एक अर्थव्यवस्था के भीतर पूंजी आवंटन को सुविधाजनक बनाने में वाणिज्यिक बैंकों, NBFC, बीमा फर्मों, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड जैसे वित्तीय संस्थानों की भूमिका है। वे बचत जुटाने, जोखिम का प्रबंधन करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। भारत में, वित्तीय मध्यस्थता संस्थागत सुधारों, वित्तीय समावेशन पहलों और डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे तकनीकी नवाचारों के साथ विकसित हुई है। हालाँकि, बढ़ती गैर–निष्पादित संपत्तियाँ, नियामक जटिलताएँ, साइबर सुरक्षा खतरे और कम वित्तीय साक्षरता जैसी चुनौतियाँ अभी भी उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। वित्तीय मध्यस्थता को मजबूत करने के लिए नियामक सामंजस्य, डिजिटल सशक्तिकरण और वित्तीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

4.11 बोध प्रश्न

- **वित्तीय मध्यस्थता से आप क्या समझते हैं?**

  उत्तर– वित्तीय मध्यस्थता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक, NBFC और म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय संस्थाएँ बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक धन पहुँचाती हैं। यह बचत को जुटाने और अर्थव्यवस्था में कुशलतापूर्वक पूंजी आवंटित करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया निवेश, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता का समर्थन करती है।

- **वित्तीय मध्यस्थता के दो प्रमुख प्रकार बताइए।**

  उत्तर– वित्तीय मध्यस्थता के दो मुख्य प्रकार बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) हैं। बैंक जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं, जो ऋण सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड जैसी NBFI बैंकिंग लाइसेंस के बिना विशेष वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं।

- **वित्तीय मध्यस्थ किस प्रकार बचत और निवेश के बीच कड़ी का कार्य करते हैं?**

  उत्तर– वित्तीय मध्यस्थ व्यक्तियों और संस्थाओं से बचत एकत्र करते हैं और इन निधियों को ऋण प्रदान करने या उत्पादक उपक्रमों में निवेश करने के लिए एकत्रित करते हैं। वे ऋण–योग्यता का आकलन करते हैं, जोखिम का प्रबंधन करते हैं और संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित करते हैं। ऐसा करके, वे बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच की खाई को पाटते हैं। यह प्रक्रिया पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

- **वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव क्या है?**

  उत्तर– वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली में सुधार के लिए, भारत को पहुँच और गति बढ़ाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। विनियामक सुधारों को नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण, विशेष रूप से फिनटेक ऋण में संतुलन बनाना चाहिए। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक हैं। अंत में, बढ़ती हुई देनदारियों और एनपीए को रोकने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन में सुधार किया जाना चाहिए।

4.12 अभ्यासार्थ प्रश्न

- वित्तीय मध्यस्थता क्या हैं?
- वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
- वित्तीय मध्यस्थों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए।
- वित्तीय मध्यस्थों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
- वित्तीय प्रणाली में वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- भारत में वित्तीय मध्यस्थता की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
- वित्तीय मध्यस्थता से जुड़ी चुनौतियों को समझाइए तथा उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए।

4.13 उपयोगी पुस्तके / सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Adrian, Tobias and Shin, Hyun Song, Financial Intermediaries and Monetary Economics (May 2010). FRB of New York Staff Report No. 398, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1491603 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1491603
- Allen, F., & Santomero, A. M. (1997). The Theory of Financial Intermediation. *Journal of Banking & Finance*, 21(11-12), 1461–1485.
- Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. Handbook of Economic Growth, 1, 865–934.
- Adrian, Tobias and Hyun Song Shin (2008d) 'Financial Intermediaries, Financial Stability, and Monetary Policy,' Federal Reserve Bank of Kansas City 2008 Jackson Hole Economic Symposium Proceedings.
- Dr. (Smt.) Anita Modi and Dr. Chandra Prakash Kulshreshtha (2016),The Role of Financial Intermediaries in Economic Development, International Journal of Research and Analytical Reviews , Volume 3, Issue 3
- Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. Review of Economic Studies, 51(3), 393-414.
- Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726.

खण्ड–2

केंद्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक

खण्ड एवं इकाई परिचय

इकाई–5

प्रस्तुत खंड के इकाई **'केंद्रीय बैंक एवं उसके कार्य'** के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की परिभाषा, केंद्रीय बैंक के सिद्धांत, केंद्रीय बैंक के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक तथा मौद्रिक नीति एवं मौद्रिक नीति के उद्देश्यों से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई–6

प्रस्तुत इकाई **'वाणिज्यिक बैंकों का विकास एवं संरचना'** के अंतर्गत वाणिज्यक बैंकों की परिभाषा, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य तथा वाणिज्यक बैंकों का विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं भारत में बैंकिंग की संरचना से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई–7

प्रस्तुत इकाई **'सहकारी बैंक एवं नाबार्ड निष्पादन एवं नीतियां'** के अंतर्गत सहकारी बैंक का आशय, उद्देश्य एवं विशेषताएँ, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में अंतर, सहकारी बैंकों की संरचना, महत्व, समस्याएं, सुझाव के साथ–साथ नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड के उद्देश्य, नाबार्ड के कार्य, नाबार्ड का महत्व, नाबार्ड के कार्य निष्पादन एवं नीतियां और नाबार्ड की चुनौतियों से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई–8

प्रस्तुत इकाई **'भारत में ब्याज दर एवं मुद्रा स्फीति स्थिति एवं मुद्दे'** के अंतर्गत ब्याज दर एवं ब्याज दर की परिभाषा, ब्याज दर के प्रकार,ब्याज दर के प्रभाव तथा मुद्रास्फीति, मुद्रा स्फीति की माप, मुद्रा स्फीति के प्रकार, मुद्रा स्फीति एवं ब्याज दर में संतुलन तथा मुद्रा स्फीति में नियंत्रण इत्यादि से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई–5
केन्द्रीय बैंक एवं उसके कार्य

इकाई की रूपरेखा–

5.0 उद्देश्य
5.1 प्रस्तावना
5.2 केन्द्रीय बैंक की परिभाषा
5.3 केन्द्रीय बैंक के सिद्धांत
5.4 केंद्रीय बैंकों की आवश्यकता
5.5 केंद्रीय बैंक के कार्य
5.6 साख नियंत्रण के उपाय
5.7 भारतीय रिजर्व बैंक
5.8 मौद्रिक नीति
5.9 मौद्रिक नीति के उद्देश्य
5.10 सारांश
5.11 बोध प्रश्न
5.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.0 उद्देश्य

1– प्रस्तुत इकाई में हम केन्द्रीय बैंक के बारे में जानेगें।

2– इस इकाई में हम केन्द्रीय बैंक की परिभाषा का अध्ययन करेंगें।

3– इस इकाई में हम केन्द्रीय बैंकों के कार्यो कों जानेगें।

4– इस इकाई में मौद्रिक नीति एवं एवं साख नियंत्रण की प्रक्रिया को समझेंगें।

5– इस इकाई में मौद्रिक नीति के उपकरणों को समझेंगें।

5.1 प्रस्तावना

केंद्रीय बैंक किसी राष्ट्र की वैधानिक संस्था होती है, जो किसी राष्ट्र की वित्तीय आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास को बनाए रखने में सहयोग करती है और राष्ट्र की अंतिम संचित निधि का धारक है तथा मुद्रा प्रवाह तथा क्रय शक्ति के प्रवाह जैसे– करेंसी क्रय एवं साख क्रय का नियंत्रक होती है जो की मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली की आर्थिक नीवं होती है जो राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने में सहयोग प्रदान करती है।

विश्व का पहला केंद्रीय बैंक 1656 में स्वीडन में रीक्स बैंक के नाम से स्थापित हुआ इसके पश्चात 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई जिसे केंद्रीय बैंकों की जननी भी कहा जाता है और फिर वर्ष 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस, 1814 में बैंक ऑफ नीदरलैंड, 1856 में बैंक आफ स्पेन, 1869 में बैंक ऑफ रसिया तथा 1875 में रीश बैंक ऑफ जर्मनी की स्थापना हुई। तत्पश्चात वर्ष 1900 के बाद विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों की स्थापना में तेजी आई। इसी क्रम में भारत में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर वर्ष 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की भी स्थापना हुई।

5.2 केंद्रीय बैंक की परिभाषाएं

5.2.1 बिल रोंजर्स के अनुसार– संसार में तीन महान आविष्कार हुए आग, पहिया तथा केंद्रीय बैंक।

हॉट्रे के अनुसार– केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है।

5.2.2 क्राउथर के अनुसार– केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिए वही स्थिति रखता है जो कि स्वयं बैंकों की जनता के प्रति होती है।

5.2.3 शा के अनुसार– केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का नियंत्रण करने वाला बैंक होता है।

5.2.4 केन्ट के अनुसार– केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सामान्य जनहित को दृष्टि में रखते हुए मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी सौंप जाती है।

5.2.5 वेरा स्मिथ के अनुसार– केंद्रीय बैंकिंग से आशय उस बैंक व्यवस्था से है जिसमें किसी एक बैंक को नोटों की निकासी का पूर्ण या अवशेष एकाधिकार प्राप्त होता है।

5.2.6 किश एवं एल्किन के शब्दों में– केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य मौद्रिकमान की स्थिरता को बनाए रखना है जिसमें मौद्रिक चलन का समावेश होता है।

5.2.7 डी कॉक के अनुसार– केंद्रीय बैंक वह संस्था है जो देश की आर्थिक मौद्रिक और बैंकिंग संरचना में सर्वोच्च स्थान रखती है और देश के श्रेष्ठ आर्थिक हित में साथ कार्य संपादित करती है। अर्थात केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य या सिद्धांत लाभ पर विचार ना करते हुए जनहित और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना है।

5.3 केंद्रीय बैंक के सिद्धांत

5.3.1 लोकहित की प्रमुखता का सिद्धांत– डी कॉक महोदय ने बताया कि केंद्रीय बैंक का निदेशक सिद्धांत एकमात्र लोकहित और संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण करना है तथा सेवा के साथ लाभार्जन करें अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण की सिद्धि हो तथा लाभ की प्राप्ति प्राथमिक उद्देश्य न होकर गौण उद्देश्य होना चाहिए।

5.3.2 मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता के सिद्धांत– केंद्रीय बैंक मात्र लाभ प्राप्त करने वाली संस्था नहीं होती इसलिए यह अन्य बैंकों की प्रतिस्पर्धी ना होकर यह मौद्रिक अधिकारी होती है जिसे इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि राष्ट्र में मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता बनी रहे जिससे कि राष्ट्र का निरंतर आर्थिक विकास हो सके।

5.3.3 मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार– केंद्रीय बैंक मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार होना चाहिए जिससे कि मुद्रा की आपूर्ति तथा साख को नियंत्रित किया जा सके।

5.3.4 साधारण बैंकिगं की कार्यों से पृथक– केंद्रीय बैंक अपना लेनदेन व्यापारिक बैंकों से करते हुए उन पर नियंत्रण भी रखने का कार्य करता है जिसमें समस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं आवश्यकता होने पर कुछ ब्याज दर पर केंद्रीय बैंक से ऋण लेती हैं तथा राष्ट्र में आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होने की दशा में केंद्रीय बैंक अपने विभिन्न उपायों के द्वारा आर्थिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

5.3.5 राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रहने का सिद्धांत– केंद्रीय बैंक को राष्ट्र के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रहना चाहिए जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र के हित साधन में बिना भय या पक्षपात के कार्य किया जा सके साथ ही सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग होना चाहिए जिससे कि राष्ट्र में आर्थिक कल्याण बना रहे एवं सरकार का केंद्रीय बैंक पर नियंत्रण बना रह सके।

5.4 केंद्रीय बैंक की आवश्यकता

केंद्रीय बैंकों की आवश्यकता निम्न लिखित कारणों से होती है

5.4.1 मुद्रा का निर्गमन— किसी भी राष्ट्र में मुद्रा के निर्गमन का अधिकार एकमात्र केंद्रीय बैंक के पास होता है जिससे कि उसकी आपूर्ति एवं नियंत्रण सरलता से की जा सके। साख नियंत्रण किसी भी राष्ट्र में उत्पादन में वृद्धि के लिए साख का विस्तार तो आवश्यक ही है परंतु कीमत स्थायित्व के लिए साख का नियंत्रण भी आवश्यक है जिसका नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा ही होता है।

5.4.2 बैंकों की आर्थिक सहायता— किसी भी राष्ट्र में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की सहायता के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है जो की व्यापारिक बैंकों की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने में सहयोग करती है।

5.4.3 व्यापारिक बैंकों का नियंत्रक— केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नियंत्रण के लिए होता है जिससे कि सरकार की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन किया जा सके तथा लोक कल्याण में वृद्धि हो सके।

5.5 केंद्रीय बैंक के कार्य—

केंद्रीय बैंकों के निम्नलिखित कार्य हैं

5.5.1 नोट निर्गमन—

मुद्रा का निर्गमन देश के केंद्रीय बैंक देश में वैधानिक पत्र या कागजी मुद्रा निर्गमन का एकाधिकरी होता है जो कि भारत में पहले अनुपातिक आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत भारत का केंद्रीय बैंक जारी किए गए नोटो या कागजी मुद्रा के पीछे एक निश्चित प्रतिशत सोना या विदेशी प्रतिभूतियों को रिजर्व के रूप में रख कर नोटों या पत्र मुद्रा का निर्गमन करता था। परंतु 1957 में इस प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई जिसके अधीन भारत में रिजर्व बैंक कुल निर्मित नोटों के पीछे एक न्यूनतम आरक्षित निधि सोना एवं विदेशी प्रतिभुतियों के रूप में रिजर्व के रूप में रखता है। अर्थात इस न्यूनतम आरक्षित निधि के होने पर रिजर्व बैंक आवश्यकता अनुसार जितनी मात्रा में चाहे नोटों का निर्गमन कर सकता है परंतु इस केंद्र सरकार की नीति के अधीन करना होता है भारत के संदर्भ में ₹1 के नोट को छोड़कर सभी नोटों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया जारी करता है एक रुपए के नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है।

5.5.2 राष्ट्र एवं राज्य का बैंक—

केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्य राज्य, राष्ट्र एवं सरकार के लिए बैंक का कार्य करना है सरकार अपना अधिकतम रुपया केंद्रीय बैंक के पास जमा रखती है केंद्रीय बैंक इस रुपये पर सरकार को कोई ब्याज नहीं देता यह सरकार को दूसरों से प्राप्त होने वाले रुपये को भी वसूल करता है और सरकार की ओर से दूसरों को रुपया देता है इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक सरकार के ऋण की व्यवस्था करता है और नए ऋण जारी करता है जो केंद्रीय बैंक सरकार को अल्पकालिक ऋण भी देता है ऐसा वह सरकारी कोषीय बिलों का डिस्काउंट करके करता है केंद्रीय बैंक सरकार के राजकोषीय एजेंट के रूप में कार्य करता है जो सरकार को करेंसी वित्त तथा विदेशी मुद्रा संबंधी परामर्श भी देता है।

5.5.3 बैंकों का बैंक—

केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की जमा स्वीकारना एवं उन्हें ऋण देना तथा उनके मध्य होने वाले लेनदेन का निपटान करना है क्योंकि केंद्रीय बैंकों के पास व्यापारिक बैंकों का सुरक्षित नगद कोष होता है जिसे आसानी से व्यापारिक बैंकों के खाते में रकम को घटा और बढाकर बैंकों के बीच लेनदेन का निपटान आसानी से कर सकता है। राष्ट्र के सभी बैंकों को नियमानुसार उनकी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है जिससे कि उसे साख निर्माण क्षमता का नियंत्रण करने में सहायता मिलती है तथा व्यापारिक बैंकों की पूंजी की कमी को पूरा करने में भी सहायता मिलती है भारत के संदर्भ में अनुसूचित बैंकों को अपने चालू मांग जमा का लगभग 5 प्रतिशत तथा मियादी या सावधिक जमा का लगभग 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है जिसके बदले व्यापारिक बैंकों को यह अधिकार होता है कि आवश्यकता होने पर अपनी हुंडियों को रिजर्व बैंक से रिडिस्काउंट या पुनरकटौती कर सकता हैं या ऋण पत्रों के आधार पर ऋण के रूप में सहायता ले सकते हैं।

5.5.4 मुद्रा बाजार का संरक्षक एवं साख नियंत्रक–

केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य कीमत स्थिरता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है क्योकिं कीमत में कमी या वृद्धि दोनों ही हानिकारक है दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति दोनों हानिकारक होती है जिससे कि समस्त अर्थव्यवस्था की समस्त मांग एवं पूर्ति प्रभावित होती है जिसे केंद्रीय बैंक साख की पूर्ति तथा निवेश मांग में परिवर्तन करके कीमतों, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार को प्रभावित करता है केंद्रीय बैंक का यह कर्तव्य होता है की मुद्रा बाजार को निर्देशित करें अर्थात वह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा मांग की पूर्ति को नियमित तथा नियंत्रित करें जिससे कीमत स्थिरता बनी रहे मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रा स्फीति को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंक साख की पूर्ति कम कर देता है इसके विपरीत मंदी की दशा में साख मुद्रा की पूर्ति खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद एवं बेचकर या आरक्षित अनुपात में परिवर्तन कर तथा चयनात्मक साख नियंत्रण कर के लागू करता है।

5.5.5 अंतिम ऋणदाता–

केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता या साख सृजन का अंतिम स्रोत है जब व्यापारिक बैंक अपने साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर इस ऋण के बदले वह सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत देते हैं तथा इन्ही व्यापारिक बिलों की पुनरकटौती द्वारा केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है।

5.5.6 आर्थिक विकास को बढ़ावा देंना–

केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य देश के आर्थिक विकास के साथ कृषि तथा औद्योगिक विकास में सहायता देना, केंद्रीय बैंक कृषि और उद्योगों को ऋण देने वाली संस्थाओं को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराता है जिससे कि वह कृषि एवं उद्योगों को आसानी से साख ऋण प्रदान कर सके तथा ऐसी मुद्रा नीति अपनाता है जिससे कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके तथा व्यापारिक उतार–चढ़ाव को होने से रोकना जिससे आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास संभव हो सके केंद्रीय बैंक मुद्रा साख द्वारा निवेश को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि निवेश तथा बचत बराबर हो जिससे कि स्फीति एवं मंदी से बचा जा सके तथा आर्थिक स्थिरता कायम हो सके।

5.5.7 साख नियंत्रण–

केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य साख सृजन के साथ–साथ साख नियंत्रण करना भी होता है जिससे कि आर्थिक उच्चावचनों को नियंत्रित किया जा सके तथा अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जा सके जिसे प्रोफेसर 'शा' ने केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए मुख्यतः दो विधियां अपनाई पहली मात्रात्मक विधि जिसमें बैंक दर या कटौती दर, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात, आदि है दूसरी विधि है चयनात्मक या गुणात्मक विधि जिसमें चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रचार या प्रत्यक्ष कार्यवाही किया जाता है।

5.6 साख नियंत्रण के उपाय

मात्रात्मक साख नियंत्रण–

केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण में प्रयोग की जाने वाली दो विधियां हैं पहली मात्रात्मक विधि जिसका संबंध अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा की आपूर्ति से है जिसे केंद्रीय बैंक स्फीति एवं मंदी की दशा में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि एवं कमी के द्वारा करता है इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किये जाते है।

5.6.1 बैंक दर–

वह न्यूनतम दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं अर्थात जब व्यापारिक बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह व्यवसायिक हुंडियों या बिलों के बदले केंद्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं जिस पर न्यूनतम ब्याज दर की सीमा निर्धारित होती है बैंक दर को बट्टादर भी कहा जाता है क्योंकि केंद्रीय बैंकों के द्वारा व्यापारिक बैंकों को केवल विनिमय बिलों का बट्टा करके ही अर्थात डिस्काउंट करके ही ऋण प्रदान करता है बैंक दर में परिवर्तन से व्यापारिक बैंक के ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों तथा ब्याज दरों में भी

परिवर्तन होता है जिससे कि व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए यह मान लिया जाए कि व्यापारिक बैंकों के कम ब्याज दर एवं उदार ऋण नीति के कारण व्यवसायियों एवं उद्यमियों तथा लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से स्फीति की दशा उत्पन्न हो गई अतः ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि करके व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता को कम किया जाएगा जिससे कि वह अपनी ब्याज दर में वृद्धि करेंगे तथा लोगों के पास अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को रोकेंगे।

5.6.2 रेपो दर–

रेपो दर वह दर है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करता है यह वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है व्यवसायिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से ऋण लेने के लिए सरकारी प्रतिभुतियाँ होती है गिरवी रखनी पड़ती है इस ऋण पर केंद्रीय बैंक द्वारा लगाई गई ब्याज दर को ही रेपो दर कहते हैं इस दर में वृद्धि या कमी करके केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है रेपो दर में वृद्धि का अर्थ है व्यवसायिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण के ब्याज दर में वृद्धि इसके परिणाम स्वरुप केंद्रीय बैंक से लिया जाने वाला ऋण और महंगा हो जाएगा ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं फलस्वरुप व्यक्तियों तथा व्यवसायियों द्वारा लिए जाने वाले ऋण की संभावना कम हो सकती है इससे बचत को बढ़ाने की संभावना अधिक हो जाती है क्योंकि बैंकों द्वारा जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना होती है साथ ही इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी सहायता मिल सकती है इसके विपरीत रेपो दर में कमी से केंद्रीय बैंक से लिया जाने वाला ऋण और सस्ता हो जाएगा तथा व्यक्तियों व व्यवसायियों द्वारा अधिक ऋण लेने की संभावना होगी ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंक अधिक साख सृजन की स्थिति में होंगे।

5.6.3 रिवर्स रेपो दर–

रिवर्स रेपो दर रिवर्स रेपो वह ब्याज दर है जो केंद्रीय बैंक वाणिज्यक बैंकों की अतिरिक्त नगदी लेकर उसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है तथा वाणिज्यक बैंकों को ब्याज देता है जब रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त तरलता को उसके पास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है इससे वाणिज्यक बैंकों के पास उपलब्ध तरलता कम हो सकती है तथा उनके साख सृजन पर अंकुश लग सकता है इसके विपरीत रिवर्स रेपो दर के कम होने पर वाणिज्यक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अतिरिक्त तरलता रखने पर कम ब्याज प्राप्त होता है अतएव वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक तरलता उपलब्ध हो सकती है अतएव वह अधिक ऋण दे सकते हैं और उनके साख सृजन की क्षमता में वृद्धि हो सकती हैद्य फलस्वरुप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना होती है।

5.6.4 नगद आरक्षित अनुपात–

व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा पूंजी का अर्थात निवल मांग एवं समय देयता का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में निश्चित तौर पर रखना पड़ता है जिसे केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा समय–समय पर इसमें परिवर्तन किया जाता है तथा यह व्यावसायिक बैंकों को नगदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच का कार्य करता है तथा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात की राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देता है जबकि वित्तीय उच्चावचनों की स्थिति में केंद्रीय बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि एवं कमी करके वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है तथा अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करता है नगद आरक्षित अनुपात में कमी से वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कई गुना वृद्धि होती है इसके विपरीत नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंकों की साख सृजन क्षमता में कई गुना कमी हो जाती है।

5.6.5 वैधानिक तरलता अनुपात–

व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा अर्थात निवल मांग एवं समय देयता का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में आरक्षित रखना होता है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है जों कि वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है यह केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के

उपकरण के रूप में इसका प्रयोग समय–समय पर व्यावसायिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए करता है।

उदाहरण– माना की बैंकों के पास कुल जमा राशि ₹1000 है तथा वैधानिक तरलता अनुपात 10 प्रतिशत है, व्यावसायिक बैंकों को ₹1000 का 10 प्रतिशत यानी ₹100 आरक्षित रूप में रखना पड़ेगा तथा उसके पास साख सृजन के लिए ₹900 ही शेष रहेंगें यदि केंद्रीय बैंक द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात में 10 प्रतिशत से वृद्धि करके 20 प्रतिशत कर दी जाती है तो व्यावसायिक बैंकों के पास साख सृजन के लिए ₹800 ही राशि शेष बचेगें इसके विपरीत यदि वैधानिक तरलता अनुपात में 10 प्रतिशत से कमी करके 5 प्रतिशत कर दी जाती है तो बैंकों की साख सृजन क्षमता हेतु 950 रुपये उपलब्ध होंगें।

5.6.6 खुले बाजार की क्रियाएं

खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य वित्तीय प्रपत्रों का क्रय विक्रय करता है जिससे कि खुले बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों या वित्तीय प्रपत्र की एकमुश्त खरीद या बिक्री से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि या अतिरिक्त मुद्रा को अवशोषित करके कम करती है केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं का क्रय–विक्रय वास्तविक क्रय–विक्रय नहीं होता है बल्कि यह एक आंतरिक व्यवस्था होती है जो की सरकार और केंद्रीय बैंक के मध्य होती है।

केंद्रीय बैंक द्वारा यह क्रिया सरकार के वित्तीय एजेंट के रूप में की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता अर्थात मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि या कमी करना होता है अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा जब बाजार से वित्तीय प्रपत्रों एवं प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि अर्थात मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है जिससे अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होता है इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में वित्तीय प्रपत्रों एवं प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी अर्थात तरलता में कमी हो जाती है जिससे अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन होता है इस प्रकार से केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं अपनाई जाती हैं।

5.7 चयनात्मक साख नियंत्रण गुणात्मक साख

मौद्रिक नीति के गुणात्मक साख नियंत्रण का अभिप्राय साख प्रवाह को आर्थिक क्रिया के विशेष क्षेत्र पर केंद्रित करना अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उद्देश्य के लिए साख सृजन को दिशा निर्देशित करना होता है जिससे कि किसी विशेष क्षेत्र में तरलता में वृद्धि या कमी को नियंत्रित किया जा सके। चयनात्मक साख नियंत्रण इसी का एक भाग है चयनात्मक साख नियंत्रण प्रायः विशेष प्रकार की प्रतिभूतियों तथा अन्य बंधकों के विरुद्ध बैंकों द्वारा साख सृजन के लिए न्यूनतम सीमा में परिवर्तन करके तथा व्यवसायिक ऋणदाताओं की विशेष महत्वपूर्ण वस्तुओं के विरुद्ध साख की अधिकतम राशि की सीमा निश्चित करते हैं और महत्वपूर्ण वस्तुओं की बिक्री संबंधी ऋण पत्रों के डिस्काउंट करने की मनाही तथा विशेष प्रकार के ऋणों के लिए भेदात्मक ऊंची ब्याज दरों का प्रावधान करता है जिससे विशेष प्रतिभूतियों व वस्तुओं के विरुद्ध बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में कमी आती है और व्यापारी एवं उद्योगपति ऋणों की कुछ राशि को वापस करने के लिए वस्तुओं के भंडार में कमी करने को मजबूर होते हैं जिससे मार्केट में उनकी पूर्ति बढ़ जाती है तथा वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

चयनात्मक साख नियंत्रण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के कुछ चयनात्मक क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बैंक की एक भेदमूलक नीति से है जिसका उद्देश्य व्यापारिक बैंकों द्वारा उसके आर्थिक क्रियाओं एवं गैर प्राथमिक क्षेत्र के लिए साख देने पर रोक लगाने या उन्हें हतोत्साहित करना हैं इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने के लिए साख सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है। चयनात्मक साख नियंत्रण को नकारात्मक अर्थों में प्रयोग किया जाता है परंतु नकारात्मक तथा धनात्मक दोनों पक्ष है जैसा की कुछ विशेष प्रयोजनों व वस्तुओं के लिए साख का संकुचन करना नकारात्मक पक्ष है। उसी के विपरीत कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों या प्रयोजनों के लिए साख सृजन को बढ़ावा देना यह सकारात्मक पक्ष है।

विकसित देशों में चयनात्मक साख नियंत्रण शेयर मार्केट में अधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए किया जाता

है शेयर बाजार में ग्राहक थोड़ी सी नगदी देकर शेयर खरीद लेते हैं और शेष राशि बैंकों से ऋण लेकर शेयरों की कीमत का भुगतान करते हैं जब केंद्रीय बैंक द्वारा मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है तो शेयर क्रेताओं को अधिक रुपया देना पड़ता है और बैंक कम ऋण प्रदान करते हैं। इससे सट्टेबाजी हतोत्साहित होती है तथा दूसरी ओर कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे कि खाद्यान्न तथा औषधीयों के संग्रह व सट्टेबाजी के कारण कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारत में रिजर्व बैंक ने वर्ष 1956 में आवश्यक प्रमुख वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, तिलहन, वनस्पति आदि के लिए ऋण देने की न्यूनतम मार्जिन में वृद्धि की जिससे इनकी कीमतों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

चयनात्मक साख नियंत्रण की सफलता इस पर निर्भर करती कि व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को किस सीमा तक ऋण की उपलब्धता है यदि व्यापारी और उद्यमी वस्तुओं के भंडारों की वित्त व्यवस्था के लिए बैंकों पर अधिक निर्भर न रहकर अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं तो वह चयनात्मक साख नियंत्रण से बचते हैं भारत में वस्तुओं के संग्रह करने के लिए व्यापारी और उद्योगपति बड़ी मात्रा में काले धन का प्रयोग करते हैं यही कारण है कि चयनात्मक साख नियंत्रणों के बावजूद व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भंडारों में वृद्धि की जाती रही है चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा अधिक से अधिक वस्तुओं के बड़े भंडार बनाने से रोका जा सकता है। उनके उत्पादन में कमी या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। अतः कीमतों में वृद्धि को दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन समय में भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

5.7.1 साख की राशनिंग–

साख की राशनिंग के अंतर्गत वाणिज्यक बैंकों के ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है तथा विभिन्न बैंकों एवं व्यवसायियों के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा कोटा निर्धारित कर दिया जाता है जिससे व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता है यह निर्धारित सीमा किसी विशेष उद्देश्य के लिए अथवा सभी के लिए सामूहिक रूप से सुनिश्चित की जाती है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक विभेदात्मक ब्याजदर की नीति अपनाते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कम ब्याज दर पर ऋणों में वृद्धि कर सकते हैं।

यदि किसी क्षेत्र में ऋणों में कमी करनी हो तो वहां ब्याज दर की सीमा में वृद्धि करते हैं। केंद्रीय बैंक प्रायः साख की राशनिंग करते समय किसी बैंक के बिलों को पुनः भुगतान की सुविधा को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है तथा कुछ बैंक की बिलों को पुनःभुगतान की सुविधा सीमित कर सकता है तथा कुछ बैंक की ऋण प्राप्त की सीमाएं निर्धारित करता है एवं विभिन्न बैंकों के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए साख के कोटे निर्धारित कर सकता है।

5.7.2 नैतिक दबाव–

केंद्रीय बैंक को द्वारा कई बार व्यापारिक बैंकों को यह सलाह दी जाती है कि वह साख सृजन की मात्रा में कमी कर दें। यह विचार विमर्श पत्रों तथा संकेतात्मक संदेशों के माध्यम से व्यावहारिक रूप में दिया जाता है जिसके लिए केंद्रीय बैंक समय–समय पर अपनी नीतिगत स्थिति की घोषणा कर बैंकों से केन्द्रीय बैंक अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा करता है। मुद्रा स्फीति के समय बैंकों को ऋणों को सीमित करने तथा अवस्फीति के समय साख सृजन में वृद्धि करने का परामर्श देता है जिसके लिए केंद्रीय बैंक अपने साथ तथा मौद्रिक नीति का प्रचार करता है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक सह नीति का परिवर्तन भी करते हैं।

5.7.3 प्रत्यक्ष कार्यवाही–

प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा यदि कोई व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीतियों को मानने से मना सकता है या उसमें विलंब करता है तो केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा उस व्यापारिक बैंक को ऋण देने से मना कर देता है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियों, वित्तीय प्रपत्रों को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है तथा उससे अधिक ब्याज की भी मांग कर सकता है साथ ही व्यापारिक बैंकों का लाइसेंस समाप्त करने की कार्यवाही भी केंद्रीय बैंक द्वारा की जा सकती है।

5.8 भारतीय रिजर्व बैंक

भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत में मौद्रिक नीति निर्माण और क्रियान्वयन तथा वाणिज्यिक बैंकों का

नियमन और नियंत्रण करता हैं। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की आवश्यकता का सुझाव 18वीं शताब्दी मैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा ब्रिटिश सरकार को लिखे पत्र में 1773 में दिया था। इसके पश्चात भारत के सम्मेलनों में जांच आयोग ने केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु 1913 में चैंबर्लिन आयोग के सदस्य लॉर्ड कीन्स ने वर्ष 1920 में ब्रसेल्स के अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन में वर्ष 1929 में हिल्टन यंग आयोग तथा वर्ष 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के सुझावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिन्होंने भारत में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता का सुझाव दिया था जिसे भारत सरकार ने वर्ष 1934 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम को स्वीकृत किया गया इस अधिनियम के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक शेयर धारकों के बैंक के रूप में निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता रहा तत्पश्चात वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 बनाया गया वर्ष 1937 से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया तथा वर्तमान में रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में करेंसी के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है जिसमें ₹1 की करेंसी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं जिस पर की वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं तथा एक रुपए से ऊपर की करेंसी एवं सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं जिसमें की करेंसी में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को वर्ष 1957 में अपनाते हुए 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास सुरक्षित रखता है जिसमें से 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा शामिल है।

रिजर्व बैंक का केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसके कारोबार का परीक्षण करता है रिजर्व बैंक में सामान्य प्रबंधन एवं निदेशक का कार्य 20 सदस्यों पर आधारित केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें की इस बोर्ड में एक गवर्नर तथा चार उप गवर्नर होते हैं। एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामजद 10 ऐसे निदेशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं चार निदेशक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी है।

जो बोर्ड की 1 वर्ष में 6 बैठक तथा प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बैठक करते है इस बोर्ड को रिजर्व बैंक के निरीक्षण का प्राथमिक अधिकार प्राप्त है भारत में रिजर्व बैंक के 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा चार उप कार्यालय हैं जिनमें अधिकांश राज्य की राजधानियों में स्थापित है। जिनमें मुख्य कार्यालय मुंबई, कोलकाता, मद्रास और नई दिल्ली में है स्थानीय बोर्डों के पांच सदस्य होते हैं। जो कि केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनमें क्षेत्रीय, सरकारी एवं देसी बैंकों का प्रतिनिधित्व होता है जिसमें वर्ष 1934 के अधिनियम में रिजर्व बैंक को किसी भी केंद्रीय बैंक के सभी महत्वपूर्ण कार्य सौंप गए थे जिसमें की नोट निर्गमन, सरकार का बैंक, अंतिम ऋणदाता साख नियंत्रक, विदेशी मुद्रा का संरक्षक आदि सारे कार्य रिजर्व बैंक द्वारा ही संपन्न कराए जाने की घोषणा की गई।

5.8 मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति का अभिप्राय उन कारणों से है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा साख की मात्रा को नियंत्रित एवं निर्धारित करते हैं अर्थात किसी देश के केंद्रीय बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं निर्धारित करने हेतु जो नीति अपनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है।

5.8.1 प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार–

मौद्रिक नीति का अर्थ केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है।

5.8.2 पाल राइजिंग के अनुसार–

वह सारे मौद्रिक निर्णय तथा उपाय जिनके उद्देश्य मौद्रिक हो अथवा अमौद्रिक हो तथा वह सब अमौद्रिक

निर्णय सम्मिलित होते हैं जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली पर प्रभाव डालना होता है अर्थात मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति को कहा जाता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मुद्रा की मात्रा मुद्रा, साख, कीमत तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं।

5.8.3 प्रोफेसर कीन्स के अनुसार–

मौद्रिक नीति का उद्देश्य व्यापार चक्र के प्रवाह को कम करना होना चाहिए जिससे की पूर्ण रोजगार के बिंदु पर बचत एवं विनियोग के बीच सम्बन्ध बनाए रखा जा सके।

मौद्रिक नीति से अभिप्राय आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है जो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ब्याज दरो, मुद्रा आपूर्ति और ऋणों की उपलब्धता जैसे परिणाम को विनियमित करता है केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति समय–समय पर आर्थिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास के लिए परिवर्तित करती रहती है जोकि अर्थव्यवस्था में वह निवेश प्रवाह के समायोजन के माध्यम से कार्य करती है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरह तरलता अर्थात मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाली नीतियां मौद्रिक नीति कहलाती हैं।

भारत में मौद्रिक नीति केंद्र सरकार की वैधानिक धारा 45 ZB के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति जो की मुद्रा स्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति निर्माण में मौद्रिक नीति समिति की सहायता करता है अर्थव्यवस्था के सभी प्रतिभूति धारकों के विचारों और केंद्रीय बैंक के सहयोग से वित्तीय बाजार समिति कार्यों की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करती हैं। जिससे कि मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान समय में भारत में मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं।

5.9 मौद्रिक नीति के उद्देश्य

मौद्रिक नीति को समझने से पूर्व मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को जानना आवश्यक है जिससे कि मौद्रिक नीति के संरचना एवं उसके महत्व को समझने में सहायता मिलती है।जिसका प्रयोग कीमत स्थिरता अथवा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण मौद्रिक नीति जैसे विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है जिसमें की कीमत स्थिरता की प्राप्ति मुद्रास्फीति में नियंत्रण के लिए किया जाता है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के अनुसार जब उद्देश्य जिनकी प्राप्ति वांछनीय है बहुत होते हैं तब प्रत्येक नीति उपकरण जो किसी वांछनीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है का प्रयोग किया जाता है। कीमत स्थिरता ऐसा उद्देश्य है जिसकी प्रभावशाली तरीके से प्राप्ति के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जा सकता है भारत जैसे विकासशील देश में जब निवेश में वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन के पर्याप्त रूप से न बढ़ने के कारण सामान्य कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति आ जाती है अतः मौद्रिक नीति मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। भारत में कीमत स्थिरता लाने अथवा मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य रखा है।

यहां कीमत स्थिरता से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन न होने से नहीं बल्कि यह विकास प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन तथा सापेक्ष कीमतों के बदलने से हैं अर्थात सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि अर्थात मुद्रा स्फीति का होना विकासशील देशों में तो अनिवार्य होता ही है जिसमें कीमत स्थिरता का अभिप्राय मुद्रा स्फीति दर का उचित होने से है क्योंकि ऊंची मुद्रा स्फीति लोगों के जीवन निर्वाह की लागत बढ़ा देती है विशेष कर गरीबों के दुखों का बड़ा कारण बनती है। जो की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालती है जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है एवं उनकी मांग में कमी होने लगती है तथा लोगों की बचत की प्रेरणा को हतोत्साहित करती है जिससे कि निवेश प्रक्रिया बाधित होती है।

अतः इन्हीं दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए भारत में मौद्रिक सुधार कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर एस. चक्रवर्ती ने बताया की भारत के लिए चार प्रतिशत वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर के लक्ष्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया और यह कहा था कि रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति ऐसी बनानी चाहिए जिससे मुद्रा स्फीति वार्षिक दर 4 प्रतिशत से अधिक ना हो। प्रोफेसर सी रंगराजन ने बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ खुलापन प्रतियोगिता के संदर्भ में विश्व व्यापार में भारत के निर्यात को बढ़ाने की जरूरत यह मांग करती है कि घरेलू कीमत स्तर में अधिक वृद्धि न होने दी जाए।

5.9.1 आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि

मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है जिसके लिए मौद्रिक नीति बैंक ऋण की अधिक उपलब्धि तथा कम लागत पर इसे प्रदान करके आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकती है। व्यावसायिक व्यक्तियों को बैंक ऋण के लिए प्रायः तीन प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। जिसमें पहली आवश्यकता है, आवश्यक कार्यशील पूंजी की वित्त व्यवस्था करने के लिए बैंक ऋण की जरूरत होती है। दूसरी विदेश से कच्चा माल आयात करने के लिए उन्हें बैंक साख की आवश्यकता होती है तथा तीसरी स्थिर पूंजी को रखने के लिए बैंक ऋण की भी आवश्यकता होती है जिससे बैंक ऋण कम ब्याज दर पर सरलता से उपलब्ध होने की दशा में निवेश को प्रोत्साहित करता है तथा आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करता है।

प्रोफेसर, सी. रंगराजन ने कहा था की कीमत स्थिरता और आर्थिक विकास में परस्पर कोई विरोध नहीं होता है बल्कि कीमत स्थिरता आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यह कीमत स्थिरता ही है जो ऐसा उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है जिसमें आर्थिक विकास संभव हो सकता है और सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सकती है।

5.9.2 विनिमय स्थिरता

वर्ष 1991 में भारत में स्थिर विनिमय प्रणाली प्रचलित थी जिसे वर्ष 1993 में परिवर्तनशील विनिमय दर की प्रणाली से विस्थापित कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं खुला होने के कारण भारतीय विनिमय दर में बहुत उतार–चढ़ाव होने लगा जिसके चलते भारतीय रुपए का विदेशी विनिमय दरों में अधिक ह्रास तथा वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक उपाय सुनिश्चित किए गए थे।

5.10 सारांश

किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने में केन्द्रीय बैंक की मुख्य भूमिका होती है जिसमें कीमत स्थिरता मौद्रिक उपकरणों की सहायता से साख सृजन एवं साख नियन्त्रण द्वारा किया जाता है। कीमत स्थिरता का अभिप्राय मुद्रा स्फीति दर का उचित होने से है क्योंकि ऊंची मुद्रा स्फीति लोगों के जीवन निर्वाह की लागत बढ़ा देती है विशेष कर गरीबों के दुखों का बड़ा कारण है जो की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालती है जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है एवं उनकी मांग में कमी होती है यह व्यक्तियों की बचत की प्रेरणा को हतोत्साहित करती है जिससे कि निवेश प्रक्रिया बाधित होती है।

5.11 बोध प्रश्न

1– केन्द्रीय बैंक से आप क्या समझते है?

2– केन्द्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिए।

3– केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता कों समझाइए।

4– साख नियंत्रण से आप क्या समझते है?

5– गुणात्मक साख नियंत्रण को समझाइए।

6– मात्रात्मक साख नियंत्रण की व्याख्या कीजिए।

7– मौद्रिक नीति क्या है?

8– मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

9– रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर में अंतर स्पष्ट कीजिए।

10– भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त इतिहास बताइए।

11– कीमत स्थिरता तथा आर्थिक विकास के अंतरसम्बन्ध को समझाइए।

5.12 सन्दर्भ पुस्तकें

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एवं पूरी
2. भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, प्रोफेसर एस. एन. लाल, एस.के. लाल
3. भारतीय अर्थव्यवस्था ,दत्त एवं सुंदरम
4. उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र, डॉ. एच एल आहूजा
5. मुद्रा बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डॉ .जे.पी. मिश्रा
6. भोले, एल.एम., वित्तीय संस्थान और बाजार, टाटा मैकग्रा हिल कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. भोले, एल.एम., भारतीय वित्तीय प्रणाली, चुघ प्रकाशन, इलाहाबाद,
8. एडमिन्स्टर, आर.ओ., वित्तीय संस्थान, बाजार और प्रबंधन, मैकग्रॉ हिल, न्यूयॉर्क।
9. गोल्डस्मिथ, आर.डब्ल्यू., वित्तीय संरचना और विकास, येल, लंदन।
10. हैन्सन, जे.ए., और एस. कथूरिया, भारतरू इक्कीसवीं सदी के लिए एक वित्तीय क्षेत्र, ऑक्सफो यूनिवर्सिटी प्रेस,
11. हार्कर, पी.टी. और एस.ए. जेनिओस, वित्तीय संस्थानों का प्रदर्शन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्री कैम्ब्रिज।
12. जॉनसन, एच.जे., वित्तीय संस्थान और बाजार, मैकग्रॉ हिल, न्यूयॉर्क।
13. खान, एम.वाई., भारतीय वित्तीय प्रणाली, टाटा मैक्ग्रा हिल, नई दिल्ली,

इकाई–6
वाणिज्यिक बैंकों का विकास एवं संरचना

इकाई की रूप रेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 वाणिज्यिक बैंकों का विकास

6.3 वाणिज्यिक बैंक अर्थ एवं परिभाषाएँ

6.4 वाणिज्यिक बैंक

6.5 वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

6.6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण–

6.7 भारत में बैंकिंग संरचना

6.8 सारांश

6.9 बोध प्रश्न

6.10 संदर्भ पुस्तकें

6.0 उद्देश्य

6.0.1 इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हम वाणिज्यिक बैंकों के विकास के बारे में जानेंगे।

6.0.2 इस इकाई में हम वाणिज्यिक बैंक के अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे।

6.0.3 इस इकाई में हम वाणिज्यिक बैंक के कार्यों को जानेंगे।

6.0.4 इस इकाई में हम भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्ययन करेंगे।

6.0.5 इस इकाई के अध्ययन के पश्चात भारत में बैंकिंग संरचना का अध्ययन करेंगे।

6.1 प्रस्तावना

बैंक शब्द की व्युत्पति फ्रेंच शब्द से हुई है जो पुराने इतालवी शब्द से लिया गया है इसका अर्थ है टेबल। पुराने उच्च जर्मन शब्द बैंक का अर्थ बेंच काउन्टर। पुनर्जागरण काल में इतालवी व्यापारी पैसे उधार लेने और उधार देने के लिए एक बेंच के पास लेनदेन करते थे वे पैसे उसी बेंच पर रखते थे। तत्पश्चात यह जनता से धनराशि जमा करने व जनता को ऋण देने के काम मे प्रयोग में किया जाने लगा जो आज बैंक कहलाते है। बैंक वह संस्था है जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करती है तथा मुद्रा का व्यापार करती है लोगों की वस्तुओं को प्राप्त करती है और व्यापारियों को ऋण देती है जिसे व्यापार तथा उत्पादन कार्यों के लिए व्यापारियों द्वारा उस ऋण का उपयोग किया जाता है व्यापारिक बैंक धन जमा करने, ऋण देने, चेकों के संग्रहण एवं भुगतान करने तथा एजेंसी संबंधी अनेक काम करती हैं। बैंक द्वारा लोगों की जमा पूंजी को ऋण देकर उससे प्राप्त लाभ का कुछ अंश जमा पूंजी पर ब्याज के रूप में लोगों को देती है।

6.2 वाणिज्यिक बैंकों का विकास

भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास तो पिछले कुछ दशको में हुआ परंतु भारत में बैंकिंग प्रणाली इससे पूर्व भी प्रचलित थी जो कि भारत में देसी बैंक प्रणाली के रूप में एक पारिवारिक क्रिया व्यक्तिगत, व्यापारिक संगठन के रूप में स्थापित की गई थी देसी बैंकों को भारत में विभिन्न नाम से जाना जाता है जैसे की साहूकार, महाजन, चेट्टी

जिनका व्यापार छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक किया जाता था कुछ व्यापार का आकार तो अनुसूचित बैंकों के व्यापार के बराबर था देसी बैंकर उधार देते थे तथा हुंडियों या आंतरिक विनिमयपत्रों द्वारा भारत में आंतरिक व्यापार के वित्त का प्रबंध करते थे यह तीन प्रकार के होते थे।

- वह जिनका मुख्य कार्य बैंकिंग है।
- वह जो बैंक कार्य के साथ व्यापार या कमीशन का भी कार्य करते थे।
- वे जो मुख्य रूप से व्यापारी और कमीशन एजेंट है परंतु थोड़ा सा कार्य देसी बैंकर के रूप में करते थे।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी जिसमें सैकड़ों निजी बैंक निजी हाथों के खराब प्रबंधन के अधीन थे। इसलिए वर्ष 1949 में कुछ बड़े कदम उठाए गए जो बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले, बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया। जिसने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को वाणिज्यिक बैंकों पर व्यापक नियंत्रण की शक्तियाँ दीं। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ये दो प्रमुख घटनाक्रम भारत की वाणिज्यिक बैंकिंग में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए।

भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 16 मार्च 1949 के लागू होने के बाद के दो दशकों में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली विकसित हुई। यह संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से भी विकसित हुई। जबकि इस अवधि में अनुसूचित बैंकों की संख्या 94 से घटकर 76 हो गई। इस अवधि में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, वह गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्व में लगातार गिरावट थी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम ने RBI को व्यापक विनियामक शक्तियाँ प्रदान कीं और इसके साथ ही इसके लिए बैंकिंग प्रणाली में विभिन्न संरचनात्मक सुधार करना संभव हो गया।जमाराशि आधार पर देखा जाए तो इस अवधि में वाणिज्यिक बैंकों ने लगातार वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना और वर्ष 1960 में आठ क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक समूह के निर्माण ने भारतीय बैंकिंग में एक नए प्रयोग की सम्भावना पैदा की। एक वैधानिक दायित्व के तहत, इन बैंकों ने अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए कार्यालय खोले और लोगों के उन वर्गों से संपर्क किया जिन्हें अब तक आधुनिक बैंकों द्वारा सेवा नहीं दी गई थी। इस अवधि में वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति में भी बदलाव देखा गया। लंबे समय तक इन ऋणों का बड़ा हिस्सा व्यापारियों और बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योगों को जाता था। इस अवधि के दौरान न केवल उद्योगों को वाणिज्यिक बैंक ऋण में वृद्धि हुई, बल्कि बैंकों ने भी सावधि ऋण में रुचि विकसित की। तथा जमाकर्ताओं को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 1 जनवरी, 1962 को जमा बीमा निगम की स्थापना के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जमा बीमा द्वारा जमा राशि जुटाने में बहुत सहायता मिली, जों की बैंकों में लोगों का विश्वास बढ़ाया है।

6.3 वाणिज्यिक बैंक अर्थ एवं परिभाषाएँ

वाणिज्यिक बैंक एक ऐसी संस्था हैं जो व्यक्तियों के अतिरिक्त धन को एकत्रित करती हैं या जो व्यक्ति बचत करते हैं और उन व्यक्तियों को उधार देते हैं जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में, वाणिज्यिक बैंक एक ऐसा संगठन हैं जो अतिरिक्त धन जमाओं को उधार देने के उद्देश्य से स्वीकार करते हैं, तथा ग्राहकों कों व्याज, बट्टा, फीस कमीशन आदि के भुगतान के बदले में वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करवाते है। वाणिज्य बैंक उन सभी व्यक्तियों की मुद्रा का लेन देन करते हैं, जिसका पुनर्भुगतान चेक, ड्राफ्ट या अन्य रूप में माँग पर किया जाता है।

"बैंक एक ऐसी संस्था है जो अतिरिक्त मुद्रा की जमाओं एवं ऋण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है तथा जिनके पास सभी व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा को जमा के रूप में रखी जाती है।"

किनले के अनुसार –

वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि बैंकों का सम्बन्ध केवल मुद्रा से ही नहीं है बल्कि भुगतान के अन्य साधनों से भी है। तथा "बैंकर उन व्यक्तियों को कहते हैं जो अपने साधारण व्यवसाय के रूप में लोगों का रूपया जमा करते है तथा उस रुपए को उन लोगों के चेकों का भुगतान करके चुकता करते है जिनके द्वारा खातों में वह रूपया जमा किया जाता है।"

जान पेजेट के अनुसार–"किसी भी व्यक्ति को बैंकर कहा जा सकता है, जब वह

- स्थायी जमा को स्वीकार करे,
- चालू खातों में मुद्रा जमा प्राप्त करे,
- उस पर लिखे गये चेकों का भुगतान करे।
- ग्राहकों से प्राप्त चेकों की राशि एकत्र करे।

पेजेट ने आगे कहा कि एक व्यक्ति अथवा संस्था जिसे बैंक कहा जाता है को केवल इन्हीं कार्यों को ही नहीं करना चाहिए अपितु बैंक वह संस्था है जो अपनी जीविका बैंकिग व्यवसाय के माध्यम से अर्जित करती है।

प्रो. सेयर्स के अनुसार–"बैंक वह संस्था है जिसके ऋण अन्य लोगों के ऋणों के परस्पर भुगतान के लिये विस्तृत रूप में स्वीकार किये जाते हैं।

प्रो. सेयर्स, बैंक की निम्नलिखित विशेषताएँ होती है।

- सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में नकद राशि को बैंक जमा में परिवर्तित करना।
- बैंक जमा को नकद राशि में परिवर्तित करना।
- बैंक जमाराशियों को एक व्यक्ति अथवा निगम से दूसरे व्यक्ति अथवा निगम को हस्तांतरित करना।
- विनिमय बिलों तथा सरकारी बांड के बदले में बैंक जमा–राशियां देना सम्मिलित होता है।

बैंक की परिभाषा बैंकिंग कम्पनी एक्ट आफ इंडिया, 1949 से अधिक स्पष्ट हुई जिसमें यह कहा गया की, " बैंकिंग कम्पनी वह संस्था है जो ऋण देने के लिये अथवा विनियोग करने के लिए जनता से मुद्रा में जमाराशियां स्वीकार करती है, जिन्हें जनता द्वारा मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके तथा चेकों, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके।" जिनकी निम्न लिखित विशेषताएँ होती है।

- एक बैंक व्यापारिक संस्था है ऋणों का व्यवसायी है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है,
- जो व्यक्तियों से जमा राशियां स्वीकार करता है जिन्हें मांगने पर लौटाया जा सके
- चेक, ड्राफ्ट अथवा किसी अन्य प्रकार से और जिन्हें ऋण देने के लिये अथवा विनियोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

6.4 वाणिज्यिक बैंक

वाणिज्यिक बैकं से अभिप्राय उन बैंकों से है जो संयुक्त पूंजी बैंक होते हैं एवं बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं, जिनकी पूंजी अनेक अंशो में विभाजित होती है तथा वह अंश अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा क्रय किए जाते हैं यह बैंक व्यापारियों को ऋण अल्प समय के लिए प्रदान करते हैं क्योंकि जमाकर्ताओं द्वारा अल्प समय के लिए ही रुपये कों जमा के रूप में रखा जाता है जिसे जमाकर्ता की मांग पर उनका पैसा वापस कर दिया जाता है प्रायः भारत में बहुत से वाणिज्यिक बैंक जैसे की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक, इत्यादि बैंक कार्य कर रहे हैं भारत में व्यापारिक बैंकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है।

1–अनुसूचित बैंक

2–गैर अनुसूचित बैंक

6.4.1 अनुसूचित बैंक–

वह बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के अंतर्गत संपन्न होते हैं इस अधिनियम के अनुच्छेद अनुभाग 42 B की अनुसूची 2 के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को शामिल किया गया एक अनुसूचित बैंक का

संबंध भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय लेन–देनों के साथ हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करना होता है भारतीय रिजर्व बैंक से वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति होती है किंतु साथ ही इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित विभिन्न मानकों का भी पालन करना होता है इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ मांगों का निर्धारण किया गया जिनके पूर्ण होने पर ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में चिन्हित किया जाता है।

- इसकी कुल चुकता पूंजी तथा आरक्षित कोष का आकार 5 लाख रुपए या उससे अधिक हो।
- यह रिजर्व बैंक को इस इस बात के लिए अवश्य संतुष्ट करता हो कि उसकी गतिविधियों का स्वरूप ग्राहकों के हितों के विरुद्ध नहीं है।
- इसका स्वरूप एक प्रकार का राज्य सहकारी बैंक होना चाहिए। अथवा
- वाणिज्यिक बैंक कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक परिभाषित एक कंपनी के रूप में होना चाहिए।
- इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई संस्था अथवा भारत के बाहर किसी कानून के अंतर्गत गठित कोई कंपनी अथवा निगम होना चाहिए।

अनुसूचित बैंकों को अपनी मांग एवं समय देयताओं का एक निश्चित भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रूप से नगद कोष में रखना पड़ता है इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपने आर्थिक या वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना होता है अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में हो जाने वाले बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक कुछ सुविधाएं भी प्रदान करता है जैसे कि–

1–बिलों का भुगतान तथा पुर्नकटौती करना

2–प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना

3– समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करना

4– धन स्थानांतरण संबंधी सस्ती सुविधाएँ प्रदान करना

5– संकट के समय उपयुक्त परामर्श एवं सहायता देना

6.4.2 गैर अनुसूचित बैंक–

गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है प्रायः गैर अनुसूचित बैंक छोटे एवं स्थानीय होते हैं जिनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है एवं उनकी चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि ₹5 लाख से कम होती है जिसके कारण इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से सुविधा प्राप्त नहीं होती जो अनुसुचित बैंकों को दी जाती हैं परंतु भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण गैर अनुसूचित बैंकों के लिए भी होता है वह अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा रखते हैं तथा रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर अनुसूचित बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा न्यूनतम AAA की क्रेडिट रेटिंग उन्हें प्राप्त करनी होती है।

6.5 वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

6.5.1 जमा–

वाणिज्यिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य लोगों का जमा स्वीकार करना होता हैं प्रायः बैंक द्वारा सभी लोगों के जमा स्वीकारने के लिए योजनाएँ बनाई जाती है जो कि रकम जमा करने के लिये लोंगों को प्रोत्साहित करते हैं।

1–सावधि जमा/ मियादी जमा–

मियादी जमा का अभिप्राय उस जमा से है जो दीर्घकाल के लिए आमतौर पर एक निश्चित अवधि 46 दिन

से लेकर 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए रखी जाती है मियादी जमा पर ब्याज की दर अन्य जमा से अधिक होती है।

जमा के पश्चात जमाकर्ताओं को एक रसीद प्रदान की जाती है जिस पर कुल जमा, जमा निकालने की तारीख, जमा पर जमाकर्ता कों प्राप्त होने वाली ब्याज दर अंकित होती है जों की अन्य बातें समान होने पर जमाकर्ता को ही मिलती है। अंकित तारीख से पूर्व रुपया निकाला नहीं जा सकता परन्तु आवश्यकता होने पर इसकी जमानत पर रूपया लिया जा सकता है।

2–बचत जमा–

यह जमा प्रायः जमा कर्ताओं द्वारा सप्ताह में दो बार निकाला जा सकता है और वह भी एक सीमा तक यह निश्चित होता है एक समय में कितना रुपए जमा रखा जा सकता है इनके ऊपर ब्याज की दर सावधि जमा की दर से कम होती है।

3–चालू खाता जमा–

इस जमा में जितनी राशि जिस दिन इच्छा हो निकली जा सकती है चाहे वह दिन में कई बार क्यों ना हो क्योंकि बैंक को यह रुपए हर समय तैयार रखना पड़ता है इसलिए इस पर अन्य जमा की अपेक्षा बहुत कम ब्याज दर दिया जाता है।

6.5.2 ऋण देना–

व्यापारिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों को ऋण प्रदान करना है। प्रायः एक बैंक के पास जो धन जमा के रूप में उपलब्ध होता है, उस जमा राशि की एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर शेष धन राशि बैंक द्वारा ग्राहकों को ऋण के रूप में दे दिया जाता है। प्रायः व्यापारिक बैंक ऋण देने के लिये निम्न सामान्य विधियों कों अपनाते है।

6.5.3 ओवर ड्राफ्ट–

ओवर ड्राफ्ट बैंक द्वारा चालू खाते में दिया जाने वाला एक ऋण है जिसमें बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जितनी राशि जमा है उससे अधिक धनराशि ओवर ड्राफ्ट की सीमा तक निकालने की आज्ञा देता है। एक ओवर ड्राफ्ट खाते को एक चालू खाते की तरह ही प्रयोग किया जाता है। ओवर ड्राफ्ट में केवल वास्तविक रूप से प्रयोग हुए ऋण पर ही व्याज लिया जाता है। यदि ओवर ड्राफ्ट सुविधा चालू खाते के माध्यम से प्राप्त की जाती है तो निकासियों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। ओवर ड्राफ्ट की मात्रा को बैंक के कार्यकारी समय के बीच में किसी भी समय घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। यह एक अल्पकालीन तथा अस्थायी व्यवस्था होती है।

6.5.4 नकद साख–

नकद साख प्रणाली के अन्तर्गत बैंक द्वारा ग्राहक को उसकी वर्तमान परिसम्पतियों या अचल परिसम्पतियों के आधार पर ऋण देता है। इस आधार पर जब ऋण दिया जाता है तो बैंक इन परिसम्पत्तियों को अपने पास गिरवी रख लेता है। नकद साख प्रायः वर्तमान परिसम्पतियों के आधार पर दी जाती है जिसे ग्राहक द्वारा एकमुश्त न निकाल कर जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में ऋण निकाल सकता है और निकाले गए ऋण पर ही ब्याज देना पड़ता है।

6.5.5 सशर्तऋण/टर्म ऋण –

यह ऋण वाणिज्यिक बैंक द्वारा ग्राहकों को एक वर्ष या उससे अधिक एक निश्चित अवधि के लिये एक मुश्त दिया जाता है। बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की रकम एकमुश्त जमा कर देता है। यह ऋण प्रायः सुरक्षित होते हैं तथा ये ऋणदाताओं को मध्यकालीन से दीर्घकालीन धन राशि प्रदान करते हैं। बैंक द्वारा ऋण की पूरी राशि पर व्याज लगाया जाता है। ग्राहक द्वारा बैंक को ऋण या तो निहित अवधि पूरी होने पर या किश्तों में वापिस किया जाता है। कभी कभी बैंक द्वारा दिये गए ऋण के उचित प्रयोग को निश्चित करने के लिये, जिस कार्य के लिये ग्राहक को ऋण दिया गया है उसकी प्रगति को देखने के बाद ऋण की राशि किश्तों में दी जाती है।

6.5.6 सरकार को ऋण देना–

वाणिज्यक बैंक केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश करके उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ऋणदाता का कार्य करते हैं जों कि वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिभूतियों में निवेश किसी भी वाणिज्यिक बैंक के पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह वाणिज्यिक बैंक की सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) की आवश्यकता को पूरा करने की योग्यता रखता है।

6.5.6 साख सृजनकर्ता –

व्यापारिक बैंकों द्वारा मौद्रिक संस्था के रूप में मुख्य कार्यों में एक साख निर्माण है। यह कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण देते समय अथवा जमा स्वीकार करने पर स्वतः हो जाता है। बैंक साख का सृजन इसलिये कर सकते हैं क्योंकि मांग जमाराशियां लोगों द्वारा अपने ऋणों को वापिस करने के लिये स्वीकार्य होती है। जब एक बैंक ऋण देता है तो यह नकद उधार नहीं देता बल्कि ग्राहक के नाम पर एक खाता खोल देता है और ऋण की राशि उसके खाते में जमा कर देता है, इस प्रकार ग्राहक को ऋण देकर बैंक ने उसी समय एक नई जमाराशि का सृजन भी कर लिया है जो कि लोगों द्वारा अपने ऋण वापिस करने के लिये स्वीकार की जाती है। क्योंकि बैंक के विरुद्ध ये दावे लोगों द्वारा अपने ऋण वापिस करने के लिये स्वीकार किये जाते हैं, इसलिये यह मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। इस क्रिया में बैंक मुद्रा का सृजन करता है। इस कारण से प्रो. सेयर्स ने बैंकों को मुद्रा का निर्माता कहा है।

6.5.7 काल मनी –

यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्प–काल के लिये ऋण दी गई मुद्रा होती है। यह अवधि सामान्यतः 1 दिन से 14 दिनों तक की होती है। ऐसे ऋण अक्सर अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को ही दिये जाते हैं। निवेश की गई मात्रा तथा प्राप्त ब्याज मुद्रा बाजार में प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

6.6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण

भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह काम करते हैं और मुख्य रूप से अपने निजी लाभ को अधिकतम करने से संबंधित होते हैं। किसी भी सामाजिक उद्देश्य के अभाव में वे अक्सर उन व्यावसायिक इकाइयों को धन देते हैं जिनमें प्रबंधन का हित होता है और इस प्रकार एकाधिकार के विकास और आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के संकेन्द्रण में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं, जबकि समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित होती है क्योंकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र या उद्योग पर्याप्त धन प्राप्त करने में विफल रहते हैं। यह लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि वाणिज्यिक बैंकों को इतनी स्वतंत्रता समाज के समाजवादी स्वरूप की अवधारणा के अनुरूप नहीं थी जो औपचारिक रूप से भारतीय समाज का स्वीकृत लक्ष्य बन गया था। 14 सितंबर, 1967 को योजना आयोग को सौंपी गई औद्योगिक योजना और लाइसेंसिंग नीति पर अपनी रिपोर्ट में हजारी समिति ने इस बिंदु को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया, जब उसने कहा, "जब तक उद्योग और बैंकों का एक ही क्षेत्र में जुड़ा हुआ नियंत्रण नहीं होगा, तब तक ऋण नियोजन करना कठिन होगा।

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अर्थव्यवस्था में सुधार तो हुआ, परन्तु सरकार ने सामाजिक नियंत्रण के पक्ष में निर्णय लिया। हालांकि, आगे चलकर सामाजिक नियंत्रण अधिक सफल नही साबित हुआ। सरकार की यह उम्मीदें कि सामाजिक नियंत्रण प्रणाली बैंकिंग प्रणाली की कमियों को समाप्त कर देगी और भविष्य के लिए बैंकिंग प्रणाली को एक नया उद्देश्य प्रदान करेगी, पूरी तरह से गलत साबित हुईं। यह महसूस करने के बाद कि राष्ट्रीयकरण से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, सरकार ने बैंकिंग प्रणाली के एक बड़े हिस्से को अपने सीधे नियंत्रण में लाने का साहसिक निर्णय लिया।

भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के चौदह वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को बैंक राष्ट्रीयकरण पर अपने संबोधन में, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण की मान्यताओं को शीघ्र साकार करना है।

(i) कुछ लोगों द्वारा नियंत्रण को हटाना,।

(ii) कृषि और लघु उद्योग तथा निर्यात के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना,।

(iii) प्रबंधन को पेशेवर रूप देना,।

(iv) उद्यमियों के एक नए वर्ग को प्रोत्साहित करना,।

(v) बैंक कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण तथा सेवा की शर्तों का प्रावधान करना।

6.6.1 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य–

भारत में वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निम्नलिखित दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे–

(1) विशेष रूप से बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार के व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से जमा को सक्षम बनाना,

(2) अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना।

6.6.2 वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण के कारण–

6.6.2.1 व्यापारिक घरानों का नियंत्रण–

भारत में वाणिज्यिक बैंकों पर बड़े व्यापारिक घरानों का नियंत्रण हमेशा से धन और आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का कारण था। वाणिज्यिक बैंको के राष्ट्रीयकरण होने तक सामान्यतः भारत के सभी प्रमुख बैंकों पर किसी न किसी व्यापारिक घरानों का नियंत्रण होता था, और उनमें से कुछ घरानों का संयुक्त रूप से नियंत्रण होता था। जिसे महालनोबिस समिति (भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण) और विवान बोस आयोग दोनों ने बैंकों और बड़े व्यवसायों के बीच सांठगांठ को स्पष्ट किया था। बैंकों के निदेशकों के अक्सर बड़े व्यापारिक घरानों की कई कंपनियों के साथ घनिष्ठ संबंध होते थे और वे अपने पदों का इस्तेमाल उन कंपनियों को पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते थे जिनमें उनकी रुचि होती थी।

6.6.2.2 कृषि क्षेत्र में ऋण आवंटन की कमी –

भारत में राष्ट्रीयकरण से पहले, वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति अत्यधिक भेदभावपूर्ण थी। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण आवंटन को हमेशा इस आधार पर खारिज कर दिया जाता था कि कृषि ऋण उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उनका छोटे कर्जदारों के प्रति विरोधी रवैया स्पष्ट था, और वे आम तौर पर ऋण आवंटन के संबंध में छोटे उद्योगपतियों की अनदेखी करते थे। वाणिज्यिक बैंकों ने विभिन्न उद्योगों को ऋण देते समय योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं का भी उल्लंघन किया। विभिन्न उद्योग जो प्राथमिकता सूची में नहीं होते थे, उन्हें बड़ी धनराशि मिल जाती थी, जबकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण एवं सरकारी संसाधन नहीं प्राप्त कर पाते थे।

6.6.2.3 अवांछनीय कारकों में वृद्धि–

भारत में वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने तक वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति ने कुछ सामाजिक रूप से अवांछनीय कारकों को बढ़ावा दिया, जैसे– जमाखोरी, कालाबाजारी, आदि। जमाखोरों और कालाबाजारियों जैसे जनविरोधी तत्वों कों बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हों जाता था।

6.6.2.4 वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में रूचि न होना–

भारत में राष्ट्रीयकरण से पहले, वाणिज्यिक बैंकों ने अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय खोलने में कोई रूचि नहीं दिखाई। विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शहरों में अधिक से अधिक शाखाएँ स्थापित की गई, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग सुविधाओं का संकेन्द्रण हुआ और तत्कालीन वाणिज्यिक बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा में कमी आई थी। जों की ग्रामीण इलाकों में शाखाएँ खोलने में निवेशकों की कमी का मुख्य कारण लाभ की कमी थी। जिससे की वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस समस्या का एकमात्र समाधान रह गया था।

6.7 भारत में बैंकिंग संरचना

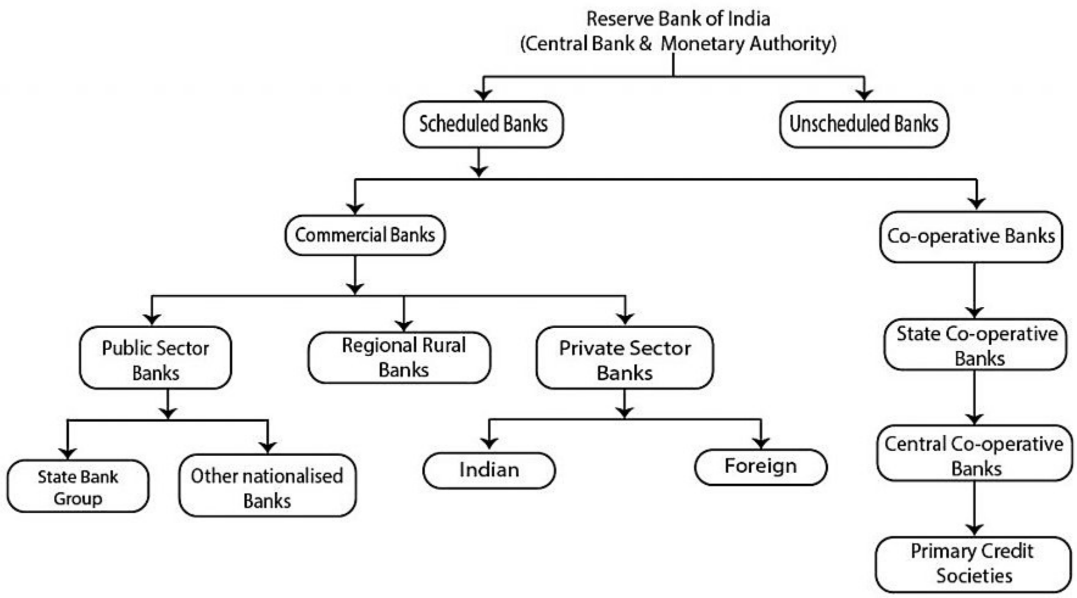

भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 21 निजी क्षेत्र के बैंक और 45 विदेशी बैंक शामिल हैं। मार्च 2022 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 84,256 थी और निजी क्षेत्र के बैंकों की 37,872 थी। जबकि विदेशी बैंकों की संख्या 45 थी, मार्च 2022 के अंत तक देश में उनकी केवल 861 शाखाएँ कार्यरत थीं। मार्च 2022 के अंत तक 21,892 शाखाओं वाले 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,5.677 शाखाओं वाले 12 लघु वित्त बैंक और छह भुगतान बैंक हैं।

हाल ही में कुछ नरमी के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास अभी भी वाणिज्यिक बैंकों की समेकित बैलेंस शीट में सबसे बड़ा हिस्सा है। मार्च 2022 के अंत तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल बकाया जमाओं में उनका हिस्सा 62 प्रतिशत और कुल ऋण और अग्रिमों में 58 प्रतिशत था।

6.7.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

6.7.1 भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। इसके 92 प्रतिशत शेयर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिग्रहित किए गए और इस प्रकार देश का पहला राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक बना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना को निर्देशित करने वाले कारकों में से मुख्य विचार यह था कि देश में राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध एक राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक होना चाहिए जिसके द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग को आगे बढ़ाया जा सके। वाणिज्यिक बैंक के पारंपरिक कार्यों के अलावा वह विकास एजेंसी के रूप में भी कार्य कर सके।

6.7.2 भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप

स्टेट बैंक समूह के निर्माण के लिए वर्ष 1959 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को मिलाकर स्टेट बैंक समूह का गठन किया गया जिसे 1 अप्रैल, 2017 को सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। साथ ही भारतीय महिला बैंक का भी भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। इन विलय के साथ, भारतीय स्टेट बैंक संपत्ति के मामले में वैश्विक रूप से शीर्ष 50 बैंकों की श्रेणी में

शामिल हो गया। विलय किए गए इकाई की समेकित बैलेंस शीट लगभग 32 लाख करोड़ रुपये, जमा आधार 26 लाख करोड़ से अधिक और अग्रिम स्तर लगभग 18–75 लाख करोड़ रुपये हो गया। विलय से देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या लगभग 24,000 और एटीएम की संख्या लगभग 59,000 हो गई।

6.7.3 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक–

भारत में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात शाखा नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। 15 अप्रैल, 1980 को 6 और निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। छह और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ, पूरे बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर केवल 9 प्रतिशत रह गई। जैसा कि सरकार ने कहा है, इसका उद्देश्य "अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को नियंत्रित करना, अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर पूरा करना और बेहतर ढंग से पूरा करना तथा राज्य की नीति के अनुरूप लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना था।भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगियों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 19 हों गई थी। अक्टूबर 2004 में आई.डी.बी.आई. को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड में बदल दिया गया, जिससे स्टेट बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई।

विजया बैंक और देना बैंक का 1 अप्रैल, 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्था और परिणामी तालमेल का लाभ उठाया जा सके। 1 अप्रैल, 2020 से 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 संस्थाओं में विलय कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया, जिससे देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बन गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय कर देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाया गया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है, जिससे देश का पांचवां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया।

वर्तमान में, भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, 11अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। वे हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया।

6.7.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक–

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामक एक नए प्रकार की बैंकिंग संस्था की कल्पना ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या को हल करने के उद्देश्य से की गई जिसमें वाणिज्यिक बहुत कुछ नहीं कर सका। क्योकिं ग्रामीण इलाकों में साहूकारों की पकड़ मजबूत बनी रही और ग्रामीण ऋणग्रस्तता व्यापक रूप से बनी रही। जिसके लिए ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह एम. नरसिम्हम समिति की अध्यक्षता में (अध्यक्ष– एम. नरसिम्हम) ने ग्रामीण ऋण के लिए बहु–एजेंसी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश की जिसमें प्रमुख 14 बैंकों की स्थापना 1976 के एक अधिनियम के तहत की गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाता है जो इसकी शेयर पूंजी हिस्सा रखता है। प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में भी सहायता देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हालांकि एक या दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सहायक कंपनी के रूप में काम करते हैं, स्वामित्व के मामले में मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कमजोर वर्गों, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 30 जून, 2006 तक देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, जिनकी 14,500 शाखाओं का नेटवर्क था।

भारत में चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक नवाचार था, इसलिए इसकी व्यवहार्यता संदेह के घेरे में थी। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण ने माना कि "औसतन एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को व्यवहार्य बनने के लिए लगभग छह साल और 70 शाखाओं के नेटवर्क की आवश्यकता होगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि यह करोड़ों के बकाया ऋण कारोबार के स्तर तक पहुँच जाए और इसके उधार लेने और देने के बीच लगभग 5 प्रतिशत का मार्जिन भी हो। पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भारी घाटा उठाया और उनके बैंकों की वसूली की स्थिति खराब रही। तदनुसार, सरकार ने उन्हें गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी ऋण

देने की अनुमति दी। इससे इन बैंकों को अपने वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिली है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समेकन और सम्मिल्लित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। सम्मिलित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल, 2020 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या घटकर 43 हो गई है।

6.7.5 लघु वित्त बैंक–

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) की स्थापना 2016 में अनुकूलित जमा उत्पादों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और प्रौद्योगिकी आधारित कम लागत वाले परिचालनों के माध्यम से लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। मार्च 2022 के अंत में, देश भर में 5,677 घरेलू शाखाओं वाले 12 लघु वित्त बैंक चालू थे, जिनमें शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल हैं जिन्हें 2021–22 में लाइसेंस दिया गया था। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में लगातार तीन वर्षों तक गिरावट के बाद 2021–22 के दौरान लघु वित्त बैंक के कुल ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

6.7.6 विदेशी बैंक–

भारत सरकार द्वारा विदेशी बैंकों को स्थापित करने का उद्देश्य था की विदेशी बैंक घरेलू बैंकों के साथ बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। विदेशी बैंकों को अब शाखाएँ खोलने में घरेलू बैंकों के समान ही स्वतंत्रता होगी, यदि वे स्थानीय स्तर पर निगमित होने का विकल्प चुनते हैं, तो विदेशी बैंकों को 500 करोड़ रुपये के पूंजी आधार की आवश्यकता होगी। बैंक का आधा हिस्सा भारतीय मूल का होना चाहिए और कम से कम आधे भारतीय नागरिक होने चाहिए। विदेशी बैंकों को किसानों और लघु उद्योगों को भी ऋण देना होगा और उन्हें सीईओ के मुआवजे पर भी उन्हीं प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, जो भारतीय निजी बैंकों पर लागू होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि उसे लगता है कि उसके अपने देश के नियमों के अनुसार बैंक को स्वदेश में जमाकर्ताओं के पक्ष में होना चाहिए, न कि विदेश में जमाकर्ताओं के पक्ष में, तो वह कुछ विदेशी बैंकों को स्थानीय स्तर पर निगमित करने के लिए बाध्य कर सकता है। भारत में बैंकिंग परिसंपत्तियों में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले विदेशी बैंकों को भी स्थानीय इकाई में वापस जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उन बैंकों के लिए घरेलू निगमन अनिवार्य किया जा सकता है, जिनके अपने गृह क्षेत्राधिकार में पर्याप्त समापन आवश्यकता नहीं है, या जिनकी संरचना जटिल है या जो बहुत निकट स्वामित्व वाले हैं। भारत ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को किसी भी निजी रिश्तेदार के साथ विलय और अधिग्रहण लेनदेन में प्रवेश करने की अनुमति दी है, जो कुल विदेशी निवेश सीमा 14 प्रतिशत के अधीन है। सहायक कंपनियां बनाने वाले विदेशी बैंकों को स्थानीय बैंकों का अधिग्रहण करने की अनुमति दी गई है।

आरबीआई ने कहा है कि वह विदेशी बैंकों की नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के प्रवेश पर तब सीमा लगा देगा, जब भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी और परिसंपत्तियां बैंकिंग प्रणाली की पूंजी और भंडार के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाएंगी।

भारत में मार्च 2022के अंत में, देश में 45विदेशी बैंक थे, जिनकी 861शाखाएँ मुख्य रूप से बड़े शहरों में स्थित थीं। इनमें से अधिकांश बैंक इस देश में लंबे समय से काम कर रहे हैं। वास्तव में, देश में उनकी स्थिति इस देश के अधिकांश प्रमुख अनुसूचित बैंकों की तुलना में भी अधिक पुरानी है। विदेशी व्यापार के वित्तपोषण के अलावा, इन बैंकों ने देश में बैंकिंग आदतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्योंकि उन्होंने एक वाणिज्यिक बैंक के सभी कार्य किए हैं, जिसमें विदेशी व्यापार के वित्तपोषण में जमा स्वीकार करना और व्यापार और वाणिज्य के लिए धन उधार देना शामिल है, विदेशी बैंकों का लंबे समय तक आभासी एकाधिकार था।

6.7.7 निजी क्षेत्र के बैंक–

बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक हाल के समय में निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने को प्रोत्साहित कर रहा है। निजी क्षेत्र में बैंकों की कुल संख्या 21 है। वे निम्नलिखित हैं।

एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड,एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर बैंक, दक्कन कर्नाटक बैंक, एल. वैश्य बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यस बैंक इत्यादि की शाखाएँ मार्च 2022के अंत तक, उनकी 37,872शाखाएँ थीं।

6.8 सारांश

भारत में बैंकिंग व्यवस्था का आरम्भ देशी बैंकिग व्यवस्था से हुआ जों कि अपनी कार्यकारी पूंजी लगाकर संयुक्त पूँजी बैंक जों की भारतीय जनता से जमा स्वीकार करते थे और सभी प्रकार की प्रतिभूतियों अर्थात स्वर्ण, हीरा, जवाहरात, भूमि, हुंडी आदि के बदले उधार देते थे तथा हुंडियों या अन्य जमाओं के बदले क्रय विक्रय पर बट्टा भी काटते थे समय के साथ साथ देसी बैंकिंग व्यवस्था में कुछ दोषों जैसे की देसी बैंकों द्वारा देसी भाषा प्रणालियों में खाते का हिसाब रखा जाता था तथा रसीद नहीं दी जाती। अल्पकालीन व दीर्घकालीन वित्त पर अंतर नहीं कर पाते थे ऋण के बदले में अधिक से अधिक ब्याज वसूलते थे जिसके कारण ऋणों का पुर्नभुगतान नहीं होता था जिसके परिणामस्वरूप एक समय बाद भारत में संगठित बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ हुआ जिसने देसी बैंकिंग व्यवस्था को बाहर कर दिया।

6.9 बोध प्रश्न

1. वाणिज्यिक बैंकों से आप क्या समझते हैं?
2. वाणिज्यिक बैंकों के अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए।
3. अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंक की व्याख्या कीजिए।
4. वाणिज्यिक बैंकों के कार्यो का वर्णन कीजिए।
5. बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं?
6. वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारणों पर प्रकाश डालिए।
7. भारत में बैंकिंग संरचना की व्याख्या कीजिए।
8. लघु वित्त बैंकों की स्थापना पर प्रकाश डालें।
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्यों प्रारम्भ किया गया।
10. भारतीय स्टेट बैंक के संक्षिप्त इतिहास व महत्व पर प्रकाश डालिए।

6.10 संदर्भ पुस्तकें

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एवं पूरी
2. भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, प्रोफेसर एस. एन. लाल, एस.के. लाल
3. भारतीय अर्थव्यवस्था ,दत्त एवं सुंदरम
4. उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र, डॉ. एच एल आहूजा
5. मुद्रा बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डॉ .जे.पी. मिश्रा
6. एस.बी. गुप्ता, मौद्रिक सिद्धान्त
7. आर. आर. पाल, मौद्रिक अर्थशास्त्र
8. भोले, एल.एम., वित्तीय संस्थान और बाजार, टाटा मैकग्रा हिल कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।

9. भोले, एल.एम., भारतीय वित्तीय प्रणाली, चुघ प्रकाशन, इलाहाबाद,

10. एडमिन्स्टर, आर.ओ., वित्तीय संस्थान, बाजार और प्रबंधन, मैकग्रॉ हिल, न्यूयॉर्क।

11. गोल्डस्मिथ, आर.डब्ल्यू., वित्तीय संरचना और विकास, येल, लंदन।

12. हैन्सन, जे.ए., और एस. कथूरिया, भारत : इक्कीसवीं सदी के लिए एक वित्तीय क्षेत्र, ऑक्सफो यूनिवर्सिटी प्रेस,

13. हार्कर, पी.टी. और एस.ए. जेनिओस, वित्तीय संस्थानों का प्रदर्शन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्री कैम्ब्रिज।

14. जॉनसन, एच.जे., वित्तीय संस्थान और बाजार, मैकग्रॉ हिल, न्यूयॉर्क।

15. खान, एम.वाई., भारतीय वित्तीय प्रणाली, टाटा मैक्ग्रा हिल, नई दिल्ली,

इकाई—7

सहकारी बैंक एवं नाबार्ड निष्पादन एवं नीतियाँ

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 सहकारी बैंक का आशय

7.3 सहकारी बैंकों का उद्देश्य

7.4 सहकारी बैंक की विशेषताएँ

7.5 सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर

7.6 सहकारी बैंकों का महत्त्व

7.7 सहकारी बैंक की संरचना

7.8 सहकारी बैंकों की समस्याएँ

7.9 सहकारी बैंकों में सुधार के सुझाव

7.10 नाबार्ड की स्थापना

7.11 नाबार्ड का उद्देश्य

7.12 नाबार्ड के कार्य

7.13 नाबार्ड बैंक का महत्व

7.14 नाबार्ड के कार्य निष्पादन एवं नीतियाँ

7.15 नाबार्ड की चुनौतियाँ

7.16 सारांश

7.17 बोध प्रश्न

7.18 उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

7.0 उद्देश्य

1. इस इकाई के अध्ययन के उपरांत हम सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक में अंतर को जानेंगें।
2. इस इकाई के अध्ययन के उपरांत बैंकों के महत्व को समझेंगें।
3. इस इकाई में हम सहकारी बैंकों की संरचना को जानेंगें।
4. इस इकाई के अध्ययन के बाद सहकारी बैंकों की समस्याओं एवं सुधारो की जानकारी प्राप्त करेंगें।
5. इस इकाई के अध्ययन के बाद नाबार्ड की स्थापना, उद्देश्य और नाबार्ड के विभिन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त होगी।
6. इस इकाई के अध्ययन के बाद नाबार्ड के महत्व तथा कार्य निष्पादन,नीतियों और चुनौतियों की जानकारी प्राप्त होगी।

7.1 प्रस्तावना

किसी भी देश का विकास वहां निवास कर रहे व्यक्तियों के विकास पर निर्भर करता है। आज विश्व में जितनी भी सहकारी संस्थाए कार्य कर रही हैं उनके प्रमुख सिद्धांतों में सदस्यों का आर्थिक विकास पहले स्थान पर है। भारत में भी सहकारी बैंक अनेकों व्यक्तियों के लिये वित्तीय स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं।जों सम्पूर्ण भारत में सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और कृषि एवं कृषि–आधारित कार्यों में लगे व्यक्तियों के लिये आवश्यकता–आधारित वित्त प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

7.2 सहकारी बैंक

सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक सामान्यतः पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ जैसे– ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। भारत में सहकारी बैंकिंग का प्रारम्भ वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के बाद हुआ। सहकारी बैंकिंग के प्रारम्भ का मुख्य उद्देश्य किसानों, कारीगरों और समाज के अन्य वर्ग के लोगों के विकास में मदद करने हेतु बचत को प्रोत्साहन देना था। इनके लिए सहकारी ऋण समितियों की स्थापना करना था। स्वतंत्रता पश्चात प्रारम्भ में 3 वर्षों के दौरान यानी वर्ष 1949 तक सहकारी बैंकिंग में कोई सफलता नहीं मिली परन्तु शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में देश के सहकारी ढाँचे को मजबूत करने हेतु अलग–अलग प्रावधान किये गए। छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना ने देश के सहकारी ढाँचे के विस्तार और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

7.3 सहकारी बैंकों का उद्देश्य

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण वित्तपोषण और सूक्ष्म वित्तपोषण का प्रबन्ध करना।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त करना।
3. देश के किसानों और गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
5. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु उद्योग और स्व–रोजगार गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।

7.4 सहकारी बैंक की विशेषताएँ

सहकारी बैंक सदस्यों का समूह होता हैं जो बैंक के शेयरधारक और ग्राहक दोनों होते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है की ग्राहक ही इन बैंकों के मालिक होते हैं।

a. सहकारी बैंकों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका उद्देश्य अपने हितधारकों का सहयोग करना होता है।

b. सहकारी बैंक निर्णय लेने की प्रक्रिया में "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और सहयोग, स्वयं सहायता और 'ना लाभ और ना हानि' के आधार पर प्रबंधित किए जाते हैं।

c. सहकारी बैंक उधार देने के साथ–साथ जमाएँ भी स्वीकार करते हैं।

d. सहकारी बैंक बैंकिंग सेवाओं से वंचित और अपर्याप्त बैंकिंग सेवाओं वाले वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं तथा वित्तीय समावेशन के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।

e. सहकारी बैंक के उधारकर्ता सदस्य सहकारी बैंक के शेयर धारक होते हैं, इसलिये बैंक की ऋण वापसी की सम्भवनायें अधिक होती है।

f. सहकारी बैंक छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देते हैं।

g. सहकारी बैंक आर्थिक मंदी के प्रति अधिक लचीले होते हैं, क्योंकि ये उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों से बचते हैं, जैसा कि वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय मंदी के दौरान सहकारी बैंको द्वारा प्रदर्शित किया गया था।

7.5 सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर

i. वाणिज्यिक बैंक संयुक्त पूँजी बैंक होते हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किये जाते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ–साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत आते हैं।वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के अधीन हैं। जबकि सहकारी बैंक सहकारी समितियाँ अधिनियम 1904 के तहत स्थापित हुई।

ii. सहकारी बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन हैं। सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कई तरह की बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती है।

iii. भारत में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएँ सहकारी बैंकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है।

iv. सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक रहती है।

v. सहकारी बैंक उनके संगठन, उद्देश्यों, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं।

vi. सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक–से–अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है।

vii. सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं।

7.6 सहकारी बैंकों का महत्त्व

7.6.1.सुलभ ऋणदाता –

भारत में सहकारी बैंकों ने ग्रामीण एवं शहरी लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सहकारी बैंकों ने ग्रामीणों को पारंपरिक ऋण स्रोतों का एक बेहतर विकल्प प्रदान कर कम पढ़े–लिखे लोगों को परंपरागत उधारदाताओं साहूकारों एवं बिचौलियों के चंगुल से बचाया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में बेहतर प्रदर्शन किया है। जों देश में परंपरागत उधारदाताओं ने दशकों से अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है और ऋण पर ब्याज की ऊँची दर लगाकर वे आज भी गरीब लोगों का शोषण करते आ रहे हैं।

7.6.2.वित्तीय समावेशन

सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्यों को अच्छी सेवाएँ देना होता है।साथ ही समाज के उन वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करना जिनके पास बैंकों में खाता नहीं है या जिनके पास कम बैंकिंग सुविधाएँ हैं इस प्रकार सहकारी बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7.6.3 बचत को बढ़ावा देना

सहकारी बैंकों ने किसानों एवं मजदूरों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को भी प्रोत्साहित किया है।साथ ही ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप जमा खाते प्रदान करके बचत की आदतों को प्रोत्साहित किया हैं।

7.6.4.स्थानीय विकास

सहकारी बैंक स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हुए विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराकर स्थानीय विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7.6.5.ग्रामीण विकास

सहकारी बैंकों की अधिकांश शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जो किसानों, छोटे व्यवसायियों और निम्न–आय वाले लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

7.6.6. वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना

ये बैंक प्राय: वित्तीय साक्षरता शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों को वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जाता है।बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों तक संस्थागत ऋण की आसान पहुँच को सक्षम करके, भारत में सहकारी बैंक देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका छोटे उद्योगों, स्वरोजगार और उन व्यवसायों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण बनी हुई है जो बड़े बैंकों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। देश के बदलते आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य के साथ, इन बैंकों में अधिक ग्रामीण और शहरी समुदायों को सशक्त बनाने की क्षमता है, जो समावेशी विकास और आर्थिक विकास के भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा।

7.7 सहकारी बैंक की संरचना

भारत में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को प्रायः अल्पावधि तथा दीर्घावधि संरचनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

7.7.1 अल्पावधि संरचना–

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर, त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। इनका कार्य क्षेत्र ग्रामीण स्तर पर किया जाता है। दूसरे स्तर पर जिला स्तर पर संगठित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र जिला स्तर पर होता हैं। तीसरे और सबसे ऊपरी स्तर पर राज्य स्तर पर संगठित राज्य सहकारी बैंक जों राज्य स्तर पर कार्य करता हैं। जहां तक गांव स्तरीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां का संबंध है, इसका गठन कोई भी दस या दस से अधिक व्यक्तियों का समूह कर सकता हैं। ये समितियां आमतौर पर केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण देती हैं। ऐसे ऋण देते समय व्यक्ति द्वारा ऋण चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को जरूरत के समय ऋण देना है ताकि वे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बदले में, राज्य सहकारी बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को ऋण देता है ताकि ग्राम स्तर की प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को ऋण प्रदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके। यह जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के कामकाज का समन्वय और विनियमन भी करता है। यह एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक और मुद्रा बाजार के बीच और दूसरी ओर सहकारी ढांचे के निचले स्तरों के बीच कड़ी भी प्रदान करता है।

शहरी सहकारी बैंक–

शहरी सहकारी बैंक शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जों मुख्य रूप से छोटे उधारकर्ताओं और व्यवसायियों को ऋण उनकी ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर देते हैं।

ग्रामीण सहकारी बैंक–

ग्रामीण सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

7.7.2 दीर्घकालिक संरचना–

ये मध्यम और दीर्घकालिक निधि आवश्यकताओं (1–5 वर्ष–25 वर्ष) को पूरा करने के लिए ऋण देते हैं, जैसे कि भूमि विकास, पंप खरीद आदि के लिए। उनके पास एक 2–स्तरीय सेटअप है।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक–

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक–

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।

अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं के अतिरिक्त, किसानों को दीर्घकालिक ऋण की भी आवश्यकता होती है (i) भूमि में स्थायी सुधार करना (उदाहरण के लिए, बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना, कुएँ या ट्यूबवेल खोदना आदि), (ii) कृषि उपकरण खरीदना, और (iii) पुराने ऋणों को चुकाना। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दीर्घकालिक ऋण सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। ये दो स्तरों पर संगठित हैं। ये राज्य दर राज्य अलग–अलग होते हैं और इन्हें चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है (1) एकात्मक संरचना जिसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से राज्य स्तर पर काम करते हैं और व्यक्तियों का सीधा सदस्य होते हैं: (2) संघीय संरचना जिसमें प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करते हैं और राज्य स्तर पर एससीएआरडीबी में खुद को संबद्ध करते हैं, संघीय प्रकार एक या दूसरे रूप में संचालित होते हैं, और एकीकृत संरचना जिसमें कोई अलग से ग्रामीण विकास बैंक मौजूद नहीं होते हैं और दीर्घकालिक व्यवसाय संबंधित के दीर्घकालिक खंड द्वारा किया जाता है। भारत में ग्रामीण ऋण सहकारी संरचना एक विशाल संस्थागत संरचना है जिसमें जमीनी स्तर पर 34 एस.आई.सी. 351 डीसीसीबी और 1,02,559 पी.ए.सी.एस. शामिल हैं।

7.8 सहकारी बैंकों की समस्याएँ–

1. सहकारी बैंकिंग अपने लंबे समय के कार्यकाल के बावजूद देश में किसानों का विश्वास जीतने में असफल रही है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों द्वारा लिये जाने वाले ऋण का कुछ ही भाग सहकारी बैंकों से लिया जाता है।
2. छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है।
3. किसानों द्वारा समय पर ऋण ना चुकाना एक बड़ी समस्या है।
4. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सदस्यता मात्र 45 प्रतिशत ही है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के 55 प्रतिशत लोग अब तक सहकारिता से जुड़ ही नहीं पाए हैं। वर्ष 1972 में गठित बैंकिंग आयोग ने इसके लिये निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार बताया था:
5. ऋण प्राप्त हेतु निश्चित सुरक्षा प्रदान करने में लोगों की अक्षमता।
6. भूमि रिकॉर्ड का कुप्रबंधन।
7. निर्धारित क्रेडिट सीमा की अपर्याप्तता।
8. ऋण चुकाने में सदस्य की अयोग्यता।
9. देश के कुछ सहकारी बैंक निष्क्रिय हो गए हैं और कुछ तो सिर्फ कागजों पर ही हैं।
10. अधिकतर सहकारी बैंक पेशेवर प्रबंधन की कमी का भी सामना कर रहे हैं।
11. एक अन्य महत्त्वपूर्ण समस्या सहकारी बैंकों पर नियंत्रण के द्वन्द से उत्पन्न होती है, क्योंकि इनका

नियमन और नियंत्रण तो RBI द्वारा किया जाता है परंतु इसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

7.9 सहकारी बैंकों में सुधार के सुझाव

सहकारी बैंकिंग प्रणाली में व्यवसायिक प्रशासन की कमी एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण विषय है, जिससे जल्द–से–जल्द निपटना आवश्यक है।

1. सहकारी बैंकिंग प्रणाली में जाँचकर्ताओं को और अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ जाँचकर्ताओं और जाँच संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद भी सहकारी बैंकों में घोटाले किये गए।
2. सहकारी बैंकों पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिये।
3. बैंकों को बंद करने और उन्हें तरलता प्रदान करने जैसे निर्णय लेने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
4. यदि शहरी सहकारी बैंक स्वेच्छा से छोटे वित्त बैंकों में बदलना चाहते हैं और साथ ही वे केंद्रीय बैंक के सभी मानदंडों को भी पूरा करते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिये।

7.10 नाबार्ड की स्थापना

भारत सरकार के विशेष आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1979 में योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री बी. शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट (1979) में ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से एक नए संगठनात्मक उपकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया ।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम,1981 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की स्थापना हुई। आरंभिक चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये थी, जिसमें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का 50:50 का योगदान था। नाबार्ड के गठन से पहले भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष निकाय था। नाबार्ड की स्थापना के परिणामस्वरूप नाबार्ड भारत में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान बन गया ।

नाबार्ड मूलरूप से कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का ही विस्तार है। जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 3 संस्थानों (1) कृषि ऋण विभाग (ए.सी.डी.), (2) ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (आर.पी.सी.सी.), (3) और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (ए.आर.डी.सी.) के कार्यों को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया।

कृषि ऋण विभाग– आरबीआई ने अपने कृषि ऋण विभाग के माध्यम से सहकारी समितियों को अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान किया ।

ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ– यह वर्ष 1979 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ काम कर रहा था

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम– आरबीआई ने कृषि विकास के लिए निवेश ऋण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए मध्यम अवधि और दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान करने में पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए वर्ष 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम (एआरसी) की स्थापना की। वर्ष 1975 में, कृषि क्षेत्र के वित्त, विकास और संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एआरसी का नाम बदलकर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) कर दिया गया।

7.11 नाबार्ड का उद्देश्य

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. **कृषि और ग्रामीण विकास का प्रोत्साहन**– नाबार्ड का उद्देश्य ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करके, संस्थागत विकास को बढ़ावा देना और विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करके कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास में लगातार वृद्धि करना है।
2. **कृषि क्षेत्र का ऋणदाता**– नाबार्ड बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, एवं अन्य वित्तीय संस्थाओ के माध्यम से कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराता है। और कृषि और ग्रामीण विकास की नीतियों एवं योजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है।
3. **संस्थागत विकास**– नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय संस्थानों सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों की कार्यकुशलता और नीतियों के क्रियान्वयन को विकसित करने के लिए प्रयासरत है, जिससे की वित्तीय कामकाज को बेहतर बनाने के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी को आसानी से अपनाया जा सके।
4. **ग्रामीण अवसंरचना का विकास**– नाबार्ड कृषि क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण बाजारों और अन्य कृषि अवसंरचना सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण अवसंरचना के विकास में सहयोग करता है। जिससे की किसानों और ग्रामीण मजदूरों के लिए बाजारों तक पहुँच स्थापित करके उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकें।
5. **सतत कृषि को प्रोत्साहन**– नाबार्ड बैंक कृषि उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता बढ़ाने के लिए सतत कृषि उत्पादन पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। यह जैविक खेती, जलसंग्रहण प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान एवं विकास से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
6. **रोजगार सृजन एवं नवाचार**– राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्थिक विविधीकरण और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण स्टार्टअप्स, कृषि–व्यवसायों और ग्रामीण मजदूरों एवं कारीगरों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करता है।
7. **वित्तीय समावेशन**– नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। यह छोटे किसानों, ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाएँ, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

7.12 नाबार्ड के कार्य

नाबार्ड की विभिन्न भूमिकाएँ और कार्य नीचे दिए गए हैं:

- **ऋण कार्य**– नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं का प्रमुख प्रदाता है। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की व्यवस्था, नियंत्रण और निगरानी करता है।
- **विकास गतिविधियाँ**– राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य सतत कृषि के सृजन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह विकासात्मक कार्य भी करता है, जिसमें ग्रामीण बैंकों को विकासात्मक गतिविधियों हेतु कार्य योजनाएँ बनाने में सहायता करना शामिल है।
- **वित्तीय लेनदेन**– नाबार्ड के कई ग्राहक बैंक और संस्थाएँ हैं जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं में सहायता और समर्थन करती हैं। वित्तीय कार्यों के माध्यम से, नाबार्ड विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जैसे हस्तशिल्प उद्यमों, खाद्य पार्कों, प्रसंस्करण इकाइयों, कारीगरों और अन्य को ऋण प्रदान करता है।

- नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्य उन्मुख विभागों के माध्यम से एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, जिन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैरू वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षण ।
- यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।
- यह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योग को मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए जिला स्तरीय ऋण योजनाएं तैयार करता है।
- यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पर्यवेक्षण करता है और उन्हें सुदृढ़ बैंकिंग पद्धतियां विकसित करने तथा उन्हें सीबीएस (कोर बैंकिंग समाधान) प्लेटफॉर्म से एकीकृत करने में सहायता करता है ।
- कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) शाखाओं की नेटवर्किंग है , जो ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने और सीबीएस नेटवर्क पर बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, चाहे उनका खाता कहीं भी हो।
- ग्राहक अब शाखा का ग्राहक नहीं रह जाता। वह बैंक का ग्राहक बन जाता है।
- यह केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में शामिल है।
- यह हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और इन वस्तुओं को बेचने के लिए विपणन मंच विकसित करने में उनकी सहायता करता है।
- नाबार्ड के पास अग्रणी वैश्विक संगठनों और विश्व बैंक से संबद्ध संस्थानों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां हैं जो ग्रामीण विकास के साथ–साथ कृषि के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं।
- ये अंतर्राष्ट्रीय साझेदार ग्रामीण लोगों के उत्थान के साथ–साथ विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करने में प्रमुख परामर्शदाता की भूमिका निभाते हैं।

7.13 नाबार्ड बैंक का महत्व

- नाबार्ड की स्थापना से कृषि एवं ग्रामीण वित्तपोषण को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है। नाबार्ड के विकासात्मक और पर्यवेक्षी कार्यों ने ग्रामीण आबादी के बीच कुशल बैंकिंग और वाणिज्यिक प्रथाओं की स्थापना में मदद की।
- जिला स्तर पर ऋण कार्यक्रम बनाना और ग्रामीण बैंकिंग उद्योग को उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- नाबार्ड की स्वयं सहायता समूह एस.एच.जी. लिंकेज पहल दुनिया में सबसे चर्चित माइक्रोफाइनेंस परियोजनाओं में से एक बन गई है।
- देश के किसी भी क्षेत्र के किसान नाबार्ड द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ उठा सकते हैं।
- स्थानीय कारीगरों को स्वदेशी हस्तशिल्प के विकास और संवर्धन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्र को आवश्यक अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पुनर्वित्त समाधान उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करना।
- नाबार्ड एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। यह कृषि और ग्रामीण

विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।

- ➢ यह लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और अन्य गांव या ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है।

नाबार्ड में संशोधन–

- ❖ नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017–2018 में पारित हुआ। इस अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 5,000करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये करने में सक्षम बनाया गया।
- ❖ नाबार्ड की पूंजी में वृद्धि 1981 के अधिनियम के तहत, नाबार्ड की पूंजी 100 करोड़ रुपये हो सकती है। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से इस पूंजी को 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है।
- ❖ विधेयक केन्द्र सरकार को इस पूंजी को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये करने की अनुमति देता है।
- ❖ आरबीआई के हिस्से का केंद्र सरकार को हस्तांतरण 1951 के अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार और आरबीआई को संयुक्त रूप से नाबार्ड की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर पूंजी रखनी होगी।
- ❖ विधेयक में प्रावधान है कि अकेले केंद्र सरकार के पास नाबार्ड की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर पूंजी होनी चाहिए।
- ❖ यह विधेयक आरबीआई द्वारा धारित 20 करोड़ रुपये मूल्य की शेयर पूंजी को केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करता है।
- ❖ केंद्र सरकार आरबीआई को बराबर राशि देगी।
- ❖ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई): 1981 के अधिनियम के तहत, नाबार्ड मशीनरी और संयंत्र में 20 लाख रुपये तक का निवेश करने वाले उद्योगों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था।
- ❖ विधेयक में इसे विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्यमों पर लागू किया गया है।
- ❖ 1981 के अधिनियम के तहत, लघु उद्योगों के विशेषज्ञों को नाबार्ड के निदेशक मंडल और सलाहकार परिषद में सम्मिलित किया गया है।
- ❖ इसके अलावा, लघु, अति लघु और विकेन्द्रित क्षेत्र के उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाले बैंक भी नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
- ❖ विधेयक इन प्रावधानों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तक विस्तारित करता है।

नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तर–

- ➢ भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जिसके पास बैंकिंग उद्योग को विनियमित करने और विभिन्न संस्थानों/बैंकों की निगरानी करने का एकमात्र अधिकार है, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित नाबार्ड भी शामिल है ।
- ➢ नाबार्ड सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा नई शाखाएं खोलने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिशें प्रदान करता है।
- ➢ आर.बी.आई. और नाबार्ड द्वारा सहयोग से कई विकासात्मक और नियामक कार्य किए जाते हैं।
- ➢ आरबीआई नाबार्ड के निदेशक मंडल को 3 निदेशक प्रदान करता है।

7.14 नाबार्ड के कार्य निष्पादन एवं नीतियाँ

- नाबार्ड के कार्यों का निष्पादन निदेशक मंडल द्वारा संचालित होते हैं । इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नाबार्ड अधिनियम के अनुरूप की जाती है।जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
- अध्यक्ष महोदय,
- विशेषज्ञों में से 3 निदेशक
- ग्रामीण अर्थशास्त्र,
- ग्रामीण विकास,
- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग,
- लघु उद्योग, या सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज का अनुभव रखने वाले व्यक्ति, या कोई अन्य मामलों के विशेष ज्ञान या व्यावसायिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के लिए उपयोगी माना जाता है ,
- निदेशक मंडल एक कार्यकारी समिति का गठन कर सकता है जिसमें निर्धारित संख्या में निदेशक (जिन्हें कार्यकारी निदेशक कहा जाता है) सम्मिलित होंगे।
- कार्यकारी समिति ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो बोर्ड द्वारा निर्धारित या उसे सौंपे जाएं।

नीतियाँ

- पुनर्वित्त–अल्पावधि ऋण: नाबार्ड द्वारा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन के लिए फसल ऋण प्रदान किया जाता है, जो देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है।
- दीर्घावधि ऋण: नाबार्ड का दीर्घावधि पुनर्वित्त वित्तीय संस्थाओं को 18 महीने से लेकर 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों सहित विविध गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करता है ।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ): ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के समर्थन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई द्वारा वर्ष 1995–96 में नाबार्ड के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी।
- दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ): केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद वर्ष 2016–17 के दौरान 99 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में एलटीआईएफ की स्थापना की गई थी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)।
- नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए): इसे ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष आरआईडीएफ के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है ।
- वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (WIF): केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु 5,000 करोड़ रुपये की निधि के साथ नाबार्ड के साथ वर्ष 2013–14 में WIF का गठन किया।
- खाद्य प्रसंस्करण निधि
- सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष ऋण
- विपणन संघों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)

- उत्पादक संगठनों एवं पैक्स के लिए उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ)
- नाबार्ड ने उत्पादक संगठनों (पीओ) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को बहु–सेवा केन्द्रों के रूप में संचालित करने के लिए समर्थन और वित्तपोषण हेतु 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) की स्थापना की।
- उत्पादक संगठन (पी.ओ) यह प्राथमिक उत्पादकों, जैसे किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। उत्पादक संगठन एक उत्पादक कंपनी, एक सहकारी समिति या कोई अन्य कानूनी रूप हो सकता है जो सदस्यों के बीच लाभ के बंटवारे का प्रावधान करता है।
- प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) भारत की एक आधारभूत इकाई और सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था है। यह जमीनी स्तर (ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर) पर कार्य करती है। यह किसानों को सावधि ऋण के रूप में ऋण प्रदान करती है और फसल की कटाई के बाद किसान से राशि वसूल करती है।
- किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को फसल ऋण प्रदान करने के लिए अगस्त 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था ।
- **रुपे किसान कार्ड (आरकेसी)**– नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को उनके सभी किसान ग्राहकों को रुपे किसान कार्ड (आरकेसी) उपलब्ध कराने में सहायता करके प्रौद्योगिकी क्रांति का सहायक रहा है ।
- जनजातीय विकास: जनजातीय विकास कार्यक्रम
- जलवायु अनुकूल कृषि
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अम्ब्रेला कार्यक्रम (यूपीएनआरएम)रू वर्ष 2007 में शुरू किया गया यूपीएनआरएम, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने, व्यापार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण समुदायों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए काम करता है ।
- **सूक्ष्म वित्त क्षेत्र**– नाबार्ड ने वर्ष 1992 में स्वयं सहायता समूह–बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी–बीएलपी) शुरू किया था । वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 23 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को ऋण से जोड़ा।
- **ई–शक्ति**– नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल बनाने के लिए 15 मार्च 2015 को ई–शक्ति परियोजना शुरू की गई।
- **कौशल विकास**– ग्रामीण युवाओं में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा उन्हें ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना तीन दशकों से अधिक समय से नाबार्ड की रणनीति रही है।
- **विपणन पहल**– ग्रामीण कारीगरों और उत्पादकों को विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए, नाबार्ड ने पारंपरिक रूप से देश भर में प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाया है।
- देश में नवाचारों का व्यावसायीकरण करने तथा कृषि उद्यमिता को आकार देने के लिए, नाबार्ड ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मदुरै को कृषि नवाचार केन्द्रों की स्थापना के लिए 2399 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ सहायता प्रदान की ।

7.15 नाबार्ड की चुनौतियाँ

- नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा के रूप में, अपनी कार्य संस्कृति, लोकाचार और विकास अभिविन्यास को साझा करता है ।
- इस संबंध के टूटने (नाबार्ड अधिनियम 2017 के तहत नाबार्ड में आरबीआई की 04 प्रतिशत इक्विटी का केंद्र

सरकार को हस्तांतरण) से आरबीआई और नाबार्ड दोनों को भारी नुकसान हुआ है। जिससे की आरबीआई की अपनी गतिविधियों पर भागीदारी कमजोर हो गई है।

- केंद्रीय बैंक और विकास संस्थान के बीच मजबूत संबंध कृषि और ग्रामीण विकास में सहायक होगा, जब देश गंभीर कृषि संकट का सामना कर रहा है।
- वित्तपोषण की बढ़ती लागत– नाबार्ड के बाजार उधार उसके संसाधनों का 80 प्रतिशत है। सदस्य–संचालित और नौकरशाही–मुक्त सहकारी संरचनाओं को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोड़े गए संस्थागत ऋण के अंतराल को भरना होगा ।
- पूर्वोत्तर राज्यों को नाबार्ड की ऋण निधि का बहुत कम लगभग 1 प्रतिशत ही ऋण में हिस्सा मिल रहा है, जिसके कारण किसान साहूकारों के जाल में फंस जाते हैं। उग्रवाद प्रभावित राज्य में बैंकों की पहुंच कम है।

7.16 सारांश

भारत की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में निवेश, आय के स्तर और जीवन स्तर में वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहकारी बैंकों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम देश में बैंकिंग प्रणाली को जन–जन तक पहुँचा पाए हैं। परंतु सहकारी बैंकों संबंधी घोटालों को देखते हुए यह भी आवश्यक है कि देश का सहकारी बैंकिंग ढाँचा स्वयं में कुछ बुनियादी परिवर्तन करे। नियंत्रण के द्वंद्व की समस्या सहकारी बैंकों के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्या है। जिससे निपटने के लिये आवश्यक है कि RBI, नाबार्ड और राज्य सरकार एक ही पटल पर आकर समन्वित रूप से कार्य करें जिससे सहकारी बैंकों को देश के विकास में योगदान हेतु तैयार किया जा सके।

7.17 बोध प्रश्न

1. सहकारी बैंकों से आप क्या समझते हैं?
2. सहकारी बैंकों के उद्देश्य एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
3. सहकारी बैंक के महत्व को समझाइए।
4. सहकारी बैंक की संरचना की व्याख्या कीजिए।
5. सहकारी बैंकों की समस्याओं एवं बैंकों में सुधार के सुझाव दीजिए।
6. नाबार्ड से आप क्या समझते हैं?
7. नाबार्ड के उद्देश्य एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए।
8. नाबार्ड बैंक का महत्व एवं उसके कार्य निष्पादन एवं नीतियों को समझाइए।
9. नाबार्ड की चुनौतियां का विश्लेषण कीजिए।

7.18 संदर्भ पुस्तकें

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एवं पूरी
2. भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, प्रोफेसर एस. एन. लाल, एस.के. लाल
3. भारतीय अर्थव्यवस्था ,दत्त एवं सुंदरम
4. उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र, डॉ. एच एल आहूजा

5. मुद्रा बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डॉ.जे.पी. मिश्रा
6. भोले, एल.एम., वित्तीय संस्थान और बाजार, टाटा मैकग्रा हिल कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
7. एडमिन्स्टर, आर.ओ., वित्तीय संस्थान, बाजार और प्रबंधन, मैकग्रॉ हिल, न्यूयॉर्क।
8. गोल्डस्मिथ, आर.डब्ल्यू., वित्तीय संरचना और विकास, येल, लंदन।
9. हैन्सन, जे.ए., और एस. कथूरिया, भारतरू इक्कीसवीं सदी के लिए एक वित्तीय क्षेत्र, ऑक्सफो यूनिवर्सिटी प्रेस,
10. हार्कर, पी.टी. और एस.ए. जेनिओस, वित्तीय संस्थानों का प्रदर्शन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्री कैम्ब्रिज।
11. जॉनसन, एच.जे., वित्तीय संस्थान और बाजार, मैकग्रॉ हिल, न्यूयॉर्क।
12. खान, एम.वाई., भारतीय वित्तीय प्रणाली, टाटा मैक्ग्रा हिल, नई दिल्ली,

इकाई–8
भारत में ब्याजदर एवं मुद्रास्फीति स्थिति एवं मुद्दे

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य
8.1 प्रस्तावना
8.2 ब्याजदर एवं ब्याजदर की परिभाषा
8.3 ब्याज दर के प्रकार एवं प्रभाव
8.4 मुद्रास्फीति
8.5 मुद्रास्फीति की माप
8.6 मुद्रास्फीति के प्रकार
8.7 मुद्रास्फीति एवं ब्याजदर में संतुलन
8.8 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण
8.9 मौद्रिक नीति
8.10 सारांश
8.11 बोध प्रश्न
8.12 सन्दर्भ पुस्तकें

8.0 उद्देश्य

1. इस इकाई में ब्याज दर तथा उसकी परिभाषा से अवगत होंगें।
2. इस इकाई में ब्याज दर के प्रकारों तथा उसके प्रभावों को जानेगें।
3. इस इकाई में मुद्रा स्फीति व उसकी माप के विषय में जानकारी प्राप्त करेगें।
4. इस इकाई में हम मुद्रा स्फीति के प्रकारों का अध्ययन करेगें।
5. इस इकाई में ब्याज दर तथा मुद्रास्फीति में संबंध की जानकारी प्राप्त करेगें।
6. इस इकाई में मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के उपायों पर जानकारी प्राप्त करेगें।
7. इस इकाई में सरकार की मौद्रिक नीति के बारे में जानेगें।

8.1 प्रस्तावना

जब किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं, तो मुद्रास्फीति और ब्याज दरें दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यें आर्थिक नीतियों और वित्तीय निर्णयों को आकार देते हैं। मुद्रास्फीति का सम्बन्ध वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से है, जबकि ब्याज दर जमाकर्ताओं द्वारा बैंक खातों में जमा पैसों पर मिलने वाले प्रतिफल और ऋण लेते समय ऋण राशि पर दी गयी कीमत का भुगतान तय करती हैं।ये दोनों कारक आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो आमतौर पर ब्याज दरें भी बढ़ जाती हैं। जब मुद्रास्फीति कम होती है, तो ब्याज दरें कम हो सकती हैं।

8.2 ब्याजदर एवं ब्याजदर की परिभाषा

भारत में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भारतीय रिज़र्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को एक प्रमुख साधन के रूप में उपयोग करता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो यह दर्शाती है कि कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ब्याज दरों में वृद्धि ऋणों को और अधिक महंगा बना देती हैं, जिससे उपभोक्ता व्यय और व्यावसायिक निवेश में कमी आ जाती हैं, और जिससे मुद्रास्फीति में कमी की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत, यदि मुद्रास्फीति बहुत कम है, जो कि मांग में कमी को दर्शाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों को सस्ता बनाने के उद्देश्य से ब्याज दर में कमी करता है, जिससे उपभोग व्यय और निवेश को बढ़ावा मिलता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

8.2.1 ब्याज दर

ब्याज दर जमाकर्ताओं कों जमा पूँजी पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल या ऋणदाता को ऋण देने के बदले मिलने वाला प्रतिफल है इसे ऋण प्राप्त करने की लागत भी कहा जाता है। इसे मूलधन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह दर भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर निर्धारित होता हैं, जो ऋण, निवेश और बचत को प्रभावित करती है।

ऋण या बचत पर नवीनतम ब्याज दरें व्यावसायिक बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा तय की जाती हैं। ये दरें मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बदलती रहती हैं।

8.2.2 ब्याज की परिभाषा

मार्शल के अनुसार– ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग का मूल्य है।

मेयर्स के अनुसार– ब्याज उधार देने योग्य कोषों के प्रयोग के बदले में दिया गया मूल्य है।

लॉर्ड कीन्स के अनुसार– ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है।

सेलिग मैंन के अनुसार– ब्याज पूंजी कोष के बदले में मिलने वाला प्रतिफल है। अतः ब्याज एक ऋणी द्वारा ऋणदाता को किया गया वह कुल भुगतान है, जिसके अंतर्गत शुद्ध ब्याज के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन व असुविधा का प्रतिफल सम्मिलित किया जाता है।

शुद्ध ब्याज– यह पूंजी के प्रयोग का प्रतिफल है जो कुल ब्याज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है जब ऋणदाता किसी व्यक्ति अथवा संस्था को ऋण देता है तो इस कार्य में वह जोखिम उठाता है जोखिम के दो प्रकार व्यावसायिक और व्यक्तिगत होते हैं व्यावसायिक जोखिम वह जोखिम जिसमें ऋणी के व्यवसाय के असफल होने के कारण ऋण न वसूल हो सकने पर होगा। व्यक्तिगत जोखिम वह जोखिम है। जो ऋणी के चरित्र पर निर्भर करता है। अगर ऋणी ईमानदार है तो वह जोखिम कम होगा। यदि वह बेईमान है तो जोखिम अधिक होगा।

असुविधा का प्रतिफल– ऋणदाता पर अगर ऋण की वसूली में असुविधा हो या छोटी–छोटी किस्तों में वसूली हो या बार–बार तगादा करना पड़े या न्यायालय पर मुकदमा करना पड़े तो इन सब असुविधाओं का वह अधिक ब्याज लेगा। अगर ऋणदाता को संभावित असुविधा कम हो तो कम ब्याज लेगा।

प्रबंध का प्रतिफल– ऋणदाता को ऋणों के हिसाब किताब के लिए बही खाता बनाने होते हैं एवं किसी व्यक्ति को नियुक्त करना होता है। इन प्रबंधों या व्यवस्थाओं में ऋणदाताओं को जो व्यय करना होता है, उसे वह ऋणी से ब्याज के रूप में वसूल करता है। इस तरह कुल ब्याज बराबर है।

शुद्ध ब्याज + जोखिम का प्रतिफल + असुविधा का प्रतिफल + प्रबंध का प्रतिफल इत्यादि।

8.3 ब्याज दर के प्रकार

ब्याज दरें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं।

नाममात्र ब्याज दर– यह ब्याज दर वित्तीय संस्थाओं द्वारा विज्ञापित दर है, जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं होती।

वास्तविक ब्याज दर– यह ब्याज दर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नाममात्र ब्याज दर है, जो उधार लागत या बचत प्रतिफल को स्पष्ट करती है।

निश्चित ब्याज दर– यह ब्याज दर ऋण या निवेश अवधि के दौरान स्थिर रहती है। सम्पूर्ण ऋण या बचत अवधि के दौरान समान रहती है।

परिवर्तनीय ब्याज दर– यह ब्याज दर बाजार की स्थितियों के आधार पर समय के साथ उतार–चढ़ाव कर सकती है। बाजार में परिवर्तन के आधार पर बढ़ या घट सकती है।

8.3.1 ब्याज दर के प्रभाव–

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण – केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों का उपयोग करते हैं। उच्च ब्याज दरें ऋण को अधिक महंगा बना देती हैं, जिससे उपभोग व्यय एवं निवेश कम हो सकता है और मुद्रास्फीति में कमी आ जाती है। इसके विपरीत, ब्याज दर में कमी ऋण लेने और उपभोग व्यय और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

आर्थिक वृद्धि– ब्याज दर में वृद्धि उपभोग और निवेश को प्रभावित करती हैं। कम ब्याज दरें ऋण लेने और निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि उच्च ब्याज दर उपभोग और निवेश को हतोत्साहित करती है।

बचत और निवेश– ब्याज दर बचत पर प्रतिफल और निवेश की लागत निर्धारित करती हैं। ऊँची ब्याज दर बचत को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि कम ब्याज दर उच्च–लाभ वाली परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देती हैं।

ऋणदाता पर प्रभाव– भारत में बढ़ती ब्याज दरें ऋणों की लागत बढ़ाती हैं, जिसका असर गृह ऋण, कार ऋण, व्यक्तिक ऋण और व्यावसायिक ऋण पर पड़ता है। उधारकर्ताओं को ज्यादा ई.एम.आई. का सामना करना पड़ता है, जबकि ऋणदाताओं को ज्यादा रिटर्न का फ़ायदा होता है।

व्यवसाय पर प्रभाव – ऊँची ब्याज दरें ऋणों की लागत बढ़ा देती हैं, जिससे विस्तार योजनाएँ प्रभावित हो सकती हैं और लाभ प्रभावित होता है। इसके विपरीत, ब्याज दर में कमी व्यवसाय के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती हैं।

निवेश पर प्रभाव– मुद्रास्फीति से प्रेरित ब्याज दरों में परिवर्तन निवेश के अवसरों को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बॉन्ड जैसे निश्चित आय वाले साधन ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं, जबकि शेयर बाज़ार पर प्रतिकूल प्रभाव होता है।

उपभोक्ता पर प्रभाव –बढ़ती ब्याज दरें उपभोग–योग्य आय को कम करती हैं क्योंकि ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे उपभोक्ता–व्यययोग्य आय भी कम हो जाती है। इसके विपरीत, घटती ब्याज दरें व्यय और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आती है।

8.4 मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति से आशय वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का सामान्य स्तर की अपेक्षा अधिक कीमत वृद्धि से है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। अर्थात जब मुद्रास्फीति होती है, तो प्रत्येक मुद्रा इकाई पहले की तुलना में कम वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करती है।

भारत में मुद्रास्फीति को सामन्यतः पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) द्वारा मापा जाता है। CPI उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का आकलन करता है, जबकि WPI थोक स्तर पर कीमतों को मापता है। दोनों सूचकांक मुद्रास्फीति दर की जानकारी प्रदान करते हैं।

8.5 मुद्रास्फीति के प्रकार

रेगंती मुद्रास्फीति– रेगंती मुद्रास्फीति जब स्फीति की वार्षिक दर एक अंक में जैसे–1,5,7,9 प्रतिशत में हो

तो इसे रेंगती मुद्रा स्फीति कहते हैं यह स्फीति एक लंबी अवधि तक बनी रहती है इसकी दर एकांकी होती है जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसका पूर्व अनुमान किया जा सकता है तथा नियंत्रण के लिए नीति निर्धारण किया जा सकता है क्योंकि इससे अधिक आर्थिक क्रियाएं प्रेरित होती हैं और आर्थिक विकास में सहायक होती है।

कूदती मुद्रा स्फीति– यह अत्यधिक उच्च मुद्रा स्फीति होती है। प्रोफेसर सैमुयल्सन का मत है कि यदि स्फीति की वार्षिक दर दो या तीन अंक की जैसे– 20, 100, 200, 300, 999 हो तो इसे कूदती स्फीति कहते हैं, इस स्फीति की वार्षिक दर अत्यंत ऊंची होती है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में देखा गया था। तत्पश्चात अर्जेंटीना, मेक्सिको, चिल्ली, ब्राज़ील, पेरू, यूगोस्लाविया में 1970 से 80 के मध्य उच्च मुद्रा स्फीति को देखा गया एवं 1980–91 के बीच स्फीति की वार्षिक दर ब्राजील में 328 प्रतिशत, अर्जेंटीना में 417 प्रतिशत, मैक्सिकों में 67 प्रतिशत तथा पेरू में 287 प्रतिशत रही।

अत्यधिक स्फीति या हायपर स्फीति – जब स्फीति की दर तीन अंको से भी अधिक हो जाए तो इसे अत्यधिक स्फीति कहते हैं। इसकी सबसे पहले चर्चा केगन ने की अत्यधिक स्फीति की स्थिति में पत्र मुद्रा बिल्कुल बेकार हो जाती है और मुद्रा से लोगों का विश्वास खो जाता है। विश्व आर्थिक इतिहास में नवंबर 1923 अत्यधिक स्फीति की दृष्टि में सबसे खराब अवधि थी। जबकि जनवरी 1922 से नवंबर 1930 के बीच जर्मनी में मूल्य निर्देशांक एक से बढ़कर एक लाख तक हो गया तथा हंगरी की स्फीति सबसे खराब हाइपर स्फीति के उदाहरण के रूप में ली जाती है। वर्ष 1989–91 ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना की स्फीति अत्यधिक स्फीति के रूप में माना जाता है। अर्जेंटीना वर्ष 1989 में 3079.8 प्रतिशत वर्ष 1990 में 2314 प्रतिशत, ब्राजील वर्ष 1989 में 1287 प्रतिशत तथा वर्ष 1990 में 2937 प्रतिशत थी। पेरू 3398.6 प्रतिशत तथा वर्ष 1990 में 74. 81 प्रतिशत स्फीति रही थी।

खुली तथा दबी मुद्रा स्फीति– जब स्फीति किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो तो मूल्य स्तर बिना नियंत्रण के ऊपर–नीचें होता है। तो इस प्रकार की स्फीति को खुली स्फीति कहते हैं। पर जब सरकार अनेक प्रकार की नीतियों के द्वारा मूल्यस्तर को एक सीमा में रखने की कोशिश करती है, और मूल्यस्तर उतना अधिक नहीं हो पता तो यह वास्तविक रूप से इस प्रकार की स्थिति को दबी स्फीति कहते हैं। इस स्फीति के लक्षण तो उत्पन्न रहते हैं पर प्रदर्शित नहीं होते है।

मांग प्रेरित स्फीति– जब समग्र पूर्ति की अपेक्षा समग्र माँग को प्रभावित करने वाले कारक माँग से अधिक प्रभावित हो अर्थात मांग पूर्ति से अधिक हो जाए तो इसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। समग्र मांग में वृद्धि मौद्रिक कारकों में वृद्धि से हो सकती है। जैसे की मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि वास्तविक चरणों में परिवर्तन के कारण भी हो सकती है जैसे– सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या लोगों के द्वारा की जाने वाली बचत में कमी दोनों स्थितियों में मांग प्रेरित स्फीति होगी।

लागत जन्य स्फीति– लागत में वृद्धि के कारण यदि मूल्य में वृद्धि हो या वस्तुओं की पूर्ति में अत्यधिक कमी के कारण मूल्यस्तर में वृद्धि आए तो इस प्रकार की स्फीति को लागत जन्य स्फीति कहते हैं। वस्तुओं की लागत में वृद्धि भी मूल्य स्तर में तेजी वृद्धि ला सकती है। लागतजन्य मुद्रा स्फीति मजदूरी में वृद्धि तथा लाभ में वृद्धि से हो सकती है क्योकिं मजदूरी तथा लाभ दोनों ही लागत का प्रमुख भाग है। यदि मजदूर संगठन मजदूरी दर में वृद्धि करने में सफल हो जाए या बाजार की अपूर्णता के कारण व्यापारी लाभ को अधिकतम करने में सफल हो जाए तो लागतजन्य स्फीति हो सकती है।

लागत प्रेरित स्फीति को विल्सन ने इसे पूर्ति आघात स्फीति या स्फीति का आधुनिक दृष्टिकोण कहा था। इसे विक्रेता स्फीति भी कहते हैं। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि मूल्य स्तर में वृद्धि समग्र मांग में वृद्धि या अधिकता के कारण नहीं होगी, बल्कि उत्पादन लागत के किसी एक भाग में जैसे मजदूरी, लागत, लाभ सीमा या कच्चा माल या सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण होती है।

अंतर्निहित मुद्रास्फीति– इस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब व्यवसाय बढ़ती जीवन स्तर की लागत को बनाए रखने के लिए मजदूरी बढ़ाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत और कीमतें बढ़ जाती हैं।

मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। मध्यम मुद्रास्फीति को आमतौर पर बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेत माना जाता है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति क्रय शक्ति और बचत को कम

कर सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।

मुद्रास्फीति की माप– मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से वृद्धि होती है, और परिणामस्वरूप, लोगों की क्रय शक्ति घटती है। कीमतों में लगातार वृद्धि से समय के साथ रूपये का मूल्य घटता जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप उसी राशि से पहले की अपेक्षा कितनी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं। अर्थात यह कीमत वृद्धि के परिणामस्वरूप क्रयशक्ति में कमी को दर्शाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मुख्यतः दो प्रमुख सूचकांकों द्वारा मापा जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) – उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) शहरी उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए चुकाई गई कीमतों में समय के साथ औसत परिवर्तन को मापता है। यह सूचकांक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि मुद्रास्फीति औसत भारतीय परिवार के दैनिक खर्चों को कैसे प्रभावित करती है, चाहे वह सामान्य वस्तुएं हो या चिकित्सा देखभाल, परिवहन इत्यादि हों।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)– उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विपरीत, थोक मूल्य सूचकांक खुदरा स्तर से पहले मूल्य परिवर्तनों को मापता है। यह थोक विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं की एक मात्रा के लिए चुकाई जाने वाली कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है, और इसका उपयोग अक्सर व्यावसायिक लागतों में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है।

ये दोनों सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जिससे नीति निर्माताओं, व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति को समझने में मदद मिलती है।

ब्याज–दर और मुद्रास्फीति में संतुलन– मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के बीच परस्पर–निर्भर और जटिल संबंध है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भारतीय रिज़र्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को एक प्रमुख साधन के रूप में उपयोग करता है। जब मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि होती है जिसमें कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती हैं, तो इस परिस्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ब्याज दरें बढ़ा सकता है। उच्च ब्याज दरें ऋण को अधिक महंगा बना देती हैं, जिससे उपभोक्ता व्यय और व्यावसायिक निवेश कम हो जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति धीमी हो जाती है। इसके विपरीत, यदि मुद्रास्फीति में कमी आती है, जो मांग में कमी को दर्शाती है, तो इस परिस्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ऋण को सस्ता बनाने के लिए ब्याज दरें कम कर सकता है, जिससे उपभोग व्यय और निवेश को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

एक निवेशक के लिए, इस संतुलनकारी कार्य का अर्थ यह हो सकता है कि ब्याज दरों के रुझान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का संकेत देते हैं जो उनके निवेश को प्रभावित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर निर्णयों को समझने से भविष्य में मुद्रास्फीति के रुझानों, आर्थिक विकास की संभावनाओं और संभावित निवेश अवसरों या जोखिमों के बारे में जानकारी मिलती है।

8.6 मुद्रास्फीति नियंत्रण

भारत में मुद्रा स्फ़ीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति द्वारा ब्याज दर के माध्यम से नियंत्रित करता हैं, तथा अर्थव्यवस्था में निवेश एवं तरलता को प्रभावित करता है जिससे अर्थव्यवस्था में विकास तथा स्फ़ीति प्रभावित होती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत प्रमुख रूप से रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर आदि का निर्धारण करता है। जो की अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को दर्शाती हैं रिजर्व बैंक सामान्य ब्याज दर में कमी या वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि तथा तरलता में वृद्धि करता है तथा इसके विपरीत ब्याज दर में वृद्धि लाकर रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता तथा मांग में कमी करता है। इस प्रकार स्फ़ीति प्रभाव को नियंत्रित करता है जिससे एक बात स्पष्ट है कि ब्याज दर में वह परिवर्तन जो आर्थिक विकास को गति देगा वह मुद्रास्फीति में भी वृद्धि करेगा। एक ही ब्याज दर नीति आर्थिक विकास तथा स्फीति को समान रूप से प्रभावित नहीं करेंगी। ब्याज दर में कमी आवश्यक रूप से निवेश में वृद्धि नहीं ला सकती है। ब्याज दर में कमी निवेश में वृद्धि तभी ला सकेगी जब ब्याज दर के संदर्भ में निवेश में वृद्धि लाये। ऐसी स्थिति में जबकि ब्याज दर में कमी निवेश में वृद्धि नहीं लाये ऐसा सामान्यतया तब होगा, जबकि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही हो। ऐसी स्थिति में निवेश पर प्राप्त

प्रतिफल की दर इतनी नीची होती है कि अत्यंत ही कम ब्याज दर भी जो एक प्रकार से निवेश की लागत होती है, उद्यमी को निवेश करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती है।

ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था को मंदी के जाल से निकालने में सर्वथा असफल होती है इसी स्थिति को **जॉन मेनार्ड कीन्स ने तरलता जाल की स्थिति** कहा था इस स्थिति में ब्याज –दरें बहुत कम होती है, और व्यक्ति अपने पैसों को निवेश करने के बजाय अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। इस स्थिति में मौद्रिक नीति के साधन यथा ब्याज दरों में कटौती कम प्रभावी होते हैं। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में मांग कम हो सकती है क्योंकि व्यक्ति खर्च करने या निवेश करने के बजाय बचत करते हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति को देखते हुए बैंक दर, रेपो दर व रिवर्स रेपो दर में परिस्थिति स्वरूप कमी या वृद्धि की व मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। कभी–कभी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से प्रभावित होने के कारण स्फीति से निपटने में समय लगता है। जब ब्याज दर आधारित मौद्रिक नीति स्फीति के नियंत्रण में असफल रहती है, अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने में अथवा आर्थिक विकास को गति देने में अप्रभावी होती है अर्थात मौद्रिक प्राधिकारियों के पास और कोई वैकल्पिक अस्त्र नहीं होता है, तो अधिकांश अर्थशास्त्रियों के मतानुसार राजकोषीय नीति ही अंतिम विकल्प होती है।

भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख लक्ष्य एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर को लक्षित करके कीमत स्थिरता बनाए रखना है। जब मुद्रास्फीति इस लक्ष्य से अधिक हो जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक व्यय और ऋणों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे मुद्रास्फीति में कमी आ जाती है। इसके विपरीत, यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य से कम होती है, तो इस दशा में भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कमी करता है।

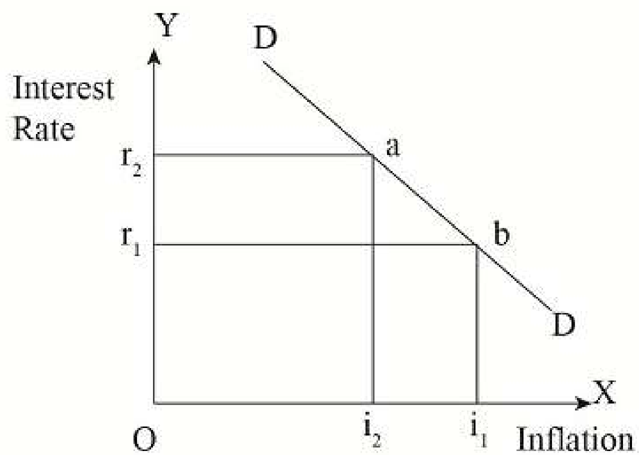

उपरोक्त चित्र में Y अक्ष पर ब्याजदर एवं X अक्ष पर स्फीति दर को दर्शाया गया जिसमें r1 एवं r2 ब्याज की दर और i1 एवं i2 मुद्रास्फीति की दर को बताती है जों कि ब्याजदर एवं मुद्रास्फीति की दर में विपरीत संबंध को दर्शाती है। जब ब्याजदर r2 से घटकर r1 हो जाती है तो इस दशा में मुद्रा स्फीति i2 से बढ़कर i1 हो जाती है। विलोमतः भी यही स्थिति बनी रहती है।

मौद्रिक नीति

भारत में मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ब्याज दरों और अन्य साधनों का उपयोग सम्मिलित है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों और आर्थिक स्थितियों के आधार पर ब्याज दरों को समायोजित करता है। उच्च ब्याज दर मुद्रा आपूर्ति को कम कर सकती है, उपभोग व्यय को कम कर सकती है और मुद्रास्फीति को कम करती है। कम ब्याज दर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर सकती है तथा व्यय को बढ़ावा दे सकती है और मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है।

ऋण की लागत एवं बचत प्रतिफल– ब्याज दरें सीधे तौर पर ऋण लेने की लागत और बचत पर प्रतिफल को प्रभावित करती हैं। ऊँची ब्याज दरें ऋणों को महंगा बना देती हैं, जिससे उपभोक्ता व्यय और व्यावसायिक निवेश कम हो जाता है। माँग में यह कमी मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक सिद्ध होती है। दूसरी ओर, कम ब्याज दरें उधार लेने की लागत को कम करती हैं और उपभोग व्यय और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

8.7 सारांश

इस इकाई में हमने ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और निवेश निर्णयों पर उनके प्रभाव के बीच के जटिल संबंधों को समझा है। ये आर्थिक शक्तियाँ आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं और उधार लेने की लागत से लेकर हमारे निवेशों के वास्तविक मूल्य तक, हर चीज़ को प्रभावित करती हैं। इनके बीच के इस संबंध को समझना, विशेष रूप से भारत जैसी निरंतर बदलती अर्थव्यवस्था में, सोच–समझकर वित्तीय और निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है।

जब मुद्रास्फीति और बदलती ब्याज दरों के बीच अपनी संपत्ति की सुरक्षा और वृद्धि की बात हो तों मौद्रिक, राजकोषीय नीति और नीति विश्लेषण हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करेगें। भारत की व्यापक आर्थिक तस्वीर को समझने के लिए मुद्रास्फीति और ब्याज दरों तथा उनके परस्पर प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये कारक आर्थिक नीतियों, उपभोक्ता व्यवहार और निवेश रणनीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

भारत में मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति और व्यवसाय आधारित वित्तीय निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता और वृद्धि सुनिश्चित होती है।

8.8 बोध प्रश्न

1. मुद्रास्फीति एवं उसके प्रकार की व्याख्या कीजिए।
2. मुद्रास्फीति एवं ब्याजदर में संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
3. ब्याज दर से आप क्या समझते हैं? उसकी परिभाषा दीजिए।
4. ब्याज दर के प्रकारों तथा इसके प्रभाव को बताइए।
5. मुद्रा स्फीति क्या होती है? उसकी माप के सूचक बताइए।
6. ब्याज दर के संदर्भ में मुद्रा स्फीति को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है।
7. सरकार की मौद्रिक नीति की समीक्षा कीजिए।

8.9 संदर्भ पुस्तकें

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एवं पूरी
2. भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, प्रोफेसर एस. एन. लाल, एस.के. लाल
3. भारतीय अर्थव्यवस्था ,दत्त एवं सुंदरम
4. उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र, डॉ. एच एल आहूजा
5. मुद्रा बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डॉ .जे.पी. मिश्रा
6. गुप्ता, सूरज, बी, मौद्रिक अर्थशास्त्ररू संस्थाएं सिद्धांत व नीति, एस चंद एंड कंपनी, दिल्ली
7. भोले,एल.एम् वित्तीय संस्थान और बाजार,(अंग्रेजी) टाटा मैग्राहिल, नई दिल्ली
8. आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार
9. मौद्रिक अर्थशास्त्र, एम.एल. सेठ, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
10. नरेंद्र जाधव, भारत के लिए मौद्रिक अर्थव्यवस्था,(अंग्रेजी)

खण्ड–3 मुद्रा बाजार एवं एन.बी.एफ.आई.

खण्ड परिचय एवं इकाई परिचय

प्रस्तुत स्व–अध्ययन सामग्री 109 का खंड 3 है इसका शीर्षक मुद्रा बाजार एवं एनबीएफआई है इसके अंतर्गत शिक्षार्थी मुद्रा बाजार प्रतिभूति बाजारों के विभिन्न प्रकार सरकारी प्रतिभूति बाजार एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों का अध्ययन करेंगे यह खंड चार इकाइयों 9 10 11 एवं 12 में विभक्त किया गया है।

इकाई 9 का शीर्षक मुद्रा बाजार की संरचना एवं कार्य है इसके अंतर्गत शिक्षार्थी मुद्रा बाजार की परिभाषा मुद्रा बाजार के अवयवो, संरचना, महत्व एवं कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे

इकाई 10 इसका शीर्षक कालमनी मार्केट ट्रेजरी बिल कमर्शियल बिल मार्केट है इसमें शिक्षार्थी इन बाजारों के अर्थ नियम एवं शर्तों का अध्ययन जो मुक्त निवेश करने की बारीकियां का अध्ययन कर सकेंगे इकाई 11 के अंतर्गत इसका शीर्षक सरकारी प्रतिभूति बाजार है में शिक्षार्थी सरकारी प्रतिभूत बाजार का आशय क्या है इसके कौन–कौन से घटक हैं यह बाजार कैसे कार्य करता है इसका आर्थिक महत्व क्या है इत्यादि बिंदुओं पर प्रकाश डालता है

इकाई संख्या 12 जो खंड 3 की अंतिम इकाई है का शीर्षक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं इसके अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का अर्थ परिभाषा स्थापना एवं क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के कार्य की कार्य करने की प्रणाली अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है का अध्ययन शिक्षार्थी कर सकेंगे

इकाई–9

मुद्रा बाजार (MONEY MARKET)

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 अर्थ एवं अवधारणा

9.3 मुद्रा बाजार की परिभाशा

9.4 मुद्रा बाजार की संरचना

9.5 मुद्रा बाजार के अवयव

9.5.1 मांग मुद्रा बाजार

9.5.2 समपार्श्विक ऋण बाजार

9.5.3 स्वीकृत बाजार

9.5.4 बिल बाजार

9.6 मुद्रा बाजार की संस्थाएं

9.7 मुद्रा बाजार उपकरणों की विशेषताएँ

9.8 मुद्रा बाजार कैसे काम करता है

9.9 मुद्रा बाजार कारोबार किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार

9.10 मुद्रा बाजार का कार्य

9.11 सारांश

9.12 आर्थिक शब्दावली

9.13 अभ्यास प्रशन

9.14 संदर्भ पुस्तकें

9.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी

- मुद्रा बाजार का अर्थ एवं अवधारणा को समझ सकेंगे।
- मुद्रा बाजार की संरचना को समझेंगे।
- मुद्रा बाजार की संस्थाओं का तुलनात्मक बध्ययन कर सकेगे।
- मुद्रा उपकरणों का विरूलेषण कर सकेंगे।
- मुद्रा आजार के कार्य करने की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना (INTRODUCTION)

मुद्रा बाजार एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर मुद्रा एवं अल्पकालीन सम्पत्तियों का व्यापार किया जाता है

जोकि मुद्रा की नजदीकी स्यानापन्न होती है यह हमें उधार देने वाले/निवेशकों, अल्पकालीन उधार लेने वालों की आवश्यकता के अनुसार, अल्पकालीन आधिक्य कोषों में संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करती है। मुद्रा बाजार की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक ऐसा अभिलेख होता हैं जिसे तरलता (Liquid) में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है एवं मुद्रा बाजार में कम लागतों पर व्यापार किया जा सकता है।

9.2 अर्थ एवं अवधारणा (MEANING AND THE CONCEPT)

मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋणों जिसका अर्थ है एक साल से कम समय के लिए है। इसका नाम, वास्तव में यह बताता है कि मुद्रा को खरीदा एवं बेचा जा सकता है। व्यापारिक फर्मे इसका उपयोग, स्कन्धों (inventories) को खरीदने में करती हैं, विक्रय वित्त–पोषण कम्पनियां (Sales Finance Companies) इसे उपभोक्ता उधार (Consumer Credit) के लिए उपयोग करती हैं बैंक इसका प्रयोग अस्थायी संचित कोष के वित्त पोषण के लिए करता है एवं सरकार इसाक प्रयोग कर–प्राप्तियों एवं व्ययों अर्थात हीनार्य प्रबन्धन बीच अन्तर को पूरा करने के लिए करती है परन्तु ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि बाजार में हम मुद्रा से व्यापार नहीं करती बल्कि नजदीकी मुद्रा सम्पत्ति में व्यापार करती है।

मुद्रा बाजार एक निश्चित स्थान नहीं है बल्कि एक क्रिया है तथा इसके अन्तर्गत लेन–देने दूरभाष (telephone), डाक (mail) आदि द्वारा उन लोगों के मध्य होते हैं जो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं होते। आमतौर पर सभी बड़े शहरों में स्थानीय मुद्रा बाजार होते है, जैसे कि मुम्बई में, मुम्बई मुद्रा बाजार, न्यूयार्क में न्यूयार्क मुद्रा बाजार एवं लंदन मुद्रा बाजार है।

यहां कुछ ऐसे मुद्रा बाजार भी हैं जोकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को हैं। उदाहरण के लिए लन्दन मुद्रा बाजार या न्यूयार्क मुद्रा बाजार। लंदन मुद्रा बाजार। (London Money Market) की मुख्य घटक है छूट गृह (Discount Houses), इग्लैण्ड का बैंक (Bank of England) एवं वाणिज्यिक बैंक जिसमें शामिल है एकसेप्टेन्स हाऊस (acceptance houses), समुद्रपार (over-scas), विदेशी एवं लंदन के कई बैंक। मैडन (Maddan), Naddler मैडलर एवं हैलर (Heller) ने अपने 'Money Market Primer' में कहा है कि मुद्रा बाजार के अवयव हैं Federal Reserve System, the U.S. Treasury, बैंक, विदेशी बैंक अभिकरण (the foreign Bank agencies), स्कन्ध एवं वस्तु विनिमय (the stock and commodity exchanges), बीमा कम्पनियां, निवेश प्रन्यास (the invesment trusts), वित्त पोषण कम्पनियां (The finance companies), छूट गृह (Discount houses), दलाल एवं व्यापारी जोकि सरकारी प्रतिभूतियों स्वदेशी व विदेशी प्रतिभूतियों में व्यापार करते हैं।

मुद्रा बाजार में आपूर्तिकर्ता (Supplier) वह होता है जोकि अत्यधिक अस्थायी कोषों का स्वामी होता है। उदाहरण के लिए एक निगम आय कर की quarterly अदायगी के लिए कोषों को इक्ट्ठा कर सकता है। निगम उन कोषों को अपने पास रखने की बजाय उन्हें अल्पकाल के लिए उधार दे सकते हैं। इसी प्रकार राज्य का खजांची (Treasurer) जिसके पास कर की काफी प्राप्तियां जोकि खर्चों से ज्यादा होती है, को निवेश (Invest) कर सकता है। (विस्तृत अध्ययन के लिये देखें – वित्तिय बाजार तथा सेस्थायें – शशि के. गुप्ता, निशा अग्रवाल)

9.3 मुद्रा बाजार की परिभाषा (DEFINITION OF MONEY MARKET)

Geoffrey Crowther in his book "An outline of Money" has stated "Money Market is a collective name given to various forms and institutions that deal with the various grades of near money"-

मुद्रा बाजार एक तरह के अल्पकालीन उधार बाजार है, यह तरलता की सम्पति के साथ deal करता है जैसे treasury bill, Bill of Exchange, Short term govt. Securities आदि। ''भारतीय रिजर्व बैंक के

अनुसार मुद्रा। बाजार एक तरह से मुद्रा सम्पति में अल्पकालीन व्यापार का केन्द्र है, यह उधार लेने वाले का अल्पकालीन जरूरतों को पूरा करता है तथा जखदाता को तरलता प्रदान करता है यह एक ऐसा स्थान है जहां अल्पकालीन आधिक्य कस विनियोग संस्थाओं में किया जाता है तथा व्यक्तिगत ऋणदाता द्वारा बोली लगती है।'' इसलिए मुद्रा बाजार अल्पकालीन फंड का संचय है।

यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अल्पकालीन फंड को टेलीफोन या मेल (Mail) के द्वारा खरीदा व बेचा जाता है एक बाजार में फंड अल्पकालीन के लिए उधार लिये जाते हैं जिसका समय 1 दिन से 6 महीने होता है जिन सम्पत्तियों को उधार प्रापत्र के लिए उपयोग करते हैं उसे हम मुद्रा तथा निकट मुद्रा कहते हैं। मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां अल्पकाल के लिये ऋण योग्य कोशों का क्रय–विक्रय किया जाता है। दूसरे शब्दो में हम कह सकते है मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें एक वर्श या उससे कम समय के लिये पूंजी का क्रय–विक्रय किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता और वित्तीय संतुलन बनाए रखना है।

9.4 मुद्रा बाजार की संरचना (STRUCTURE OF MONEY MARKET)

मुद्रा बाजार की संरचना का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है:

Money Market Components Institutions Instrunenrs

9.5 मुद्रा बाजार के अवयव या उपबाजार (THE COMPONENTS OF MONEY MARKET OR SUB MARKET)

मुद्रा बाजार विशेषताओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह असंख्य विभागों (Divisions) एवं उपविभागों का संगठित संस्थान है। प्रत्येक विशिष्ट विभाग या उपविभाग एक विशेष प्रकार के (वित्तीय) उधार परिचालन (Credit Operations) से सम्बन्धित होता है। सभी उप–बाजार अल्पकालीन उधार में व्यापार करते हैं। निम्नलिखित मुद्रा बाजार के मुख्य क्षेत्र हैं:

Money Market

Call Money Market Collated Loan Market Acceptance Market Bill Market

9.5.1. (माँग मुद्रा बाजार) याचित मुद्रा बाजार (Call Money Market)

याचित मुद्रा बाजार से अभिप्राय बहुत ही अल्पकाल के बाजार से होता है। बिलों के दलाल एवं स्कन्ध विनिमय (Stock Exchanges) के व्यापार आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों से call के ऊपर पैसा उधार लेते हैं। ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं तथा किसी भी स्थिति में 7 दिन से ज्यादा के लिए नहीं दिया जाता। याचित मुद्रा (Call money) के विरुद्ध समपार्श्विक प्रतिभूतियों (Collateral Securities) की कोई माँग (Demand) नहीं होती। उनमें उच्च तरलता होती है। उधार लेने वाले को जब कहां जाए तब उन्हें उधार चुकाना होता है जिसका अर्थ है कि अल्प अधिसूचना (Notice) के आधार पर। इसी कारण से इस मुद्रा को याचित मुद्रा (call money) कहा जाता है। इस प्रकार याचित मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार का महत्त्वपूर्ण अवयव है।

याचित ऋण बाजार में हिस्सेदार (Participants in the Call Money Market)

याचित मुद्रा बाजार में मुख्य हिस्सेदार निम्नलिखित है:

1. सभी सूचित व्यवसायी बैंक (इसमें 1970 से SBI मुख्य ऋणदाता बन गया है)
2. अनिसूचित व्यवसायी बैंक।

3. Discount and Finance House of India (DFHI)
4. Securities Trading Corporation of India (STCI)
5. सहकारी बैंक
6. विदेशी बैंक
7. LIC, GIC, UTI
8. IDBL, ICICI
9. NABARD

RBI की नई नीति के अनुसार LIC, UTI, IDBI, NABARD को मुद्रा बाजार में ऋण–दाता (lender) के रूप में हिस्सेदारी प्रदान कर दी गई है। इन संस्थाओं को इसमें हिस्सेदार बनने के लिए पहले RBI की स्वीकृति लेनी जरूरी है, तथा इनकी हिस्सेदारी DFHI के द्वारा हो दी जाएगी।

स्थापन (Location)– भारत में याचित मुद्रा बाजार, मुम्बई, कोलकता, अहमदाबाद तथा दिल्ली में निम्नलिखित कारणों से स्थापित किये गये हैं:

1. इन महानगरों में बहुत बड़े औद्योगिक तथा व्यवसायिक केन्द्र हैं,
2. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी इन्हीं जगहों पर स्थापित है।

इसके अलावा मुम्बई में भारत का सबसे बड़ा याचित मुद्रा बाजार निम्नलिखित कारणों से हैं:

1. मुख्य बैंक LIC, RBI तथा UTI का Head Office इसी जगह पर है।
2. भारत की सबसे बड़ी स्कन्ध विपणि (Stock Exchange) भी इसी जगह पर है।
3. यहां पर संवहन प्रणाली भी बहुत ज्यादा विकसित है।

9.5.2 समपार्श्विक ऋण बाजार

यह मुद्रा बाजार का दूसरा विशेष क्षेत्र है। यह स्टाकों द्वारा सुरक्षित, ऋणों के लिये बाजार होता है। यह भौगोलिक रूप से बहुत बडा एवं संगठित होता है। ऋण सामान्यतः वाणिज्यिक बैंको के द्वारा निजी पक्ष को दिया जाता है। समपार्श्विक ऋण प्रतिभूतियों, सरकारी बांड वै रूप में हो सकते हैं। जिसे आसानी से विपणन योग्य किया जा सके तथा उनके मूल्य ज्यादा लोचशील न हो। समपार्श्विक मुद्रा उधार लेने वाले को ऋण अदायगी के साथ ही वापिसदे दी जाती है। यदि उधार लेने वाला एक बार ऋण की अदायगी नहीं कर पाता,` गिरवी उसकी नहीं उधार वाली की सम्पत्ति बन जाती है। यह ऋण कुड ही महीने के लिये लिये एवं दिये जाते हैं।

9.5.3 स्वीकृत बाजार

स्वीकृत बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जहां व्यापारिक लेने–देनों के लिए बैंकर की स्वीकृत शामिल होती है यह बाजार बैंकर की स्वीकृति से समझौता करता है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक फर्म के द्वारा बैंक के ऊपर ड्राफ्ट लिखा जाता है एवं उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है यह किसी विशेष पक्ष की आज्ञा होती है या धारक को एक विशिष्ट तिथि विशेष राशि कीअदाएगी की आज्ञा होती है

9.5.4 बिल बाजार

बिल बाजार यह बाजार है जिसमें अल्प अवधि प्रपत्र या बिल खरीदे वह बेचे जाते हैं अल्पकालिक प्रपत्रों के मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं विनिमय पत्र खजांची पत्र (विस्तृत अध्ययन के लिए अगली इकाई देखें)

9.6 मुद्रा बाजार की संस्थाएं (THE INSTITUTION OF MONEY MARKET)

मुद्रा बाजार वे संस्थान होते हैं जोकि अल्पावधि कोषों के उधार लेने एवं देने का व्यापार करते हैं। दुनिया के सभी देशों में मुद्रा बाजार संस्थान एक जैसे नहीं होते, बल्कि वह एक देश से दूसरे देश में अलग–अलग होते हैं। वाणिज्यिक बैंक, केन्द्रीय बैंक, स्वीकृत गृह (acceptance houses), गैर वित्तीय मध्यस्थ (Non Banking Financial Intermediaries), दलाल आदि मुद्रा बाजार के मुख्य संस्थान हैं।

वे इस प्रकार से हैं–

1. वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks)

वाणिज्यिक बैंक मुद्रा बाजार की रीढ़ की हड्डी हैं। वे मुद्रा बाजार के महत्त्वपूर्ण घटक (constituents) हैं। ये बैंक अपने अल्पावधि के निक्षेपों (deposits) को, व्यापार एवं वाणिज्य में अल्पकाल के लिए लगा देते हैं।

वाणिज्य बैंक अपने कोषों का प्रयोग विनिमय पत्रों को भुनाने (discounting the bills of exchanges) में करते हैं।

वाणिज्य बैंक प्रतिज्ञा पत्रों के आधार पर, अग्रिम व अधिविकर्ष (over draft) उधार प्रदान करते है। याचित मुद्रा ऋण (calls money loans) इन बैंकों के द्वारा स्कन्ध विपणी बाजार (stock exchange market) के व्यापारियों एवं दलालों को दिया जाता है। वाणिज्यिक बैंक अपने अत्यधिक संचित (Execess Reserve) को विभिन्न रूपों व माध्यमों में निवेश करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि निवेशित किए कोष (Fund) तरल नहीं रहते बल्कि उन पर उच्च ब्याज भी अर्जित होता है अर्थात उन पर आय प्रतिफल (Income Yield) भी प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त सहकारी बैंक, बचत बैंक, वित्तीय कम्पनियां आदि भी, मुद्रा बाजार के एक हिस्से का निर्माण करते हैं।

2. केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

केन्द्रीय बैंक मुद्रा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक मौद्रिक प्राधिकारी है तथा इसे उच्च संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसी भी मुद्रा बाजार का अस्तित्व केन्द्रीय बैंक के बिना असम्भव है।

केन्द्रीय बैंक मुद्रा बाजार का, उधार देने वाला एक प्रमुखदाता एवं नियन्त्रक अभिभावक भी है। आपातकाल में (emergency) सदस्य बैंक केन्द्रीय बैंक के पास ऋण एवं अग्रिम राशि के लिए आ सकते हैं यह मुद्रा बाजार के संस्थानों की कार्यप्रणाली की नियन्त्रित एवं मार्ग दर्शन देती है। यह मुद्रा आपूर्ति एवं उधार को घटाती बढ़ाती रहती है ताकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

3. स्वीकृत गृह (Acceptence Houses)–

स्वीकृत गृह (Acceptance houses) एवं **Bill Brokers** बिल बाजार में व्यापार करने वाले मुख्य संस्थान है। स्वीकृत गृह (Acceptance houses) के संस्थानों का विकास इग्लैण्ड में हुआ वहाँ से मर्चेट बैंकर्स अपने मुख्यालय को 19वीं शताब्दी के अन्त एवं 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लन्दन मुद्रा बाजार में ले गए वे आयातको एवं निर्यातकों के मध्य, उधार देने वाले व लेने वालों के मध्य अल्पकाल के लिए मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं।

इस प्रकार वे बिना किसी समस्या के अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यापारिक बिलों को स्वीकार करने के बाद वे बिलों को परिपक्वता (maturity) तिथि पर बिलों की अदायगी का वचन देते हैं।

4. गैर–बैंकिग वित्तीय मध्यस्थ (Non-Banking Financial Intermediaries)

वाणिज्यिक बैंको के अतिरिक्त गैर–बैंकिग वित्तीय मध्यस्थ भी मुद्रा बाजार में अल्प अवधि कोषों के रूप में उधार का लेन देन करते हैं। गैर बैंकिंग वितीय मध्यस्थों में बचत बैंक, निवेश भवन (Investment Houses) बीमा

कम्पनियों, Building Societies, भविष्य निधि एवं दूसरे व्यावसायिक निगम जैसे कि चिट फन्ड आदि साम्मिलित हैं।

5. बिल के दलाल (Bill Broker)

विकसित मुद्रा बाजारों जैसे कि लन्दन मुद्रा बाजार एवं न्यूयार्क मुद्रा बाजार में निजी कम्पनियां बट्टा भवनों (Discount houses) के रूप में कार्य करती हैं। इन कम्पनियों का मुख्य कार्य दूसरों के पक्ष में बिलों को भुनाना होता है। इन कम्पनियों के अतिरिक्त बिलों के दलाल भी होते हैं जोकि उधार लेने वाले एवं उधार देने वाले के बीच एक छोटे से कमीशन पर, विनिमय पत्रों को भुनाकर मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। कम विकसित मुद्रां बाजारों में बिलों के दलाल एक महत्त्वपूर्ण मध्यस्थ होते हैं।

9.7 मुद्रा बाजार उपकरणों की विशेषताएँ

1. **उच्च तरलता**– इन वित्तीय परिसंपत्तियों की एक मुख्य विशेषता यह है कि इनमें उच्च तरलता होती है। वे निवेशक के लिए निश्चित आय उत्पन्न करते हैं और अल्पावधि परिपक्वता उन्हें अत्यधिक तरल बनाती है। इसी कारण मुद्रा बाजार के साधनों को मुद्रा के नजदीकी विकल्प के रूप में माना जाता ळें
2. **सुरक्षित निवेश**– ये वित्तीय साधन बाजार में उपलब्ध सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक हैं। चूँकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के जारीकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग उच्च होती है और रिटर्न पहले से तय होते हैं, इसलिए निवेशित पूंजी डूबने का जोखिम कम होता है।
3. **निश्चित रिटर्न** – चूंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अंकित मूल्य पर छूट पर पेश किए जाते हैं, इसलिए निवेशक को मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पहले से तय होती है। इससे व्यक्तियों को अपनी जरूरतों और निवेश क्षितिज के अनुरूप इंस्ट्रूमेंट चुनने में प्रभावी रूप से मदद मिलती है।

9.8 मुद्रा बाजार कैसे काम करता है?

मुद्रा बाजार विभिन्न प्रतिभागियों की बातचीत के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें सरकारें, निगम, वित्तीय संस्थान और व्यक्तिगत निवेशक शामिल हैं। ये प्रतिभागी अपनी तत्काल नकदी जरूरतों को पूरा करने और तरलता का प्रबंधन करने के लिए अल्पकालिक उधार और उधार लेते हैं। यहाँ मुद्रा बाजार कैसे काम करता है, इसका विवरण दिया गया है:

- **उधारकर्ताः** सरकार या निगम जैसी अल्पावधि मुद्रा की आवश्यकता वाली संस्थाएँ अपने तत्कालीक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा बाजार की तरफ आकृष्ट होती हैं। वे जल्दी से जल्दी धन जुटाने के लिए मुद्रा बाजार के साधन जारी करते हैं। ये साधन निवेशकों से उधार लेने के एक रूप के रूप में कार्य करते हैं।

- **मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्सः** उधारकर्ता अलग–अलग परिपक्वता, ब्याज दरों और क्रेडिट रेटिंग के साथ विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स जारी करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और पुर्नखरीद समझौते शामिल हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स अत्यधिक तरल होते हैं और इन्हें कम जोखिम वाला माना जाता है।

- **निवेशक** : अल्पकालिक निवेश के अवसरों की तलाश में अधिशेष कोषों वाले निवेशक मुद्रा बाजार की ओर रुख करते हैं। वे उधारकर्ताओं द्वारा जारी किए गए मुद्रा बाजार के उपकरण खरीदते हैं। बदले में, निवेशकों को उपकरणों पर ब्याज भुगतान या छूट मिलती है, जो उनके निवेश पर रिटर्न के रूप में काम करती है।

- **ट्रेडिंग और सेकेंडरी मार्केट** : मनी मार्केट इस्ट्रूमेंट्स को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, जिससे निवेशक उन्हें परिपक्वता की अवधि से पहले खरीद और बेच सकते हैं। यह सेकेंडरी मार्केट तरलता को बढ़ाता है, क्योंकि निवेशक इंस्ट्रूमेंट के परिपक्वता होने से पहले अपने फंड तक पहुंच सकते

हैं।

- **वित्तीय संस्थान** : बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं। वे अपनी तरलता का प्रबंधन करने और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा बाजार के साधनों का उपयोग करते हैं। वित्तीय संस्थान अपनी नकदी स्थिति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आय के स्रोत के रूप में मुद्रा बाजार के साथनों में भी निवेश करते हैं।

- **व्यक्तिगत निवेशक** : खुदरा निवेशकों सहित व्यक्तिगत निवेशक भी मुद्रा बाजार से जुड़े होते हैं। वे ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाणपत्र या बैंकों या निवेश फर्मों द्वारा पेश किए जाने वाले मनी मार्केट फंड जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। ये निवेश व्यक्तियों को अपने अधिशेष धन को सुरक्षित रखने या कम प्रतिशत कमाने के लिए एक सुरक्षित और अल्पकालिक रास्ता प्रदान करते हैं।

- **मनी मार्केट फंड** : ये ऐसे निवेश हैं जो व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से फंड इकट्ठा करते हैं। पेशेवर निवेश प्रबंधक इन फंडों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं, और वे जमा किए गए फंड को विभिन्न मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में वितरित करते हैं। मनी मार्केट फंड निवेशकों को मनी मार्केट तक पहुँचने और विविधीकरण से लाभ उठाने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करते है।

- **केंद्रीय बैंक** : वे मौद्रिक नीति संचालन करके मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करने, ब्याज दरों को प्रभावित करने और वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के लिए मुद्रा बाजार के साधनों को खरीदने या बेचने के लिए खुले बाजार संचालन जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं।

9.9 मुद्रा बाजार में कारोबार किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार

1. **ट्रेजरी बिल**– भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक उधार उपकरण हैं। ये सबसे पुराने मनी मार्केट उपकरण हैं जो अभी भी उपयोग में हैं। ट्रेजरी बिल कोई ब्याज नहीं देते हैं, लेकिन जारी होने के समय अंकित मूल्य पर छूट पर उपलब्ध होते हैं। ट्रेजरी बिल को दो तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है यानी परिपक्वता के आधार पर और प्रकार के आधार पर। ये सबसे सुरक्षित उपकरण हैं क्योंकि ये सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित हैं। रिटर्न की दर, जिसे जोखिम–मुक्त दर के रूप में भी जाना जाता है, अन्य सभी उपकरणों की तुलना में टी–364, टी–182 और इसी तरह के ट्रेजरी बिलों के लिए कम है।
2. **वाणिज्यिक पत्र**– वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जिसे वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। इसे भारत में 1990 में कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को अल्पकालिक उधार के अपने स्रोतों में विविधता लाने और निवेशकों को एक अतिरिक्त निवेश साधन प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। वाणिज्यिक पत्र एक मुद्रा बाजार सुरक्षा है जिसे बड़े निगमों द्वारा अल्पकालिक ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करने के लिए जारी करता है और इसे केवल जारीकर्ता बैंक या कंपनी द्वार द्वारा नोट पर निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि पर अंकित मूल्य का भुगतान करने के वादे द्वारा समर्थित किया जाता है।
3. **जमा प्रमाणपत्र**– जमा प्रमाणपत्र (CD) सीधे वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसे ब्रोकरेज फर्मों के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यह तीन महीने से लेकर पांच साल तक की परिपक्वता तिथि के साथ आता है और इसे किसी भी मूल्यवर्ग में जारी किया जा सकता है। अधिकांश एक निश्चित परिपक्वता तिथि और ब्याज दर प्रदान करते है, और ब्रोकरेज कर्मी के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यह तीन महीने से लेकर पांच साल तक की परिपक्वता तिथि के साथ आता है और इसे किसी भी मूल्यवर्ग में जारी किया जा सकता है। अधिकांश जमा प्रमाणपत्र एक निश्चित परिपक्वता तिथि और ब्याज दर प्रदान करते हैं, और परिपक्वता के समय से पहले निकासी करने पर जुर्माना लगाया जाता है। बैंक के चेकिंग खाते की तरह, जमा प्रमाणपत्र का बीमा फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) द्वारा किया जाता है।
4. **बैंकर की स्वीकृति** – बैंकर की स्वीकृति एक ऐसा प्रमाणपत्र है जो भविष्य के भुगतान का वादा करता है जिसकी गारंटी वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। इसे एक बहुत ही सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है और इसका व्यापक रूप से विदेशी व्यापार में उपयोग किया जाता है, बैंकर की स्वीकृति समय

ड्राफ्ट है जिसे बैंकों द्वारा स्वीकार किया जाता है और इसकी गारंटी दी जाती है और बैंक में जमा राशि पर निकाला जाता है। बैंकर की स्वीकृति की परिपक्वता अवधि 30 से 180 दिनों तक हो सकती है।

5. **पुनर्खरीद समझौते** – इसे रेपो या बायबैंक के रूप में भी जाना जाता है, पुनर्खरीद समझौते दो पक्षों के बीच एक औपचारिक समझौता है, जहाँ एक पक्ष दूसरे को सुरक्षा बेचता है, इस वादे के साथ कि वह बाद में खरीदार से इसे वापस खरीद लेगा। इसे सेल–बाय ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। विक्रेता एक पूर्व निर्धारित समय और राशि पर सुरक्षा खरीदता है जिसमें वह ब्याज दर भी शामिल होती है जिस पर खरीदार सुरक्षा खरीदने के लिए सहमत हुआ था।

9.10 मुद्रा बाजार का कार्य

1. **धन उपलब्ध कराता है**– मुद्रा बाजार कम ब्याज दर पर उधार लेने के लिए अल्पावधि निधि उपलब्ध कराता है। निजी और सार्वजनिक संस्थान वित्त बिल और वाणिज्यिक पत्र की प्रणाली के माध्यम से पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए मुद्रा बाजार से धन उधार ले सकते हैं। सरकार भी राजकोष बिल जारी करके मुद्रा बाजार से धन उधार ले सकती है। हालाँकि, मुद्रा बाजार वाणिज्यिक पत्र, राजकोष बिल आदि जैसे मुद्रा बाजार उपकरण जारी करता है और भारत के भीतर और बाहर व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के विकास में मदद करता है।

2. **केंद्रीय बैंक की नीतियाँ**– केंद्रीय बैंक किसी देश की मौद्रिक नीति का मार्गदर्शन करने और स्वस्थ वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने के लिए जिम्मेदार होता है। मुद्रा बाजार के माध्यम से, केंद्रीय बैंक अपने नीति–निर्माण कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकता है।

   उदाहरण के लिए, मुद्रा बाजार में अल्पकालिक ब्याज दरें बैंकिंग उद्योग में मौजूदा स्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और केंद्रीय बैंक को उचित ब्याज दर नीति विकसित करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं। साथ ही, एकीकृत मुद्रा बाजार केंद्रीय बैंक को उप–बाजारों को प्रभावित करने और अपनी मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को लागू करने में मदद करते हैं।

3. **सरकार की मदद करता है**–मुद्रा बाजार के साधन सरकार को लोक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकारी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने में मदद करते हैं। सरकार कम ब्याज दरों पर राजकोष बिल जारी करके अल्पकालिक निधि उधार ले सकती है। दूसरी ओर, अगर सरकार कागजी मुद्रा जारी करती है या कम ब्याज दरों पर राजकोष बिल जारी करके अल्पकालिक निधि उधार लेती है। दूसरी ओर, अगर सरकार कागजी मुद्रा जारी करती है या केंद्रीय बैंक से उधार लेती है, तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी।

4. **वित्तीय गतिशीलता में मदद करता है**– मुद्रा बाजार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में धन के आसान हस्तांतरण को सक्षम करके वित्तीय गतिशीलता में मदद करता है। अर्थव्यवस्था में उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए वित्तीय गतिशीलता आवश्यक है।

5. **तरलता और सुरक्षा को बढ़ावा देना**– यह मुद्रा बाजार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, क्योंकि यह धन की सुरक्षा और तरलता प्रदान करता है। यह बचत और निवेश को भी प्रोत्साहित करता है। इन निवेश साधनों की परिपक्वता अवधि कम होती है, जिसका अर्थ है कि इन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। मुद्रा बाजार के साधन अच्छे क्रेडिट स्कोर वाली संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, जो उन्हें सुरक्षित निवेश विकल्प बनाता है।

6. **नकदी के उपयोग में मितव्ययिता**– चूंकि मुद्रा बाजार वास्तविक मुद्रा में नहीं बल्कि निकट–मुद्रा परिसंपत्तियों में सौदा करता है, यह नकदी के उपयोग को किफायती बनाने में मदद करता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन हस्तांतरित करने का एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है, जिससे भारत में वाणिज्य और उद्योग को बहुत मदद मिलती है।

9.11 सारांश

मुद्रा बाजार अल्पकालीन सम्पत्तियों (एक साल से कम समय के लिये) के क्रय–विक्रय का एक स्थान है, व्यापारिक फर्में इसका उपयोग इन्वेन्टरीज को खरीदने में करती है। विक्रय वित्त पोषण कम्पनियों इसे उपभक्ता के लिये उपयोगा करती हैं। बैंक इसका प्रयोग अस्थायी संचित अभाव के वित्त पोषण के लिये करता है एवं सरकार इसका प्रयोग कर–प्राप्तियों एवं व्ययों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये करती हैं।

मुद्रा बाजार के क्षेत्र के रूप में काल मनी मार्केट, गिरवी ऋण बाजार, स्वीकृत बाजार, बिल बाजार आते हैं। वाणिज्यिक बैंक, केन्द्रीय बैंक, स्वीकृत गृह गैर वित्तिय मध्य मध्यस्थ दलाल आदि मुद्रा बाजार के मुख्य संस्थान हैं। एक विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये एक विकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता होती है। मुद्रा बाजार का विकास प्रत्येक देश मे अलग–अलग प्रकार से होता है चाहे वे देश विकसित हो या अविकसित । मुद्रा बाजार ने किसी भी देश के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुद्रा बाजार ने ही अल्प अवधि कोषों में निवेश के द्वारा बोले हैं। मुद्रा बाजार व्यापार, बाणिज्य उद्योग को औद्योगिक सहायता करने आर्थिक विकास में सहायक हैं। मुद्रा बाजार ने ऐसे सही बातावरण का निर्माण किया है। जिससे केन्द्रीय बैंक मुद्राआपूर्ति को आसानी से नियमित सके।

9.12 आर्थिक शब्दावली

1. **बिल बाजार**– यह वह बाजार है जिसमें अल्प अवधि विल खरीदे एवं बेचे जाते हैं।
2. **विनिमय प्रपत्र**– यह एक लिखित शर्त रहित प्रपत्र होत है, जो कि आहर्ता या चेक लिखने वाले के द्वारा हस्तारित होती है ताकि भुगतान की मांग पर या निश्चित भविष्य में एक निर्मा शारी अदा कर सकें।
3. **वाणिज्य प्रपत्र**– वाणिज्य प्रपत्र अल्प अवधि के प्रपत्र होते है जो कि बैंकों बीमा एवं वित्त ये कम्पनियों द्वारा जारी किये जाते हैं।
4. **बट्टा बाजार**– बट्टा बाजार वह बाजार जगह है जहाँ लघु प्रपत्र जैसे वाणिज्यक बिल ट्रेजरी बिल वाणिज्यक बैंक द्वारा बहित (Discounted) करवाये जाते हैं।

9.13 अभ्यास प्रश्न

- मुद्रा बाजार क्या है? इसके घटक कौन–कौन से है?
- भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताओं का वर्णन किजिये।
- मुद्रा बाजार किन कार्यों का निष्पादन करता है। व्याख्या कीजिये।

9.14 संदर्भ पुस्तकें

- वित्तीय संस्थायें तथा बाजार – शशि के. गुप्त, निशा अग्रवाल
- Financial Markets & Institution & E. Gordon, K.Natrajan (Himalya Publication)
- वित्तीय बाजार और संस्थायें – विनोद कुमार, मनमीत कौर
- वित्तीय बाजार और संस्थायें – डा0 सतीश कुमार सिंह, डा0 अभय घोडके

इकाई–10

कालमनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कामर्शियल बिल मार्केट

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 मुद्रा बाजार की संरचना एवं महत्वपूर्ण घटक

10.3 कालमनी मार्केट : अर्थ एवं आशय

10.3.1 कालमनी मार्केट की विशेषताएँ

10.3.2 कालमनी मार्केट के लाभ

10.3.3 कालमनी मार्केट की सीमाएं

10.4 ट्रेजरी बिल मार्केट : अर्थ एवं आशय

10.4.1 ट्रेजरी बिल मार्केट के प्रकार

10.4.2 ट्रेजरी बिल मार्केट के लाभ

10.4.3 ट्रेजरी बिल की सीमाएं

10.5 कामर्शियल बिल मार्केट : अर्थ एवं आशय

10.5.1 कामर्शियल बिल के प्रकार

10.5.2 कामर्शियल बिल मार्केट का वर्गीकरण

10.5.3 कामर्शियल बिल मार्केट के लाभ

10.5.4 कामर्शियल बिल मार्केट की कमियाँ

10.6 सारांश

10.7 बोधप्रश्न

10.8 संदर्भ पुस्तकें

10.0 उद्देश्य

1. इस इकाई में हम कालमनी मार्केट एवं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगें।
2. इस इकाई में हम कालमनी मार्केट के लाभ और सीमाओं का अध्ययन करेंगें।
3. इस इकाई में हम ट्रेजरी बिल मार्केट एवं ट्रेजरी बिल मार्केट की विशेषताओं को जानेगें।
4. इस इकाई में हम ट्रेजरी बिल मार्केट के लाभ और सीमाओं का अध्ययन करेंगें।
5. इस इकाई में हम कामर्शियल बिल मार्केट एवं कामर्शियल बिल के प्रकार का अध्ययन करेंगें।
6. इस इकाई में हम कामर्शियल बिल मार्केट का वर्गीकरण के साथ–साथ कामर्शियल बिल मार्केट के लाभ और कामर्शियल बिल मार्केट की कमियों को जानेंगे।

10.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा वचन पत्र के रूप में जारी किए गए मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, जिनकी बाद में पुनर्भुगतान की गारंटी होती है। ऐसे उपकरणों के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग आमतौर पर सरकार की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिससे देश के समग्र राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके। ये मुख्यतः अल्पकालिक उधार उपकरण हैं, जिनकी अधिकतम अवधि 364 दिन होती है और ये उपकरण ब्याज दर पर उपलब्ध होते हैं। इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकाशित अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है। जैसे सरकारी ट्रेजरी बिलों को व्यक्ति प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर छूट पर खरीद सकते हैं और उन्हें उनके नाममात्र मूल्य पर भुना सकते हैं, जिससे निवेशकों को अंतर की राशि प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, 120 रुपये के अंकित मूल्य वाले 91–दिवसीय ट्रेजरी बिल को 118-40 रुपये की रियायती कीमत पर खरीदा जा सकता है। परिपक्वता पर, व्यक्ति 120 रुपये का पूरा नाममात्र मूल्य प्राप्त करने के पात्र होते हैं, जिससे उन्हें 1-60 रुपये का लाभ प्राप्त होता है।

10.2 मुद्रा बाजार की संरचना एवं महत्वपूर्ण घटक

मुद्रा बाजार एक प्रकार का अल्पकालीन उधार बाजार है यह तरलता संपत्ति के साथ सौदा व्यापार करता है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा बाजार एक प्रकार से मुद्रा संपत्ति में अल्पकालिक सौदा करने का केंद्र है यह ऋण लेने वाले की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा ऋण देने वाले को तरलता प्रदान करता है यह एक ऐसा स्थान है जहां अल्पकालिक अधिक पुरुषों का विनियोग संस्थानों में किया जाता है तथा व्यक्तिगत ऋण दाता द्वारा बोली लगती है मुद्रा बाजार की संरचना मुद्रा बाजार की संरचना का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है

1. अवयव
2. संस्थाएं
3. उपकरण ..

मुद्रा बाजार के मुख्य घटकों को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है

1. मांग मुद्रा बाजार
2. सम पार्श्विक ऋण बाजार
3. स्वीकृत बाजार
4. बिल बाजार

मांग मुद्रा बाजार मुद्रा बाजार का वह भाग होता है जहां बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं एक दिन से लेकर 14 दिनों की अति अल्पकालिक अवधि के लिए एक दूसरे को धन उधार देते और लेते हैं मांग मुद्रा बाजार बैंकों को अपनी नगदी के अभाव या अधिक को प्रबंध करके नगद आरक्षित अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है और यह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों से भी प्रभावित होता है यह एक प्रकार का अति अल्पकालिक ऋण होता है यदि यह ऋण एक दिन के लिए होता है तो इसे कालमनी कहते हैं यदि यह ऋण की समय अवधि 2 से 14 दिनों के लिए होती है तो इस नोटिस मनी कहते हैं यदि इसकी समय अवधि 15 दिन से अधिक का होता है तो टर्म मनी कहलाता है मांग मुद्रा बाजार में निम्न संस्थाएं भाग लेती हैं वाणिज्यिक बैंक सहकारी बैंक बीमा कंपनियां म्युचुअल फंड भारतीय रिजर्व बैंक

10.3 कालमनी मार्केट : अर्थ एवं आशय

कालमनी किसी वित्तीय संस्थान द्वारा किसी अन्य वित्तीय संस्थान को दिया जाने वाला एक से 14 दिनों का अल्पकालिक, ब्याज–भुगतान वाला ऋण है। ऋण की अल्पकालिक प्रकृति के कारण, इसमें नियमित मूलधन और ब्याज भुगतान नहीं होता, जबकि दीर्घकालिक ऋणों में होता है।

कालमनी का उपयोग वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों के हित में, जो अपने निवेश का लाभ उठाना चाहते हैं,

और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अल्पकालिक वित्तपोषण के स्रोत के रूप में करते हैं। यह धनराशि ऋणदाताओं और ऋण प्राप्तकर्ताओं के बीच तेजी से स्थानांतरित हो सकती है।

सरल शब्दों में, मुद्रा माँग बाजार मूलतः वित्तीय बाजार का एक ऐसा भाग है जहाँ उच्च तरलता और अल्पकालिक परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरण खरीदे और बेचे जाते हैं। प्रतिभागी इसका उपयोग अल्पावधि के लिए उधार लेने और उधार देने के रूप में करते हैं। भारत के प्रमुख वित्तीय बाजारों में से एक कालमनी मार्केट है, जिसमें अधिशेष धन (अधिकांशतः वित्तीय संस्थानों से) का नियमित रूप से व्यापार किया जाता है।

भारत के इक्विटी बाजार (मुख्यतः बैंकों से) में जब दैनिक आधार पर अतिरिक्त अधिशेष धनराशि बेची जाती है, तो कालमनी मार्केट एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। पूंजी बाजार अपेक्षाकृत अल्पकालिक पूंजीगत साधनों का बाजार है जिनका उपयोग मुद्रा के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। सबसे पहले, मुद्रा बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह तरल होती है और अपेक्षाकृत कम कीमत पर भी इसे त्वरित नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऋणदाताओं की अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करके शीघ्रता से धन बचाने की क्षमता को संतुलित करने में भी मदद करती है।

10.3.1 कालमनी मार्केट की विशेषताएँ–

माँग मुद्रा बाजार, आकर्षक वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। यह अतिरिक्त पूंजी प्रदान करता है और ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में वित्तीय विवरण के विकास में योगदान देता है।

एक स्थिर कालमनी दर वैश्विक परिप्रेक्ष्य से किसी समूह की तरल परिसंपत्तियों में उतार–चढ़ाव को कम करने में मदद करती है, जिससे वित्तीय अनुप्रयोग की व्यवहार्यता में सहयता मिलता है। तथा एक स्थिर समष्टि अर्थव्यवस्था एक विश्वसनीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण या मानक–निर्धारक के रूप में कार्य करती है। स्थानीय स्तर पर, संस्थाओं द्वारा अल्पकालिक उधारी व्यक्तिगत वित्त की प्रभावशीलता को दो दिशाओं में बढ़ाती है। एक अर्थ में, कालमनी दर बैंकों को अन्यथा संभव से अधिक ऊँची रेपो दर बनाए रखने की अनुमति देती है। कालमनी दर कुछ वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक आधार पर एक अतिरिक्त दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी विविध मुद्रा राशि बढ़ाने की भी अनुमति देती है।परिणामस्वरूप, एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी कालमनी दर निगमों के सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है और उनकी कुल उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करती है।

मुद्रा माँग बाजार मूलतः वित्तपोषण का एक रूप है। मौद्रिक बाजार में बिक्री में अल्पकालिक पूँजी ऋण और एक निश्चित अवधि के लिए नकद भुगतान शामिल होता है जो केवल एक वर्ष में उपलब्ध (पूरी तरह से चुकाया गया) होता है।

- यह अपेक्षाकृत डिजिटल उद्योग है। जिसकी कोई निश्चित वैश्विक स्थिति नहीं है।
- इसमें वाणिज्यिक बैंक, वित्त कंपनियां, बीमा और वित्तीय बाजारों में सक्रिय अन्य बड़े संगठन।
- यह बाजार ओवरनाइट फंड से लेकर 14 दिन के फंड तक की सुविधा प्रदान करता है।
- इस बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ऋणदाता द्वारा मांगे जाने पर उधारकर्ता को पैसा वापस करना पड़ता है।

कॉल और अल्प सूचना पर धन

कालमनी और शॉर्ट नोटिस मनी, कालमनी मार्केट का एक हिस्सा है। एक दिन के लिए उधार ली गई नकदी को "कालमनी" कहा जा सकता है। यह रात के समय की नकदी को संदर्भित करता है, न कि उस मुद्रा को जिसे अधिक दिनों के लिए उधार दिया जाता है और जिसे ष्शॉर्ट नोटिस मनीष कहा जाता है। सरल शब्दों में, कालमनी और शॉर्ट नोटिस मनी उस समय को संदर्भित करता है जब उधार देने वाली कंपनी को किसी विशिष्ट समय सीमा या कॉल पर उधार दी गई राशि के लिए कोई संपार्श्विक प्राप्त नहीं होता है।

विनियमित वित्तीय संस्थाएं (आरआरबी को छोड़कर), सहकारी बैंक, तथा अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, प्रमुख

वितरक (पीडी) सभी कॉल और नोटिस मनी बाजार में भागीदार हैं, तथा उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में कार्य करते हैं।

कालमनी दर या मुद्रा माँग दर–

कालमनी दर वह दर होती है जिस पर बहुत कम अवधि के लिए मुद्रा बाजार में धन का व्यापार या उधार दिया जाता है। यह एक प्रकार का वित्तीय ऋण होता है जो एक निश्चित दर पर ग्राहकों को दिया जाता है और जिसे उधारकर्ता द्वारा माँगे जाने पर ऋणदाता को वापस करना होता है।

10.3.2 कालमनी मार्केट के लाभ

- इस क्षेत्र में उधार देने का खर्च अधिक अस्थिर होता है, इसलिए उसे वापस किया जा सकता है।
- वित्तीय मध्यस्थों का होना और धन हस्तांतरण करना संभव है। यह अवशेष धनराशि के बदले ब्याज प्रदान करता है।
- यह वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थानों को धन की कमी होने पर अपनी त्ठप् आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।
- इससे प्रबंधन को छोटी–छोटी धनराशि एकत्रित करने में सहायता मिलती है। क्योंकि सदस्यों की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है और कॉल सुरक्षित हैं।
- यह वास्तव में केंद्रीय बैंकों के कार्यों के लिए लाभदायक है। ब्याज दरें बढ़ने और काफी अनिश्चित होने के बावजूद, बैंक कॉलमनी मार्केट को अतिरिक्त नकदी उपलब्ध कराकर पैसा कमा सकते हैं। इससे बैंकों के नकदी प्रवाह को अस्थायी रूप से नियोजित करने के लिए एक आकर्षक अवसर मिलता है।
- कॉलमनी मार्केट में दिए गए ऋण बहुत लचीले होते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। इससे बैकिंग क्षेत्र को मार्केट कॉल करके बड़े, अप्रत्याशित पुनर्भुगतान और हस्तांतरण करने की सुविधा मिलती है।

10.3.3 कालमनी मार्केट की सीमायें–

- यह केवल प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ही पाया जाता है।
- कालमनी बाजार अभी संयुक्त नहीं हैं।
- मुद्रा बाजार दरों के परिवर्तनशील होने का मुद्दा भी है।
- ऋणदाता कभी भी अपनी राशि मांग सकता है।

10.4 ट्रेजरी बिल मार्केट : अर्थ एवं आशय

भारत में ट्रेजरी बिल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। 91–दिन, 182–दिन, और 364–दिन के ट्रेजरी बिल। ये शॉर्ट–टर्म सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, जिन्हें आरबीआई जारी करता है। निवेशकों को ये डिस्काउंट पर मिलते हैं और परिपक्वता पर पूर्ण अंकित मूल्य प्राप्त होता है।

ट्रेजरी बिल का अर्थ एवं आशय

ट्रेजरी बिल मार्केट वह वित्तीय बाजार है जहां अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और आरबीआई के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सरकार की अल्पकालिक उधारी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।

यह बाजार निवेशकों को सुरक्षित और तरल निवेश विकल्प प्रदान करता है। ट्रेजरी बिलों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कॉरपोरेट्स द्वारा खरीदा जाता है। ये बिल डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता पर पूर्ण

मूल्य का भुगतान किया जाता है। इससे निवेशकों को जोखिम–मुक्त रिटर्न मिलता है।

ट्रेजरी बिल अर्थात खजांची बिल अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। जिनका समय **91** दिन का होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से बेची जाती हैं। खजांची बिलों पर ब्याज की कोई निश्चित दर निर्धारित नहीं होती है। ये केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर बेची जाती हैं।

ट्रेजरी बिल ऐसे व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं, जो प्रतिभूतियों के निम्न ब्याज दर से संतुष्ट रहें। खजांची बिल पर कोई जोखिम नहीं होता है क्योंकि ये सरकारी प्रपत्र होते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकालिक कोषो में निवेश करने का सबसे सुरक्षित प्रपत्र होते हैं।

खजांची बिल तरल एवम बहुत ही सुरक्षित होते हैं। क्यो की उनकी पुनः अदायगी की गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है। जो हमेशा उन्हें खरीदने की इच्छा रखता है।

ट्रेजरी बिल की विशेषताएँ –

1. ट्रेजरी बिल मार्केट वह वित्तीय बाजार है जहां सरकार द्वारा अल्पकालिक ऋण उपकरणों (ट्रेजरी बिल्स) की खरीद–फरोख्त होती है। यह निवेशकों को सुरक्षित और तरल निवेश विकल्प प्रदान करता है।
2. भारत में ट्रेजरी बिल्स 91–दिन, 182–दिन और 364–दिन की परिपक्वता अवधि के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। इन्हें डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य प्राप्त होता है।
3. निवेशक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड के माध्यम से ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं। आरबीआई की नीलामी प्रक्रिया के तहत गैर–प्रतिस्पर्धी बोलियां भी लगाई जा सकती हैं।
4. इनका डिफॉल्ट जोखिम कम होता है, तरलता अधिक होती है और यह सुरक्षित निवेश विकल्प हैं। हालांकि, कम रिटर्न, ब्याज दर जोखिम और मुद्रास्फीति प्रभाव जैसी सीमाएँ भी होती हैं।
5. ट्रेजरी बिल्स से अर्जित लाभ को ब्याज आय माना जाता है और निवेशक की कर स्लैब के अनुसार कर योग्य होता है।

10.4.1 ट्रेजरी बिल मार्केट के प्रकार–

1. खजांची बिलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है (1) पहली साधारण/नियमित (2) तदर्थ पहली साधारण खजांची बिल यह बिल नीलामी प्रक्रिया के द्वारा जनता एवं भारतीय रिजर्व बैंक को जारी किए जाते हैं इसका उद्देश्य सरकार की अल्पावधि वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।
2. तदर्थ खजांची बिल, ऋण तदर्थ खजांची बिल भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में सरकारी नगद संतुलन को फिर से भरने के लिए निगर्मित किए जाते हैं बैंक इसके मुख्य प्रार्थी होते हैं क्योंकि वह पूर्व आकर्षित प्रत्यय, उच्च तरलता प्रदान करते हैं एवं उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना से अल्प समय काल में भी भुनाया जा सकता है

भारत में ट्रेजरी बिल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं।

- 91–दिन ट्रेजरी बिल – ये सबसे अल्पकालिक ट्रेजरी बिल होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है।
- 182–दिन ट्रेजरी बिल – ये मध्यम अवधि के बिल होते हैं, जो निवेशकों को अपेक्षाकृत बेहतर रिटर्न प्रदान करते हैं और सरकारी वित्तीय प्रबंधन में सहायक होते हैं।
- 364–दिन ट्रेजरी बिल – ये एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य सरकार की वार्षिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।

सामान्यतया ट्रेजरी बिल निम्नांकित दिनों के लिये होते हैं।

- **आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल** – व्यक्तिगत निवेशक पोर्टल के माध्यम से ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। यह एक सरल और सीधा तरीका है।
- **बैंकों और ब्रोकरेज फर्मों के माध्यम से** – कई बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को ट्रेजरी बिल खरीदने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके लिए डीमैट खाता आवश्यक हो सकता है।
- **निविदा–आधारित खरीदारी** – संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशक आरबीआई की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। यह नीलामी एनएसई और बीएसई पर भी उपलब्ध होती है।
- **गैर–प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया** – छोटे निवेशक आरबीआई की गैर–प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं, जहां उन्हें नीलामी में प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती।
- **म्यूचुअल फंड और टी–बिल ईटीएफ के माध्यम से** – निवेशक ट्रेजरी बिलों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड योजनाओं और एक्सचेंज–ट्रेडेड फंड (म्ज्थ्) का उपयोग कर सकते हैं।

भारत में ट्रेजरी बिल्स पर टैक्स–

भारत में ट्रेजरी बिल्स से होने वाली आय को कैपिटल गेन या ब्याज आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्योंकि ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट पर जारी होते हैं और परिपक्वता पर अंकित मूल्य प्राप्त होता है, इस अंतर को ब्याज आय माना जाता है और यह ब्याज आय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य होती है।

a. **आयकर नियम** – ट्रेजरी बिल्स पर अर्जित लाभ स्लैब दरों के अनुसार निवेशक की कुल आय में जोड़ा जाता है और उसी दर से कर योग्य होता है।

b. **टीडीएस (TDS) लागू नहीं**– ट्रेजरी बिल्स पर प्रायः आय स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं होती, लेकिन निवेशकों को इसे आयकर रिटर्न में घोषित करना आवश्यक होता है।

c. **कैपिटल गेन कर** – यदि निवेशक ट्रेजरी बिल को परिपक्वता से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं, तो लाभ शॉर्ट–टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत कर योग्य हो सकता है।

d. **कॉर्पोरेट कराधान** – कॉर्पोरेट संस्थानों के लिए, ट्रेजरी बिल्स से प्राप्त लाभ को व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है और कंपनियों की कर दरों के अनुसार कर लगता है।

e. **कर बचत विकल्प नहीं** – ट्रेजरी बिल्स पर प्राप्त आय धारा 80C या किसी अन्य कर बचत प्रावधान के अंतर्गत नहीं आती, जिससे यह कर–मुक्त निवेश विकल्प नहीं बनता।

10.4.2 ट्रेजरी बिल्स के लाभ

- **कम जोखिम**– ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिससे इनका डिफॉल्ट जोखिम लगभग शून्य होता है।
- **उच्च तरलता**– इन्हें आसानी से सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है, जिससे निवेशकों को त्वरित नकदी मिल सकती है।
- **कर लाभ**– ट्रेजरी बिल पर अर्जित ब्याज कुछ कर लाभों के योग्य हो सकता है, जिससे निवेशकों को कर बचत का लाभ मिलता है।
- **निश्चित रिटर्न**– यह निवेशकों को स्थिर और पूर्व निर्धारित रिटर्न प्रदान करता है, जिससे पूंजी संरक्षण सुनिश्चित होता है।
- **विविध पोर्टफोलियो**– यह निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो में स्थिरता और संतुलन जोड़ने में मदद करता है।

10.4.2 ट्रेजरी बिल की सीमाएँ

a. **कम रिटर्न** – अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में ट्रेजरी बिल अपेक्षाकृत कम रिटर्न प्रदान करते हैं।

b. **ब्याज दर जोखिम**– बाजार में ब्याज दरों में बदलाव से ट्रेजरी बिल्स की मांग और मूल्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

c. **दीर्घकालिक अवधि के लिए अनुपयुक्त**– यह निवेश केवल अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होता है, दीर्घकालिक अवधि के लिए नहीं।

d. **मुद्रास्फीति प्रभाव**– यदि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है, तो ट्रेजरी बिल्स से मिलने वाला रिटर्न वास्तविक रूप से कम हो सकता है।

e. **प्रत्यक्ष निवेश जटिलता**– प्रत्यक्ष नीलामी प्रक्रिया कुछ निवेशकों के लिए जटिल हो सकती है, जिससे वे बैंकों या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना पसंद करते हैं।

10.5 कामर्शियल बिल मार्केट : अर्थ एवं आशय

कामर्शियल बिल वह होता है जो किसी वास्तविक व्यापारिक लेन–देन, अर्थात् उधार लेन–देन, से उत्पन्न होता है। जैसे ही माल उधार बेचा जाता है, विक्रेता क्रेता को देय राशि का एक बिल जारी करता है। क्रेता उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है और एक निश्चित तिथि के बाद उसमें उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है। इस प्रकार, विनिमय पत्र में लेनदार द्वारा देनदार को एक लिखित आदेश होता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित राशि, एक निश्चित व्यक्ति को, भुगतान करने का आदेश होता है। यह हमेशा 3 महीने से 6 महीने के बीच की छोटी अवधि के लिए जारी किया जाता है।

भारत में, ट्रेजरी बिल पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 1917 में जारी किए गए थे। ये ट्रेजरी बिल केंद्रीय बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। ये नीलामी त्ठप् के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई–कुबेर पर आयोजित की जाती हैं, जहाँ बैंक, संस्थागत निवेशक और प्राथमिक डीलर अपनी बोलियाँ लगाते हैं।

बैंकों, ट्रस्टों और संस्थानों के अलावा, व्यक्ति भी सीधे आरबीआई से ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। बैंक आमतौर पर रेपो दर के तहत धन प्राप्त करने के लिए आरबीआई को ट्रेजरी बिल देते हैं। इसी तरह, वे अपनी एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इसे बनाए रख सकते हैं।

10.5.1 कामर्शियल बिल के प्रकार

1. **डिमांड और यूजिस बिल**– डिमांड बिल को माँग बिल भी कहा जाता है। ये बिल आहर्ता को प्रस्तुत होते ही तुरंत देय होते हैं। भुगतान का कोई समय निर्दिष्ट नहीं होता, इसलिए ये माँग बिल के अनुसार देय होते हैं। यूजिस बिल को समय बिल कहा जाता है। ये बिल में उल्लिखित समयावधि की समाप्ति के तुरंत बाद देय होते हैं। यह अवधि देश में प्रचलित व्यापारिक प्रथा या प्रचलन के अनुसार बदलती रहती है।

2. **क्लीन बिल और दस्तावेजी बिल**– जब बिलों के साथ रेलवे, रसीद, लॉटरी रसीद, बिल ऑफ लैडिंग आदि जैसे माल के शीर्षक के दस्तावेज संलग्न होने चाहिए तो उन्हें दस्तावेजी बिल कहा जाता है। इन बिलों को आगे डी/ए बिल और डीध्पी बिल में वर्गीकृत किया जा सकता है। डीध्ए बिलों के मामले में, बिलों के साथ आए दस्तावेजों को स्वीकृति के तुरंत बाद आहर्ता को सौंपना होगा। आम तौर पर डीध्ए बिल उन पक्षों पर निकाले जाते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है। दूसरी ओर, डीध्पी बिलों के मामले में दस्तावेजों को केवल भुगतान के खिलाफ आहर्ता को सौंपना होगा। ऐसे बिलों के भुगतान तक दस्तावेजों को बैंकर द्वारा बनाए रखा जाएगा। जब बिल बिना किसी दस्तावेज के निकाले जाते हैं तो उन्हें क्लीन बिल कहा जाता है

3. **अंतर्देशीय और विदेशी बिल**— अंतर्देशीय बिल वे होते हैं जो भारत में रहने वाले व्यक्ति के नाम पर लिखे जाते हैं और भारत में देय होते हैं। विदेशी बिल भारत के बाहर लिखे जाते हैं और ये भारत में या भारत के बाहर देय हो सकते हैं। ये भारत में रहने वाले व्यक्ति के नाम पर भी लिखे जा सकते हैं। विदेशी बिलों की उत्पत्ति भारत के बाहर हुई है। इनमें भारत पर लिखे गए वे बिल भी शामिल हैं जो भारत के बाहर देय हैं।

4. **निर्यात और आयात बिल**— निर्यात बिल वे होते हैं जो भारतीय निर्यातकों द्वारा भारत के बाहर आयातकों पर तैयार किए जाते हैं, तथा आयात बिल वे होते हैं जो भारत के बाहर निर्यातकों द्वारा भारत में भारतीय आयातकों पर तैयार किए जाते हैं।

5. **स्वदेशी बिल**— स्वदेशी बिल वे होते हैं जो स्थानीय रीति—रिवाजों या व्यापार के प्रचलन के अनुसार तैयार और स्वीकार किए जाते हैं। ये बिल केवल स्वदेशी बैंकरों के बीच ही लोकप्रिय हैं। भारत में इन्हें 'हुंडी' कहा जाता है। हुंडी को 'शाह जोग, नाम जोग, जोखानी, तेरमेनजोग, दर्शनी, धनीजोग' आदि कई नामों से जाना जाता है।

6. **समाोजन बिल और आपूर्ति बिल**— यदि बिल वास्तविक व्यापारिक लेन—देन से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उन्हें समायोजन बिल कहा जाता है। इन्हें श्काइट बिलश या श्विंड बिलश के नाम से जाना जाता है। दो पक्ष केवल पारस्परिक वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से एक—दूसरे के नाम बिल बनाते हैं। इन बिलों को बैंकरों के साथ भुनाया जाता है और प्राप्त राशि आपस में बाँट ली जाती है। नियत तिथि पर, इनका भुगतान कर दिया जाता है। आपूर्ति बिल वे होते हैं जो न तो आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों द्वारा सरकारी विभागों के लिए माल के लिए निकाले जाते हैं और न ही इनके साथ माल के स्वामित्व के दस्तावेज संलग्न होते हैं। ये बिल केवल वाणिज्यिक बैंकों से अग्रिम प्राप्त करने के लिए ही उपयोगी होते हैं, इसके लिए इन बिलों पर शुल्क लगाया जाता है।

10.5.2 कामर्शियल बिल मार्केट का वर्गीकरण—

कामर्शियल बिल बाजार परिचालन के दृष्टिकोण से, वाणिज्यिक बिल बाजार को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- डिस्काउंट बाजार
- स्वीकृति बाजार

1. डिस्काउंट बाजार

डिस्काउंट बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय मध्यस्थों द्वारा अल्पकालिक वास्तविक व्यापारिक बिलों पर छूट दी जाती है। जब उधार बिक्री की जाती है, तो विक्रेता खरीदार को एक बिल जारी करता है, जो उसे स्वीकार करते समय निर्दिष्ट अवधि में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का वादा करता है। विक्रेता को भुगतान प्राप्त करने के लिए बिल की परिपक्वता तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन, बिल बाजार की उपस्थिति उसे तुरंत भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। विक्रेता किसी वित्तीय मध्यस्थ के साथ बिल पर छूट देकर, परिपक्वता तिथि पर श्डिस्काउंट दरश नामक एक छोटी राशि का भुगतान करके तुरंत भुगतान सुनिश्चित कर सकता है। मध्यस्थ बिल स्वीकार करने वाले व्यक्ति से बिल की राशि का दावा करता है।

कुछ देशों में, कुछ वित्तीय मध्यस्थ हैं जो डिस्काउंटिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। उदाहरण के लिए, लंदन मनी मार्केट में बिल डिस्काउंटिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले मध्यस्थ हैं। भारत में ऐसी संस्थाएँ स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। इसलिए, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को डिस्काउंटिंग का कार्य करना पड़ता है। हालाँकि, इस बाजार को सक्रिय करने के लिए क्थ्भ् की स्थापना की गई है।

2. स्वीकृति बाजार—

स्वीकृति बाजार उस बाजार को संदर्भित करता है जहाँ वित्तीय मध्यस्थों द्वारा अल्पकालिक वास्तविक व्यापारिक बिल स्वीकार किए जाते हैं। सभी व्यापारिक बिलों को आसानी से भुनाया नहीं जा सकता क्योंकि बिलों के पक्षकार वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हो सकते। यदि ऐसे बिल बैंकों जैसे वित्तीय मध्यस्थों द्वारा स्वीकार किए

जाते हैं, तो बिलों को अच्छी प्रतिष्ठा और नाम मिलता है और ऐसे बिलों को कहीं भी आसानी से भुनाया जा सकता है। लंदन में, स्वीकृति हाउस नामक विशेषज्ञ फर्में हैं जो व्यापारियों द्वारा निकाले गए बिलों को स्वीकार करती हैं और ऐसे बिलों को अधिक बाजारीकरण प्रदान करती हैं। हालाँकि, हाल के दिनों में उनका महत्व कम हो गया है। वाणिज्यिक बैंक कुछ हद तक स्वीकृति व्यवसाय करते हैं।

10.5.3 कामर्शियल बिल मार्केट के लाभ

कामर्शियल बिल मार्केट व्यापार और उद्योग के लिए अल्पकालिक निधियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह तरलता प्रदान करता है और मुद्रा बाजार को सक्रिय करता है। भारत में, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित लाभों के कारण इस बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. **तरलता**– कमर्शियल बिल अत्यधिक तरल संपत्तियाँ होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर, केंद्रीय बैंक के साथ कैश के माध्यम से बिलों को आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल की अवधि निश्चित होती है। इसके अलावा, वे परक्राम्य लिखत होते हैं और इसलिए उन्हें केवल सुपुर्दगी या पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है।
2. **भुगतान की निश्चितता**– बिल वित्तीय संस्थाओ द्वारा तैयार और स्वीकार किए जाते हैं। आमतौर पर, संस्थाएं अपनी बात पर अड़े रहते हैं और बिलों के इस्तेमाल से उन पर सख्त वित्तीय अनुशासन लागू होता है। इसलिए, बिलों का भुगतान नियत तारीख पर किया जाएगा।
3. **आदर्श निवेश**– बिल 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होते। ये एक निश्चित अवधि के लिए अग्रिम होते हैं। इससे वित्तीय संस्थान विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले बिलों का चयन करके अपनी अतिरिक्त धनराशि को लाभप्रद रूप से निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक बैंक अपनी धनराशि को बिलों में इस प्रकार निवेश कर सकते हैं कि इन बिलों की परिपक्वता उनकी सावधि जमाओं की परिपक्वता के साथ मेल खाए।
4. **सरल कानूनी उपाय**– यदि बिल अनादरित हो जाते हैं, तो कानूनी उपाय सरल है। ऐसे अनादरित बिलों को केवल नोट करके विरोध दर्ज कराना होता है और पूरी राशि ग्राहक के खाते से डेबिट कर देनी होती है।
5. **उच्च और त्वरित प्रतिफल**– वित्तीय संस्थान उच्च त्वरित प्रतिफल अर्जित करते हैं। छूट, छूट के समय ही समर्पित होती है, जबकि अन्य ऋणों और अग्रिमों के मामले में, ब्याज केवल देय होने पर ही देय होता है। छूट दर भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है।
6. **आसान केंद्रीय बैंक नियंत्रण**– केंद्रीय बैंक बैंक दर या पुनर्बट्टा दर में हेरफेर करके मुद्रा बाजार को आसानी से प्रभावित कर सकता है। बाजार में प्रचलित मौद्रिक स्थितियों के आधार पर बैंक दर को समायोजित करके उपयुक्त मौद्रिक नीति अपनाई जा सकती है।

10.5.4 कामर्शियल बिल मार्केट की कमियाँ–

1. **बिल संस्कृति का अभाव**– भारत में व्यवसायी बिल वित्तपोषण के बजाय ओवरड्राफ्ट और नकद ऋण को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट के रूपांतरण के लिए बिल स्वीकार करते हैं। इसलिए बिल लोकप्रिय नहीं हैं।
2. **बैंकों के बीच पुनर्भुनाई का अभाव** – जिन बैंकों को धन की आवश्यकता है और जिनके पास अधिशेष धन है, उनके बीच बिलों की पुनर्भुनाई की कोई प्रथा नहीं है। पुनर्भुनाई सुविधा का विस्तार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी और आईसीआईसीआई जैसी वित्तीय संस्थाओं को वाणिज्यिक बैंकों के वास्तविक पात्र व्यापारिक बिलों की पुनर्भुनाई करने की अनुमति दी है। फिर भी, बिल वित्तीय प्रणाली लोकप्रिय नहीं है।
3. **स्टाम्प शुल्क**– स्टाम्प शुल्क के कारण बिलों का उपयोग कम हो जाता है। इसके अलावा, आवश्यक मूल्य

के स्टाम्प पेपर उपलब्ध नहीं होते हैं।

4. **द्वितीयक बाजार का अभाव**– बिलों के लिए कोई सक्रिय द्वितीयक बाजार नहीं है। पुनर्भुनाई की सुविधा महत्वपूर्ण केंद्रों में उपलब्ध है और वह भी केवल शीर्ष स्तरीय वित्तीय संस्थानों तक ही सीमित है। इसलिए, बिल बाजार का आकार काफी हद तक सीमित हो गया है।

5. **असली व्यापार बिलों की पहचान में कठिनाई**– वित्तीय संस्थानों को बिलों का सत्यापन करना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे असली व्यापार बिल हैं या आवास बिल नहीं। इसके लिए, चालानों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी होती है। इसमें अतिरिक्त कार्य शामिल होता है।

6. **सीमित विदेशी व्यापार** – कई विकसित देशों में, बिल बाजार मुख्यतः विदेशी व्यापार के वित्तपोषण के लिए स्थापित किए गए हैं। दुर्भाग्य से, भारत में, राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में विदेशी व्यापार कम है और यह बिल बाजार में भी परिलक्षित होता है।

7. **स्वीकृति सेवाओं का अभाव** – भारत में कोई डिस्काउंट हाउस या स्वीकृति हाउस नहीं है। इसलिए डिस्काउंटिंग या स्वीकृति के क्षेत्र में विशेष सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

8. **बैंकों का रवैया**– बैंक, केंद्रीय बैंक की तरह ही, बिलों कों भुनाने करने से कतराते हैं। वे बिलों को परिपक्वता तक अपने पास रखते हैं, जिससे बिलों के प्रचलन की गति प्रभावित होती है। फिर, बैंक बिलों की पुनर्भुनाई करने के बजाय उन्हें खरीदना पसंद करते हैं।

10.6 सारांश

मुद्रा बाजार में वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल और जमा प्रमाणपत्र जैसे परक्राम्य लिखत शामिल होते हैं। इसका उपयोग कई प्रतिभागी, जिनमें कंपनियाँ भी शामिल हैं, बाजार में वाणिज्यिक पत्र बेचकर धन आवंटित करने के लिए करते हैं। प्रतिभूतियों की उच्च तरलता के कारण मुद्रा बाजार को निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। इसमें कुछ जोखिम हैं जिनके बारे में निवेशकों को पता होना चाहिए, लेकिन यह तरल संपत्तियों में निवेश करने का सबसे अच्छा स्रोत है। ट्रेजरी बिल आपको बिना कोई बड़ा जोखिम उठाए, थोड़े समय के लिए अपना पैसा जमा करने की सुविधा देते हैं। ट्रेजरी बिल खरीदकर, आप तरलता, सुरक्षा और पूर्व–निर्धारित व सुरक्षित रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप अपनी पूँजी बचाना चाहते हों, कम जोखिम वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हों, या स्थिर रिटर्न कमाना चाहते हों, ट्रेजरी बिल एक मूल्यवान विकल्प है जिस पर विचार करना जरूरी है।

10.7 बोध प्रश्न

a. कालमनी मार्केट से आप क्या समझते हैं?

b. कालमनी मार्केट की विशेषताओं को समझाइए।

c. कालमनी मार्केट के लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए।

d. ट्रेजरी बिल मार्केट से आप क्या समझते है।

e. ट्रेजरी बिल मार्केट के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

f. ट्रेजरी बिल मार्केट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

g. ट्रेजरी बिल मार्केट के लाभ और सीमाओं की व्याख्या कीजिए।

h. कामर्शियल बिल मार्केट से आप क्या समझते है?

i. कामर्शियल बिल के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

j. कामर्शियल बिल मार्केट का वर्गीकरण को समझाइए।

k. कामर्शियल बिल मार्केट के लाभ और कमियों की व्याख्या कीजिए।

10.8 सन्दर्भ पुस्तकें

1. भारतीय वित्तीय संस्थान एवं बाजार प्रतिभूति विश्लेषण
2. प्रतिभूति विश्लेषण प्रबन्धन Dr. F.C. Sharma F.C.B.D Pub
3. भारतीय वित्तीय बाजार एवं संखायें– डॉ. रजनीश जैन
4. Indian tinanual System-M.Y. Khan
5. वित्तीय बाजार एवं वित्तीय सेवाये– डॉ. सतीश कुमार सिंह, डॉ. अभय घोड़के
6. भारतीय वित्तीय बाजार एवं संस्थायें– डॉ. शैलेश कुमार डॉ. बब्लू कुमार

इकाई–11 मुद्रा बाजार एवं एन.बी. एफ. आई. सरकारी प्रतिभूति बाजार

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 सरकारी प्रतिभूति बाजार

11.2.1 सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या है?

11.3 सहायक बाजार शेयर बाजार के स्वरूप में

11.3.1 शेयर बाजार की परिभाशाएँ एवं विशेशताएँ

11.3.2 शेयर बाजार के कार्य

11.3.3 शेयर बाजार की भूमिका

11.4 शेयर बाजार में कीमतों को प्रभावित करने वाले तत्व

11.5 सट्टेबाजी का अर्थ एवं सट्टेबाजों के प्रकार

11.6 भारत में प्रतिभूति बाजार के प्रकार

11.7 सरकारी प्रतिभूति बाजार के लाभ

11.8 सारांश

11.9 शब्दावली

11.10 बोध प्रश्न

11.11 उपयोगी पुस्तकें

11.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी–

1. सरकारी प्रतिभूति बाजार की अवधारणा को समझ सकेंगें।
2. सरकारी प्रतिभूति बाजार की विशेषताओं उनके महत्व एवं अवयवों को समझ सकेंगे।
3. सरकारी प्रतिभूति बाजार के भागीदारों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगें।

11.1 प्रस्तावना

सरकारी प्रतिभूतियाँ वे प्रपत्र हैं जो केन्द्रीय सरकार, राज्य–सरकार सार्वजनिक क्षेत्र निगम, वित्तीय संस्थाएँ जैसे IDBI, IFCI, राज्य वित्तीय निगम (SFC's) आदि द्वारा बजारी ऋण के रूप में निर्गत किए जाते हैं। वे भारतीय स्टॉक बाजार का महत्वपूर्ण भाग हैं। आजकल, सरकारी शेयर बाजार में संगठित कुल कोषों का 80 प्रतिशत प्रतिभूतियों (सरकारी और निगम प्रतिभूतियों सहित) से संचालित किया जाता है। ये कोष सरकार की अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ब्याज के भुगतान और मूलधन की वापसी के संदर्भ में केन्द्र

सरकार की प्रतिभूतियों को सुरक्षित माना जाता है। इन्हे उत्तम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ भी कहते हैं। ये जोखिम से मुक्त होती है। इन्हें देयता और पूर्व देयता तरल संपत्ति माना जाता है व ये पूंजी मूल्य की निश्चिता को सुनिश्चित करती हैं। चूंकि प्रतिभूतियों में देयता तारीख लिखी होती है इसलिए इन्हें शेयर बाजार सरकारी प्रतिभूतियाँ भी कहते हैं।

11.2 सरकारी प्रतिभूति बाजार–आशय

सरकारी प्रतिभूति बाजार एक ऐसा महत्वपूर्ण बाजार है। जहां सरकार अपनी वित्तीय आवष्यकताओं की पूर्ति करने हेतु विभिन्न प्रकार प्रतिभूतियों को निर्गर्मित करती हैं। तत्पष्चात् निवेषक इन प्रतिभूतियों में निवेष करते हैं। सरकार द्वारा निर्गमित की गयी प्रतिभूतियां जैसे– ट्रेजरी बिल, सरकारी बांड, डिवेंचर आदि का क्रय–विक्रय किया जाता है। यह बाजार मुख्य रूप से जनता से धन एकत्र कर कर सरकार की उधारी की आवश्यकता को पूर्ण करने तथा साथ–साथ विकास कार्यो, बजट घटे की पूर्ति और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाने के लिये होता है।

भारत में, सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है वह नीलामी प्राथमिक बाज़ार में होती है जहाँ केन्द्र और राज्य सरकारें, बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियाँ विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ निर्गमित करती हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी आईपीओ के लिए आवेदन करने के समान ही है यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकारी प्रतिभूति एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो जाती है। आपके पास या तो इसे जब चाहें बेच देने या सूचीबद्ध होने के बाद इसका व्यापार करने का विकल्प उपलब्ध होता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में आसान पहुंच और विस्तृत स्तर पर भागीदारी की सुविधा के लिए, सेबी स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की भी अनुमति देता है। इसके अन्तर्गत सहायक बाजार का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें विशेष प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है। इसे हम आगे पढ़ेगें।

11.2.1 सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या हैं?

सरकारी प्रतिभूतियाँ, जिन्हें सामान्यतया जी–सेक के नाम से जाना जाता है, निवेश उत्पाद हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। सरकारें सामान्य जनता से पूंजी जुटाने के लिए ये प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं। ये बॉन्ड परिचालन उद्देश्यों के लिए अपातकालीन कोषों को सुनिश्चित करते हैं। आप ऐसी निश्चित आय वाली में निवेश करते हैं, तो आप नियमित ब्याज आय प्राप्त कर सकते हैं।

ब्याज का भुगतान सरकारी बॉन्ड अनुबंध में दशायी गयी कूपन दर के आधार पर किया जाता है। चूंकि इन निवेश साधनों को सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इससे जुड़ा जोखिम नगण्य है। सरकारी बॉन्ड में परिपक्वता अवधि के अंत में बॉन्डधारक को मूल राशि (निवेवेश की गई राशि) चुकाने का वादा भी शामिल है।

आरम्भ सरकारें केवल बड़ी कंपनियों, वाणिज्यिक बैंकों या उच्च–शुद्ध मूल्य वाले निवेशकों जैसे बड़े वित्तीय संस्थाओं के लिए जी–सेक जारी करती थीं। हालाँकि, आजकल सरकारें सहकारी बैंकों और व्यक्तिगत निवेशकों जैसे छोटे निवेशकों को भी जी–सेक प्रदान करती हैं।

11.3 सहायक बाजार शेयर बाजार के स्वरूप में–

ऐसा बाजार में जहाँ विशेषकारी प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है उसे सहायक बाजार कहते हैं। इस बाजार को शेयर बाजार कहते हैं।

शेयर बाजार प्रारम्भ 1830 में हुई। मुम्बई में यह व्यापार बैंकों के अंशों में प्रचलित हुआ। जैसे–वाणिज्य बैंक, चार्टर्ड बैंक, व्यापारिक बैंक, ओरिएण्टल बैंक आदि। सूती मिलों के शेयर भी प्रचलित हुए। 1836 में कोलकाता में अंग्रेजों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 4 प्रतिशत, 5 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत के ऋणों के साथ ही साथ 'बैंक ऑफ बंगाल' के शेयरो के निवेदित भाव प्रस्तुत किए। 1839 में सूची को और अधिक विस्तारित किया गया।

1840 तथा 1850 के बीच केवल आधा दर्जन दलाल इस सीमित व्यवसाय में विद्यमान थे। 1860 तक दलालों की संख्या 60 तथा अमेरिकन सिविल युद्ध की अवधि के दौरान यह संख्या बढ़कर 200 से 250 हो गई।

1868 से 1875 के बीच का समय संघर्षपूर्ण था जब दलालों ने अनौपचारिक संघ का निर्माण किया तथा अन्तिम रूप में अनुबन्ध–पत्र द्वारा 'एक्सचेंज के अन्तर्नियम' का निर्माण किया। दलालों के हित की रक्षा के लिए तथा संघ के सदस्यों के प्रयोग के लिए एक भवन का निर्माण किया गया। 5 फरवरी, 1887 को ब्रोकर हाल में एक सभा बुलाई गई। इसके बाद 3 दिसम्बर, 1887 में शेयर बाजार की सीमा अन्तर्नियम बनाया गया।

जब शेयर बाजार संगठित किया गया तब नए सदस्यों की संख्या 318 थी तथा प्रवेश शुल्क 1 रुपया था। सदस्यों की संख्या 1920 में 468 हो गई तथा प्रवेश शुल्क 48,000 रुपये हो गया। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टाक एक्सचेंज हैं। इनकों BSE NSE रास्ट्रीय स्तर के है। 4902 शेयर दलाल पंजीकृत है (SEBIAY 2024) ।

11.3.1 शेयर बाजार की परिभाषाएँ–

शेयर बाजार की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

1. शेयर बाजार निर्देशिका के अनुसार, "शेयर बाजार प्रतिभूतियों के क्रय तथा विक्रय के लिए एक ऐसा बाजार प्रदान करता है जहाँ व्यावसायिक सम्पति अथवा जनता अथवा व्यावसायिक ऋण के मलिकाना के प्रमाण दिये जाते है। अतः शेयर बाजार की उत्पत्ति उस समय मानी जाती है जब ऐसी प्रतिभूतियों को जो इस सम्पत्ति को प्रस्तुत करती हैं अथवा भुगतान का वायदा करती है, पहली बार निर्गमित किया गया तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण योग्य बनाया गया।"
2. Pyle के अनुसार, "प्रतिभूति बाजार ऐसे स्थान है जहाँ पर इन बाजारों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को या तो निवेश के लिए या सट्टे के लिए खरीदो एवं बेचा जाता है।"

शेयर बाजार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय किया जाता है।
2. शेयर बाजार में SEBI विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों का नियन्त्रण करता है।
3. वास्तविक निवेशकों तथा सट्टेबाज दोनों के द्वारा शेयरों का क्रय तथा विक्रय किया जाता है।
4. शेयर बाजार में सभी प्रकार की सरकारी एवं औद्योगिक प्रतिभूतियों के व्यापार की स्वीकृति प्राप्त है।

11.3.2 शेयर बाजार के कार्य

शेयर बाजार के मुख्य कार्य निम्निलिखित हैं–

1. **सक्रिय व्यापार बनाए रखना**– शेयर बाजार में शेयरों का व्यापार किया जाता है। यह निवेशकर्त्ताओं को प्रतिभूतियाँ खरीदने तथा बेचने की सुविधा देता है। शेयर बाजार का मुख्य कार्य एक निरन्तर बाजार की स्थापना करना है। विक्रय की आवृत्ति, आदेशों का शीघ्र पालन, आदि सक्रिय बाजार के मुख्य संकेत हैं।
2. **सूचना का प्रसार**– शेयर बाजार विभिन्न प्रकाशनों द्वारा विभिन्न इच्छुक पक्षकारों को मुख्य सूचनाएँ भेजता है। कम्पनी की सूचनाओं की डायरेक्ट्री कम्पनी के सम्बन्ध में अनुमान लगाने के लिए निवेशकर्त्ताओं के लिए हैण्डबुक, हैण्डआउट तथा पैम्फलेट द्वारा भी शेयर बाजार की गतिविधियों की सूचना प्रदान करता है।
3. **कीमतों का निर्धारण**– कीमतों का निर्धारण प्रतिभूतियों की माँग तथा पूर्ति के आधार पर किया जाता है। प्रतिभूतियों की माँग तथा पूर्ति निवेशकर्ताओं की मांग तथा आपूर्तिकर्ताओं की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। तेजड़ियों और मंदड़ियों के कारण कीमतों में वृद्धि या मन्दी आ सकती है।
4. **पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराना**– शेयर बाजार सूचीबद्ध कम्पनियों को तरलता प्रदान करता है। बाजार की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने में तरलता का मुख्य स्थान है।
5. **सुरक्षित एवं उचित व्यवहार सुनिश्चित करना**– शेयर बाजार विभिन्न नियमों, तथा उपनियमों द्वारा सुरक्षित एवं उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है। सरकार ने भी संस्थानिक व्यवहारों के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। शेयर बाजार का कार्यकारी विभाग इसकी प्रक्रियाओं का निरीक्षण करता है, कीमतें निर्धारित करता है। शेयर बाजार का कार्यकारी विभाग व्यापार एवं सट्टा व्यापार को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक

कदम उठाता रहता है।

11:3:3 शेयर बाजार की भूमिका

भारत में शेयर बाजार, का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूंजी निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते है। जो निम्न लिखित है।

1. **स्वयं नियन्त्रित संगठन**– भारत में शेयर बाजार एक स्वयं नियन्त्रित संगठन है, क्योंकि यह विद्यमान कानून के अनुसार प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, बनाया गया संगठन है।
2. **सार्वजनिक हित**– शेयर बाजार की मुख्य भूमिका सार्वजनिक हित में ध्यान देने की है। इससे शेयर बाजार की विकासशील भूमिका पर अधिक महत्व दिया गया।
3. **सार्वजनिक सेवा संस्थान रूप में**– शेयर बाजार निवेशकर्त्ताओं को कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। अतः ये सार्वजनिक सेवा संस्थानों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। जैसे–शेयर मूल्यों का प्रकाशन, निवेशकर्त्ताओं शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्राहकों तथा दलालों के बीच हुए विवादो का निपटारा आदि।

11.4 शेयर बाजार में कीमतों को प्रभावित करने वाले तत्व

शेयर बाजार में कीमतों को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं–

1. **कम्पनी की वित्तीय स्थिति**– अंशों की कीमतों पर कम्पनी की वित्तीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अच्छे वित्तीय परिणामों के कारण बाजार में प्रतिभूतियों की कीमत में वृद्धि होती है। लाभांश की दर भी अंशों की कीमतों को प्रभावित करती है। उच्चतम लाभांश अधिक ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाजार कीमतों में वृद्धि होती है। दूसरी ओर, यदि कम्पनी लाभांश देने में असफल रहती है या कम दरों पर लाभांश देती है तो अंशधारी अपने अंशों का विक्रय कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंशों की कीमतें कम हो जाती हैं।
2. **मांग एवं पूर्ति**– किसी अंश की मांग एवं पूर्ति का शेयर बाजार में उसकी कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। यदि मांग अधिक तथा पूर्ति कम होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी। इसके विपरीत, यदि मांग कम और पूर्ति ज्यादा हो तो कीमतो में कमी होगी।
3. **व्यापार चक्र**– पूंजी बाजार में व्यापार चक्र भी होते हैं। ये व्यापार चक्र अंशों की कीमतों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। व्यापार चक्र की परिस्थितियों को पूंजी बाजार में तेजड़िया स्थिति तथा मंदडिया स्थिति कहते हैं।
4. **सट्टा गतिविधियाँ**– प्रतिभूतियों की कीमतें सट्टा बाजार की गतिविधियों से भी प्रभावित होती हैं। सट्टेबाज उपलब्ध प्रतिभूतियों को खरीदकर बाजार में उनकी कृत्रिम दुर्लभता उत्पन्न कर देते हैं। जब वे एक बार मांग तथा पूर्ति पर नियन्त्रण कर लेते हैं तो वे कीमतें निर्धारित करने लगते हैं। हर्षद मेहत्ता काण्ड इसका उदाहरण है।
5. **वित्तीय संस्थाओं की भूमिका**– वित्तीय संस्थाएं शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये भारी मात्रा में प्रतिभूतियों का व्यापार करते हैं। जब ये किसी प्रतिभूति का क्रय करते हैं तो बाजार में उसकी पूर्ति कम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि हो जाती है।
6. **सरकारी नीतियाँ**– सरकारी नीतियाँ भी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की कीमतों कों प्रभावित करती हैं। यदि सरकार अनुकूल नीति अपनाती है तो बाजार में तेजी आती है। यदि सरकार विपरीत नीति अपनाती है तो बाजार में मन्दी आती है।

11.5 सट्टेबाजी का अर्थ एवं सट्टेबाजों के प्रकार

सट्टेबाजी का अर्थ है कि– शेयरों की कीमतो में होने वाले उतार–चढ़ाव का संभावित अनुमान लगाकर लाभ

कमाने की प्रक्रिया। इसमें सट्टेबाज मूल निवेशक की तरह दीर्घकाल के लिये शेयर नहीं खरीदता बल्कि कम समय के दौरान ही कीमत बढ़ने या घटने पर क्रय–विक्रय करके अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों – में सट्टेबाजी वह प्रक्रिया है जिसमें निवेशक केवल शेयरों की कीमतो में उतार–चढ़ाव का लाभ उठाने के लिये शेयरों का क्रय–विक्रय करते हैं। उनका उद्देश्य लम्बी अवधि तक निवेश करने का नहीं होता है। वास्तविक निवेशकों का निवेश करने के पीछे उद्देश्य या होता है कि लंबी अवधि का लाभ एवं लाभांश प्राप्त करना। सट्टेबाजों का उद्देश्य होता है कि केवल कीमतों के अंतर से तत्कालिक लाभ लेना।

भारतीय शेयर बाजारों में चार प्रकार के सट्टेबाज होते हैं। ये निम्नलिखित हैं–

1. **तेजड़िया**– तेजड़िया को तेजी वाला भी कहा जाता है। वह एक ऐसा परिचालक है जो भविष्य में प्रतिभूतियों की कीमतों के बढ़ने की सम्भावना रखता है। वह वृद्धि होने के ख्याल से क्रय करता है तथा भविष्य में बढ़ी हुई कीमतों पर विक्रय करता हैं। वह केवल लाभ कमाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय करता है। उसका व्यवहार एक भेड़िये के समान होता है जो कि अपने शिकार को हवा में ऊपर फेंकता है, यहाँ तेजी वाला भारी मात्रा में क्रय करके कीमतों को बहुत ऊपर पहुंचा देता है। इस प्रकार के बाजार को तेजड़िया बाजार भी कहते हैं।

2. **मंदड़िया**– जिस प्रकार भालू अपने शिकार को जमीन में दबा देता है। ठीक उसी प्रकार पूंजी बाजार का मंदड़िया प्रतिभूतियों की कीमतों को गिरा देता है। ये भविष्य में कीमतों के कम होने की उम्मीद रखते हैं इसलिए वे प्रतिभूतियों का विक्रय आरम्भ करते है ताकि भविष्य में कम कीमतों में उन्हें दोबारा खरीद सकें। ऐसी स्थिति में बाजार में निराशावाद पाया जाता है। यदि कीमतों में कमी आती है तो वह कीमतों में अन्तर के कारण लाभ प्राप्त करता है। इसके विपरीत, यदि भविष्य में कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे कीमतों के अन्तर का भुगतान उठाना पड़ता है।

3. **बधिया तेजड़िया**– हिरण डरपोक प्रवृत्ति का होता है। वह निरन्तर तथा सुरक्षित रूप से चलता है। इसी प्रकार बधिया तेजड़िया शेयर बाजार में चौकन्ना रहता है। वह मंदड़ियों तथा तेजड़ियों की भांति शेयर बाजार में संलग्न नहीं रहता। वह केवल नए अंशों के लिए ही आवेदन में विश्वास में विश्वास रखता है और यदि उसे आवंटन प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें प्रीमियम पर बेचता है।

4. **दिवालिया**– यह मदड़िया का दूसरा रूप है। जब मदड़िया अपने वायदों को पूरा करने में समर्थ नहीं होते तो कहा जाता है कि वह दिवालिए की तरह काम कर रहा है। कभी–कभी ऐसा होता है कि कीमतों में कमी नहीं आती ऐसी स्थिति में वह बाजार से प्रतिभूतियाँ खरीदने में समर्थ नहीं होता तथा दूसरी ओर क्रेता उसके साथ लेन–देन करने से इनकार कर देते है।

11.6 भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्रकार

भारत में कई प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ, हैं, जिनमें शामिल हैं:

- ट्रेजरी बिल (टी–बिल): ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की परिपक्वता अवधि वाली अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। इन्हें अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है, और निवेशक को परिपक्वता पर अंकित मूल्य प्राप्त होता है। टी–बिल का उपयोग अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने और जोखिम राहत कम अवधि के निवेश के रूप में किया जाता है।

- सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक बांड हैंजिनकी परिपक्वता अवधि कुछ वर्षों से लेकर कई दशकों तक होती है। वे निवेशकों को समय–समय पर ब्याज देते रहते हैं। जिसे कूपन के रूप समझा जाता है और द्वितीयक बाजार में इनका सक्रिय रूप से कारोबार होता है।

- राज्य विकास ऋण (एसडीएल): राज्य विकास ऋण भारत में अलग–अलग राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं।

- भारतीय रिजर्व बैंक फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (FRSB): प्रचलित ये बॉन्ड RBI द्वारा जारी किए जाते हैं

और प्रचलित राष्ट्रीय बचत (NSC) प्रमाणपत्र दरों से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर प्रदान करते हैं। बॉन्ड की एक निश्चित समयावधि और ब्याज पर कर लगता है।

- आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड आरबीआई संविंग्स बॉन्ड एक गैर–हस्तांतरणीय बचत बॉन्ड है जिसकी समयावधि ब्याज दर निश्चित है। इसे खुदरा निवेशको के लिए बनाया गया है और यह संचयी और गैर–संचयी दोनों रूपों में उपलब्ध है।
- मुद्रास्फीती–सूचकांकित बांड (IIB): मुद्रास्फीति–सूचकांकित बांड निवेशकों को मुद्रास्फीति के विनाशकारी प्रभावों से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे एक निश्चित वास्तविक ब्याज दर और मुद्रास्फीति–समायोजित मूल मूल्य प्रदान करते हैं। IIB को सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किया जाता है।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी): सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने की कीमत से जुड़ी सरकारी प्रतिभूतियां हैं। वे निवेशकों को भौतिक सोना खरीदे बिना सोने में निवेश करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। एसजीबी की अवधि निश्चित होती है और वे निश्चित ब्याज दर देते हैं, इसके अलावा सोने की कीमत से जुड़ी पूंजी वृद्धि का संभावित लाभ भी मिलता है।
- नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी): नकद प्रबंधन बिल अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो सरकार के बजट में अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी की जाती हैं।
- विशेष प्रतिभूतियांः सरकार विशिष्ट नीति या वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी कर सकती है, जैसे तेल बान्ड खाद्य बांड या बुनियादी ढांचा बांड।

11.7 सरकारी प्रतिभूति बाजार के लाभ

सरकारी प्रतिभूति बाजार के कुछ लाभ इस प्रकार हैं।

- सुरक्षाः सरकारी प्रतिभूतियां को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है क्योंकि वे सरकार के पूर्ण विश्वास और ऋण द्वारा समर्थित हैं। डिफ़ॉल्ट की संभावना बेहद कम है, जो उन्हें एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाती है।
- स्थिरताः सरकारी प्रतिभूति बाजार अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। यह निवेशकों के लिए आय का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करता है, जो इसे उन लोगों के लिए आकर्षक बनाता है जो उच्च रिटर्न पर पूंजी संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं।
- तरलताः सरकारी प्रतिभूतियां अत्यधिक तरल होती हैं जिसका अर्थ है कि उन्हें बाजार में आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। यह तरलता उन्हें उन निवेशकों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाती है जिन्हें अपने फंड तक जल्दी पहुंचने की आवश्यकता हो सकती है।
- विविधीकरणः पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने से विविधीकरण में मदद मिल सकती है। स्टॉक जैसे अन्य परिसंपत्ति वर्गों के साथ उनका कम सहसंबंध, समग्र पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।
- ब्याज दरों के लिए बेंचमार्कः सरकारी प्रतिभूतियां वित्तीय बाजारों में ब्याज दरों के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करती हैं। इन प्रतिभूतियों पर मिलने वाले लाभ अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यसायों और व्यक्तियों के लिए उधार लेने की लागत प्रभावित होती है।
- बाजार की गहराईः सरकारी प्रतिभूति बाजार अवसर अच्छी तरह से स्थापित होते हैं और उनमें गहरी तरलता होती है। यह एक मजबूत बाजार वातावरण प्रदान करता है जहां कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना बड़ी मात्रा में प्रतिभूतियों का कारोबार किया जा सकता है।

- मुद्रास्फीति बचावः कुछ सरकारी प्रतिभूतियां, जैसे कि ट्रेजरी मुद्रास्फीति–संरक्षित प्रतिभूतियां मुद्रास्फीति के विरूद्ध बचाव प्रदान करती हैं। इन प्रतिभूतियां की मूल राशि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के साथ समायोजित होती है, जिससे निवेशकों को अपनी क्रय शक्ति की रक्षा करने में मदद मिलती है।
- सरकारी वित्तपोषणः सरकारें प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं केवित्तपोषण और व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करती है। सरकारी प्रतिभूति बाजार सरकार की राजकोषीय नीतियों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

11.8 सारांश

सरकारी प्रतिभूति बाजार अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। वे निवेशकों और सरकार की मदद करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि आपके निवेश को विस्तारित करना सरकारी प्रतिभूतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। प्रत्येक प्रतिभूति की अपनी विशेषताएँ और जोखिम होते हैं। किसी भी निवेश को करने से पहले आपको अत्यन्त सावधानी से विश्लेषण करना चाहिए। ये प्रतिभूतियाँ आपको एक निश्चित आय देती हैं। भारत में, सरकारी प्रतिभूतियों विभिन्न रूप हैं। इसलिए सोच–समझकर निर्णय लेना बुद्धिमानी होती हैं। इससे आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है। सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना आपके निवेश और पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत में कई विकल्प हैं। अपने पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूँढना आसान है। गांरटी आय प्राप्त करने के अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने से आपको अपने पोर्टफोलियो में जोखिम को संतुलित करने में भी सहायता मिलती है।

11:9 आर्थिक शब्दावली–

फ्लोरिंग रेट बॉन्ड – इस प्रकार के बॉन्ड की ब्याज दें बेंचमार्क के आधार पर बदलती रहती है।

1. **ट्रेजरी–बिल (टी–बिल)** – ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की परिपक्वता अवधि वाली अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां हैं।
2. **सॉवरेन गोल्ड बाण्ड** – ये सरकारी बचत खातों की तरह होते हैं। लेकिन इससे निवेश पैसे के स्थान पर सोने में किया जाता है।
3. **डीमैट अकाउंट** – डिमैटेरियलाइजेशन अकांउट होता है। इलेक्ट्रनिक प्रारूप में शेयरों और सिक्योरटील को रखने की सुविधा प्रदान करता है,

11:10 बोध–प्रश्न

1. सरकारी प्रतिभूतियां क्या है? सरकारी प्रतिभूतियां बाजार से आप क्या समझते है?
2. सरकारी प्रतिभूतियां बाजार की मुख्य विशेषतायें क्या है?
3. सरकारी प्रतिभूति में निवेश करने की प्रक्रिया क्या है?
4. शेयर बाजार में कीमतों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन–कौन से है?

11.11 सन्दर्भ एवं उपयोगी पुस्तकें

1. भारतीय वित्तीय संस्थान एवं बाजार प्रतिभूति विश्लेषण- डॉ. निशा अग्रवाल
2. प्रतिभूति विश्लेषण प्रबन्धन Dr. F.C. Sharma F.C.B.D Pub
3. भारतीय वित्तीय बाजार एवं संखायें– डॉ० रजनीश जैन
4. Indian tinanual System-M.Y. Khan
5. वित्तीय बाजार एवं वित्तीय सेवाये– डॉ० सतीश कुमार सिंह, डॉ. अभय घोड़के
6. भारतीय वित्तीय बाजार एवं संस्थायें– डॉ० शैलेश कुमार डॉ. बब्लू कुमार

इकाई–12
भारत में गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य
12.1 प्रस्तावना
12.2 गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई)
12.3 गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान की आवश्यकता
12.4 एनबीएफआई की विशेषताएँ
12.5 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का विनियम
12.6 अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय प्रणाली में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की भूमिका
12.7 गैर–बैंक एकीकरण और पर्यवेक्षी एकीकरण
12.8 गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के प्रकार
12.9 अन्य गैर–बैंक वित्तीय संस्थान
12.10 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान: 4–स्तरीय संस्थागत वर्गीकरण
12.11 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच अंतर
12.12 सारांश
12.13 बोध प्रश्न
12.14 सन्दर्भ पुस्तकें

12.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् शिक्षार्थी

- यह समझा सकेंगे कि गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या है।
- गैर–वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता को समझ सकेंगे।
- गैर–वित्तीय संस्थानों की विशेषताओं से अवगत होगे।
- गैर–वित्तीय संस्थानों के प्रकार को समझा सकेंगे।
- इसके विनियमों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- गैर–वित्तीय संस्थान एवं बैंकों के बीच का अंतर समझ सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

गैर–बैंक वित्तीय संस्थान (एन.बी.एफ.आई) एक वित्तीय संस्थान है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है और वह जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकता। हालाँकि, एन.बी.एफ.आई. वैकल्पिक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे निवेश (सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों), जोखिम पूलिंग, वित्तीय परामर्श, ब्रोकरेज, धन हस्तांतरण और चेक भुनाना। एन.बी.एफ.आई. उपभोक्ता ऋण का एक स्रोत हैं (लाइसेंस प्राप्त बैंकों के साथ)। गैर–बैंक वित्तीय संस्थानों के उदाहरणों में बीमा कंपनियाँ, उद्यम पूँजीपति, मुद्रा विनिमय, कुछ सूक्ष्म ऋण संगठन और गिरवी रखने

की दुकानें शामिल हैं। ये गैर–बैंक वित्तीय संस्थान ऐसी सेवाएँ प्रदान करते हैं जो आवश्यक रूप से बैंकों के लिए उपयुक्त नहीं होतीं, बैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा का काम करती हैं, और क्षेत्रों या समूहों में विशेषज्ञता रखती हैं।

12.2 गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) –

एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) एक ऐसी फर्म है जो ऋण और ऋण सुविधाएं प्राप्त करने, बॉन्ड, स्टॉक या शेयर खरीदने, संपत्ति को पट्टे पर देने, संपत्तियों को वित्तपोषित करने, बीमा प्रदान करने, मुद्राओं का आदान–प्रदान करने, हेज फंड का संचालन करने, संचालन में संलग्न होने, चिट लेनदेन, आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न है। भारतीय रिजर्व बैंक एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत के रूप में परिभाषित करता है।

गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एन.बी.एफ.आई.) एक वित्तीय संस्थान है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और जनता से मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है।

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एन.बी.एफ.आई.) वैकल्पिक वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि निवेश (सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों), जोखिम पूलिंग, वित्तीय परामर्श, दलाली, धन संचरण और चेक कैशिंग।

एन.बी.एफ.आई. उपभोक्ता ऋण का एक स्रोत हैं और ऋण देने और अग्रिम कारोबार में लगे हुए हैं, साथ ही साथ शेयरों, सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण प्रतिभूतियों और अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में लगे हुए हैं।

कोई भी संस्था जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि, औद्योगिक गतिविधि, किसी सामान या संबंधित सेवाओं (प्रतिभूतियों को छोड़कर) की खरीद या बिक्री या अचल संपत्ति का निर्माण करना है, को एनबीएफसी नहीं माना जाता है।

बैंकों और एनबीएफसी के लाइसेंस अलग–अलग हैं, एक बैंक के लाइसेंस मानक एनबीएफसी की तुलना में अधिक सख्त हैं।

प्रधान व्यवसाय

प्रधान व्यवसाय तब होता है जब किसी कंपनी की वित्तीय संपत्ति उसकी कुल संपत्ति का 50 प्रतिशत से अधिक होती है और उसके सकल राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक वित्तीय संपत्ति से आता है।

रिजर्व बैंक श्प्रमुख व्यवसायश को यह सुनिश्चित करने के रूप में परिभाषित करता है कि केवल वित्तीय गतिविधि में मुख्य रूप से शामिल उद्यम ही इसके साथ पंजीकृत, विनियमित और इसके द्वारा देखे जाते हैं।

एन.बी.एफ.सी. की भूमिकाएं–

- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान विभिन्न व्यक्तियों/समूहों/उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप समाधान प्रदान करके देश में समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें बैंकिंग सेवाओं से बाहर रखा गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करता है, एनबीएफसी वित्तीय स्थिरता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- एनबीएफसी उन स्थानों पर काम करती हैं जहां बैंक समाज के असंगठित क्षेत्र को अंतिम–मील कनेक्शन प्रदान नहीं करना चुनते हैं। एनबीएफसी भी राज्य के खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान स्टार्टअप कंपनियों, व्यापार और वाणिज्य उद्योग के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- एनबीएफसी गतिविधियों में ऋण और अग्रिम, शेयरों का अधिग्रहण, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सरकार, या अन्य तुलनीय विपणन योग्य उपकरण, लीजिंग, किराया–खरीद, बीमा व्यवसाय आदि शामिल हैं। एनबीएफसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे धन और ऋण का वितरण, स्टॉक, शेयर या बांड का अधिग्रहण, और

इसी तरह।

- राष्ट्र के सामान्य विकास के लिए एनबीएफसी आवश्यक हैं, जिसमें धन वृद्धि, बेहतर परिवहन और नौकरियों के उत्पादन की संभावनाएं शामिल हैं।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान धन के आवंटन के माध्यम से धन जुटाने में सहायता करते हैं जिसके परिणामस्वरूप आय विनियमन होता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान अब सभी व्यावसायिक सेवाओं के लिए आवश्यक हैं, जैसे क्रेडिट और उधार उत्पाद, सेवानिवृत्ति योजना, मुद्रा बाजार, हामीदारी और विलय संचालन।
- नतीजतन, ये व्यवसाय असंगठित क्षेत्र और स्थानीय छोटे उधारकर्ताओं को ऋण की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण हैं।
- एनबीएफसी की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि किराया खरीद वित्त भी है। हालांकि वाणिज्यिक बैंक महत्वपूर्ण बने हुए हैं, एनबीएफसी के तेजी से विस्तार के परिणामस्वरूप बैंकों और एनबीएफसी के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान वित्तीय मध्यस्थ हैं जो जमा–स्वीकृति और क्रेडिट–वितरण उद्योगों में काम करते हैं और सीमित वित्तीय संसाधनों को पूंजी निर्माण की दिशा में निर्देशित करने में महत्वपूर्ण हैं।
- असंगठित क्षेत्र और छोटे स्थानीय उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करके, वे कॉर्पोरेट क्षेत्र की बढ़ती वित्तीय मांगों को पूरा करने में बैंकिंग उद्योग की भूमिका का समर्थन करते है।

12.3 गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान की आवश्यकता

- भारत में एनबीएफसी जो सरल प्रतिबंधों से कठोर और व्यापक विनियमों के साथ–साथ हाल ही में संशोधित एनबीएफसी नियामक ढांचे के अनुसार युक्तिकरण की ओर बढ़े हैं।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय व्यवसायों (एनबीएफसी) ने थोक और खुदरा उपभोक्ताओं दोनों की ऋण मांगों को पूरा करने में एक अलग जगह बनाई है।
- विनियमन के इन उच्च स्तरों को देखते हुए, एनबीएफसी ऋण मांगों को पूरा करने के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरे हैं, क्योंकि संचालन की उनकी सस्ती लागत उन्हें बैंकों से अधिक लाभ देती है।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के लिए मानदंड
- एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शुरू में एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए निम्नलिखित मानदंड विभिन्न अधिनियमों और दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट हैंरू
- आवेदक फर्म को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन की एक भौतिक प्रति आवश्यक कागजात के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होगी।
- आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार, इन व्यवसायों को एनबीएफसी पंजीकरण के लिए एक आवेदन और आरबीआई के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
- कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 25 लाख की निवल स्वाधिकृत निधि के बिना परिचालन शुरू या जारी नहीं रख सकती है।
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक–ब्रोकिंगध्सब–ब्रोकिंग में लगी कंपनियां, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियां, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां सभी एनबीएफसी हैं, लेकिन उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 का –आईए, कुछ शर्तों के अधीन धारा 45 के तहत पंजीकरण से छूट प्राप्त है।

- 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत गठित एक फर्म, जो 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 45 I (ए) में निर्दिष्ट गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान गतिविधियों को करना चाहती है, को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए।
- यह 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निगमित कंपनी होनी चाहिए।
- इसके पास कम से कम 200 लाख रुपये का नेट ओन्ड फंड होना चाहिए।
- बाद में, भारत सरकार ने भारत में एनबीएफसी की स्थापना और संचालन की जांच के लिए दो समितियों का गठन किया।
- जेम्स एस राज समिति रू जेम्स एस राज समिति की स्थापना 1917 के दशक में एनबीएफसी के ढांचे की जांच के लिए की गई थी और इसने सुझाव दिया था कि पूरे देश में चिट फंड में एक समान कानून की आवश्यकता है।
- चक्रवर्ती समितिरू भारतीय मौद्रिक प्रणाली की जांच के लिए 1982 में चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। समिति ने बैंकिंग उद्योग और एनबीएफसी के बीच परस्पर संबंध के गहन विश्लेषण की सलाह दी।

शीर्षक	**विवरण**
परिभाषा	• एक गैर–बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एक ऐसा व्यवसाय है जिसे 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। • एक गैर–बैंकिंग संस्थान का प्राथमिक व्यवसाय एकमुश्त या किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत किश्तों में जमा स्वीकार करना है।
विनियमन	कंपनी अधिनियम 1656 या 2013
उद्देश्य	• यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों से पैसा मांगता है और इसे छोटे व्यवसायों को उधार देता है। • एनबीएफसी क्रेडिट विकल्प प्रदान करते है और बैंकों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। • आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किए बिना, उन्हें अपना व्यवसाय संचालित करने की अनुमति नहीं हैं।
उदाहरण	• आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, जीआईसी, एससफसी इत्यादि।
एनबीएफआई की विशेषताएँ	• ये संगठन आकार और दायरे दोनों में मामूली हैं। • इनमें पूंजी में न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। • ऋण आसानी से उपलब्ध है। • एक ऋण पुनर्निर्धारण विकल्प है। • एनबीएफआई विभिन्न प्रकार की आर्थिक मांगों के लिए प्रदान करते हैं। • वे अपने प्रोजेक्ट्स पर खुद काम करते हैं। • काम पर प्रभावशीलता। • इसमें उधारकर्ताओं से ऋण वसूली या जोखिम शामिल है।

12.4 एनबीएफआई की विशेषताएँ

- ❖ ये संगठन आकार और दायरे दोनों में मामूली हैं।
- ❖ इनमें पूंजी में न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है।
- ❖ ऋण आसानी से उपलब्ध हैं।
- ❖ एक ऋण पुनर्निर्धारण विकल्प है।
- ❖ एनबीएफआई विभिन्न प्रकार की आर्थिक मांगों के लिए प्रदान करते हैं।
- ❖ वे अपने प्रोजेक्ट्स पर खुद काम करते हैं।
- ❖ काम पर प्रभावशीलता।
- ❖ इसमें उधारकर्ताओं से ऋण वसूली का जोखिम शामिल है।

12.5 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का विनियम

- ❖ पारंपरिक बैंक संघीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा बैंकिंग नियमों और निगरानी के अधीन हैं, लेकिन एनबीएफसी नहीं हैं।
- ❖ आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफसी के पंजीकरण, निर्देश जारी करने, निरीक्षण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरबीआई अधिनियम या आरबीआई अधिनियम के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए एनबीएफसी को दंडित करने का अधिकार है।
- ❖ सभी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) जिनके पास 2 करोड़ रुपये का शुद्ध स्वामित्व है। 1997 के RBI (संशोधन) अधिनियम की बदौलत अब और उससे ऊपर के लोगों को त्ठप् से वैधानिक मंजूरी लेनी होगी।
- ❖ भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त उद्यमों की देखरेख करता है।
- ❖ भारत में एनबीएफसी को नियंत्रित करने वाले नियम इस प्रकार हैं:
- ❖ 1934 के आरबीआई अधिनियम के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास एनबीएफसी को पंजीकृत करने, निर्देशित करने, नीति स्थापित करने, जांच करने और जांच करने का अधिकार है।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक को एनबीएफसी पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो आरबीआई अधिनियम या आरबीआई अधिनियम के अनुसार बनाए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।
- ❖ आरबीआई मंजूरी के परिणामस्वरूप एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का निर्णय ले सकता है।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कारोबार करना प्रतिबंधित है।
- ❖ सबसे हालिया ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार, प्रत्येक एनबीएफसी कम से कम रुपये की संपत्ति के साथ। 50 करोड़ की एक ऑडिट कमेटी का गठन किया जाएगा। समिति में कम से कम तीन बीओडी सदस्य मौजूद होने चाहिए।
- ❖ प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक, सभी एनबीएफसी को अपनी बैलेंस शीट और लाभ और हानि विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है।
- ❖ कॉल ऋण प्रदान करने से पहले प्रत्येक एनबीएफसी के निदेशक मंडल को कॉल ऋण नीति बनाने की आवश्यकता होती है।

- ❖ लेन–देन की राशि के बावजूद, एनबीएफसी को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) तैयार करने की आवश्यकता होती है, जब उनके पास संदेह का कारण होता है कि एक विशेष लेनदेन एक संदिग्ध लेनदेन है।

अन्य विनियम (Other Regulations)

- ❖ जो कंपनियां भारत में एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करना चाहती हैं, उन्हें दो करोड़ का न्यूनतम नेट वर्थ फंड (एनओएफ) बनाए रखना चाहिए।
- ❖ जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी दूसरी पिछली तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को जनता की जमाराशियों के 15 प्रतिशत के न्यूनतम तरल आस्तियों को बनाए रखेगी।
- ❖ एनबीएफसी द्वारा तत्काल चुकौती प्रतिबंधों के साथ जमा स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।
- ❖ हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–बैंक माइक्रोफाइनेंस ऋण (एनबीएफसी–एमएफआई) के लिए ब्याज दर सीमा को समाप्त कर दिया है।
- ❖ जमाकर्ताओं को उपहार या अतिरिक्त लाभ देने की अनुमति नहीं है।
- ❖ एनबीएफसी की जमा राशि को भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी गारंटी के साथ चुकाया नहीं जाएगा।
- ❖ 1934 के त्ठप् अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक छठथ्ब् को एक आरक्षित निधि स्थापित करनी चाहिए और लाभांश घोषित करने से पहले प्रत्येक वर्ष लाभ और हानि विवरण में घोषित अपनी शुद्ध कमाई का कम से कम 20 प्रतिशत हस्तांतरित करना चाहिए।
- ❖ एनबीएफसी द्वारा न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानक 8 प्रतिशत बनाए रखा जाना चाहिए।
- ❖ अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, एनबीएफसी को तरल संपत्तियों से जुड़ी एक निश्चित मात्रा में तरलता बफर बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

12.6 अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय प्रणाली में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की भूमिका

- ➢ गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे धन और संपत्ति के लिए एक बाजार प्रदान करते हैं, जिससे पूंजी को कुशलतापूर्वक आवंटित किया जा सकता है जहां यह सबसे अधिक उपयोगी है।
- ➢ गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान वित्तीय सेवाओं की पेशकश करके बैंकिंग उद्योग का समर्थन करते हैं।
- ➢ एनबीएफआई उपभोक्ताओं और व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों के साथ काम करते हैं। वे इन सेवाओं की आपूर्ति में बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- ➢ व्यापार और वाणिज्य उद्योग को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करके, एनबीएफसी इक्विटी भागीदारी के माध्यम से उद्यमों को धन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना आसान बनाते हैं।
- ➢ एनबीएफसी वित्तीय सेवा क्षेत्र की विस्तारित विविधता और परिष्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विकास पूंजी और मुद्रा बाजारों की मांगों को पूरा करता है।
- ➢ जबकि बैंक वित्तीय सेवाओं के पैकेज की पेशकश कर सकते हैं, एनबीएफआई इन सेवाओं को अलग कर देते हैं।
- ➢ एनबीएफआई व्यक्तियों और फर्मों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में बैंकों के पूरक के रूप में काम करते हैं। ये इन सेवाओं के प्रावधान में बैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा का माध्यम बन सकते हैं। जहाँ बैंक वित्तीय सेवाओं का एक समूह एक पैकेज के रूप में प्रदान कर सकते हैं, वहीं एनबीएफआई इन सेवाओं को अलग–अलग समूहों के लिए अपनी सेवाओं को अनुकूलित करते हुए, उन्हें अलग–अलग समूहों में बाँट देते हैं। इसके

अतिरिक्त, व्यक्तिगत एनबीएफआई किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें सूचनात्मक लाभ प्राप्त होता है। इस अलग–अलग समूहों में बाँटने, लक्ष्यीकरण और विशेषज्ञता के माध्यम से, एनबीएफआई वित्तीय सेवा उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

- एक बहुआयामी वित्तीय प्रणाली, जिसमें गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान शामिल हों, अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय झटकों से बचा सकती है और उन झटकों से उबार सकती है। एनबीएफआई अर्थव्यवस्था की बचत को पूंजी निवेश में बदलने के लिए कई विकल्प प्रदान करते हैं, जो मध्यस्थता के प्राथमिक रूप के विफल होने पर बैकअप सुविधाओं के रूप में कार्य करते हैं।

- हालांकि, जिन देशों में प्रभावी विनियमनों का अभाव है, गैर–बैंक वित्तीय संस्थान वित्तीय प्रणाली की नाजुकता को बढ़ा सकते हैं। हालांकि सभी एनबीएफआई हल्के ढंग से विनियमित नहीं हैं, लेकिन छाया बैंकिंग प्रणाली में शामिल एनबीएफआई हैं। हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, हेज फंड और संरचित निवेश वाहनों जैसे संस्थानों को नियामकों द्वारा बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया था, जिन्होंने पेंशन फंड और बीमा कंपनियों पर एनबीएफआई पर्यवेक्षण को केंद्रित किया था। यदि वित्तीय प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा एनबीएफआई में है जो बड़े पैमाने पर सरकारी नियामकों और किसी और के पर्यवेक्षण के बिना काम करते हैं, तो यह पूरे सिस्टम की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। एनबीएफआई विनियमन में कमजोरियां क्रेडिट बुलबुले और परिसंपत्ति की अधिक कीमत को बढ़ावा दे सकती हैं, जिसके बाद परिसंपत्ति मूल्य पतन और ऋण चूक हो सकती है।

12.7 बैंक/गैर–बैंक एकीकरण और पर्यवेक्षी एकीकरण

- बैंकिंग, प्रतिभूति और बीमा बाजार तेजी से एकीकृत होते जा रहे हैं, और बाजारों के बीच संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले 20 वर्षों में वित्तीय क्षेत्र के विनियमन में सबसे उल्लेखनीय विकासों में से एक, पारंपरिक क्षेत्र–दर–क्षेत्र पर्यवेक्षण दृष्टिकोण (बैंकों, प्रतिभूति बाजारों और बीमा कंपनियों के लिए अलग–अलग पर्यवेक्षकों के साथ) से वित्तीय पर्यवेक्षण के व्यापक अंतर–क्षेत्रीय एकीकरण की ओर बदलाव रहा है (चिहाक और पॉडपिएरा 2008)। इसका दुनिया भर में पर्यवेक्षण और विनियमन की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

- दुनिया भर में तीन व्यापक मॉडल इस्तेमाल किए जा रहे हैंरू एक तीन–स्तंभ या ष्क्षेत्रीयष मॉडल (बैंकिंग, बीमा और प्रतिभूतियाँ)य एक दो–स्तंभ या षट्विन पीकष मॉडल (विवेकपूर्ण और व्यावसायिक आचरण)य और एक एकीकृत मॉडल (सभी प्रकार के पर्यवेक्षण एक ही छत के नीचे)। पिछले 10 वर्षों के सबसे उल्लेखनीय विकासों में से एक, जिसकी पुष्टि विश्व बैंक के बैंक विनियमन और पर्यवेक्षण सर्वेक्षण द्वारा की गई है, तीन–स्तंभ मॉडल से दो–स्तंभ मॉडल या एकीकृत मॉडल की ओर रुझान रहा है (जिसमें 2000 के दशक के प्रारंभ में ट्विन पीक मॉडल ने गति पकड़ी)। मेलेकी और पॉडपिएरा (2012) ने एक हालिया अध्ययन में, पिछले एक दशक में 98 देशों में विवेकपूर्ण और व्यावसायिक आचरण पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षी संरचनाओं के संचालकों की जाँच की। उन्होंने पाया कि आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुँच रहे देश अपनी पर्यवेक्षी संरचनाओं को एकीकृत करने की ओर प्रवृत्त होते हैं, छोटी खुली अर्थव्यवस्थाएँ अधिक एकीकृत पर्यवेक्षी संरचनाओं को चुनती हैं, वित्तीय सुदृढ़ीकरण देशों को पर्यवेक्षण को उत्तरोत्तर अधिक एकीकृत करने के लिए प्रेरित करता है, और केंद्रित तथा अत्यधिक लाभदायक बैंकिंग क्षेत्र की पैरवी शक्ति व्यावसायिक आचरण एकीकरण के विरुद्ध एक नकारात्मक शक्ति के रूप में कार्य करती है।

- संकट की आवृत्ति और संकट के प्रभाव को सीमित करने के संदर्भ में ये विभिन्न संस्थागत संरचनाएं किस प्रकार तुलना करती हैं? विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के एक विस्तृत समूह के डेटा का उपयोग करके क्रॉस–कंट्री रिग्रेशन ट्विन पीक मॉडल के पक्ष में और क्षेत्रीय मॉडल के खिलाफ कुछ सबूत प्रदान करते हैं (Cihák and Podpiera 2008)। दरअसल, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, कुछ ट्विन पीक क्षेत्राधिकार (विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा) अपेक्षाकृत अप्रभावित रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, पर्यवेक्षण के लिए एक आंशिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण वाला क्षेत्राधिकार, संकट के केंद्र में रहा है। हालांकि, संकट का अनुभव काला और सफेद नहीं है, नीदरलैंड, ट्विन पीक मॉडल के उदाहरणों में से एक,

फोर्टिस विफलता में शामिल था, जो प्रमुख यूरोपीय बैंक विफलताओं में से एक था। अभी भी एक समग्र निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी

- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान वित्तीय संस्थान हैं जो ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखते हैं। इसका मतलब यह है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) के पास आम जनता से जमा स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, जो एक पारंपरिक बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक है।
- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि ऋण प्रदान करना, निवेश का प्रबंधन करना और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाना। गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) के कुछ सामान्य उदाहरणों में बीमा कंपनियां, लीजिंग कंपनियां, फैक्टरिंग कंपनियां, निवेश कंपनियां और माइक्रोफाइनेंस संस्थान शामिल हैं।
- हाल के वर्षों में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई तेजी से महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि एनबीएफआई वित्तीय बाजार के कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक बैंकों द्वारा छोड़े गए अंतर को भरते हैं। उदाहरण के लिए, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करती हैं, जिनके पास पारंपरिक बैंक ऋणों तक पहुंच नहीं हो सकती है। इसी तरह, फैक्टरिंग कंपनियां छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को उनके खातों को छूट पर खरीदकर कार्यशील पूंजी प्रदान करती हैं।
- कुल मिलाकर, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) उन ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं हो सकती है।

12.8 गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के प्रकार

म्यूचुअल फंड्स

1. लोगों और स्टॉक एक्सचेंज के बीच मध्यस्थ
2. लोगों से उनकी इकाइयाँ बेचकर एकत्रित धन को कॉर्पस कहा जाता है
3. भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई (यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया) है
4. म्यूचुअल फंड लगभग सभी सुविधाएं प्रदान करता है

बीमा कंपनी

1. बीमा पॉलिसियों की बिक्री के माध्यम से जनता से धन एकत्र करना
2. बीमा दो प्रकार के होते हैं – जीवन बीमा और सामान्य बीमा
3. सामान्य बीमा में संपत्ति, कार, मकान आदि का नुकसान शामिल है।
4. इसमें स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है

आईआरडीए अधिनियम, 1999

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार, बीमा कंपनियों को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई (हाल ही में इसे बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है)। बीमा क्षेत्र के नियामक के रूप में प्त्क। की स्थापना की गई।

एलआईसी – जीवन बीमा निगम

- 1956 में सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके इसकी स्थापना की गई थी।

- ऐसा बड़े पैमाने पर चूक के कारण किया गया था

जीआईसी – जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन

- इसकी स्थापना 1973में हुई थी
- जीआईसी की सहायक कंपनियां हैंरू–
- एनआईसीएल – नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
- न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

यूलिप – यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं

- बीमा और म्यूचुअल फंड का मिश्रण

बचाव कोष

1. ये अमीर निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड हैं
2. उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अपनी इकाई की बिक्री के माध्यम से धन जुटाया जाता है
3. इनकी इकाइयाँ आमतौर पर टुकड़ोंध्समूहों में बेची जाती हैं
4. हेज फंड के लिए एक लॉक–इन अवधि होती है जिसके पहले फंड नहीं निकाला जा सकता
5. कॉर्पस एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ जोखिम भरे उपकरणों में किया गया निवेश है

उद्यम पूंजी फर्म/कंपनियां

1. वे उन फर्मों को वित्त और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं जो नवीन उपक्रमों पर आधारित व्यावसायिक परियोजनाएँ शुरू करते हैं
2. वे नई प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए वित्त प्रदान करते हैं

मर्चेंट बैंक (निवेश बैंक)

1. मर्चेंट बैंक वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं
2. वे फर्मों को धन जुटाने के बारे में सलाह देते हैं, फर्मों के आईपीओ का प्रबंधन करते हैं, नए निर्गमों का बीमा करते हैं और डीमैट ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं।

वित्त कंपनियां (ऋण कंपनियां)

1. वित्तीय संस्थाएँ ऋण देने के उद्देश्य से जनता से धन जुटाती हैं
2. जैसे– मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम

सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)

1. कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए जनता से धन जुटाना
2. भारत में, वे मुख्य रूप से बैंकों से धन जुटाते हैं
3. उदाहरण – बेसिक्स, बंधन, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस।

निधि

1. ये फंड उन कंपनियों के शेयर बहुत कम कीमत पर खरीदते हैं जो दिवालिया होने के कगार पर हैं।
2. ऐसे स्टॉक खरीदने के बाद वे शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए वसूली प्रक्रिया शुरू करते हैं और बाद में उन्हें बेच देते हैं

इस्लामिक बैंक

1. ये बैंक शरिया नामक इस्लामी कानूनों के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं।
2. शरिया कानून में ऋण पर ब्याज नहीं लिया जा सकता

लीजिंग कंपनियां

1. वे उपकरण और मशीनरी खरीदते हैं और उन्हें कंपनियों को पट्टे पर उपलब्ध कराते हैं।
2. ये कंपनियां इन मशीनों पर किराया लेती हैं जो ईएमआई के समान होता है

जोखिम पूलिंग संस्थान

- बीमा कंपनियाँ मृत्यु, बीमारी, संपत्ति की क्षति या हानि, और अन्य प्रकार के नुकसान से जुड़े आर्थिक जोखिमों को कवर करती हैं। वे नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा का एक आकस्मिक वादा प्रदान करती हैं। बीमा कंपनियाँ दो मुख्य प्रकार की होती हैंरू जीवन बीमा और सामान्य बीमा। सामान्य बीमा आमतौर पर अल्पकालिक होता है, जबकि जीवन बीमा एक दीर्घकालिक अनुबंध होता है, जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। दोनों प्रकार के बीमा, जीवन और संपत्ति, समुदाय के सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं। बीमा उद्योग की प्रकृति के कारण (कंपनियों को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में जोखिम का आकलन करने के लिए प्रचुर मात्रा में जानकारी प्राप्त करनी होती है), बीमा कंपनियाँ उच्च स्तर की सूचना दक्षता का आनंद लेती हैं।
- जीवन बीमा कंपनियाँ बीमित व्यक्ति की अकाल मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान के विरुद्ध बीमा करती हैं। बीमित व्यक्ति प्रत्येक अवधि के लिए एक निश्चित राशि बीमा प्रीमियम के रूप में अदा करता है। चूँकि उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, जबकि प्रीमियम स्थिर रहता है, इसलिए बीमित व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में अधिक भुगतान करता है और बाद के वर्षों में कम भुगतान करता है। अनुबंध के शुरुआती वर्षों में किया गया अधिक भुगतान ही बीमा पॉलिसी का नकद मूल्य होता है।
- सामान्य बीमा को आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया हैरू बाजार बीमा और सामाजिक बीमा। सामाजिक बीमा अचानक बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आय की हानि के जोखिम के विरुद्ध है। इन जोखिमों की अप्रत्याशितता, बीमाधारक द्वारा बीमाकर्ता से प्रासंगिक जानकारी छिपाने की सहजता और नैतिक जोखिम की उपस्थिति के कारण, निजी बीमा कंपनियाँ अक्सर सामाजिक बीमा प्रदान नहीं करती हैं, जो बीमा उद्योग में एक कमी है जिसे आमतौर पर सरकार भरती है। सामाजिक बीमा औद्योगिक पश्चिमी समाजों में अधिक प्रचलित है जहाँ पारिवारिक नेटवर्क और अन्य जैविक सामाजिक सहायता समूह उतने प्रचलित नहीं हैं।
- बाजार बीमा, संपत्ति के नुकसान या क्षति के लिए निजीकृत बीमा है। सामान्य बीमा कंपनियाँ एकमुश्त प्रीमियम लेती हैं। बदले में, कंपनियाँ उस घटना के आधार पर एक निश्चित भुगतान करेंगी जिसके विरुद्ध बीमा किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, चोरी, आग, क्षति, प्राकृतिक आपदा आदि।

संविदात्मक बचत संस्थान

- संविदात्मक बचत संस्थान (जिन्हें संस्थागत निवेशक भी कहा जाता है) व्यक्तियों को सामूहिक निवेश माध्यमों में मुख्य भूमिका के बजाय प्रत्ययी भूमिका में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। सामूहिक निवेश माध्यम व्यक्तियों और फर्मों के संयुक्त संसाधनों को कई इक्विटी, ऋण और डेरिवेटिव वादों में निवेश करते हैं। हालाँकि, व्यक्ति स्वयं ब्ट में इक्विटी रखता है, न कि ब्ट द्वारा विशेष रूप से निवेश की जाने वाली

चीजों में। संविदात्मक बचत संस्थानों के दो सबसे लोकप्रिय उदाहरण म्यूचुअल फंड और निजी पेंशन योजनाएँ हैं।

- म्यूचुअल फंड के दो मुख्य प्रकार हैंरू ओपन–एंड और क्लोज्ड–एंड फंड। ओपन–एंड फंड जनता को किसी भी समय नए शेयर खरीदने की अनुमति देकर नए निवेश उत्पन्न करते हैं। शेयरधारक अपने शेयरों को शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर ओपन–एंड फंड को वापस बेचकर बेच सकते हैं। क्लोज्ड–एंड फंड आईपीओ में एक निश्चित संख्या में शेयर जारी करते हैं। शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेचकर अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य का लाभ उठाते हैं।
- म्यूचुअल फंडों को उनके निवेश की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ फंड उच्च जोखिम वाले, उच्च रिटर्न वाले निवेश करते हैं, जबकि अन्य कर–मुक्त प्रतिभूतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ अन्य सट्टा व्यापार (जैसे हेज फंड), किसी विशिष्ट क्षेत्र, या सीमा–पार निवेश में विशेषज्ञता रखते हैं।
- पेंशन फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो निवेशकों की अपने निवेश तक पहुँच को एक निश्चित तिथि के बाद तक सीमित रखते हैं। बदले में, पेंशन फंडों को बड़े कर–छूट दिए जाते हैं ताकि कामकाजी जनता को अपनी वर्तमान आय का एक निश्चित प्रतिशत बाद की उस तिथि के लिए अलग रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जब वे श्रम शक्ति का हिस्सा नहीं रहेंगे (सेवानिवृत्ति आय)।

12.9 अन्य गैर–बैंक वित्तीय संस्थान

मार्केट मेकर ब्रोकर–डीलर संस्थाएँ हैं जो अपनी इन्वेंट्री में रखी किसी संपत्ति के लिए खरीद और बिक्री दोनों मूल्य निर्धारित करती हैं। ऐसी संपत्तियों में इक्विटी, सरकारी और कॉर्पोरेट ऋण, डेरिवेटिव और विदेशी मुद्राएँ शामिल हैं। ऑर्डर मिलने पर, मार्केट मेकर तुरंत अपनी इन्वेंट्री बेच देता है या इन्वेंट्री में हुए नुकसान की भरपाई के लिए खरीदारी करता है। खरीद और बिक्री के भावों, या बोली–प्रस्ताव के अंतर के आधार पर ही मार्केट मेकर लाभ कमाता है। मार्केट मेकर अपनी इन्वेंट्री में मौजूद किसी भी संपत्ति की तरलता में सुधार करते हैं।

विशिष्ट क्षेत्रीय वित्तपोषक किसी लक्षित क्षेत्र को सीमित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, लीजिंग कंपनियाँ उपकरणों के लिए वित्तपोषण प्रदान करती हैं, जबकि रियल एस्टेट वित्तपोषक संभावित गृहस्वामियों को पूँजी प्रदान करते हैं। लीजिंग कंपनियों को अन्य विशिष्ट क्षेत्रीय वित्तपोषकों की तुलना में आम तौर पर दो विशिष्ट लाभ होते हैं। वे चूक के जोखिम से कुछ हद तक सुरक्षित रहती हैं क्योंकि उनके संपार्श्विक समझौते के तहत लीज पर लिए गए उपकरण उनके स्वामित्व में होते हैं। इसके अतिरिक्त, लीजिंग कंपनियों को उपकरण निवेश पर अधिमान्य कर छूट प्राप्त होती है।

अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं में ब्रोकर (प्रतिभूति और बंधक दोनों), प्रबंधन सलाहकार और वित्तीय सलाहकार शामिल हैं। ये सेवा के बदले शुल्क के आधार पर काम करते हैं। अधिकांशतः, वित्तीय सेवा प्रदाता निवेशकों के लिए सूचनात्मक दक्षता में सुधार करते हैं। हालाँकि, ब्रोकर एक लेनदेन सेवा प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से निवेशक मौजूदा संपत्तियों को बेच सकता है।

ये गैर–बैंक वित्तीय संस्थान बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो हमेशा बैंकों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, और विशेष उद्योगों या जनसांख्यिकी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एसेट फाइनेंस कंपनी (AFC)

- एएफसी एक ऐसा संगठन है जो अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में मूर्त संपत्तियों के वित्तपोषण का संचालन करता है।
- इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, एक कंपनी का प्रमुख व्यवसाय कोई भी ऑपरेशन है जो अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 60 प्रतिशत और आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने वाली मूर्त संपत्ति के वित्तपोषण से आय उत्पन्न करता है।

निवेश कंपनी (आईसी)

कोई भी व्यवसाय जो अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संलग्न है और एक वित्तीय संस्थान है, उसे ᄃ कहा जाता है।

ऋण कंपनी (एलसी)

एलसी किसी भी कंपनी को संदर्भित करता है जो एक वित्तीय संस्थान है और वित्त के प्रावधान को अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में संचालित करता है।

इसमें स्वयं के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए ऋण, अग्रिम और अन्य प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) IFC एक गैर–बैंकिंग वित्त व्यवसाय है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 75 प्रतिशत निवेश करता है।

प्रकार	विवरण
एसेट फाइनेंस कंपनी (AFC)	• एएफसी एक ऐसा संगठन है जो अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में मूर्त संपत्तियों के वित्तपोषण का संचालन करता है। • इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए एक कंपनी का प्रमुख व्यवसाय कोई भी ऑपरेशन है जो अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 60% और आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने वाली मूर्त संपत्ति के वित्तपोषण से आय उत्पन्न करता है।
निवेश कंपनी (आईसी)	• कोई भी व्यवसाय जो अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संलग्न है और एक वित्तीय संस्थान है, उसे IC कहा जाता है।
ऋण कंपनी (एलसी)	• एलसी किसी भी कंपनी को संदर्भित करता है जो एक वित्तीय संस्थान है और वित्त के प्रावधान को अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में संचालित करता है। • इसमें स्वयं के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए ऋण, अग्रिम और अन्य प्रकार की वित्तीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी)	IFC एक गैर–बैंकिंग वित्त व्यवसाय है जोः
	• इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 75% निवेश करता है; • निवल स्वाधिकृत निधियों में कम से कम 300 करोड रूपये है; • 'A' या समान की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है • 15% का सीआरएआर है।
व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी (CIC-ND-SI)	• एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी(NBFC) है जो शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संलग्न है और अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 90% निवेश करती है
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ–एनबीएफसी)	• आईडीएफ–एनबीएफसी एक ऐसा व्यवसाय है जिसे एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कियागया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में लंबी अवधि के वित्त पोषण को आसान बनाया जा सके। • आईडीएफ–एनबीएफसी कम से कम 5 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड जारी कर धन जुटाता है जो रूपये या डॉलर में मूल्यवर्गित होते हैं।

	• आईडीएफ–एनबीएफसी को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है।
गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी फैक्टर (एनबीएफसी–फैक्टर)	• एनबीएफसी–फैक्टर एक गैर–जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है, जिसका मुख्य व्यवसाय फैक्टागि है। • एनबीएफसी–फैक्टर का अर्थ एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों को पूरा करती हैं, • जिसकी फैक्टरिंग व्यवसाय में वित्तीय संपत्ति उसकी कुल संपत्ति का कम से कम 75 प्रतिशत है, • 5 करोड़ रूपये की शुद्ध स्वामित्व वाली निधि है, • फैक्टरिंग विनिमयन अधिनिय, 2011 की धारा 3 के तहत आरबीआई द्वारा पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।
बंधक गारंटी कंपनियां (एमजीसी)	• एमजीसी 100 करोड रूपये के शुद्ध स्वामित्व वाले वित्तीय संगठन हैं और एक बंधक गारंटी व्यवसाय है जो उनके व्यापार कारोबार का कम से कम 90% या उनकी सकल आय का कम से कम 90% हिस्सा है।

12.10 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानरू 4–स्तरीय संस्थागत वर्गीकरण

- गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) एक विपणन योग्य चरित्र के हैं और पट्टे, किराया–खरीद, बीमा और चिट व्यवसाय में संलग्न हैं, लेकिन वे उन लोगों से संबंधित नहीं हैं जो कृषि, उद्योग या अचल संपत्ति की बिक्री, खरीद या निर्माण के क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं।
- जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी–डी,
- आरबीआई का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के खिलाफ लागू करने योग्य है। आरबीआई आगे एनबीएफसी वर्गीकरण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
- जब इस विषय की बात आती है कि दी गई वित्तीय कंपनी एक ऋण कंपनी है या एक संपत्ति वित्त कंपनी है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) किसी विशेष फर्म के प्राथमिक व्यवसाय के साथ–साथ अन्य प्रासंगिक पहलुओं के आधार पर इसकी घोषणा करेगा।
- आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद कंपनी के वित्तीय संस्थान के रूप में योग्य होने या न होने के बारे में निर्णय करेगा। यह निर्णय अंतिम और शामिल सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी ख्एनबीएफसीऋएनडी,
- व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास रुपये का संपत्ति का आकार होना चाहिए।
- ये संरचनात्मक रूप से बड़े कोर निवेश गैर–जमा निगमों ने अपनी संपत्ति का 90 प्रतिशत पहले ही समूह की कंपनियों, शेयरों में निवेश, या ऋण उपकरणों को ऋण के रूप में स्थानांतरित कर दिया है। उस 90 प्रतिशत का 60 प्रतिशत स्टॉक शेयरों या अन्य निवेशों में लगाया जाना चाहिए जिन्हें इक्विटी शेयरों में जबरन बदला जा सकता है।

12.11 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच अंतर

भुगतान और निपटान चक्र बैंकों पर निर्भर करता है, हालांकि एनबीएफसी इस प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं।

डिमांड डिपॉजिट बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं लेकिन एनबीएफसी द्वारा नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की

अनुमति नहीं है।

सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय मध्यस्थ, बैंक बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करके आम जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं।

दूसरी ओर, एनबीएफसी बिना बैंक लाइसेंस के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

तुलना का आधार	एनबीएफसी	बैंक
अर्थ	• वे बिना बैंक लाइसेंस के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं	• यह एक सरकारी अधिकृत वित्तीय मध्यस्थ है जिसका उद्देश्य जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।
स्वयं आहरित चेक और डिमांड ड्राफ्ट	• कोई एनबीएफसी स्वयं आहरित चेक और डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकता है।	• एक बैंक स्वयं आहरित चेक और डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकता है।
मंग पर जमा	• स्वीकार नहीं किया जा सकता	• स्वीकार किया जा सकता है।
विदेशी निवेश	• एनबीएफसी में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति	• एक निजी बैंक में सभी स्रोतों से सकल विदेशी निवेश की अनुमति 74% तक है
भुगतान और निपटान प्रणाली	• सिस्टम का हिस्सा नहीं है	• सिस्टम का एक अभिन्न अंग
रिजर्व अनुपात का रखरखाव	• आवश्यक नहीं	• अनिवार्य
जमा बीमा सुविधा	• उपलब्ध नहीं है	• उपलब्ध
क्रेडिट निर्माण	• एनबीएफसी क्रेडिट नहीं बनती है	• बैंक क्रेडिट बनाता है।
लेन–देन सेवाएं	• एनबीएफसी द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है	• बैंक द्वारा प्रदान किया गया।

12.12 सारांश

एनबीएफसी देश की आर्थिक नींव के विकास के लिए आवश्यक हैं। एनबीएफसी को ऐसी किसी भी सेवा की पेशकश करने की अनुमति नहीं है जो उपनियमों के दायरे से बाहर हो क्योंकि उन्हें आरबीआई के नियमों का पालन करना आवश्यक है।

जब ये सीमाएं एनबीएफसी को स्वतंत्र रूप से काम करने से रोकती हैं, तो नियामक संस्थाएं संचालन में आसानी और खतरों के बीच सही संतुलन बनाने के लिए प्रासंगिक विनियमन को कभी–कभी बदल देती हैं।

जबकि बैंकों को सरकार द्वारा जमा स्वीकार करने और आम जनता को ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, एनबीएफसी मुख्य रूप से समाज के गरीब सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

एक NBFC की तुलना में एक बैंक को सख्त लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वित्तीय ऋण देने की अधिक आवश्यकता होगी, और एनबीएफसी भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार में मदद कर सकते हैं।

कंपनी का हर प्रयास लाभप्रदता पर उच्च ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है, लेकिन एनबीएफसी ऐसा नहीं

करते हैं।

12.13 बोध प्रश्न

- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से आप क्या समझते हैं?
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए।
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का विनियम का वर्णन कीजिए।
- अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय प्रणाली में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
- गैर बैंक एकीकरण और पर्यवेक्षी एकीकरण से आप क्या समझते हैं?
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

12.14 सन्दर्भ पुस्तकें

1. भारतीय वित्तीय संस्थान एवं बाजार प्रतिभूति विश्लेषण
2. प्रतिभूति विश्लेषण प्रबन्धन Dr. F.C. Sharma F.C.B.D Pub
3. भारतीय वित्तीय बाजार एवं संखायें– डॉ. रजनीश जैन
4. Indian tinanual System-M.Y. Khan
5. वित्तीय बाजार एवं वित्तीय सेवाये– डॉ. सतीश कुमार सिंह, डॉ. अभय घोड़के
6. भारतीय वित्तीय बाजार एवं संस्थायें– डॉ. शैलेश कुमार डॉ. बब्लू कुमार

खण्ड–4 पूंजी बाजार एवं विनियामक वित्तीय संस्थाएं

खण्ड एवं इकाई परिचय

पाठ्यक्रम परिचय

अर्थशास्त्र विषय पर प्रस्तुत यह स्व–अध्ययन सामग्री MAEC–109 परास्नातक अर्थशास्त्र कार्यक्रम के 'वित्तीय संस्थाएं' पाठ्यक्रम से संबंधित है। यह वित्तीय संस्थाओं के परिचय, उसका आशय और भारत में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, जैसे मुद्रा बाजार पूंजी बाजार तथा डेरिवेटिव बाजार, विनियामक वित्तीय संस्थाओं जैसे सेबी और बीमा विनियामक प्राधिकरण इत्यादि के साथ देश के आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं के महत्व इत्यादि पर विस्तृत एवं गहन अध्ययन करता है। इससे शिक्षार्थियों को वित्तीय संस्थाएं पाठ्यक्रम को समझने में आसानी होगी और छात्र वित्तीय संस्थाओं के अर्थ, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार और डेरिवेटिव बाजार के अर्थ, उसके संघटक, उसके कार्य तथा उसके उपकरणों इत्यादि के विषय में बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों को भारतीय विनियामक संस्थाओं जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और बीमा से संबंधित नियामक निकाय भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इत्यादि के विषय में गूढ़ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र यह भी ज्ञान प्राप्त करेंगे कि बीमा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? इसके अतिरिक्त इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत देश के आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं के महत्व पर भी विस्तार से अध्ययन किया गया है।

खण्ड एवं इकाई का परिचय– परास्नातक अर्थशास्त्र विषय की यह स्व अध्ययन सामग्री MAEC–109' वित्तीय संस्थाएं 'नामक पाठ्यक्रम पर केन्द्रित है। जिसका शीर्षक 'पूंजी बाजार एवं विनियामक वित्तीय संस्थाएं है। यह खण्ड वित्तीय संस्थाओं से संबंधित पूंजी बाजार की संरचना और कार्य, डेरिवेटिव बाजार, भारतीय विनियामक वित्तीय संस्थाएं जैसे सेबी और बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं के महत्व इत्यादि पर विस्तृत परिचय प्रस्तुत करता है। इसमें वित्तीय बाजार, भारत में वित्तीय बाजार और वित्तीय संस्थाओं और विभिन्न वित्तीय बाजार जैसे पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार एवं डेरिवेटिव बाजार इत्यादि का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन देश के आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।

खण्ड–4 भारत में वित्तीय बाजार एवं विनियामक वित्तीय संस्थाओं जैसे सेबी और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इत्यादि के गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली प्रकाश डालता है। इसका सैद्धांतिक और व्यावहारिक विश्लेषण छात्रों के लिए उपयोगी होगा।

इकाई परिचय – वित्तीय संस्थाएं से संबंधित यह खण्ड 4 इकाइयों में विभक्त हैं जिसकी प्रत्येक इकाई भारत में स्थित विभिन्न वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय बाजार एवं विनियामक वित्तीय संस्थाओं पर केन्द्रित हैं।

इकाई 13 के अंतर्गत पूंजी बाजार की संरचना और उसके कार्यों से संबंधित अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत इकाई में पूंजी बाजार के आशय, पूंजी बाजार के संघटक, संगठित पूंजी बाजार, असंगठित पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच अन्तर के साथ साथ शेयर बाजार, शेयर और ऋण पत्र इत्यादि के विषय में प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार के कार्य का भी विश्लेषण किया गया है।

इकाई 14– के अंतर्गत डेरिवेटिव बाजार के विषय में विस्तार से अध्ययन किया गया है। इसके अंतर्गत डेरिवेटिव का अर्थ, डेरिवेटिव बाजार से आशय, डेरिवेटिव्स की श्रेणियां और उसके प्रकार इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त भारत में डेरिवेटिव बाजार के सहभागी, डेरिवेटिव बाजार की विशेषताएँ और उसके कार्य, डेरिवेटिव्स से होने वाले लाभ, हानि के साथ साथ डेरिवेटिव बाजार और शेयर बाजार के बीच अंतर इत्यादि को भी इसमें स्पष्ट किया गया है।

इकाई 15– में वित्तीय संस्थाएं और विनियामक वित्तीय संस्थाओं संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय संस्था और विनियामक वित्तीय संस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी और भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना के उद्देश्य, उसके गठन, उसके कार्य और शक्तियां तथा उसकी सीमाओं इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। भारत में बीमा क्षेत्र का इतिहास, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की विशेषताएँ प्रस्तुत करने के साथ यह भी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है कि बीमा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? इत्यादि।

इकाई 16– भारतीय वित्तीय बाजार और आर्थिक विकास के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत वित्तीय बाजार और भारत में वित्तीय बाजार के अर्थ, वित्तीय बाजार का संगठन, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का अर्थ स्पष्ट करने के साथ पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अन्तर इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त देश के आर्थिक विकास में वित्तीय बाजार के महत्व पर भी इसमें विस्तार से चर्चा की गई है।

इकाई–13 पूंजी बाजार की संरचना और इसके कार्य (Composition of Capital Market and it's Functions.)

इकाई की रूपरेखा

13.0 परिचय
13.1 उद्देश्य
13.2 पूंजी बाजार का आशय
13.3 मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच संबंध
13.4 पूंजी बाजार के संघटक
13.5 संगठित पूंजी बाजार
13.6 असंगठित पूंजी बाजार
13.7 श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार
13 8. औद्योगिक प्रतिभूति बाजार
13.9 पूंजी बाजार के उपकरण
1310. अंश
13.11. अंशों के प्रकार
13.12 समता अंश
13.13 समता अंशों का वर्गीकरण
13.14 पूर्वाधिकार अंश
13.15. ऋणपत्र और बॉन्ड
13.16 ऋण पत्रों के प्रकार
13.17 विदेशी वित्तीय उपकरण
13.18 अंश और ऋणपत्र के बीच अंतर
13.19 पूंजी बाजार के कार्य
13.20 बोध प्रश्न
13.21 संदर्भ ग्रन्थ

13.0 परिचय (Introduction)

वित्तीय प्रणाली का संबंध विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय बाजारों, और उसके उपकरणों (Instruments) तथा वित्तीय सेवाओं की कार्यविधि एवं उसके व्यवहारों के एक अंतर्संबंधित समूह से है। इसके अंतर्गत विभिन्न वित्तीय मध्यस्थों, वित्तीय संस्थानों, नीति नियंताओं और उनकी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो समाज में व्यक्तियों की बचतों को न केवल प्रभावित करती हैं बल्कि उन बचतों को गतिमान कर निवेशकों, जो निवेश हेतु बचतों की मांग करते हैं,तक उसका वितरण भी सुनिश्चित करती हैं। वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार के बाजारों को शामिल किया जाता है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन–देन अर्थात क्रय–विक्रय होता है। ये अल्प अवधि की प्रतिभूतियां अत्यधिक तरल स्वभाव की होती हैं और बिना आर्थिक हानि के सरलतापूर्वक विक्रय योग्य होती हैं। जबकि पूंजी बाजार का संबंध दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के

बाजार से है जहां लम्बी अवधि, प्रायः एक वर्ष से अधिक अवधि, की पूंजी या ऋणों जैसे सरकारी और गैर सरकारी ऋणपत्र, बॉन्ड, शेयरों और डिबेंचर्स इत्यादि का क्रय विक्रय होता है।

प्रस्तुत इकाई में हम पूंजी बाजार की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करेंगे।

13.1. अध्ययन का उद्देश्य (Objectives of the Study)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- पूंजी बाजार का अध्ययन हमें पूंजी बाजार की जटिल कार्यप्रणाली को सफलतापूर्वक समझाने में सहायक होगा।
- इसका अध्ययन हमें पूंजी बाजार के विभिन्न उपकरणों से अवगत कराएगा।
- इसके अध्ययन से हम बचत करने और उससे लाभार्जन हेतु प्रेरित होंगे।
- पूंजी बाजार को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान कर देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग करना भी पूंजी बाजार के अध्ययन का उद्देश्य है।
- पूंजी बाजार के अध्ययन से हम इसके महत्व और उपयोगिता को जान सकेंगे।

13.2 पूंजी बाजार की अवधारणा (Concept of Capital Market).

पूंजी बाजार का आशय ऐसे वित्तीय बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों जैसे अंशपत्र, ऋणपत्र इत्यादि का लेन– देन होता है। सरकारी और गैर– सरकारी ऋणपत्र, बॉण्ड, अंशपत्र और प्रतिभूतियां इत्यादि दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हैं जिनका क्रय–विक्रय पूंजी बाजार में होता है। पूंजी बाजार में विभिन्न संस्थाएं और प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से मध्यम और दीर्घकालीन कोष (Fund) एकत्र करके व्यक्तियों,व्यापारियों, व सरकार इत्यादि को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोषों की मांग करने वालों (कर्जदारों) और उसकी पूर्ति कर्ताओं (कर्ज दाताओं) से मिलकर बना है जो एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिभूतियों का लेन– देन करते हैं। दीर्घकालीन कोषों की मांग प्रायः निगमित संस्थाओं (Corporate Houses) और सरकार द्वारा की जाती है जबकि इसकी पूर्ति व्यक्तियों और संस्थागत बचत कर्ताओं जैसे व्यापारिक बैंक, बीमा निगम, प्रॉविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड व यू. टी. आई. इत्यादि द्वारा की जाती है।

13.3 पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच सम्बन्ध (Relationship Between Capital Market and Money Market)

पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार दोनों ही वित्तीय बाजार के अंग हैं जो व्यावहारिक दृष्टि से एक दूसरे पर आधारित होते हैं और कुछ संस्थाएं दोनों ही बाजारों में काम करती हैं। मुद्रा लेन– देन के कुछ सौदे दोनों ही बाजारों में संचालित होते हैं और दोनों ही बाजारों पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है लेकिन दोनों बाजारों में अन्तर होता है जो इस प्रकार है।

1. मुद्रा बाजार में जहां अल्पकालीन कोषों का लेन देन होता है वहीं पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है।
2. ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, जमा प्रमाण पत्र, और वाणिज्यिक प्रपत्र इत्यादि मुद्रा बाजार जबकि अंशपत्र, ऋणपत्र, बॉन्ड और प्रतिभूतियां इत्यादि पूंजी बाजार के उपकरण हैं।
3. पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में कार्यरत संस्थाएं भी अलग अलग होती हैं। व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इत्यादि मुद्रा बाजार की संस्थाएं हैं जबकि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, विकास बैंक और बीमा निगम इत्यादि का संबंध पूंजी बाजार से है।

4. पूंजी बाजार में होने वाले सौदे प्रायः अधिकृत डीलरों (Authorised Dealer) के माध्यम से संपन्न होते हैं जबकि मुद्रा बाजार में इनकी आवश्यकता नहीं होती, सौदे, बिना एजेंट, के संपन्न होते हैं।

13.4 पूंजी बाजार के संघटक (Components of Capital Market)

पूंजी बाजार का अर्थ, उसकी प्रकृति तथा पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच सम्बन्ध इत्यादि समझने के पश्चात अब हम इसकी संरचना या गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। सुविधा की दृष्टि से पूंजी बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसे हम चार्ट के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।

पूंजी बाजार के संघटक

....

संगठित पूंजी बाजार **असंगठित पूंजी बाजार**

13.5. संगठित पूंजी बाजार

संगठित पूंजी बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जो पूर्व निर्धारित नियम और शर्तों (Terms and Conditions) के आधार पर संचालित होते हैं और सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारत में पूंजी बाजार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नियंत्रित होता है।

13.6 असंगठित पूंजी बाजार

वह बाजार है जिसपर सरकारी नियंत्रण नहीं होता। इसकी कार्य प्रणाली में व्यापक विविधता पाई जाती है और इसके अंतर्गत घरेलू बैंकर, उधार दाता और गिरवी दलाल (Pawn Broaker) इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यद्यपि हाल में निवेशकों के हितों के दृष्टिगत भारत में रिजर्व बैंक और सेबी का असंगठित पूंजी बाजार पर शिकंजा बढ़ा है।

पुनः संगठित पूंजी बाजार को भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं जो कि चार्ट के रूप में उसके प्रकार व्यक्त किया जा सकता है।

संगठित पूंजी बाजार

....

श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार **औद्योगिक प्रतिभूति बाजार**

13.7 श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार (Guilt Edged Security Market)

आशय (Meaning)– श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार का सम्बन्ध सरकारी और अर्द्ध सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से है जिसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। सरकारी प्रतिभूति से आशय सरकार पर बाजार में लेन देन योग्य वित्तीय दावों (Financial Claims) से है जो कि पूर्णतया सुरक्षित वित्तीय निधियाँ होती हैं और जिनके ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान (Repayment) के बारे में कोई जोखिम नहीं होता। इसीलिए इन प्रतिभूतियों को श्रेष्ठ स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूति कहा जाता है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रतिभूति जिसके मूलधन और उस पर प्राप्त ब्याज की प्राप्ति में कोई संशय परेशानी/जोखिम नहीं हो श्रेष्ठ प्रतिभूति कहलाती है।

भारतीय संदर्भ में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी रेखांकित/ गारण्टी युक्त प्रतिभूतियों को स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूति कहा जाता है।

भारत में श्रेष्ठ प्रतिभूति जारीकर्ता प्राधिकारी (Issuing Authority of Guilt Edged Security in India).

भारत में श्रेष्ठ प्रतिभूति निर्गमित करने का अधिकार निम्नलिखित का है ।

1. केंद्रीय सरकार।
2. राज्य सरकारें।
3. स्थानीय सरकारें जैसे नगर निगम, नगर पालिका समिति।
4. स्वायत्तशासी सार्वजनिक संस्थान जैसे मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, पोर्ट ट्रस्ट इम्प्रूवमेंट, राजकीय विद्युत बोर्ड, इत्यादि।
5. सार्वजनिक क्षेत्रक निगम।

उद्देश्य (Objectives)–

सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. सरकारी खर्चध्व्यय हेतु नगदी जुटाना।
2. ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय संसाधन एकत्र करना।
3. पुराने ऋणों के पुनर्निगमन हेतु।

विशेषताएँ (Characteristic)– श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

4. सरकारी और गैर सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन इस बाजार की प्रमुख विशेषता है।
5. सरकारी प्रतिभूतियों से आशय सरकार पर बाजार में लेन देन योग्य वित्तीय दावों से है।
6. ये वित्तीय निधियां पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं क्योंकि इनके ब्याज और मूलधन की वापसी या पुनर्भुगतान पर कोई संशय या जोखिम नहीं होता।
7. कोई जोखिम न होने के कारण इन्हें स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूतियां भी कहा जाता है।
8. सरकारी प्रतिभूतियों में अधिकांश सौदे संस्थाओं जैसे बीमा निगम, भविष्य निधियों, वाणिज्य बैंक इत्यादि द्वारा किए जाते हैं जिनको अपने कोषों का एक भाग कानूनी रूप से इन प्रतिभूतियों में निवेशित करना होता है ।
9. अंशपत्रों की अपेक्षा सरकारी प्रतिभूतियों में सौदों का औसत मूल्य काफी अधिक होता है। एक एक सौदा लाखोंध्करोड़ों का हो सकता है।
10. सरकारी प्रतिभूति बाजार की एक अन्य विशेषता यह है कि अंशपत्र की भांति यह नीलामी बाजार नहीं होता।।
11. भारत में खुले बाजार की क्रियाओं (Open Market Operations) द्वारा रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
12. रिजर्व बैंक मौद्रिक स्थिरता और सरकार के उधार कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ बाजार में भाग लेता है।

13.8 औद्योगिक प्रतिभूति बाजार (Industrial Security Market).

अर्थ (Meaning)– औद्योगिक प्रतिभूति बाजार से आशय नई और पुरानी कंपनियों के अंशपत्रों (शेयरों) और ऋणपत्रों के बाजार से है। शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के क्रय– विक्रय का केंद्र शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। संवेदनशील होने के कारण शेयर मार्केट को संवेदी सूचकांक मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि यह बाजार सरकार की बजट नीति, राजनीतिक स्थितियों, और कंपनी की स्थिति और प्रगति इत्यादि सूचनाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को सुविधा के दृष्टिगत दो भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसका चार्ट के रूप में प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है।

औद्योगिक प्रतिभूति बाजार

प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार

(नवीन निर्गमन बाजार) (पुराने निर्गमन बाजार)

1. **प्राथमिक बाजार (Primary Market)**– प्राथमिक बाजार का संबंध नए निर्गमन बाजार (New Issue Market) से है। इस बाजार में नए अंश पत्र और ऋणपत्र जारी किए जाते हैं जिसका प्रमुख उद्देश्य पूंजी एकत्रण करना होता है। प्राथमिक पूंजी बाजार में दीर्घकालीन पूंजी का संग्रहण करने हेतु शेयरों और ऋणपत्रों इत्यादि का पहली बार विक्रय किया जाता है। जब कोई कंपनी नए अंशपत्र या ऋणपत्र जारी करती है तो 'प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव' (Initial Public Offer, IPO) कहते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक बाजार या New Issue Market कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि कंपनियों द्वारा नव निर्गमन की प्रक्रिया है जिसमें धन का प्रवाह बचतकर्ताओं से उद्योग क्षेत्र की तरफ निम्नलिखित विधियों से होता है।

   - सार्वजनिक निर्गमन(Public Issue).
   - अधिकार निर्गमन (Right Issue).
   - विक्रय हेतु प्रस्ताव़ Offer for Sale).
   - इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव (E–IPO)
   - निजी व्यवस्था (Private Placement).

   इस प्रकार प्राथमिक पूंजी बाजार में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन उपर्युक्त विधियों में से किसी एक विधि द्वारा किया जाता है।

   भारत में अंशपत्रों का अभिगोपन कार्य शेयर ब्रोकर्स, बीमा कंपनियों, बड़े अनुसूचित बैंकों, निवेश ट्रस्टों और व्यक्तिगत वित्तकर्ताओं इत्यादि द्वारा किया जाता है और अब तो IFCI, IDBI के साथ ICICI इत्यादि द्वारा भी अभिगोपन कार्य व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया है।

2. **पुराने निर्गमन बाजार (Old Issues Market)**– पुराने निर्गमन बाजार, जिसे द्वितीयक या गौण बाजार भी कहते हैं,का संबंध विद्यमान कंपनियों के शेयरों और ऋणपत्रों की खरीद –विक्री से है। इसे स्कंध बाजार (Stock Exchange)भी कहते हैं। इस प्रकार पुराने निर्गमन बाजार या स्टॉक एक्सचेंज में पुराने अंशपत्रों व ऋणपत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। और वास्तव में इसी की पूंजी बाजार की संज्ञा भी दी जाती है। भारत में विभिन्न शहरों में स्टॉक एक्सचेंज स्थित हैं और देश में कुल 23मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं जिसमें एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), जिसकी स्थापना सन् 1876 में हुई जो कि मुंबई में स्थित है। यह लगभग 5000 सूचीबद्ध कंपनियों के साथ विश्व के 9वें सबसे बड़े शेयर बाजार के रूप में है। सन् 1986 में BSE ने सूचीबद्ध 30 सबसे समृद्ध कंपनियों के सूचकांक 'SENSEX '(सेंसेक्स) जारी किया । इसके अतिरिक्त नवंबर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 11वा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और जो दैनिक कारोबार तथा इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग दोनों के लिए ट्रेडों की संख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।

   नवीन निर्गमन बाजार और पुराने निर्गमन बाजार दोनों ही यद्यपि महत्वपूर्ण पूंजी बाजार हैं लेकिन आर्थिक विकास के दृष्टिगत नए निर्गमन बाजार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तविकता यह है कि नए निर्गमन बाजार का कार्य संचालन सुचारू रूप से तभी हो पाता है जबकि विद्यमान प्रतिभूतियों के अंतरण की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हों।

13.9 पूंजी बाजार के उपकरण (Instruments of Capital Market)–

पूंजी बाजार के संघटकों का अध्ययन करने के पश्चात अब हम पूंजी बाजार के उपकरणों का अध्ययन करेंगे। पूंजी बाजार में कार्यरत संस्थाएं जिन विभिन्न प्रपत्रों या प्रतिभूतियों के माध्यम से अपना व्यवसाय करती हैं

उन्हें पूंजी बाजार के उपकरण या लेखपत्र कहा जाता है इसमें अंशपत्र, ऋणपत्र या बॉन्ड प्रमुख हैं जिसका विवरण इस प्रकार है।

1. **सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities)**– पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण लेखपत्र या उपकरण सरकारी प्रतिभूतियां व बाण्ड हैं जिसका अध्ययन हम पूर्व में श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार (Guilt Edged Security Market) के अंतर्गत कर चुके हैं।

2. कंपनियों की प्रतिभूतियां (Company Securities)– संयुक्त पूंजी कंपनियों द्वारा निर्गमित अंश पत्र (Shares), पूर्वाधिकार अंश पत्र (Preference Shares), ऋणपत्र (Debentures or Bonds), और बंध पत्र (Mortgage or Guarantee Debentures) इत्यादि समस्त प्रतिभूतियां पूंजी बाजार में लेनदेन हेतु प्रयुक्त होती हैं। इन उपकरणों को निगम स्टॉक भी कहा जाता है। इन उपकरणों को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।

13.10. अंश पत्र (Shares)

संयुक्त पूंजी कम्पनी की संपूर्ण पूंजी की छोटी से छोटी विभाज्य इकाई अंश(शेयर) कहलाती है।

एम. सी . कुच्छल के अनुसार, 'कम्पनी का अंश एक इकाई है जिसमें कम्पनी की समस्त पूंजी विभाजित होती है।'

(A Share in a company is one of the units into which the total capital of the company is divided.) M-C-Kuchchhal.

13.11 अंशों के प्रकार (Types of Shares)

भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 के अनुसार, अंश दो प्रकार के होते हैं।

(क) समता अंश (Equity Share).

(ख) पूर्वाधिकार अंश (Preference share).

अब हम समता अंश और पूर्वाधिकार अंश के बारे में विस्तार से जानेंगे।

13.12 समता अंश (Equity Share)

समता अंश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते। भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 85 (2) के अनुसार," समता अंश उन अंशों को कहते हैं जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों की तरह पूर्वाधिकार नहीं होता है।" एक कम्पनी की औद्योगिक वित्त व्यवस्था में समता या साधारण अंश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसी कारण इनको कम्पनी का आधार स्तंभ माना जाता है। अधिकांश कंपनियां अपनी कुल पूंजी का बहुत बड़ा भाग इसी प्रकार के शेयर जारी करके प्राप्त करती हैं। इसके शेयर धारकों को लाभांश कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद शेष राशि से प्राप्त होता है।

विशेषताएँ (Characteristics)–

समता अंश के अर्थ को समझने के पश्चात अब हम इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। समता अंश की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

- यह कम्पनी की स्थाई पूंजी होती है क्योंकि इसकी वापसी उद्योग के जीवन काल में नहीं होती है।
- इस प्रकार की अंश पूंजी पर लाभांश (Dividend) तभी प्राप्त होता है जबकि कम्पनी लाभ अर्जित करती है।
- समता अंश पूंजी की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके शेयर धारक ही कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते हैं तथा कम्पनी के संचालन एवं प्रबंधन पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है।
- इस शेयर पूंजी कम्पनी या उद्योग को प्रारंभिक पूंजी प्राप्त होती है और उसे ही कम्पनी का जोखिम वहन करना होता है।

लाभ (Benefit)– समता अंश पूंजी का अर्थ, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम देश के आर्थिक विकास में इसके लाभ का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है।

- समता अंश पूंजी का प्रमुख लाभ यह है कि इसके लिए कोई जमानत नहीं रखनी पड़ती।
- इसका एक अन्य लाभ यह है कि इसमें पूंजी का स्थायित्व बना रहता है क्योंकि उनके भुगतान की आवश्यकता नहीं होती।
- कम्पनी के लिए इसका एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके अंतर्गत लाभांश का भुगतान तभी करना होता है जबकि कम्पनी को लाभ अर्जित हो।
- इसके अतिरिक्त इसका एक अन्य लाभ यह भी है कि शेयर धारकों का कम्पनी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वे कम्पनी के प्रबंध और संचालन पर पूर्ण अधिकार रखते हैं।

उल्लेखनीय है कि कम्पनी की समता अंश पूंजी को 'जोखिम पूंजी ' या 'साहस पूंजी '(Venture capital) भी कहते हैं। इसे 'स्वामित्व पूंजी '(Ownership Capital) की संज्ञा भी दी जाती है।

13.13 समता अंशों का वर्गीकरण (Classification of Equity Shares)

अब हम यह अध्ययन करेंगे कि समता अंश (Equity Shares) कितने प्रकार के होते हैं। अंशों की प्रकृति, व्यापार के स्वभाव और उद्योग की प्रकृति के अनुसार, समता अंश कई प्रकार के होते हैं जिनका आसानी से वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है।

(A) ब्ल्यू चिप अंश (Blue Chip Shares)– 'ब्ल्यू चिप 'शब्द का प्रयोग उन कंपनियों के शेयरों के लिए किया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो, उनका प्रबंधन कुशल हो और भविष्य में जिनके उन्नति की प्रबल संभावना होती हैं। ऐसी कम्पनियों के शेयर खरीद पर हानि की संभावना न के बराबर होती है और इनके खरीददार बाजार में सदैव उपलब्ध रहते हैं।

(B) संवृद्ध शेयर्स (Growth Shares)– तीव्र गति से विकास कर रही कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे शेयर संवृद्ध शेयर कहलाते हैं। इन शेयरों पर उद्योग के अन्य शेयरों की अपेक्षा प्रति शेयर अधिक औसत आमदनी (Per Share More Average Earning) प्राप्त होती है।

(C) चक्रीय और गैर –चक्रीय अंश (Cyclical and Non -Cyclical shares)– चक्रीय शेयर वे अंश पत्र होते हैं जिनकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है जैसे ऑटोमोबाइल सीमेंट, निर्माण (Construction) और इंजीनियरिंग इत्यादि के शेयर्स शामिल होते हैं। जबकि गैर–चक्रीय शेयर वे शेयर्स होते है जिन पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बीमा कंपनियों के शेयर इत्यादि।

(D) अन्य प्रकार के शेयर्स (Other type of Shares)– कुछ ऐसे भी शेयर होते हैं जो कि यद्यपि ब्ल्यू चिप या समृद्ध या चक्रीय और गैर– चक्रीय श्रेणी में तो नहीं आते लेकिन समता अंश होते हैं जैसे सक्रिय अंश (Active Shares)

अल्फा अंश (Alfa Shares), स्वेट अंश (Sweat Shares), सुरक्षात्मक अंश (Defensive Shares), और बदलाव स्वभाव अंश (Turn-around Shares) इत्यादि। स्वेट समता अंश वे अंश होते हैं जो कम्पनी द्वारा बट्टा या नगदी के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु अपने कर्मचारियों या संचालकों को जारी किया जाता है लेकिन ऐसे अंश कुछ निश्चित शर्तों पर ही निर्गमित किए जा सकते हैं।

13.14 पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)–

समता अंश के बारे में विस्तार से अध्ययन के पश्चात अब हम पूर्वाधिकार अंश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।पूर्वाधिकार अंश से आशय उन अंशों से है जिनके धारकों को एक निश्चित दर पर लाभांश पाने या और कम्पनी के समाप्ति की स्थिति में पूंजी को वापस पाने का पूर्वाधिकार होता है।

पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार (Types of Preference Shares)– समता अंश की भांति पूर्वाधिकार अंश भी कई प्रकार के होते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है।

1. **संचयी और गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश (Cumulative and Non Cumulative Preference Shares)**– कम्पनी को लाभ न होने पर यदि लाभांश संचय होता रहे और लाभ होने वाले वर्ष में पूर्व वर्षों का लाभांश भी दिया जाए तो ऐसे अंशों को संचित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इसके विपरीत वे पूर्वाधिकार अंश जिनपर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार संचित नहीं होता गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। कहने का आशय है कि यदि किसी वर्ष लाभांश दिया जाता है लेकिन किसी अन्य वर्ष में यदि लाभांश की घोषणा नहीं होती तो इसके धारक को न तो लाभांश प्राप्त होता है और न ही बकाया माना जाता है।

2. **शोध्य और अशोध्य पूर्वाधिकार अंश (Redeemable and Irredeemable Preference Shares)**– शोधनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनकी राशि को कम्पनी के जीवन काल में ही निर्गमन की शर्तों के अनुसार भुगतान या शोधन कर दिया जाता है । इसके विपरीत अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनकी राशि कम्पनी की समाप्ति के पूर्व वापस नहीं की जा सकती।

3. **भागीदार और गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश (Participating and Non Participating Preference Shares)**– भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनके अंशधारियों को अपना निश्चित लाभांश प्राप्त कर लेने के पश्चात साधारण अंशधारियों को भी एक निश्चित दर से लाभांश भुगतान के उपरान्त शेष लाभ में हिस्सा बांटने का अधिकार दे दिया जाए। इसके विपरीत जिन अंशों पर यह अधिकार नहीं होता उन्हें गैर भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है।

4. **परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश (Convertible and Non Convertible Preference Shares)**– परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको एक निश्चित समयावधि के बाद साधारण अंशों में बदलने की स्वतंत्रता दी जाती है । इसके विपरीत अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश धारकों को अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन की अनुमति नहीं होती।

5. **मताधिकार वाले पूर्वाधिकार अंश (Voting Right Preference Shares)**– वे पूर्वाधिकार अंश जिनके अंश धारकों को कंपनी अपने अंतर्नियमों में स्पष्ट व्यवस्था करके उन्हें भी कम्पनी की बैठकों में समता अंश धारियों की तरह उपस्थित होने और मत देने का अधिकार दे देती है मताधिकार वाले पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं।

13.15 ऋण पत्र और बॉन्ड (Debenture and Bond)

ऋणपत्र कंपनी और ऋण दाता के बीच एक अनुबंध प्रपत्र होता है जिसके अनुसार कम्पनी लिए हुए ऋण को ब्याज सहित भुगतान करने का वायदा करती है। भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 2(12) के अनुसार," ऋणपत्र में ऋणपत्र स्टॉक, बॉन्ड और कम्पनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं चाहे वे कम्पनी की संपत्तियों पर प्रभार रखती हों या नहीं।"(Debenture includes debenture stock, bonds and any other security of a company whether constituting a charge on the assets of the company or not.)

इसी तरह बॉन्ड भी ऋणपत्र से मिलता जुलता प्रपत्र है जो कि सामान्यतया। सरकार द्वारा जारी किया जाता है । यद्यपि वर्तमान में अर्द्ध सरकारी और गैर– सरकारी संस्थाएं भी ऋण प्रमाण पत्र के रूप में बॉन्ड जारी करने लगी हैं। ऋणपत्र और बॉन्ड के बीच एक मौलिक अंतर यह है कि ऋणपत्र में ब्याज दर पूर्व निर्धारित रहती है जबकि बॉन्ड पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बगैर जारी किए जा सकते हैं। जैसे जीरो कूपन बॉन्ड (Zero Coupon Bond), या डीप डिस्काउंट बॉन्ड (Deep Discount Bond) इत्यादि।

विशेषता (Characteristic)– ऋण पत्रों द्वारा एकत्रित पूंजी की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

- ऋण पत्रों द्वारा एकत्रित पूंजी की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसके माध्यम से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं।
- अंशों की भांति ऋण पत्र भी बाजार में सफलतापूर्वक क्रय विक्रय किए जा सकते हैं।

- इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि ऋण पत्र कम्पनी की ऋण पूंजी के भाग होते हैं और इनपर ब्याज भुगतान आवश्यक होता है चाहे कम्पनी को लाभ प्राप्त हो या नहीं।

13.16 ऋण पत्रों के प्रकार (Types of Debentures)

ऋण पत्रों का अर्थ और इसके गुणों को समझने के बाद अब हम यह अध्ययन करेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। इसका विवरण इस प्रकार है।

- सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र (Secured and Unsecured Debentures)– सुरक्षित ऋणपत्र को बंधक ऋणपत्र भी कहा जाता है ये वे ऋणपत्र होते हैं जिनके भुगतान के लिए या तो कम्पनी की कुछ संपत्तियों को बंधक रखा जाता है जिसे स्थाई प्रभार (Fixed Charges) कहते हैं या फिर सभी संपत्तियां बंधक के रूप में होती हैं जिसे चल प्रभार (Floating Charges)कहते हैं। इसके विपरीत वे ऋणपत्र जिनपर मूलधन या ब्याज भुगतान के लिए कम्पनी की संपत्तियां बंधक के रूप में नहीं होती, असुरक्षित या नग्न (Naked) ऋणपत्र कहलाते हैं।

- शोध्य और अशोध्य ऋणपत्र (Redeemable and Irredeemable Debentures)– शोध्य ऋणपत्र वे ऋणपत्र होते हैं जिनकी राशि एक निश्चित अवधि के उपरान्त वापस कर दी जाती है। इसके विपरीत जिन ऋणपत्रों के मूलधन का भुगतान कम्पनी के समापन पर ही होता है अशोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं।

- पंजीकृत और वाहक ऋणपत्र(Registered and Bearer Debentures)– पंजीकृत ऋणपत्र वे ऋणपत्र होते हैं जिनके धारकों का नाम, पता और अन्य विवरण कम्पनी के पास रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और ऐसे ऋणपत्र का स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण नहीं होता। इसके विपरीत वाहक ऋण पत्र वे ऋणपत्र होते हैं जिनका धारक ही स्वामी होता है जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल हस्तांतरण करने से ही हस्तांतरित हो जाता है। इस ऋणपत्र पर ब्याज और मूलधन का भुगतान ऋणपत्र के वाहक को कर दिया जाता है।

- परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील ऋणपत्र (Convertible and Non Convertible Debenturė)– परिवर्तनशील ऋणपत्र वे ऋणपत्र होते हैं जिनके धारक एक निश्चित अवधि के बाद स्वेच्छा से अपने ऋणपत्रों को अंशों में बदल सकते हैं । इसके विपरीत जिन ऋणपत्रों के धारक अपने ऋणपत्रों को स्वेच्छा से एक निश्चित अवधि के बाद अंश में परिवर्तित नहीं कर सकते अपरिवर्तन शील ऋण पत्र कहलाते हैं।

13.17 (3) विदेशी वित्तीय उपकरण (Foreign Financial Instruments)

बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े पैमाने की विदेशी कंपनियां विश्व पूंजी बाजार में वित्तीय उपकरण जारी करती हैं जो संबंधित देश की मुद्रा में होते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में भी ऐसे ऋणपत्रों और बॉन्डों का लेन देन होता है जो कि रुपए या डॉलर में जारी किया जाता है। ये विदेशी उपकरण भी पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। विदेशी पूंजी जुटाने के लिए भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा नए नए उपकरणों की व्यवस्था की गई है जिनका विवरण इस प्रकार है।

- Global Depository Right(GDR)– GDR एक डॉलर उपकरण है जिसका व्यापार अमेरिका और यूरोप के स्टॉक एक्सचेंजों में होता है । यह निश्चित संख्या में समता अंशों का प्रतिनिधित्व करता है।

- **यूरो निर्गम (Euro Issue)**– भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने चुनिंदा भारतीय कंपनियों को विदेशी पूंजी बाजारों में निर्गम जारी करके कतिपय प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में पूंजी एकत्र करने की अनुमति प्रदान की है। इसी के अंतर्गत जब कोई भारतीय कंपनी विदेशों में अपना निर्गम जारी करती है तो ' यूरो निर्गम ' कहा जाता है।
- Yankee Bonds and Samurai Bonds – अमेरिका में जारी किया जाने वाला बॉन्ड ल्दामम ठवदक जबकि जापान में जारी किए जाने वाले बॉन्ड' समुराई बॉन्ड ' कहलाते हैं।
- रिसर्जेन्ट इण्डिया बॉन्ड (RIB)– भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सन् 1998 में डॉलर, पौंड्स और जर्मन मार्क में

पंचवर्षीय बॉन्ड जारी किए गए जिन्हें रिसर्जेन्ट इंडिया बॉन्ड कहा जाता है। इस धन का उपयोग आधारभूत परियोजनाओं के निर्माण में करने का प्रावधान किया गया था।

13.18 अंश और ऋणपत्र के बीच अन्तर (Difference Between Shares and Debentures)

अब हम संक्षेप में अंश और ऋणपत्र के बीच अन्तर स्पष्ट करेंगे। जो कि इस प्रकार है।

1. अंश और ऋणपत्र के बीच प्रमुख अन्तर यह होता है कि अंश जहां पूंजी का हिस्सा होता है वहीं ऋणपत्र ऋण का एक भाग है।
2. शेयर धारक इसके स्वामी कहलाते हैं जबकि ऋण पत्रों के धारक महाजन या साहूकार कहलाते हैं।
3. इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण यह है कि अंशों पर जहां लाभांश प्राप्त होता है वहीं ऋणपत्रों पर ब्याज प्राप्त होता है।
4. अंश प्रायः जोखिमपूर्ण होने के कारण असुरक्षित स्वभाव के होते हैं जबकि ऋणपत्र प्रायः सुरक्षित होते हैं।
5. इन दोनों के बीच एक अन्य अन्तर यह है कि अंश धारक जहां कम्पनी के प्रबन्ध में शामिल होते हैं वहीं ऋणपत्र धारक कम्पनी के प्रबन्ध में भाग नहीं ले सकते।
6. अंश या शेयर धारकों को कम्पनी में मताधिकार प्राप्त होता है जबकि ऋणपत्र धारक को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता।
7. शेयर और ऋणपत्र के बीच एक अन्य अंतर यह है कि शेयर पर प्राप्त आय अनिश्चित स्वभाव की होती है क्योंकि यह लाभांश पर निर्भर करती है जबकि ऋणपत्र धारक को प्राप्त आय निश्चित स्वभाव की होती है क्योंकि इस पर निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है।

13.19. पूंजी बाजार के कार्य (Functions of Capital Market)

पूंजी बाजार के अर्थ और उसकी संरचना का विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात अब हम पूंजी बाजार के कार्यों और दायित्वों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन पूंजी या ऋणों जैसे सरकारी और गैर–सरकारी ऋणपत्र, बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों इत्यादि का लेन–देन होता है क्योंकि पूंजी बाजार देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन निवेशों हेतु धन जुटाने में सहयोग कर देश के आर्थिक विकास को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। पूंजी बाजार ही पूंजी निवेशकों और बचत कर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। पूंजी बाजार से संबद्ध विभिन्न संस्थाएं विभिन्न प्रपत्रों और लेख पत्रों के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालीन निवेश की आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। निःसंदेह एक सुव्यवस्थित और विकसित पूंजी बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर अग्रसर करता है। पूंजी बाजार के कार्यों का विस्तार से विवरण हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं।

1– पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि बचत कर्ताओं को अपनी अतिरिक्त बचतों को दीर्घकालीन बाजार में निवेश करने और उस पर ब्याज अर्जन का सुअवसर प्रदान करता है ।

2– एक विकसित और सुदृढ़ पूंजी बाजार निवेशकों को एक विस्तृत बाजार तंत्र उपलब्ध कराता है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सुरक्षित और सुनियोजित निवेश के सुअवसर प्राप्त होते हैं।

3– पूंजी बाजार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह पूंजी को गतिशील बनाते हुए उसे अनुत्पादक से उत्पादन कार्य की तरफ संचालित करता है।

4– एक विकसित और संगठित पूंजी बाजार देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है । पूंजी बाजार में वित्तीय संस्थाएं अपनी सक्रियता से विकास की दिशा तय करती हैं।

5– पूंजी बाजार संगठित और विकसित पूंजी बाजार में पूंजी को गतिशील बनाकर ब्याज दरों में समानता स्थापित करता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूंजी बाजार देश की पूंजी को गतिशीलता प्रदान कर देश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करता है।

13.20 बोध प्रश्न

1. पूंजी बाजार की अवधारणा समझाइए।
2. मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए।
4. संगठित पूंजी बाजार की अवधारणा को समझाइए।
5. श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार से क्या आशय है?
6. पूंजी बाजार के विभिन्न उपकरणों को समझाइए।
7. भारतीय पूंजी बाजार की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
8. पूंजी बाजार के कार्य और उसके महत्व को बताइए।
9. स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूतियां किसे कहते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
10. प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के बीच भेद कीजिए।
11. प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं? इसमें नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किस प्रकार होता है?
12. समता अंश किसे कहते हैं? इसके वर्गीकरण को समझाइए।
13. समता अंश की विशेषताओं को समझाइए।
14. पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है?
15. ऋणपत्र और बॉन्ड के बीच भेद कीजिए। ऋणपत्र कितने प्रकार के होते हैं?
16. विदेशी वित्तीय उपकरणों को बताइए।
17. अंश और ऋणपत्रों के बीच भेद कीजिए।

13.21. संदर्भ ग्रन्थ

1. गुप्ता, सूरज बी – मौद्रिक अर्थशास्त्र (अंग्रेजी).– एस. चंद पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. भोले एल. एम.– वित्तीय संस्थान और बाजार (अंग्रेजी)– टाटा मैक ग्राहिल कंपनी लिमिटेड,नई दिल्ली।
3. सिन्हा वी सी एवं वार्ष्णेय जी सी – मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां. एस बी पी डी पब्लिकेशन हाउस आगरा।
6. मिश्रा जे. पी.– मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां. साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
7. सहाय आई एमकृ फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस (अंग्रेजी) – एस बी पी डी पब्लिकेशंस हाउस, आगरा।
8. साहा, सतीश चंद्र– मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां – एस बी पी डी पब्लिकेशंस आगरा।
9. गोल्ड स्मिथ आर. डबल्यू – वित्तीय संरचना और विकास. येल, लंदन।
11. भोले, एल.एम.– भारतीय वित्तीय प्रणाली, चुग प्रकाशन प्रयागराज (इलाहाबाद)।
12. माचिराजू एम आर – इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

इकाई–14 डेरिवेटिव/व्युत्पन्न बाजार (Derivative Market)

इकाई की रूपरेखा –

14.0. प्रस्तावना

14.1. अध्ययन का उद्देश्य

14.2. डेरिवेटिव के अर्थ

14.3. डेरिवेटिव बाजार का अर्थ

14.4. डेरिवेटिव की श्रेणियां

14.5. डेरिवेटिव के प्रकार

14.6. फॉरवर्ड और फ्यूचर अनुबंध के बीच अंतर

14.7. डेरिवेटिव बाजार के प्रतिभागी

14.8. भारतीय डेरिवेटिव बाजार के प्रमुख खिलाड़ी

14.9. डेरिवेटिव बाजार की विशेषताएँ

14.10. डेरिवेटिव बाजार के कार्य

14.11. भारत में डेरिवेटिव बाजार से होने वाले लाभ

14.12. डेरिवेटिव बाजार से जुड़े जोखिम

14.13. डेरिवेटिव से होने वाले लाभ

14.14. डेरिवेटिव से होने वाली हानि

14.15. डेरिवेटिव बाजार और शेयर बाजार के बीच अंतर

14.16. बाजार की स्थिरताऔर दक्षता में डेरिवेटिव बाजार की भूमिका

14.17. सारांश

14.18. बोध प्रश्न

14.19. संदर्भ ग्रन्थ।

14.0. प्रस्तावना (Introduction)

शेयर बाजार और उसके रुझानों पर रुचि रखने वाले को डेरिवेटिव बाजार के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। डेरिवेटिव बाजार एक महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र है जहां वित्तीय साधन किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं। भारत के वित्तीय बाजारों में डेरिवेटिव्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।यह एक वित्तीय अनुबंध है जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग हेजिंग या सट्टेबाजी के लिए किया जाता है।ट्रेडिंग की एक रोमांचक दुनिया है जो अगर सही तरीके से प्रयोग की जाए तो बहुत अधिक रिटर्न देती है लेकिन साथ ही अधिक लाभ अर्जन का यह रास्ता अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। भारत में डेरिवेटिव बाजार का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है।प्रस्तुत इकाई में हम भारत में डेरिवेटिव बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें उसका अर्थ, उसकी विशेषताएँ, उसके प्रकार, उसके विभिन्न प्रतिभागियों, उसके कार्य, महत्व, लाभ और उसकी कमियों इत्यादि प्रमुख है।

14.1 उद्देश्य (Objectives)

डेरिवेटिव बाजार के अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।

1– शिक्षार्थी को डेरिवेटिव बाजार की कार्य प्रणाली से अवगत कराना।

2– शिक्षार्थी को इसके उपकरणों का प्रयोग करना सिखाना।

3– शिक्षार्थी को इस बाजार से जुड़े जोखिम संबंधित खतरों से सावधान करना।

4– शिक्षार्थी को डेरिवेटिव बाजार में निवेश करके लाभ कमाने हेतु प्रेरित करना।

5– शिक्षार्थी को डेरिवेटिव बाजार से अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ और हानि की जानकारी उपलब्ध कराना।

14.2. डेरिवेटिव का अर्थ (Meaning of Derivatives)

डेरिवेटिव का संबंध दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक प्रकार के अनुबंध से है जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति, जैसे कमोडिटी की कीमत से अपना मूल्य प्राप्त करता है।

14.3 डेरिवेटिव बाजार का अर्थ (Meaning of Derivative Market)–

डेरिवेटिव बाजार वित्तीय बाजार का एक परिष्कृत रूप है जहां व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) नामक वित्तीय अनुबंधों का व्यापार होता है ।ये अनुबंध, जैसे वायदा (Futures), और विकल्प (Options), अंतर्निहित परिसंपत्तियों (underlying assets) के मूल्य पर आधारित होते हैं जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी या मुद्राओं जैसी अंतर्निहित परिसंपत्तियों से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार डेरिवेटिव बाजार वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां व्यापारी फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे वित्तीय उपकरणों का क्रय–विक्रय करते हैं जिनका मूल्य स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटी जैसी अंतर्निहित परिसंपत्तियों से प्राप्त होता है।वायदा और विकल्प इत्यादि इस बाजार के प्रमुख उपकरण हैं और इन अनुबंधों का प्रयोग हेजिंग, सट्टेबाजी, जोखिम प्रबंधन, आर्बिट्राज और निवेश विविधीकरण के लिए किया जाता है।

इस प्रकार डेरिवेटिव वित्तीय अनुबंध हैं जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं और वह अंतर्निहित मूल्य कोई वस्तु, सुरक्षा, मुद्रा या फिर सूचकांक हो सकती है। डेरिवेटिव बाजार का मुख्य उद्देश्य जोखिम प्रबंधन, सट्टेबाजी और पोर्टफोलियो विविधीकरण है ।

भारतीय प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में, डेरिवेटिव्स निवेश रणनीतियों को आकार देने, जोखिम को कम करने और तरलता को बढ़ावा देने इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

14.4 डेरिवेटिव की श्रेणियां (Classifications of Derivatives)–

डेरिवेटिव बाजार को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव और ओवर –द–काउंटर डेरिवेटिव।

एक्सचेंज – ट्रेडेड डेरिवेटिव– ऐसे डेरिवेटिव्स वे मानकीकृत अनुबंध हैं जिनका लेन –देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे संगठित एक्सचेंजों पर होता है जैसे वायदा और विकल्प अनुबंध।

ओवर –द – काउंटर (OTC) डेरिवेटिव – ये बाजार विकेंद्रित बाजार है जिनका लेन– देन बिना एक्सचेंज की सहायता के दो पक्षों के बीच सीधे बातचीत से ही हो जाता है।

उदाहरण के लिए –

- एक किसान जो गेहूं बेचता है, वह वायदा अनुबंध का प्रयोग करके अपने गेहूं की भावी कीमत को लॉक कर सकता है ताकि उसे मूल्य में गिरावट के जोखिम से बचाया जा सके।
- इसी प्रकार, एक निवेशक जो किसी स्टॉक में निवेश करता है, वह विकल्प अनुबंध का उपयोग करके अपने निवेश पर प्रत्याशित हानि को सीमित कर सकता है।

- इसी प्रकार, एक कम्पनी जो ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम को कम करना चाहती है वह स्वैप अनुबंध का प्रयोग कर सकती है।

- इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव बाजार एक जटिल किंतु महत्वपूर्ण बाजार है जो विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों के लिए अवसर प्रदान करता है।

- भारत में डेरिवेटिव की शुरुआत 1990 के दशक से हुई।यहां सन् 1998 में सेबी ने एल. सी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1998 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए जोखिम प्रबंधन उपायों की सिफारिश करने हेतु जे आर वर्मा समिति का गठन किया जो कि भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के आधार बनीं और पहला डेरिवेटिव अनुबंध जून 2000 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च किया गया। NSE us Index फ्यूचर्स की शुरुआत के साथ डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की शुरुआत की। फ्यूचर कांट्रैक्ट्स लोकप्रिय बेंचमार्क निफ्टी 50 index पर आधारित है उसके बाद से यहां डेरिवेटिव बाजार का तेजी से विस्तार हुआ है ।

- NSE India के प्रबंध निदेशक और सी.ई.ओ. आशीष चौहान को भारत में डेरिवेटिव्स का जनक (Father of Derivatives in India) कहा जाता है।

- फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाजार है। भारत में डेरिवेटिव बाजार की नियामक संस्था सेबी ने इंडेक्स डेरिवेटिव्स में व्यापारियों या संस्थाओं की हिस्सेदारी की नई सीमाएं तय कर दी हैं।2 जुलाई 2025 से index ऑप्शंस में निवेश की सीमा प्रति संस्था शुद्ध आधार पर ₹1500 करोड़ और सकल आधार पर ₹10हजार करोड़ तय किया है

- डेरिवेटिव बाजार अत्यधिक लीवरेज्ड बाजार है जिसका आशय है कि अपेक्षाकृत छोटे मूल्यों से महत्वपूर्ण लाभ या हानि हो सकती है।

- इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विभिन्न संपत्तियों पर आधारित होता है जिनमें स्टॉक(व्यक्तिगत और सूचकांक), कमोडिटीज(जैसे सोना, कच्चा तेल) और मुद्राएं इत्यादि शामिल हैं।

- उल्लेखनीय है कि बाजार दो प्रकार के होते हैं। नकद बाजार और डेरिवेटिव बाजार।

- नकद बाजार में जहां लेन – देन का निपटारा मौके पर ही हो जाता है और डेरिवेटिव बाजार में लेन देन का निपटारा भविष्य की किसी तारीख पर किया जाता है।

- नकद बाजार और डेरिवेटिव बाजार के बीच प्रमुख अन्तर यह है कि नकद बाजार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को स्पॉट ट्रेडर कहा जाता है जबकि डेरिवेटिव बाजार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को वायदा कारोबारी कहते हैं।। स्पॉट ट्रेडिंग जहां कमोडिटी के भौतिक रूप में की जाती है जबकि वायदा ट्रेडिंग डेरिवेटिव अनुबंधों के आधार पर की जाती है। भारत में BSE और NSE दोनों ही डेरिवेटिव ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। छैम् के डेरिवेटिव प्लेटफार्म को छपजिल फ्यूचर and ऑप्शंस (FAO) कहा जाता है जबकि BSE अपने एक्सचेंज के साथ साथ NSE के एक्सचेंज पर भी FAO ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है।NSE कारोबार किए गए अनुबन्धों की संख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा एक्सचेंज है

14.5 डेरिवेटिव के प्रकार (Types of Derivative)

डेरिवेटिव का अर्थ समझने के पश्चात अब हम यह अध्ययन करेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। आम तौर पर इसके निम्नलिखित तीन रूप हैं।

वायदा, विकल्प और स्वैप– जिसका विवरण इस प्रकार है।

वायदा अनुबंध (Future Contracts)– वायदा डेरिवेटिव वह एक प्रकार का मानकीकृत अनुबंध होता है जो क्रेता को किसी विशिष्ट तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है।

विकल्प अनुबंध (Options Contracts)– ऐसे अनुबंध जो क्रेता को एक निश्चित समय के अंदर एक विशिष्ट मूल्य पर किसी संपत्ति के क्रय –विक्रय का अधिकार देते हैं लेकिन दायित्व नहीं,(but not the obligation). विकल्प डेरिवेटिव कहलाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन एक व्युत्पन्न अनुबंध है जो क्रेता को एक निश्चित तिथि (समाप्ति तिथि) तक एक निर्दिष्ट मूल्य (स्ट्राइक मूल्य) पर अंतर्निहित के क्रय विक्रय का अधिकार देता है लेकिन दायित्व नहीं। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं: कॉल और पुट।

स्वैप (Swap)– स्वैप विभिन्न वित्तीय साधनों के आधार पर नकदी प्रवाह का लेन – देन करने के लिए दो पक्षों के बीच एक समझौता है। जो कि प्रायः ब्याज दर या करेंसी के जोखिम को कम करता है।

फॉरवर्ड अनुबंध (Forward Contracts)– ये वायदा अनुबंधों के समान होते हैं लेकिन ये एक्सचेंज पर कारोबार नहीं करते बल्कि व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके व्यापार करते हैं।

भारत में इन चारों प्रकार के डेरिवेटिव का प्रयोग होता है।निवेशक, व्यापारी और कंपनियां इन सभी प्रकार के डेरिवेटिव का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं।

14.6 फ्यूचर अनुबंधों के बीच अंतर (Difference between Forward and Future Contracts)

डेरिवेटिव बाजार निवेशकों को जोखिम से बचाने और मूल्यों के उतार – चढ़ाव की स्थिति में अनुमान लगाने में सहयोग करता है। वायदा अनुबंध और फ्यूचर अनुबंध दो प्रकार के डेरिवेटिव्स हैं जिनमें एक ही अंतर्निहित परिसंपत्ति शामिल होती है लेकिन ये दोनों संरचना और विशेषताओं के मामलों में अलग अलग होते हैं। फॉरवर्ड अनुबंध दो पक्षों के बीच भविष्य की एक पूर्व निर्धारित तिथि पर एक विशिष्ट मूल्य के लिए एक परिसंपत्ति खरीदने या बेचने का एक समझौता है। यह एक ओवर –द–काउंटर (OTC) उपकरण है जिसका बिना किसी एक्सचेंज की भागीदारी के दो पक्षों के बीच सीधे कारोबार होता है। इसके विपरीत वायदा (फ्यूचर) अनुबंध मानकीकृत समझौते हैं जो ब्रोकरों के माध्यम से एक्सचेंज पर व्यापार के लिए सूचीबद्ध होते हैं उनमें अनेक विशेषताएँ होती हैं जैसे मार्जिन आवश्यकताएं, मानक निपटान तिथियां, और डिलिवरी प्रक्रियाएं इत्यादि जो ध्ब फॉरवर्ड से जुड़े काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम को कम करती है। वायदा भी अधिक विविधीकरण के अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि उन्हें केवल एक के स्थान पर अनेक काउंटरपार्टियों से क्रय किया जा सकता है जैसा कि फॉरवर्ड अनुबंध के मामले में होता है।

यहां जोखिम कम करने हेतु हेजिंग, मूल्यों के उतार चढ़ाव से लाभ कमाने हेतु सट्टेबाजी, और दो स्टॉक मार्केट में मूल्यों के अंतर से लाभ अर्जन हेतु आर्बिट्रेजर्स सम्मिलित होते हैं।

14.7 डेरिवेटिव बाजार में प्रतिभागी

भारत में डेरिवेटिव बाजार में भाग लेने वाले प्रमुख चार प्रतिभागी हैं जिनका विवरण इस प्रकार है।

1. **हेजर्स (Hedgers)**– हेजर्स अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्यों में होने वाले उतार – चढ़ाव से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग करते हैं अर्थात हेजर्स डेरिवेटिव बाजार के वे प्रतिभागी हैं जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल में बदलाव से होने नुकसान से स्वयं को बचाने के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ,एक किसान फसल की कटाई से पहले अपनी फसलों के लिए बिक्री मूल्य को लॉक करने के लिए वायदा अनुबंधों का उपयोग कर सकता है।
2. **आर्बिट्रेजर्स (Arbitragers)**– आर्बिट्रेजर्स जो कि दो अलग अलग बाजारों में एक ही परिसंपत्ति के मूल्यों में अंतर से लाभ कमाने का प्रयास करते हैं उदाहरण के लिए, वे एक मुद्रा को एक मूल्य पर खरीद कर दूसरे बाजार में उच्च मूल्य पर बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3. **सट्टेबाज (Gambler)**– सट्टेबाज डेरिवेटिव बाजार के ऐसे प्रतिभागी हैं जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के प्रत्याशित मूल्य में परिवर्तनों से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं और अधिक रिटर्न अर्जित करने के उद्देश्य से जोखिम वहन करते हैं।

4. **बाजार निर्माणकर्ता (Market Maker)**– बाजार निर्माणकर्ता डेरिवेटिव अनुबंध के लिए बोलियां और पूछ मूल्य निर्धारित करके तरलता प्रदान करते हैं। वे खरीददारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार को भी सुविधाजनक बनाते हैं।

इन प्रतिभागियों की डेरिवेटिव बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

14.8. भारतीय डेरिवेटिव बाजार के प्रमुख खिलाड़ी

डेरिवेटिव बाजार के मुख्य खिलाड़ी हैं। इसमें BSE कारोबारी आधार पर विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। इसके साथ वर्ष 2023 में जे पी मॉर्गन को पीछे छोड़ते हुए बार्कलेज विश्व का सबसे बड़ा ओवर– द– काउंटर डेरिवेटिव डीलर बन गया है।

14.9. डेरिवेटिव बाजार की विशेषताएँ (Features of Derivative Market)

डेरिवेटिव बाजार की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

1. **हेजिंग (Hedging)**– हेजिंग डेरिवेटिव बाजार की प्रमुख विशेषता है जो कि प्रतिभागियों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों में से होने वाले हानि से बचाती है। उदाहरण के लिए, फसल से पहले अनाज की कीमतों में गिरावट के बारे में चिंतित एक किसान डेरिवेटिव अनुबंधों के माध्यम से बिक्री मूल्य को लॉक करके एक स्थिर आय प्राप्त कर सकता है। उसकी यह रणनीति उसे जोखिम से बचाती है। इस प्रकार अस्थिर बाजारों में पूर्वानुमान और स्थिरता सुनिश्चित करती है।
2. **लाभ प्राप्त करना (Attaining Profit)**– डेरिवेटिव बाजार एक महत्वपूर्ण उत्तोलन प्रदान करता है जिससे निवेशकों को अपेक्षाकृत छोटे प्रारम्भिक निवेश के साथ एक बड़ी संपत्ति उसे प्राप्त हो जाती है। यह वित्तीय उत्तोलन लाभ और हानि दोनों को बढ़ा सकता है जिससे डेरिवेटिव एक उच्च जोखिम और उच्च प्रतिफल वाला साधन बन जाता है। बाजार में उतार – चढ़ाव के कारण होने वाले बड़े नुकसान से बचने के लिए व्यापारियों को अपने जोखिम का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए।
3. **मूल्य निर्धारण (Price Determination)**– डेरिवेटिव्स भविष्य की परिसंपत्ति कीमतों के बारे में बाजार सहभागियों की सामूहिक अपेक्षाओं को दर्शाते हुए मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया बाजार के रुझानों और भावनाओं के बारे में मूल्यवान जानकारी उपलब्ध कराती है जो परिसंपत्ति कीमतों को उनके अनुमानित मूल्य के साथ संरेखित करके वित्तीय बाजारों की कुशलता में योगदान करती है।

14.10 डेरिवेटिव बाजार के कार्य (Functions of Derivative Market)

डेरिवेटिव बाजार वित्तीय परिक्षेत्र में कई आवश्यक कार्य करता है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है।

1. **मूल्य निर्धारण** – डेरिवेटिव बाजार का प्रमुख कार्य है भविष्य की परिसंपत्तियों के मूल्यों के बारे में बाजार की धारणा और अपेक्षाओं को प्रदर्शित करके मूल्य निर्धारण को आसान बनाना। डेरिवेटिव अनुबंधों के मूल्य में उतार – चढ़ाव, बाजार के रुझानों और निवेशकों की भावनाओं के विषय में उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
2. **जोखिम प्रबंधन (Risk Management)**– डेरिवेटिव का एक प्राथमिक कार्य जोखिम को कम से कम करना है। निवेशक अंतर्निहित परिसंपत्तियों में होने वाले हानि से बचाव के लिए डेरिवेटिव का प्रयोग करते हैं जिससे उनके पोर्टफोलियो को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।
3. **परिचालन लाभ (Operational Profit)**– डेरिवेटिव्स प्रत्यक्ष स्वामित्व की आवश्यकता के बिना निवेशकों को विभिन्न संपत्ति वर्गों में निवेश करने में सक्षम बनाकर परिचालन दक्षता प्रदान करते हैं।
4. **पूंजी दक्षता (Capital Efficiency)**– अंतर्निहित परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में डेरिवेटिव को प्रायः कम प्रारंभिक पूंजी व्यय करनी होती है। यह पूंजी दक्षता पहलू संस्थागत प्रतिभागियों और खुदरा

व्यापारियों सहित विभिन्न प्रकार के निवेशकों को आकर्षित करता है।

उदाहरणार्थ (For Example) – डेरिवेटिव बाजार को अधिक अच्छे से समझने हेतु हम एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं जो कि इस प्रकार है।

इसके लिए पहले हम वायदा समझौते को उदाहरण से व्यक्त करेंगे। वायदा अनुबंध के अंतर्गत एक निवेशक किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति की एक निश्चित मात्रा को पूर्व निर्धारित मूल्य और भविष्य की किसी तिथि पर खरीदने या बेचने हेतु वायदा अनुबंध करता है। इसका उपयोग आम तौर पर हेजिंग और सट्टेबाजी के उद्देश्य से किया जाता है।

जबकि विकल्प अनुबंध एक खरीदार को एक पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर एक निर्दिष्ट मूल्य पर किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने अर्थात काल ऑप्शन या बेचने अर्थात फुट ऑप्शंस का अधिकार प्रदान करता है लेकिन दायित्व नहीं। विकल्प लचीलापन प्रदान करते हैं और प्रायः जोखिम प्रबंधन और रणनीतिक व्यापार के लिए उपयोग किए जाते हैं।

14.11 भारतीय डेरिवेटिव बाजार से होने वाले लाभ

डेरिवेटिव बाजार के अर्थ, उसकी विशेषताओं और उसके प्रकार का अध्ययन करने के उपरांत अब हम इससे होने वाले लाभ या महत्व का अध्ययन करेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है।

1. **तरलता (Liquidity)** – डेरिवेटिव के अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख लाभ यह हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में आवश्यक तरलता उपलब्ध हो जाती है। डेरिवेटिव निवेशकों को शीघ्रता से प्रवेश करने और बाहर निकलने के अवसर प्रदान करके बाजार में तरलता बढ़ाने में योगदान करते हैं जिससे लेन देन लागत कम हो जाती है और बाजार की दक्षता में सुधार होता है।
2. **जोखिम प्रबंधन (Risk Management)**– डेरिवेटिव का एक अन्य लाभ यह है कि ये निवेशकों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य में उतार – चढ़ाव से उत्पन्न जोखिम के प्रबंधन में सहयोग करते हैं। ये डेरिवेटिव एक पक्ष से दूसरे पक्ष को जोखिम हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है जिससे बाजार सहभागियों को मूल्य, ब्याज दर और मुद्रा जोखिमों सहित विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रति अपने जोखिम का प्रबंधन करने में सुविधा प्राप्त होती है।
3. **विविधीकरण (Diversification)** – वित्तीय बाजार में डेरिवेटिव का एक प्रमुख स्थान यह है कि इसका उपयोग निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने और प्रत्याशित रूप से प्रतिफल बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
4. **मूल्य निर्धारण में योगदान** – डेरिवेटिव बाजार का एक अन्य लाभ यह है कि यह अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण में योगदान करता है।और बाजार प्रतिभागियों के बीच जोखिम हस्तांतरण को आसान बनाने में सहयोग करते हैं।
5. **श्रेणी प्रबंधन** – इसका एक अन्य लाभ यह है कि यह निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन और अनुकूलन के लिए बेहतर उपकरण उपलब्ध कराता है।

14.12 डेरिवेटिव बाजार से जुड़े जोखिम

डेरिवेटिव बाजार के अर्थ, उसकी विशेषताएँ उसके प्रकार, डेरिवेटिव बाजार के प्रकार, और उसके कार्यों इत्यादि का अध्ययन करने के पश्चात अब हम डेरिवेटिव बाजार से जुड़े जोखिम का अध्ययन करेंगे। यद्यपि डेरिवेटिव हमें अनेक प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं लेकिन इसमें जोखिम भी कम नहीं होता। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण जोखिमों का वर्णन करेंगे।

1. **मार्जिन जोखिम (Margin Risk)**– डेरिवेटिव ट्रेडिंग में प्रायः मार्जिन की आवश्यकता होती है। अब यदि बाजार की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है और खाता मूल्य न्यूनतम मार्जिन सीमा से नीचे चला जाता है तो मार्जिन काल जारी किया जा सकता है जिसके लिए व्यापारी को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त

धनराशि जमा करने की आवश्यकता होती है और मार्जिन काल को पूरा न करने पर मजबूरन पदों को समाप्त करना पड़ सकता है।

2. 2. **लीवरेज जोखिम (Leverage Risk)**– लीवरेज डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हानि और लाभ दोनों को उत्पन्न कर सकता है। मूल्यों में मामूली विपरीत उतार चढ़ाव व्यापार में भारी नुकसान का कारण बन सकता है इसलिए व्यापारियों के लिए सावधानी पूर्वक उचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को आवश्यक हो जाता है।

3. 3. **विरोधी का जोखिम** (**Opposition Risk**)– डेरिवेटिव समझौतों में प्रायः संभावना बनी रहती है कि सामने वाला अर्थात प्रतिपक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो सकता है परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को नुकसान हो सकता है। प्रतिपक्ष की तरफ की यह जोखिम उसकी विश्वसनीयता को समझने और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के महत्व को रेखांकित करता है।

भारत में डेरिवेटिव बाजार एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति वर्ग है जो विभिन्न प्रतिभागियों को अभिनव उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराता है। अपने उत्पादों और सेवाओं की व्यापक विविधता के साथ डेरीवेटिव्स बाजार उन लोगों के लिए विशेष अवसर प्रदान करते हैं जो आकर्षक निवेश परिदृश्यों से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं , चाहे वह सट्टेबाजी हो, हेजिंग या फिर पोर्टफोलियो विविधीकरण।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि वायदा और विकल्प (Future and Options) सामान्य डेरिवेटिव बाजार के दो उपकरण हैं वायदा के अंतर्गत जहां भविष्य की किसी नियत तारीख पर क्रय – विक्रय की प्रतिबद्धता शामिल होती है वहीं विकल्प के अंतर्गत यद्यपि खरीदने और बेचने का अधिकार तो है लेकिन किसी प्रकार के दायित्व (Liability) का उपबंध नहीं होता।

14.13 डेरिवेटिव से लाभ (Advantage from Derivatives)

डेरिवेटिव से उत्पन्न होने वाले जोखिम इत्यादि का अध्ययन करने के उपरांत अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि इससे क्या लाभ होता है और इसकी क्या उपयोगिता है? डेरिवेटिव्स हमें जोखिम प्रबंधन उपकरण उपलब्ध कराते हैं, परिसंपत्ति की कीमतों का पता लगाने में सहयोग करते हैं, बाजार में हमारी पहुंच को बढ़ाते हैं और उत्तोलन प्रदान करते हैं उसकी ये विशेषताएँ ही डेरिवेटिव में जोखिम लेने और सुरक्षा चाहने वाले निवेशकों के लिए डेरिवेटिव बाजार को आकर्षक बनाती है। इससे होने वाले लाभ का विवरण इस प्रकार है।

1. **पोर्टफोलियो विविधीकरण**– डेरिवेटिव बाजार का प्रमुख लाभ यह है कि यह जोखिम लेने और सुरक्षा चाहने वाले निवेशकों को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और बाजारों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम बनाते हैं जिससे समग्र निवेश से होने वाला जोखिम कम हो जाता है।

2. **जोखिम प्रबंधन**– डेरिवेटिव का एक अन्य लाभ यह है कि इसको विशिष्ट जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सकता है जिससे निवेशकों को अपनी विशिष्ट जोखिम प्रोफाइल और बाजार दृष्टिकोण के अनुसार अपनी हेजिंग रण नीतियों को लाभपूर्ण बनाने में सुविधा रहती है।

3. **उत्तोलन**– डेरिवेटिव्स निवेशकों को अपेक्षाकृत छोटे प्रारंभिक निवेश के साथ बड़ी स्थिति में निवेश करने की अनुमति देते हैं जिससे अंतर्निहित परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में प्रत्याशित प्रतिफल या नुकसान बढ़ जाता है।

14.14. डेरिवेटिव बाजार से हानि (Loss of Derivative Market)–

डेरिवेटिव बाजार से होने वाले लाभों का अध्ययन करने के बाद अब होम डेरिवेटिव बाजार से होने वाली हानियों का अध्ययन करेंगे। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि डेरिवेटिव में उच्च स्तर तक जोखिम, बाजार में अस्थिरता, जटिलता, उत्तोलन जोखिम के साथ प्रतिपक्ष जोखिम भी सम्मिलित होता है जिसके लिए उसके सावधानीपूर्वक विश्लेषण और सतर्क व्यापारिक रणनीति निर्माण की आवश्यकता होती है। डेरिवेटिव बाजार से होने वाले नुकसानों का विवरण इस प्रकार है।

1. **जटिलता और अस्थिरता (Complexity and Instability)**– डेरिवेटिव उपकरण स्वभाव से जटिल होते हैं जिसके लिए वित्तीय बाजारों और उसके उपकरणों के बारे में गहराई से समझने की आवश्यकता होती है।

इसके अतिरिक्त डेरिवेटिव बाजार प्रायः अस्थिरता से प्रभावित होते रहते हैं परिणामस्वरूप कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव के साथ बाजार में भी अस्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।

2. **प्रतिपक्ष जोखिम (Risk from Opposition side)– ओवर –द काउंटर (OTC)** डेरिवेटिव्स निवेशकों को प्रतिपक्ष जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाते हैं क्योंकि इन समझौतों पर प्रतिपक्षों के बीच सीधी बातचीत होती है। ऐसी स्थिति में एक पक्ष द्वारा की गई लापरवाही का दूसरे पक्ष को नुकसान को नुकसान हो सकता है।

14.15. डेरिवेटिव बाजार और शेयर बाजार के बीच अन्तर (Difference between Derivative Market and Share Market)

शेयर बाजार के विषय में हम पिछली इकाई में अध्ययन कर चुके हैं अब हम यह अध्ययन करेंगे कि डेरिवेटिव बाजार शेयर बाजार से किस प्रकार भिन्न है। इन दोनों के बीच क्या अन्तर है।

1. डेरिवेटिव बाजार और शेयर बाजार के बीच प्रमुख अन्तर यह है कि डेरिवेटिव बाजार में जहां वायदा और विकल्प जैसे वित्तीय साधनों की खरीद बिक्री होती है जबकि शेयर बाजार अलग अलग कम्पनियों के शेयरों की खरीद बिक्री से संबंधित है।
2. डेरिवेटिव्स अंतर्निहित परिसंपत्तियों से जुड़े उपकरणों पर केंद्रित होते हैं जबकि शेयर बाजार में स्टॉक कंपनियों में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। डेरिवेटिव्स का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों से प्राप्त होता है जिसमें निवेशक हेजिंग या सट्टेबाजी के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं।

14.16– बाजार की स्थिरता और दक्षता में डेरिवेटिव बाजार की भूमिका

बाजार में स्थिरता कायम करने और उसे निवेशकों के लिए कुशल बनाने में डेरिवेटिव बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चाहे जोखिम प्रबंधन करना हो या मूल्य निर्धारण, पूंजी आवंटन और या बाजार में तरलता को बढ़ावा देना हो सभी में डेरिवेटिव बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसका विवरण इस प्रकार है।

डेरिवेटिव्स बाजार की अपेक्षाओं को प्रकट करते हैं जिससे कुशलतापूर्वक मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है।

पूंजी आवंटन – निवेशकों को विविध परिसंपत्ति वर्गों में निवेश का अवसर प्राप्त होता है।

बाजार में तरलता डेरिवेटिव्स व्यापार को सुगम बनाते हैं और उसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है।

जोखिम प्रबंधन – जोखिम प्रबंधन की कला बाजार में स्थिरता और कुशलता को बढ़ावा देती है और डेरिवेटिव बाजार जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

14.17. सारांश (Summary)

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डेरिवेटिव बाजार प्रतिभूति बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक है जो जोखिम प्रबंधन और पोर्टफोलियो विविधीकरण के लिए लाभदायक अवसर उपलब्ध कराता है। बाजार में स्थिरता कायम करने और उसे निवेशकों के लिए कुशल बनाने में डेरिवेटिव बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जोखिम प्रबंधन करना हो या पूंजी आबंटन या बाजार में तरलता का विस्तार करना हो, सभी कार्य में डेरिवेटिव बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है यद्यपि डेरिवेटिव्स बेहतर तरलता, जोखिम हस्तांतरण के साथ उत्तोलन जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हैं लेकिन निवेशकों को इससे जुड़ी जोखिम और जटिलताओं के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। डेरिवेटिव बाजार की गतिशीलता को अच्छी तरह से समझकर जोखिम प्रबंधन रण नीतियों को अपनाकर, निवेशक अपने निवेश पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने और अस्थिर बाजार स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इसकी क्षमता का दोहन कर सकते हैं।

14.18. बोध प्रश्न

1. डेरिवेटिव बाजार का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
2. डेरिवेटिव बाजार के विभिन्न प्रतिभागियों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें इस बाजार से होने वाले लाभ भी बताइए।
3. डेरिवेटिव बाजार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं?
4. डेरिवेटिव बाजार से जुड़े जोखिमों को समझाइए।
5. अर्थव्यवस्था के विकास में डेरिवेटिव बाजार का क्या महत्व है? इस पर प्रकाश डालिए।
6. नकद बाजार और डेरिवेटिव बाजार में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
7. डेरिवेटिव बाजार के क्या कार्य हैं? समझाइए।
8. डेरिवेटिव बाजार और शेयर बाजार में क्या अन्तर है? स्पष्ट कीजिए।

14.19. संदर्भ ग्रन्थ

1. भोले एल.एम.– वित्तीय संस्थान और बाजार (अंग्रेजी) टाटा मैक ग्राहिल कम्पनी लि. नई दिल्ली।
2. सहाय आई. एम.– फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस, एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस आगरा।
3. जॉनसन एच जे – वित्तीय संस्थान और बाजार, मैक ग्राहिल न्यूयार्क।
4. माचिराजू एम आर – इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. गुप्ता,सूरज बी– मौद्रिक अर्थशास्त्र(अंग्रेजी). एस चंद पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
6. खान एम वाई – भारतीय वित्तीय प्रणाली, टाटा मैक ग्राहिल कम्पनी लि., नई दिल्ली।
7. गोल्डस्मिथ आर डब्ल्यू – वित्तीय संरचना और विकास, येल, लंदन।

इकाई–15

विनियामक वित्तीय संस्थाएं: सेबी एवं आई.आर.डी.ए.

(Regulatory Financial Institutions : S.E.B.I. and I.R.D.A.)

इकाई की रूपरेखा

15.0 प्रस्तावना

15.1. उद्देश्य

15.2 वित्तीय संस्थाओं का अर्थ

15.3 नियामक वित्तीय संस्था का आशय

15.4. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

15.5 सेबी का संगठन

15.6 सेबी के उद्देश्य

15.7. सेबी के कार्य

15.8. सेबी की शक्तियां

15.9 सेबी की सीमाएं।

15.10. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

15.11. बीमा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है?

15.12. भारत में बीमा क्षेत्र का इतिहास

15.13. बीमा प्राधिकरण की संरचना

15.14. बीमा प्राधिकरण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

15.15. बीमा प्राधिकरण के कार्य और शक्तियां

1516. सारांश

15.17. बोध प्रश्न

15.18. संदर्भ ग्रन्थ

15.0. प्रस्तावना (Introduction)

किसी भी देश की तीव्र आर्थिक प्रगति में उस देश की वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय प्रणाली में अनेक वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो जनता की छोटी–छोटी बचतों को एकत्र करके उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती हैं। ये संस्थाएं एक तरफ लोगों को बचत करने को प्रेरित करती हैं तो दूसरी तरफ उत्पादकों और व्यापारी वर्ष को साख उपलब्ध कराती हैं। वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र के शिखर पर होती है जो देश के समस्त वित्तीय क्षेत्र का नियमन और नियंत्रण करती है। भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (IRDA) महत्वपूर्ण नियामक संस्था है। इसमें सेबी जहां पूंजी बाजार की नियामक संस्था है वहीं इरडा बीमा क्षेत्र को नियंत्रित व नियमित करती है। प्रस्तुत अध्याय में हम इन्हीं दोनों संस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

15.1. उद्देश्य (Objectives)

1. वित्तीय संस्थाओं के बारे में समझ विकसित करना इस इकाई के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।
2. नियामक वित्तीय संस्थाओं के अध्ययन का उद्देश्य लोगों में बचत करने की भावना विकसित करना है।
3. अपनी बचतों को सुरक्षित तरीके से निवेश करना सिखाना इसका उद्देश्य है।
4. सेबी के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पूंजी बाजार और स्टॉक मार्केट के विनियामक निकाय का ज्ञान प्राप्त करना।
5. सेबी द्वारा निवेशकों के हित संरक्षण हेतु किए गए उपायों का पता लगाना।
6. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बीमा विनियामक निकाय संबंधी ज्ञान प्राप्त करना है।
7. जीवन में बीमा के महत्व का अध्ययन करना।
8. जीवन में बढ़ती अनिश्चितता के दौरान आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना भी इरडा के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

15.2 वित्तीय संस्था का अर्थ (Meaning of Financial Institutions)

वित्तीय संस्थाओं के अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करने के उपरान्त अब हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। वित्तीय संस्था से आशय उन व्यावसायिक संगठनों से है जो बचतकर्ताओं की बचतों को एकत्र करके जरूरतमंदों तक उधार के रूप में उपलब्ध कराते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो मुद्रा और साख का लेनदेन करती हैं।ये वित्तीय संस्थाएं साख के विक्रेता होते हैं। वित्तीय संस्थाएं समाज को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। वित्तीय प्रणाली में अनेक वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो एक ओर जनता की बचतों को अपने पास जमा करते हुए उन्हें बचत करने को प्रेरित करती हैं और दूसरी ओर जरूरतमंद लोगों को साख उपलब्ध कराती हैं।

वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ये संस्थाएं देश की वित्तीय प्रणाली में जिस प्रकार से धन के लेन –देन को सुगम बनाती हैं उससे देश में पूंजी निर्माण होता है।

वित्तीय संस्थाएं गैर– वित्तीय व्यावसायिक संस्थाओं से इस अर्थ में भिन्न हैं कि वित्तीय संस्थाएं जहां वित्तीय संपत्तियों जैसे निक्षेपों, ऋणों और प्रतिभूतियों इत्यादि में व्यवहार करती हैं वहीं गैर–वित्तीय व्यावसायिक संगठन वास्तविक संपत्तियों (Real Assets) जैसे मशीनरी, उपकरण और माल के स्टॉक इत्यादि में व्यापार करते हैं।

वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसका चार्ट के रूप में प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है।

वित्तीय संस्थाएं

- नियामक संस्था
- वित्तीय मध्यस्थ

15.3 नियामक वित्तीय संस्था का आशय (Meaning of Regulatory Financial institutions)

वित्तीय संस्था का अर्थ समझने के बाद अब हम नियामक वित्तीय संस्था का आशय का अध्ययन करेंगे। नियामक वित्तीय संस्था वह वित्तीय संस्था होती है जो वित्तीय प्रणाली के शिखर पर होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश में वित्तीय प्रणाली की सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग संस्था नियामक वित्तीय संस्था कहलाती है। यह वह संस्था होती है जो देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित और नियमित करती है। इस शिखर संस्था (Apex

Body) को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम, फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस, और भारत में इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नियामक संस्था को नीति निर्माता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के बढ़ते कार्य दायित्व को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ अन्य संस्थानों को भी नियामक संस्था का उत्तरदायित्व दिया गया है जैसे भारत में बीमा क्षेत्र में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA), कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नाबार्ड (NABARD) और पूंजी बाजार के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI). इत्यादि प्रमुख नियामक वित्तीय संस्थाएं हैं।

15.4. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)

वित्तीय संस्था और नियामक वित्तीय संस्था का अर्थ का अध्ययन करने के बाद अब हम पूंजी बाजार की प्रमुख नियामक संस्था सेबी का विस्तार से अध्ययन करेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है। पूंजी बाजार में निवेश को संरक्षण प्रदान करने और निवेशकों के हित संरक्षण तथा निवेश के प्रति उनमें विश्वास की भावना जाग्रत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 12 अप्रैल सन् 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना की जिसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुम्बई में है और कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। सेबी की स्थापना के पूर्व भारत में पूंजी बाजार पर किसी प्रकार का ठोस नियंत्रण नहीं था यद्यपि सन् 1947 से कार्यरत पूंजी निर्गमन नियंत्रक (Controller of Capital Issues) अस्तित्व में था। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति प्रसंविदा (नियमन) अधिनियम,1956 (Securities Contracts Regulation Act,1956) भी अस्तित्व में था जिसका दायित्व प्रतिभूति बाजार में अवांछित लेनदेन (Undesirable Transaction) को रोकने के साथ साथ स्टॉक मार्केट की कार्यशीलता को नियंत्रित व नियमित करना था लेकिन उसकी सक्रियता न के बराबर थी। उसकी उदासीनता को देखते हुए 1992 में समाप्त कर दिया गया और जी एस पटेल की अध्यक्षता में स्टॉक एक्सचेंज सुधार पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी) की स्थापना की जिसे प्रतिभूति प्रसंविदा (नियमन) एक्ट (Securities Contract Regulations Act, SCRA) और कम्पनी एक्ट (Company Act) के अनेक कार्य भारत सरकार द्वारा सौंपे गए।

15.5. सेबी का संगठन (Organisation of SEBI)–

सेबी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष (Chairman) द्वारा आठ अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाता है। इनमें से दो सदस्य केंद्रीय मंत्रालय के विधि और वित्त मामलों के जानकार अधिकारी होते हैं। एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से और शेष पांच सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है जिसमें से तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव उनकी विधि, वित्त, अर्थ, लेखांकन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं जिन्होंने माधुरी पुरी बुच का स्थान लिया है।

इसके अतिरिक्त सेबी का सामान्य अधीक्षण, प्रबंधन और निर्देशन कार्य सेबी से सदस्य मण्डल (Board of Members) के अधीन होता है। सेबी के दैनिक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित पांच विभाग क्रियाशील हैं।

1. प्राथमिक बाजार संबंधी विभाग (Primary Market Department).
2. निर्गम प्रबंधन एवं मध्यस्थ विभाग (Issue Management and Intermediaries Department)
3. द्वितीयक बाजार प्रशासन विभाग (Secondary Market Administration Department)
4. स्टॉक एक्सचेंज प्रबंधन विभाग (Stock Exchange Management Department)
5. संस्थागत निवेश, अधिग्रहण, शोध एवं प्रकाशन विभाग (Institutional Investment] Takeover] Research and Publication Department)

सेबी के धन संबंधी स्रोत (Sources of funds of SEBI)– सेबी को अपने कार्य संचालन तथा संचालन मंडल के सदस्यों और उसके कार्मिकों के वेतन एवं अन्य खर्चें की पूर्ति हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था केंद्र सरकार करती है इसके लिए केंद्र सरकार अनुदान (Grants) की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। जब भी आवश्यक हो उसे

अनुदान उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त सेबी फीस और अन्य चार्जों के द्वारा भी कोष एकत्र करती है।

15.6. सेबी के उद्देश्य (Objectives of SEBI)

सेबी एक्ट, 1992 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की गई।

- निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
- प्रतिभूति बाजार के विकास को प्रोत्साहित करना।

प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना।

- पूंजी बाजार से संबंधित खिलाड़ियों जैसे ब्रोकर्स इत्यादि के क्रिया–कलापों का नियमन करना।
- प्रतिभूति बाजार की अनियमितताओं एवं अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना।
- प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार (Insider Trading) पर रोक लगाना।
- प्रतिभूति बाजार में संसाधनों का कुशल गतिशीलन और आवंटन सुनिश्चित करना।
- प्रतिभूति बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ाना और नवाचार (Innovation) को प्रोत्साहित करना।

15.7 सेबी के कार्य (Functions of SEBI)

सेबी के उद्देश्यों का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत अब हम सेबी के कार्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूंजी बाजार का नियामक होने के कारण सेबी का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है यह पूंजी बाजार से संबंधित प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों के लिए मानक तय करने के साथ प्रतिभूतियों के निर्गमन संबंधी नियम और उससे संबंधित गाइडलाइन जारी करने का भी कार्य करता है।सेबी एक्ट,1992 के सेक्शन 11 के अनु सार, सेबी के प्रमुख कार्य एवं दायित्व इस प्रकार हैं।

- सेबी का प्रमुख कार्य है स्टॉक मार्केट और अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवहार को नियंत्रित व नियमित करना।
- स्टॉक मार्केट से संबंधित खिलाड़ियों जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स अभियोजनकर्ताओं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, निवेश सलाहकारों, तथा प्रतिभूति बाजार से संबंधित अन्य मध्यस्थों इत्यादि को नियंत्रित करना।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों(FIIs), क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, निक्षेपकों (Depositor) और प्रतिभूति संरक्षकों इत्यादि का पंजीकरण और निवेशकों के हितों के लिए उन्हें नियमित करना।
- सेबी का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वेंचर कैपिटल, और म्यूचुअल फंड और अन्य सभी सामूहिक निवेश योजनाओं का पूंजी बाजार में पंजीकरण तथा उनकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करना।
- स्वयं नियमित संगठनों (Self Regulatory Organisations) को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें नियमित करना।
- प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना भी सेबी का महत्वपूर्ण कार्य है।
- प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार (Insider Trading) पर प्रतिबंध लगाना।
- प्रतिभूति बाजार से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षित करना और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना।
- पूंजी बाजार में सुधार हेतु आवश्यक शोध कार्य संचालित करना।
- निवेशकों के हित संरक्षण हेतु उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करना।

सेबी ने कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले शेयरों पर से मूल्य संबंधी प्रतिबंध हटा दिया है। अब कम्पनियों द्वारा एक रुपए से अधिक किसी भी मूल्य के शेयर जारी किए जा सकते हैं । उन्हें अब ₹10 या 100 मूल्य के शेयर

जारी करने की बाध्यता नहीं है।

इसी प्रकार, सेबी ने प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के नियमन और स्वस्थ पूंजी बाजार की स्थापना हेतु अनेक कदम उठाए हैं। व्यापारिक बैंकों में 'स्टॉक इन्वेस्ट' योजना लागू कराया है। म्युचुअल फंडों का नियमन और उसे नियंत्रित किया है। निवेशकों के हित संवर्द्धन हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित किया है। अभिगोपनकर्ताओं (Underwriters) के लिए नियम तय किए हैं। सेबी नियमन (SEBI Regulations),2003 के अनुसार सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) लागू किया गया है इसके अंतर्गत सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए सेबी के पास पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, इसके अलावा उसे रेटिंग की विधि (Methodology) की घोषणा पहले करनी होगी इत्यादि। देश के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण आवेदनों की जांच में एकरूपता लाने और सूचीकरण समझौतों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अप्रैल 2003 में देश के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सूचना प्राधिकरण का गठन किया है।

कंपनियों के शेयर की पुनर्खरीद (Buy Back) की नई व्यवस्था लागू की गई है जिसके अंतर्गत कम्पनी के 10: शेयर की वापसी खरीद(Buy Back) प्रबंध तंत्र के निर्णय के आधार पर की जा सकती है।

15.8. सेबी की शक्तियां (Powers of SEBI)–

पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी को भारत सरकार ने कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की हैं। हम कह सकते हैं निम्नलिखित शक्तियां सेबी के अधीन हैं।

- स्टॉक एक्सचेंज के उप–नियमों (Bye–Laws) के निर्माण और उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार सेबी को है। सेबी को किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को अधिक्रमण (supersede) करने और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी पदाधिकारी (Office Bearer) को निलम्बित करने का भी अधिकार प्राप्त है।
- इसके अतिरिक्त सेबी को 6दिन तक के लिए स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार को निलंबित (Suspend) भी करने का अधिकार दिया गया है।
- सेबी के पास स्टॉक एक्सचेंजों और उनके सदस्यों से संबंधित किसी भी मामले की सीधी जांच कराने का भी अधिकार प्राप्त है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सेबी को कई मामलों में न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया है इसके अंतर्गत उसे कई मामलों में दीवानी न्यायालय (civil Court) का दर्जा प्राप्त है।

15.9 सेबी की सीमाएं (Limitations of SEBI)–

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सेबी ने समय समय पर जारी महत्वपूर्ण गाइडलाइन और नियामक उपायों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करके देश के पूंजी बाजार को सुदृढ़ और कुशल बनाया है जिससे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के साथ स्वस्थ पूंजी बाजार विकसित हो रहा है। स्टॉक ब्रोकर्स ,मर्चेंट बैंकर्स इत्यादि की कार्यशैली पारदर्शी हुई है। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद सेबी को अपने उद्देश्यों में अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।

- **सरकार का नियंत्रण (Government Control)**– सेबी को आशानुकुल सफलता न मिल पाने का प्रमुख कारण यह है कि इस पर सरकार का आवश्यकता से अधिक नियंत्रण है। यद्यपि सरकार ने सेबी को पूंजी बाजार के विकास और निवेशकों के हित संरक्षण हेतु आवश्यक नियम और शर्तें तय करने का अधिकार दिया है लेकिन उसके लिए सरकार से पूर्वानुमति का प्रावधान के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है साथ ही वित्त मंत्रालय का समय समय पर होने वाला हस्तक्षेप भी सेबी के कुशल संचालन में बाधक है।
- **आपराधिक मामलों की अनुमति नहीं (No freedom to file criminal cases)**– सेबी के कुशल कार्य संचालन में एक प्रमुख अवरोध वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई न कर पाना है। इसके लिए उसे सरकार से पूर्वानुमति का प्रावधान उसकी सफलता में बाधक बनता है।

- **सदस्य मंडल में सरकारी नॉमिनी का प्रभुत्व (Board of Members dominated by Government Nominees)**– सेबी के सदस्य मंडल में अध्यक्ष सहित कुल नौ लोगों में से रिजर्व बैंक द्वारा नामित एक सदस्य को छोड़कर अध्यक्ष समेत आठ सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । यहां तक कि अध्यक्ष तक का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और तीन महीने की पूर्व सूचना पर उसे पदच्युत किया जा सकता है। इसके कारण भी सेबी की कार्यकुशलता पर विपरीत असर पड़ता है।

- **अन्य व्यवहारिक समस्याएं (Other Practical Problems)**– सेबी को अनेक बार कई व्यावहारिक समस्याओं का भी सामना करना होता है जिससे उसकी कार्य कुशलता प्रभावित होती है जैसे लालफीताशाही, कार्यशीलता में पारदर्शिता की कमी और व्यावसायिकता/ वृत्ति दक्षता (professionalism) का अभाव, कार्य प्रक्रिया में अधिक समय का खर्च होना, और छोटे निवेशकों के बीच आत्म विश्वास की कमी इत्यादि ऐसी व्यावहारिक समस्याएं हैं जो सेबी की कुशल कार्यशीलता में बाधक बनती हैं।

सेबी की कुशल कार्य शीलता में बाधक इन समस्याओं के कारण कभी कभी सेबी को कागजी शेर (A Paper Tiger) की संज्ञा दी जाती है जिसके पास सैद्धांतिक रूप से अनेक शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन व्यवहार में उसका प्रयोग सीमित है। सेबी की कार्य कुशलता में बाधक इन समस्याओं के बावजूद पूंजी बाजार के स्वस्थ विकास और निवेशकों के हित संरक्षण में सेबी के उल्लेखनीय योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता।

15.10. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority)

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) भारत में बीमा से संबंधित एक वैधानिक निकाय है जो बीमा और पुनर्वीमा उद्योगों को विनियमित और विकसित करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना तथा बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है।

15.11. बीमा आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? (Why Insurance Important in your Life)

बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था आई. आर. डी. ए. (IRDA) के बारे में अध्ययन के पूर्व सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में बीमा का क्या महत्व है? क्यों बीमा हमारे लिए उपयोगी है?

आज हमारे जीवन में जिस प्रकार से अनिश्चितता बढ़ रही है। नित नए नए प्रकार की बीमारियों और बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण जीवन अनिश्चित सा हो गया है। इसके अलावा तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण भी इलाज महंगा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीमा हमारे जीवन को सुरक्षा के साथ साथ वित्तीय सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। यही नहीं बीमा न केवल हमारे जीवन को संरक्षित करता है बल्कि संपत्तियों संबंधी जोखिम को भी दूर करता है। एक बीमा पॉलिसी परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और आयकर अधिनियम, 1961के तहत कई प्रकार से कर देयता के बोझ को भी कम करती है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर क्रमशः धारा 80c और 80D के तहत कर छूट(Tax Rebate) का स्पष्ट प्रावधान है। बीमा उत्पाद क्रय करते समय यह जानना महत्वपूर्ण है कि उससे आपको किस प्रकार कर छूट का लाभ प्राप्त हो सकता है।

उसके अतिरिक्त बीमा हमें शिक्षा , ऋण और आवास इत्यादि संबंधी खर्चे को भी आच्छादित करने में सहायता करता है। इस प्रकार बीमा अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान हमारे परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ संपत्ति की क्षति को भी संरक्षित करता है।

15.12. भारत में बीमा क्षेत्र का इतिहास

हमारे जीवन में बीमा की उपयोगिता का अध्ययन करने के बाद अब हम संक्षेप में भारत में बीमा क्षेत्र की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं जिससे हमें उसकी प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी।

औपनिवेशिक शासन के दौरान बीमा क्षेत्र निजी हाथों में रहा यद्यपि सन् 1912 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार

ने दो अधिनियम, क्रमशः

Provident Insurance Societies Act V of 1912 and* Indian Life Insurance Companies Act VI of 1912- संसद द्वारा पारित करके बीमा व्यवसाय को सरकारी नियंत्रण में लाने का प्रयास किया और बाद में इन अधिनियमों में संशोधन करते हुए सन् 1938 में नया अधिनियम Insurance Act,1938 बनाया जिसके क्रियान्वयन हेतु 'The Office of Controller' (नियंत्रक कार्यालय) स्थापित किया। यही नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने सन् 1950 में इस अधिनियम में पुनः संशोधन किया और जीवन बीमा व्यवसाय में बढ़ती दुष्प्रवृति,देश में बढ़ती अशिक्षा तथा बीमा व्यवसाय की उन्नयन की उदासीनता इत्यादि के दृष्टिगत भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण हेतु जून 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम (LIC Act,1956) पारित किया और जो 1सितंबर 1956 से लागू हुआ। इसी प्रकार साधारण बीमा का भी राष्ट्रीयकरण करते हुए *General Insurance Business Nationalisation Act (GIBN Act), 1972 को 1 अप्रैल 1973 से प्रभावी किया गया। इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने बीमा अधिनियम (Insurance Act),1938 में कुछ बदलाव किए। नब्बे के दशक के प्रारंभ में देश में प्रारंभ आर्थिक सुधार कार्यक्रम के साथ उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण (LPG) के दौर में बीमा क्षेत्र को भी उदार बनाने हेतु सुझाव देने के लिए आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित मल्होत्रा समिति ने बीमा व्यवसाय को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का सुझाव दिया जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए सन् 1996 में बीमा नियामक प्राधिकरण गठित करके बीमा व्यवसाय में निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान कर दिया। इसका

प्रमुख उद्देश्य था बीमा व्यवसाय को समाज के सभी क्षेत्रों, अमीर से गरीब लोगों तक, शहरी क्षेत्र से ग्रामीणों तक, और उसके आगे असंगठित क्षेत्र तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना। इस क्रम में बीमा क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 1999 में 'बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बिल (IRDA Bill),1999 पारित किया जिसे जनवरी 2000 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ अधिनियम का रूप ले लिया। इस प्रकार उसका नाम IRA से IRDA कर दिया गया अर्थात उसे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बना दिया । इस प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य है बीमा पॉलिसी धारकों का हित संरक्षण, और बीमा व्यवसाय तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्र के नियमन, प्रोत्साहन और उसकी संवृद्धि को सुनिश्चित करना इत्यादि।

भारत सरकार ने सन् 2014 में बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के तहत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का नाम बदलकर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI) कर दिया है जिसे 26 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

15.13– बीमा प्राधिकरण की संरचना (Composition Of IRDAI Act)–

बीमा क्षेत्र का नियामक निकाय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्यों से होता है जिसमें अध्यक्ष के साथ 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 अंशकालिक सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है जिनका कार्यकाल 5वर्ष का होता है। वर्तमान में IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ हैं जिन्होंने जुलाई 2025 को प्राधिकरण के मुख्यालय हैदराबाद (तेलंगाना) में अपना कार्य भार ग्रहण किया। इसका मुख्यालय 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित करके हैदराबाद में स्थापित किया गया।

15.14– अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ (Main Features of Act)–

हमारे जीवन में बीमा के महत्व और उपयोगिता को समझने और भारत में बीमा व्यवसाय के इतिहास का अध्ययन करने के उपरांत अब हम सन् 1999 में संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जो कि इस प्रकार है।

1. **मौजूदा कानूनों में संशोधन (Amendments in Existing Laws)**– संसद द्वारा पारित बीमा प्राधिकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि तत्कालीन कानूनों जैसे बीमा अधिनियम,1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम,1956 और साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण),1972 इत्यादि में संशोधन करते हुए यह संसद द्वारा पारित किया गया है।

2. **नियामक शक्तियां (Regulatory Powers)**– इस बीमा अधिनियम की एक अन्य विशेषता यह है कि बीमा

प्रावधानों को लागू करने हेतु इसे नियामक शक्तियां प्रदान की गई हैं परिणामस्वरूप बीमा कंपनियों की जांच करने उन्हें दंडित करने और अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उसे व्यापक शक्तियां प्राप्त हुई हैं।

3. **सलाहकार समिति (Advisory committee)**— इस अधिनियम के अंतर्गत बीमा प्राधिकरण को बीमा उद्योग से संबंधित मामलों पर सलाह देने हेतु बीमा सलाहकार समिति का प्रावधान इसकी एक अन्य विशेषता है।

4. इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत बीमा प्राधिकरण के अधिकारियों,कर्मचारियों इत्यादि को लोक सेवक का दर्जा दिया जाता है और बीमा व्यवसाय की उन्नति हेतु अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई से उन्हें संरक्षण प्रदान करना भी अधिनियम की एक अन्य विशेषता है।

5. इसके अतिरिक्त अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि बीमा क्षेत्र में उभरती आवश्यकताओं और चुनौतियों के समाधान हेतु इसमें समय समय पर संशोधन किया जाएगा।

15.15. बीमा प्राधिकरण के कार्य और शक्तियां (Functions and Powers of IRDA)–

भारत में बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था IRDA की विकास गाथा का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम इसके कार्य और दायित्वों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बीमा विकास प्राधिकरण अधिनियम के सेक्शन 14 के अंतर्गत बीमा व्यवसाय के नियमन, प्रोत्साहन और उसकी संवृद्धि हेतु निम्नलिखित कार्य और शक्तियां प्रदान की गई हैं।

1. **पंजीकरण और लाइसेंसिंग कार्य (Registration and Licensing)**— बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का प्रमुख कार्य बीमा कंपनियों, उससे संबंधित मध्यस्थों (जैसे एजेंटों, दलालों), और अन्य संबंधित संस्थाओं का पंजीकरण और उन्हें लाइसेंस देना है।

2. **पॉलिसी धारकों का संरक्षण (Protection of Interest of Policy holders)**— बीमा पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण करना बीमा प्राधिकरण का एक अन्य प्रमुख कार्य है। इसके लिए प्राधिकरण अपनी निष्पक्ष कार्य प्रणाली, पारदर्शिता और समय पर उनके दावों का निपटान सुनिश्चित करते हुए पॉलिसी धारकों का हित संरक्षण करता है।

3. **विनियमन और पर्यवेक्षण (Regulation and Supervision)**— बीमा विनियामक प्राधिकरण का एक अन्य कार्य बीमा कारोबार से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जिसमें उत्पाद विकास, मूल्य निर्धारण, बाजार आचरण, सॉल्वेंसी मार्जिन और निवेश प्रथाएं शामिल हैं,का नियमन, नियंत्रण और समय समय पर उसका पर्यवेक्षण करना है ताकि बीमा बाजार पॉलिसी धारकों का हित प्रभावित किए बिना कुशलतापूर्वक अपना कार्य संचालित कर सके।

4. **विवाद समाधान (Dispute Settlement)**— बीमा विकास प्राधिकरण का कार्य बीमा कंपनियों मध्यस्थों और पॉलिसी धारकों के बीच उत्पन्न विवादों का शांतिपूर्ण और निष्पक्षता से समाधान करना है।

5. **वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ावा देना (Promoting Financial Prudence)**— वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ावा देना बीमा प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य है। प्राधिकरण नियमन और निरीक्षण के माध्यम से बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, दिवालियापन की जोखिम को कम करता है और पॉलिसी धारकों का हित संरक्षण करता है।

6. **उद्योग का व्यवस्थित विकास (Systemaric Development of Insurance Industry**)— यह प्राधिकरण बीमा क्षेत्र के स्वस्थ और सतत विकास को बढ़ावा देने, और नवाचार एवं दक्षता को प्रोत्साहित करके बीमा व्यवसाय व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करता है।

7. **आचरण के मानक निर्धारित करना (Deciding Code of conduct)**— बीमा नियामक प्राधिकरण का कार्य बीमा व्यवसाय से संबंधित आचरण के आदर्श मानक तय करना है ताकि इससे जुड़े मध्यस्थों, एजेंटों, बीमा कंपनियों और अन्य हित धारकों के लिए नैतिक और व्यावसायिक मानक सुनिश्चित हो सकें।

15.16 सारांश (Summary)

भारत में वित्तीय नियामकों में सेबी और आई आर डी ए महत्वपूर्ण नियामक संस्थाएं हैं। इसमें सेबी का संबंध पूंजी बाजार और आई आर डी ए बीमा व्यवसाय से संबंधित नियामक संस्था है। शेयर बाजार में निवेशकों के हित संरक्षण हेतु तथा प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहारों को समाप्त करने हेतु भारत सरकार ने सेबी का गठन किया। वित्तीय बाजार के नियमन एवं स्वस्थ पूंजी बाजार की स्थापना हेतु हाल के वर्षों में सेबी ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसका विवरण इसी इकाई के अंतर्गत यथा स्थान किया जा चुका है।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के गठन संबंधी प्रावधान, उसके कार्यों और शक्तियों इत्यादि का अध्ययन करने के उपरान्त संक्षेप में कहा जा सकता है कि बीमा विकास प्राधिकरण के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य ऐसे विनियामक का चुनाव करना जो कि बीमा क्षेत्र का नियमन और उसका स्वस्थ विकास सुनिश्चित करना। बीमा व्यवसाय से जुड़े मध्यस्थों, दलालों तथा प्रत्यक्ष व अप्रतयक्ष तरीके से बीमा व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को नियंत्रित करना है। बीमा प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि वह बीमाकर्ताओं, अन्य मध्यस्थों, बीमा कंपनियों के लाइसेंस का नवीनीकरण और उनकी कार्यशैली की समय समय पर समीक्षा करे। इसके अतिरिक्त यह प्राधिकरण बीमा पॉलिसी धारकों का हित संरक्षित कर रहा है। इन कार्यों और शक्तियों के बावजूद उसे बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था नही कहा जा सकता क्योंकि यह अपने कार्यों और दायित्वों के लिए केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी है।

15.17 बोध प्रश्न

1. सेबी की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई?
2. सेबी के कार्य और शक्तियों की व्याख्या कीजिए।
2. पूंजी बाजार के कुशल संचालन में इसकी विनियामक संस्था सेबी के योगदान की समीक्षा कीजिए।
3. क्या सेबी अपने उद्देश्य में सफल रहा है? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।
4. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए।
6. बीमा विकास प्राधिकरण की संरचना और उसके कार्यकाल पर प्रकाश डालिए।
6. बीमा व्यवसाय की प्रगति में बीमा विकास प्राधिकरण की भूमिका को रेखांकित कीजिए।
7. हमारे जीवन में बीमा क्यों महत्वपूर्ण है?

15.18. संदर्भ ग्रंथ

1. भोले एल. एम.— वित्तीय संस्थान और बाजार (अंग्रेजी), टाटा मैक ग्राहिल कंपनी लि., नई दिल्ली।

2.गुप्ता, सूरज बी.— मौद्रिक अर्थशास्त्र (अंग्रेजी)— एस चन्द पब्लिकेशंस नई दिल्ली।

3. खान एम. वाई.— भारतीय वित्तीय प्रणाली, टाटा मैक ग्राहिल कंपनी लि. नई दिल्ली।

4. सहाय आई एम.— फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस (अंग्रेजी),— एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस आगरा।

5. भोले एल.एम.— भारतीय वित्तीय प्रणाली, चुग प्रकाशन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

6. सिन्हा वी.सी.एवं वार्ष्णेय जी सी — मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां, एस बी पी डी पब्लिकेशंस आगरा।

7. मिश्रा, जे. पी.— मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा

इकाई–16 भारतीय वित्तीय बाजार और आर्थिक विकास (Indian Financial Market and Economic Development)

इकाई की रूपरेखा

16.0 प्रस्तावना

16.1. उद्देश्य

16.2. वित्तीय बाजार का अर्थ

16.3. भारत में वित्तीय बाजार के कार्य

16.4. वित्तीय बाजार के पक्ष

16.5. वित्तीय बाजार की संस्थाएं

16.6. वित्तीय बाजार के संघटक

16.7. संगठित वित्तीय बाजार के लाभ

16.8. भारत में मुद्रा बाजार की संरचना

16.9. पूंजी बाजार

16.10. पूंजी बाजार के संघटक

16.11. संगठित पूंजी बाजार

16.12. श्रेष्ठ प्रतिभूति और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के बीच अन्तर

16.13. पूंजी बाजार के उपकरण

16.14. भारत में शेयर बाजार

16.15. पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच भेद

16.16. वित्तीय बाजार का देश के आर्थिक विकास में योगदान

16.17. सारांश

16.18. बोध प्रश्न

16.19. संदर्भ सूची

16.0 प्रस्तावना (Introduction)

वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख का लेनदेन संभव होता है और जिस क्षेत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन–देन होता है उसे वित्तीय बाजार कहते हैं।

प्रस्तुत इकाई के अंतर्गत हम भारत में वित्तीय बाजार और आर्थिक विकास में उसके योगदान पर प्रकाश डालेंगे।

16.1 उद्देश्य (Objectives)–

हम भारतीय वित्तीय बाजार का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- शिक्षार्थियों को वित्तीय बाजार की कार्य प्रणाली से अवगत कराना।

- शिक्षार्थियों के बीच बचत और निवेश की भावना विकसित करना।
- शिक्षार्थियों को अपने आस–पास स्थापित वित्तीय संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को प्रेरित करना।
- देश के आर्थिक विकास में वित्तीय बाजार के योगदान पर प्रकाश डालना।
- शिक्षार्थियों के बीच वित्तीय बाजार में योगदान करने की प्रेरणा विकसित करना।

16.2 वित्तीय बाजार का आशय (Meaning of Financial Market)–

वित्तीय बाजार के अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करने के बाद अब हम वित्तीय बाजार के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे।

वित्तीय बाजार का संबंध उन समस्त क्षेत्रों से है जहां वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन–देन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे शेयरों, ऋणपत्रों, ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक प्रपत्रों, और बॉन्डों इत्यादि का क्रय– विक्रय जिस क्षेत्र में होता है उसे वित्तीय बाजार कहते हैं। इस प्रकार वित्तीय बाजार वह संस्था या व्यवस्था है जो इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन–देन को सुगम बनाती है। वित्तीय बाजार में वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन और उसका विनिमय होता है। उल्लेखनीय है कि जब विभिन्न कंपनियों या सरकार द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है तो उसे वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन (Creation of Financial Asset) कहते हैं जबकि इन प्रतिभूतियों का बाजार में क्रय –विक्रय विनिमय कहलाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय बाजार में वित्तीय परिसंपत्तियों का कारोबार होता है और यह कारोबार विभिन्न उपकरणों के माध्यम से होता है जिन्हें वित्तीय बाजार के उपकरण (Instrument) कहा जाता है। वित्तीय बाजार से संबंधित मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के अपने अपने उपकरण होते हैं।

वित्तीय बाजार की प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह कोषों के हस्तांतरण (Transfer of funds) को अतिरेक क्षेत्र (Surplus Sector) से घाटे वाले क्षेत्र (Deficit Sector) की तरफ करता है। अतिरेक क्षेत्र में जहां महाजन या निवेशक (Moneylenders Or Investor) होते हैं वहीं घाटे वाले क्षेत्र में ऋणी या उधार प्राप्तकर्ता (Borrowers Or Users of funds) होते हैं। घरेलू क्षेत्र (Household sector) मुख्यतः निवेशक के रूप में होता है जो अपने कोषाधिक्य (Excess of funds) अर्थात बचतों को सरकार या उद्योग क्षेत्र को निवेश के लिए उपलब्ध करता है और ऋणी (Borrowers) के रूप में सरकार या कंपनियां या उद्योग होते हैं जिन्हें उत्पादन कार्य हेतु अतिरेक कोष की आवश्यकता होती है।

16.3 वित्तीय बाजार के कार्य (Functions of Financial Market)

वित्तीय बाजार का आशय स्पष्ट करने के बाद अब हम भारत में वित्तीय बाजार के कार्यों का अध्ययन करेंगे जिसका बिंदुवार विवरण इस प्रकार है।

A–कोषों का हस्तांतरण (Transfer of Funds)– वित्तीय बाजार कोषों का हस्तांतरण बचतकर्ताओं से ऋणी या उधार प्राप्तकर्ताओं की ओर करता है।

B–तरलता (Liquidity) वित्तीय बाजार का महत्वपूर्ण कार्य है अर्थव्यवस्था में तरलता उपलब्ध कराना। वित्तीय बाजार में वित्तीय संपत्तियों को बेचकर तरल मुद्रा को प्राप्त किया जा सकता है और इसी प्रकार उस तरल मुद्रा से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को क्रय किया जा सकता है।

C–**बचतों को गतिशील बनाना (Mobilisation of Savings)**– बचतों को गतिशील बनाना भी वित्तीय बाजार का प्रमुख कार्य है। लोग स्वभावतः अपनी आय का एक हिस्सा उपभोग पर खर्च करते हैं और एक भाग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा कर रखते हैं जो निष्क्रिय रूप में रहती है यदि उसको कहीं निवेश न करें। वित्तीय बाजार लोगों की इन निष्क्रिय बचतों को वित्तीय संपत्तियों में निवेश करके लाभ अर्जन का अवसर उपलब्ध करता है इस प्रकार बचतें गतिशील हो जाती हैं।

D–**पूंजी निर्माण (Capital Formation)**– अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त कोषों को उत्पादक क्षेत्र की ओर हस्तांतरित करके पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना वित्तीय बाजार का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है।

E–महाजनों को आमदनी और उद्योग को कोष उपलब्ध कराना (Income to Lenders and Funds to Industry)– वित्तीय बाजार का एक अन्य कार्य है कोष उपलब्ध कराने के प्रतिफल स्वरूप ब्याज के रूप में आय अर्जित कराना और दूसरी तरफ उद्योग क्षेत्र को उत्पादन कार्य हेतु कोष उपलब्ध कराना ।

F–लेन–देन लागत कम करना (Reducing Transaction Costs)– वित्तीय संपत्तियों की लेन देन लागत को कम करना भी वित्तीय बाजार का प्रमुख कार्य है। वित्तीय बाजार में चूंकि संभावित क्रेता और विक्रेता दलालों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और ये दलाल न्यूनतम दलाली या कमीशन पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं इससे संपत्तियों की लेन– देन लागत कम हो जाती है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय उपकरणों का मूल्य निर्धारण भी वित्तीय बाजार का एक प्रमुख कार्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय बाजार के दो पक्ष होते हैं पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष जिसे हम चार्ट के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं।

16.4 वित्तीय बाजार के पक्ष

पूर्ति पक्ष माँग पक्ष

पूर्ति पक्ष में जहां परिवार (household), वित्तीय संस्थाएं, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, विदेशी निवेशक इत्यादि शामिल होते हैं जो बचत करके अतिरेक कोष के स्वामी होते हैं वहीं माँग पक्ष के अंतर्गत कंपनियां, उद्योग और सरकार इत्यादि शामिल होते हैं जो पूर्ति पक्ष से अतिरेक कोष प्राप्त करके उसका उत्पादन में प्रयोग करते हैं। मांग पक्ष को उधार योग्य कोष उपलब्ध कराने के बदले पूर्ति पक्ष को प्रतिफल के रूप में ब्याज और लाभांश प्राप्त होता है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय बाजार में दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं जिसे हम चार्ट के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।

वित्तीय बाजार की संस्थाएं .... निक्षेपी संस्थाएं गैर–निक्षेपी– संस्थाएं

निक्षेपी संस्थाए (Depository Institutions)–वे संस्थाएं होती हैं जो जमा स्वीकार करती हैं और साख उपलब्ध कराती हैं। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी साख संघ, बचत और ऋण संघ, इत्यादि निक्षेपी संस्थाओं का उदाहरण है।

गैर निक्षेपी (Non- Depository Institutions) गैर निक्षेपी संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो जोखिमों के विरुद्ध बीमा द्वारा वित्तीय बाजार में कार्य करती हैं

16.6 वित्तीय बाजार के संघटक (Components of Financial Market)–

वित्तीय बाजार के अर्थ तथा उसके कार्यों का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम यह अध्ययन करेंगे कि वित्तीय बाजार के अंतर्गत कौन कौन से बाजार सम्मिलित होते हैं। वित्तीय बाजार को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसका चार्ट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है।

वित्तीय बाजार का वर्गीकरण (i) असंगठित वित्तीय बाजार, (ii) संगठित वित्तीय बाजार।

A–असंगठित वित्तीय बाजार (Unorganised Financial Market)– इसे अनौपचारिक बाजार भी कहा जाता है। इस बाजार की कार्य प्रणाली विविधता पूर्ण और अव्यवस्थित होती है। ऐसे बाजारों की वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋणों पर वसूली जाने वाली ब्याज दरों के सम्बन्ध में कोई समानता नहीं होती। इस प्रकार के बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण व नियमन इत्यादि नहीं होता भारत में साहूकार, महाजन और देशी बैंकर्स इत्यादि असंगठित बाजार का उदाहरण है।

B–संगठित वित्तीय बाजार (Organised Financial Market)– संगठित वित्तीय बाजार के अंतर्गत उन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है जिनकी कार्य प्रणाली आधुनिक और यूरोपीय शैली में होती है और जिनपर सरकार या मौद्रिक प्राधिकारी का नियंत्रण होता है। संगठित वित्तीय बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसका चार्ट के रूप में प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है।

16.7 संगठित वित्तीय बाजार के भाग

- मुद्रा बाजार
- पूंजी बाजार

इन दोनों बाजारों का विस्तार से वर्णन निम्न प्रकार है।

(क) मुद्रा बाजार(Money Market)– मुद्रा बाजार वह बाजार है जिसमें अल्पकालीन अर्थात एक वर्ष से कम अवधि की निधियों का लेन –देन होता है। ये अल्पकालीन परिसंपत्तियां अत्यधिक तरल होती हैं और बिना हानि के सरलतापूर्वक विक्रय योग्य भी होती हैं।

क्राउथर के अनुसार, 'मुद्रा बाजार उन फर्मों या संस्थाओं का सामूहिक नाम है जो निकट मुद्रा के विभिन्न वर्गों में लेन देन करते हैं।(Money market is the collective name given to the various firms and institutions that deal in the various grades of near money).

सेयर्स (Sayers)– मुद्रा बाजार अल्पकालीन और दैनिक ऋणों का बाजार है।(The Money Market] properly speaking] is the market for short term and day to -day loans-)

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, "मुद्रा बाजार मुख्यतः अल्पकालीन प्रकृति की मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र होता है। यह ऋण लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है और ऋणदाताओं को तरलता या नकदी प्रदान करता है।"(Money market is the centre for dealing mainly of short term character,in monetary assets]it meets the short term requirements of borrowers and provides liquidity or cash to lenders.)

16.8. भारत में मुद्रा बाजार की संरचना (Structure of Indian Money Market)–

भारत में मुद्रा बाजार को दो भागों में विभाजित किया जाता है संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली मुद्रा बाजार का एक प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, भारत में कार्यरत विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और सहकारी साख समितियों इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डाकघर बचत बैंक, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) भी मुद्रा बाजार का अंग हैं। म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियां और विकास बैंकिंग संस्थान भी अपनी अतिरिक्त निधियों को मुद्रा बाजार

में निवेश करते हैं तथा मुद्रा बाजार से उधार लेते हैं इसलिए ये भी मुद्रा बाजार के अंग माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कटौती गृह (Discount Houses,) भी मुद्रा बाजार के अंग होते हैं।जबकि साहूकार, महाजन और देशी बैंकर्स इत्यादि असंगठित मुद्रा बाजार के अंग हैं।

मुद्रा बाजार में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का लेन–देन करने वाली अनेक संस्थाएं होती हैं इसलिए यह कई उप– बाजारों (Sub – Markets) के माध्यम से कार्य करती हैं। इन उप बाजारों को मुद्रा बाजार के संघटक (Components of Money Market) भी कहते हैं। जो कि निम्नलिखित हैं।

मांग मुद्रा या काल मनी बाजार (Call Money Market)– मुद्रा बाजार में मांग मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जिसमें मांग पर देय ऋणों का लेन –देन होता है जिसकी परिपक्वता अवधि 1दिन से 14 दिन तक होती है। अन्य शब्दों में, एक दिन के लिए निधियां उधार लेने या देने को 'कालमनी ' कहा जाता है। जब दो दिन से चौदह दिन के बीच की अवध के लिए धन उधार लिया –दिया जाय तो उसे 'नोटिस मनी ' कहा जाता है और चौदह दिन से अधिक अवधि के लिए निधियां उधार लेने या देने को 'टर्म मनी ' कहा जाता है।इस प्रकार यह अति अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है जिसमें ब्याज दर का निर्धारण ऋणों की मांग के आकार और बैंकों की तरलता की स्थिति पर निर्भर करता है। तरलता अधिक होने पर ब्याज दर कम होती है और विलोमशः। इस प्रकार भारत में काल मनी बाजार की दर बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। भारत में इसकी ब्याज दर में कभी कभी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जिसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) की कानूनी अपेक्षाएं पूरी करनी होती है अब यदि बैंकों के पास उपलब्ध नकद कोष इन अपेक्षाओं से कम होते हैं तो उन्हें काल मनी मार्केट से ऋण लेना होता है। इसके अतिरिक्त बैंकों में किसी समय जमा भारी धनराशि के परिपक्व हो जाने पर उसके भुगतान हेतु भी काल मनी बाजार से ऋण लेने इत्यादि के कारण इसकी ब्याज दर बढ़ जाती है। इस प्रकार यह मुद्रा बाजार का सबसे संवेदनशील बाजार होता है। इस प्रकार के ऋणों का लेन देन प्रायः वाणिज्यिक बैंकों के बीच होता है। भारत में अस्सी के दशक के प्रारंभ तक चूंकि केवल वाणिज्यिक बैंक ही काल मनी का व्यापार करते थे इसलिए इसका समुचित विकास नहीं हो पाया लेकिन सन् 1988 में भारतीय वित्त कटौती गृह (Discount Finance House of India, DFHI) की स्थापना और उसे काल मनी में व्यापार की अनुमति तथा मई 1990 में रिजर्व बैंक द्वारा IDBI,GIC, और NABARD को भी इसमें शामिल होने की अनुमति मिलने से धीरे धीरे काल मनी मार्केट का विस्तार होता गया। वर्तमान में अधिकांश वित्तीय संस्थानों को काल मनी बाजार में व्यापार की अनुमति दे दी गई है।

भागीदार (Participants) – काल मनी बाजार से जुड़े सहभागियों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

(a) पहले भाग में वे सहभागी शामिल हैं जिन्हें ऋणी और ऋणदाता दोनों रूपों में कार्य करने की अनुमति है। भारत में सभी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम तथा भारतीय बट्टा एवं वित्त गृह लिमिटेड इत्यादि इस श्रेणी में शामिल हैं।

(b) दूसरे भाग में वे भागीदार शामिल होते हैं जो इस बाजार में केवल ऋणदाता की हैसियत से रहते हैं जैसे भारत में LIC, GIC, NABARD, IDBI, बिल डिस्काउंट बाजार में कार्यशील विशिष्ट संस्थाएं, म्यूचुअल फंड इत्यादि।

(c) **ट्रेजरी बिल बाजार (Treasury Bill Market)**– इस बाजार में ट्रेजरी बिलों की सौदेबाजी या नीलामी होती है अर्थात इसमें अल्पकालीन सरकारी बिलों का क्रय– विक्रय होता है। इन बिलों की बिक्री सरकार की तरफ से केंद्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) करता है। ट्रेजरी बिल सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक द्वारा एक प्रतिज्ञा पत्र के रूप में प्रमाणित होता है। भारत में दो प्रकार के ट्रेजरी बिल जारी होते थे। तदर्थ (ad hoc) ट्रेजरी बिल, जिसके प्रयोग की अनुमति केवल सरकार को है इनकी बिक्री बैंकों या सामान्य जनता को नहीं की जाती। बाजार में इनका क्रय–विक्रय भी नहीं किया जा सकता और जबकि सामान्य (त्महनसंत वत व्तकपदंतल) ट्रेजरी बिल). जिसका क्रय– विक्रय बाजार में किसी को भी किया जा सकता है वर्तमान में 91, 182 और 364 दिनों की परिपक्वता वाले कोषागार विपत्र (ट्रेजरी बिल) जारी किए जाते हैं नब्बे के दशक के मध्य तक सरकार ने मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिल जारी करके और उसके निधिकरण के माध्यम से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त किया और उसका उपयोग बजटीय घाटे की पूर्ति में किया। इस प्रकार

भारत में ट्रेजरी बिल सरकारी ऋण के मौद्रीकरण के प्रमुख स्रोत रहे हैं। रिजर्व बैंक सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के ट्रेजरी बिल को स्वीकार करते हुए पुनर्कटौती हेतु प्रस्तुत बिलों को भी स्वीकार करता रहा है लेकिन 1 अप्रैल 1997 से तदर्थ ट्रेजरी बिल व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम व्यवस्था ॅले ंदक डमंदे) की शुरुआत होने से सरकार के लिए धन एकत्रण का प्रमुख स्रोत रही एड– हॉक ट्रेजरी बिल के निर्गमन पर लगाम लग जाने से अब सरकार इससे बचने का प्रयास करती है।

(d) **बिल बाजार (Bill Market)**– बिल बाजार में अल्पकालीन बट्टा या डिस्काउंट दर में कटौती करके ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि भारत में अभी यह बाजार ठीक से विकसित नहीं हो सका है।

(e) **व्यापारिक पत्र बाजार (Commercial Paper Market)**– व्यापारिक पत्र भी ट्रेजरी बिल की भांति एक उपकरण है जिसके अंतर्गत प्रतिज्ञा पत्रों और हुंडियों इत्यादि का क्रय विक्रय होता है। ये असुरक्षित, विनिमय साध्य (छमहवजपंइसम), अल्पकालिक प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जिसकी एक निश्चित परिपक्वता अवधि, प्रायः 3 से 6 माह तक,होती है ये व्यापारिक पत्र अंकित मूल्य से कम पर जारी किए जाते हैं। बट्टा मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। कोई भी व्यक्ति, कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्था इत्यादि व्यापारिक प्रपत्र में निवेश कर सकता है। भारत में यद्यपि ₹1 करोड़ मूल्य से कम मूल्य के व्यापारिक प्रपत्र जारी नहीं किए जा सकते। व्यापारिक प्रपत्रों की एक अन्य विशेषता यह है कि यह स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय (ज्तंदेमितंइसम) है। भारत में व्यापारिक पत्र मुख्य रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। इनकी तरलता पर्याप्त होती है जिससे निवेशक सरलतापूर्वक इसकी खरीद –बिक्री कर सकते हैं। भारत में व्यापारिक प्रपत्रों का बाजार अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

(f) **जमा प्रमाण पत्र (Certificates of Deposit)**– अल्पकालीन मुद्रा बाजार में संसाधनों को लोचशील बनाने के उद्देश्य से व्यापारिक बैंकों द्वारा जून 1989 से जारी किया जाने वाला एक प्रमुख उपकरण जमा प्रमाण पत्र है जिसकी परिपक्वता अवधि, प्रायः 30 दिन से 1 वर्ष तक होती है यह प्रमाण पत्र अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। परिपक्वता पर धारक को अंकित मूल्य के बराबर भुगतान कर दिया जाता है। वाणिज्यिक प्रपत्र की भांति जमा प्रमाण पत्र भी स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होता है। यह बैंकों की सावधि जमा (FD) से इस अर्थ में भिन्न है कि जहां थ्क अहस्तांतरणीय (Non -Transferable) होती हैं वहीं जमा प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय होता है। इन दोनों के बीच दूसरा अन्तर यह है कि जहां पारंपरिक सावधि जमा (FD) अंकित मूल्य पर ही जारी की जाती है और जिसका परिपक्वता पर ब्याज सहित मूलधन का भुगतान कर दिया जाता है वहीं जमा प्रमाण पत्र अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं और परिपक्वता पर धारक को अंकित मूल्य के बराबर भुगतान कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां जमा प्रमाण पत्र के संबंध में सामान्यतया न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं होती हैं वहीं सावधि जमा के संबंध में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। जमा प्रमाण पत्र में भी वाणिज्यिक प्रपत्र की भांति कोई भी व्यक्ति,बैंक, कंपनी, निगमित और गैर–निगमित संस्थाएं तथा अनिवासी भारतीय (NRI) इत्यादि निवेश कर सकते हैं। भारत में जमा प्रमाण पत्र के आकार के संबंध में न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित है यहां ₹5लाख से कम और ₹25 लाख से अधिक मूल्य के ब्क जारी नहीं किए जा सकते। यद्यपि यहां बैंकों को जमा प्रमाण पत्रों (CDs) के जारी मूल्य पर CRR और SLR रखना आवश्यक होता है। उल्लेखनीय है कि जमा प्रमाण पत्र जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी किए जाते हैं तो उसे यूरो जमा प्रमाण पत्र (Euro Certificate of Deposit) कहा जाता है।

(g) **पारस्परिक निधि बाजार (Mutual fund Market)**– रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मुद्रा बाजार में पारस्परिक निधियों को अप्रैल 1992 से प्रारंभ किया गया। जिसका उद्देश्य निवेशकों को अल्पकालीन तरलता उपलब्ध कराना।

16.9 पूंजी बाजार (Capital Market)

पूंजी बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय किया जाता है। इस बाजार में व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूतियों में अंशों (शेयर्स) और ऋण पत्रों (Debentures) की प्रधानता होती है। दूसरे शब्दों में पूंजी बाजार दीर्घकालीन पूंजी या ऋणों जैसे सरकारी और गैर – सरकारी ऋणपत्रों, अंशों,

बॉन्डों इत्यादि के क्रय – विक्रय से संबंधित है।

पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोषों की माँग करने वाले (ऋणियों) और उनकी पूर्ति करने वाले (ऋणदाताओं) से मिलकर बना है। इस प्रकार पूंजी बाजार के दो पक्ष होते हैं जिसका चार्ट के रूप में प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है।

- पूंजी बाजार के पक्ष
- पूंजी की पूर्ति
- पूंजी की मांग

पूंजी बाजार में कोषों की पूर्ति व्यक्तिगत और संस्थागत बचतकर्ताओं और सरकारी आधिक्यों द्वारा की जाती है। आम तौर पर पूंजी बाजार में कोषों की पूर्ति व्यापारिक बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम, प्रॉविडेंट फंड और विशिष्ट संस्थाओं जैसे ICICI,IDBI,IFCI, तथा पारस्परिक निधियों इत्यादि द्वारा की जाती है।

पूंजी बाजार में दीर्घकालीन कोषों की मांग सामान्यतः निगमित संस्थाओं और सरकार द्वारा की जाती है।

16.10 पूंजी बाजार के संघटक (Components of Capital Market)–

भारत में पूंजी बाजार को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं जिसका चार्ट के रूप में प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है।

पूंजी बाजार का वर्गीकरण

- असंगठित पूंजी बाजार,
- संगठित पूंजी बाजार

(A) असंगठित पूंजी बाजार (Unorganised Capital Market)– असंगठित पूंजी बाजार का आशय उस बाजार से है जो एक अनियंत्रित बाजार होता है। इसके अंतर्गत साहूकार, महाजन, देशी बैंकर्स और गिरवी दलाल (Pawn broakers) इत्यादि सम्मिलित होते हैं और इनके बीच आपस में कोई पारस्परिक जुड़ाव नहीं होता। इनके द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर प्रातः ऊंची और असमान होती हैं। यद्यपि हाल में भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा इस बाजार को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

16.11 संगठित पूंजी बाजार (Organised Capital Market)

(B) संगठित पूंजी बाजार–संगठित पूंजी बाजार वह बाजार है जो पूर्व निश्चित नियमों और शर्तों द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। भारतीय पूंजी बाजार भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा नियंत्रित और नियमित होता है।

संगठित पूंजी बाजार को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसका चार्ट के रूप में प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है।

संगठित पूंजी बाजार

- श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार,
- औद्योगिक प्रतिभूति बाजार

(क) श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार (Gilt Edged Security Market)– श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का वह बाजार होता है जिसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। सरकारी प्रतिभूतियों से आशय सरकार द्वारा बाजार में लेन–देन योग्य वित्तीय दावों से है। ये पूर्णतया सुरक्षित वित्तीय निधि होती हैं जिसके मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान पर किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता। इसी कारण इसे 'स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूति' भी कहा जाता है। सरकार को जब अपने खर्च की पूर्ति हेतु नकदी की आवश्यकता होती है या

पुराने ऋणों का भुगतान करना हो या फिर परिपक्व हुए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय संसाधनों को एकत्र करना हो तो सरकार प्रतिभूतियां जारी करती है। भारत में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें स्वायत्त सार्वजनिक संस्थान जैसे मेट्रोपॉलिटन अधिकरण, राजकीय बिजली बोर्ड, इत्यादि और सार्वजनिक क्षेत्र के निगम जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भेल, सेल, बी पी सी एल, एन. टी. पी. सी., और ओ. एन. जी. सी. इत्यादि स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूतियां जारी करते हैं।।

श्रेष्ठ प्रतिभूति अर्थात सरकारी प्रतिभूति बाजार की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें किसी प्रकार के सट्टेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होती।

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार सरकारी और अर्धदृसरकारी प्रतिभूतियों के लेन–देन का बाजार होता है और इसके क्रय – विक्रय में किसी प्रकार का जोखिम न होने के कारण भारत में उसे स्वर्ण रेखांकित बाजार भी कहा जाता है।

(ख) औद्योगिक प्रतिभूति बाजार (Industrial Security Market)– औद्योगिक प्रतिभूति बाजार से आशय नई और पुरानी कंपनियों के अंश पत्रों और ऋण पत्रों के बाजार से है। इसे Corporate Security Market भी कहते हैं। शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों का जहां क्रय विक्रय होता है वह शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। यह देश की राजनीतिक दशाओं, सरकार की नीतियों तथा कंपनियों की स्थिति व प्रगति इत्यादि से प्रभावित होने के कारण बड़ा संवेदनशील बाजार होता है।

औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसका चार्ट के रूप में प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है।

औद्योगिक प्रतिभूति बाजार

- प्राथमिक बाजार
- द्वितीयक बाजार

प्राथमिक बाजार (Primary Market)– प्राथमिक पूंजी बाजार वह बाजार होता है जिसमें कंपनियों द्वारा नए शेयर जारी किए जाते हैं। इसे नए निर्गमनों का बाजार (New Issues Market) भी कहते हैं। इस प्रकार इस बाजार में नए अंश पत्र और ऋणपत्र जारी करके नई पूंजी एकत्र की जाती है। भारत में अंश पत्रों का अभिगोपन (न्दकमतूतपजपदह) कार्य बड़े अनुसूचित बैंकों, स्टॉक ब्रोकरों, बीमा कंपनियों, और निवेश ट्रस्टों इत्यादि द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहां प्ब्ब्,स्प्ब्, प्क्ठप् और प्क्ठप् इत्यादि द्वारा भी अभिगोपन कार्य प्रारंभ किया गया है।

द्वितीयक बाजार (Secondary Market)– द्वितीयक बाजार का सम्बन्ध उस बाजार से है जिसमें पहले से निर्गमित अर्थात पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसे पुराने निर्गमन बाजार भी कहते हैं। चूंकि पुराने निर्गमन बाजार में विद्यमान कंपनियों के अंश पत्रों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है इसलिए इसे स्कंध विनिमय या बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) की संज्ञा दी जाती है और वास्तव में यही पूंजी बाजार होता है। यद्यपि नए निर्गमन और पुराने निर्गमन बाजार दोनों ही देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन आर्थिक विकास के दृ ष्टिकोण से नए निर्गमन, अतः स्टॉक मार्केट अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उसके साथ ही नए निर्गमन बाजार का कार्य भी सुचारु रूप से तभी चल पाता है जबकि विद्यमान प्रतिभूतियों के अन्तरण की सुविधाएं पर्याप्त रूप में विद्यमान हों।

16.12. श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के बीच अन्तर

Difference Between Gilt– Edged Market and Industrial Security Market)– सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार और नई तथा पुरानी कंपनियों के शेयरों व ऋण पत्रों से संबंधित औद्योगिक प्रतिभूति के अर्थ का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम संक्षेप में इन दोनों के बाजारों के बीच अन्तर को समझने का प्रयास करेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है।

1– श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में प्रायः बड़े पैमाने के लेंन–देन संपन्न होते हैं जबकि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत होने वाले सौदे प्रायः छोटे आकार के होते हैं।

2– श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में पूंजी के प्रबंध और लाभांश इत्यादि में निश्चितता पाई जाती है इसी लिए इसमें सट्टे की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती जबकि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में लाभांश व पूंजी के प्रबंध इत्यादि के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति होती है और इसलिए इस बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पाई जाती है।

3– श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में सरकारी संस्थाओं जैसे LIC,GIC,NHB, इत्यादि को अपने कोषों का अधिकांश भाग अनिवार्य रूप से लगाना होता है जबकि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार उपलब्ध प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती है।

4– श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में काउंटर पर ही प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय हो जाता है जबकि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों की प्रायः नीलामी होती है।

5– इन दोनों बाजारों के बीच एक प्रमुख अन्तर यह है कि जहां श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में केन्द्रीय बैंक अपनी खुले बाजार क्रियाओं द्वारा भाग लेता है और ये क्रियाएं वह मौद्रिक स्थिरता तथा सरकार के ऋण कार्यक्रमों की सफलता के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हेतु करता है जबकि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में केंद्रीय बैंक इस प्रकार के क्रिया कलाप नहीं करता।

16.13 पूंजी बाजार के उपकरण (Instruments of Capital Market)–

पूंजी बाजार के संघटकों का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम उसके उपकरणों का अध्ययन करेंगे। पूंजी बाजार में कार्यरत संस्थाएं जिन विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से अपना व्यवसाय करती हैं उन्हें पूंजी बाजार के लेखपत्र या उपकरण कहा जाता है यद्यपि पूर्व में इकाई 13 में हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं फिर भी यहां हम संक्षेप में इसका अध्ययन करेंगे।

पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं।

1–**सरकारी प्रतिभूतियां (Govermnent securities)**– सरकारी प्रतिभूतियां और बॉन्ड पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण उपकरण है जिन्हें श्रेष्ठ प्रतिभूतियां भी कहा जाता है ।ये प्रतिभूतियां केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकाय सरकारों तथा सार्वजनिक निगमों इत्यादि द्वारा जारी की जाती हैं जो बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सामान्य जनता को कोष संग्रहण हेतु विक्रय की जाती हैं। ये सरकारी प्रतिभूतियां विश्वसनीय और जोखिम से सुरक्षित होने के कारण पूंजी बाजार के सर्वोत्तम उपकरण हैं जिन्हें स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है।जिसका अध्ययन हम उसी इकाई में श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत कर चुके हैं। यहां हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

2–**कम्पनी की प्रतिभूतियां (Company Securities)**– संयुक्त पूंजी कंपनियों द्वारा जारी अंश पत्र, ऋणपत्र और बॉन्ड इत्यादि पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इन विभिन्न उपकरणों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है।

(क) अंश पत्र (Shares)– संयुक्त पूंजी कंपनी की समस्त पूंजी की छोटी– छोटी विभाज्य इकाई को अंश या शेयर कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम,1956 के तहत ये शेयर दो प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश।

(अ) पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)– पूर्वाधिकार शेयर से आशय उन शेयरों से है जिन पर पूर्व निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त करने और कम्पनी के बंद होने की स्थिति में पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। ये शेयर कई प्रकार के होते हैं जैसे संचयी और असंचयी पूर्वाधिकार शेयर, शोध्य और अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, मताधिकार वाले पूर्वाधिकारी अंश इत्यादि जिसका वर्णन हम इकाई 13 में कर चुके हैं।

(ब) समता अंश (Equity Shares)– समता अंशों से आशय उन शेयरों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते और जिन्हें लाभांश कम्पनी के विभाजन योग्य लाभों में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद शेष धनराशि का रूप में प्राप्त होती है। एक कम्पनी की औद्योगिक वित्त व्यवस्था में समता अंश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए इनको कम्पनी की आधार पूंजी माना जाता है। अधिकांश कंपनियों अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्रकार के शेयरों को जारी करके प्राप्त करती हैं। समता अंश की प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह स्थाई पूंजी होती है जो कम्पनी के समाप्त होने

पर ही प्राप्त होती है। इसे साधारण अंश भी कहते हैं। इस प्रकार के शेयरों पर लाभांश तभी प्राप्त होता है जब कंपनी या उद्योग को लाभ प्राप्त होता है। इस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और कम्पनी के संचालन और प्रबंधन पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त इस शेयर पूंजी से उद्योग को प्रारम्भिक पूंजी प्राप्त होती है उसे ही उद्योग का जोखिम वहन करना होता है।

लाभ (Advantage)– समता अंश का अर्थ और इसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम इसके लाभ को समझने का प्रयास करेंगे। जो इस प्रकार हैं।

- समता अंशों का प्रमुख लाभ यह होता है कि इससे कम्पनी में पूंजी का स्थायित्व कायम रहता है क्योंकि उनके भुगतान की आवश्यकता नहीं होती।
- इसका एक अन्य लाभ यह है कि इसके लिए किसी प्रकार की जमानत नहीं देनी होती।
- इसका एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि लाभांश तभी देना होता है जब कम्पनी को लाभ प्राप्त हो अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त सामान्य अंशधारी कम्पनी पर पूर्ण अधिकार रखते हैं।

उल्लेखनीय है कि समता अंश पूंजी को 'जोखिम पूंजी' या 'साहस पूंजी ' भी कहते हैं। इसी की 'स्वामित्व पूंजी' भी कहते हैं।

ब्लू चिप शेयर, ग्रोथ शेयर, अल्फा शेयर, स्वेट शेयर इत्यादि समता अंश के ही रूप है।

(ख) ऋणपत्र और बॉन्ड (Debenture and Bonds)– ऋणपत्र, ऋणदाता और कम्पनी के बीच एक अनुबंध पत्र होता है जिसके अनुसार कम्पनी लिए हुए ऋण को ब्याज सहित भुगतान करने का वचन देती है। भारतीय कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 2(12) के तहत, ऋणपत्र में ऋणपत्र स्टॉक, बॉन्ड और कम्पनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार रखती हों या नहीं।(Debenture includes debenture stock] bonds and any other security of company whether constituting a charge on the assets of the company or not.)

बॉन्ड ऋणपत्र की ही भांति है जो कि सरकार द्वारा जारी किया जाता है यद्यपि वर्तमान में अर्द्ध–सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाएं भी ऋण के प्रमाण पत्र के रूप में बॉन्ड जारी करने लगी हैं। ऋणपत्र और बॉन्ड के बीच प्रमुख अन्तर यह है कि ऋणपत्र पर ब्याज दर पूर्व निर्धारित होती है बॉन्ड बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर के जारी किए जा सकते हैं जैसे जीरो कूपन बॉन्ड।

ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं जैसे पंजीकृत ऋणपत्र, वाहक ऋणपत्र, बंधक या रक्षित ऋणपत्र, शोध्य और अशोध्य ऋणपत्र इत्यादि जिसका वर्णन हम पूर्व में इकाई 13 में कर चुके हैं।

16.14. भारत में शेयर बाजार (Stock Exchange in India)–

पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण अंश पत्रों का अध्ययन करने के बाद अब हम संक्षेप में भारतीय शेयर बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि पूंजी बाजार के बारे में हमारी जानकारी को और विस्तृत करेगा।

भारत में कुल 23 मान्यता प्राप्त शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज हैं जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि मुंबई में स्थित है जिसकी स्थापना सन् 1875 में हुई। इसमें करीब 5000 कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 30 कंपनियों के शेयरों से संबंधित BSE संवेदी सूचकांक (SENSEX) जिसकी शुरुआत सन् 1986 में हुई जिसका आधार वर्ष 1978–79 है। इस सूचकांक (Index) को भारतीय शेयर बाजार की नब्ज (Pulse) माना जाता है। BSE National Index Bombay Stock Exchange का 100 कंपनियों का राष्ट्रीय सूचकांक है जो Sensex के बाद दूसरा महत्वपूर्ण लोकप्रिय बाजार सूचकांक है।

इसके अतिरिक्त भारत में पूंजी बाजार के आकार और स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता के अनुसार कई नई संस्थाओं और स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना की गई है जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जिसकी स्थापना

अर्थव्यवस्था में लागू किए जा रहे वित्तीय क्षेत्रक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत नवम्बर 1992 में ₹25 करोड़ की पूंजी के साथ मुंबई में की गई।छैम् ने एक राष्ट्रीय क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन (NCC) की भी स्थापना की है जहां वह सभी कारोबारियों के सौदों का निपटारा करती है। छपजिल छैम् का 23 विभिन्न क्षेत्रों की 50 शेयरों वाला लोकप्रिय सूचकांक है जिसे तकनीकी रूप से and P CNX Nifty और सामान्य रूप से Nifty Fifty कहा जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण करने हेतु संबद्ध कम्पनी की पूंजी कम से कम ₹5 करोड़ होनी चाहिए इससे कम पूंजी वाली कंपनियों की परिसंपत्तियों की खरीद विक्री स्टॉक एक्सचेंजों पर नहीं हो सकती है ऐसी कंपनियों के लिए ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (व्ब्म्) की स्थापना 28 नवम्बर 1992 को की गई।

इसके अतिरिक्त देश की पहली डिपोजिटरी The National Securities Depository Limited,NSDL) की स्थापना 8नवम्बर 1996 मुम्बई में IDBI,UTI और NSE द्वारा की गई। इससे देश में पेपरलेस ट्रेडिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार फरवरी 1998 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने देश की दूसरी डिपोजिटरी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CDSL) की शुरुआत की जिसके प्रवर्तक BSE, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और HDFCइत्यादि हैं।

भारत में सरकारी प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के बॉन्डों के लिए एक सक्रिय बाजार विकसित करने हेतु 27 जून 1994 को "भारत का प्रतिभूति व्यापार निगम "(Security Trading Corporation of India, STCI) की स्थापना की गई है।

देश में पारस्परिक निधियों को प्रोत्साहित करने हेतु "डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया (DFHI) का गठन किया गया है। इसके साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भी प्रोत्साहित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शेयर बाजार में निवेशक या तो बुल्स(ठनससे) जो तेजड़ियों के रूप में या फिर बियर्स (Bears) मंदड़िए के रुप में कार्य करते हैं। तेजड़िये जहां शेयर बाजार में भविष्य में शेयर मूल्य वृद्धि की प्रत्याशा करते हैं इसके विपरीत मंदड़िए शेयर मूल्यों में भविष्य में शेयर मूल्यों में गिरावट की प्रत्याशा करते हैं।

16.15 पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच भेद (Difference between Capital Market and Money Market)–

पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का अध्ययन करने और उसके उपकरणों के बारे में अध्ययन के बाद अब हम संक्षेप में इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर को समझने के प्रयास करेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है

- पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का व्यवसाय होता है जिसमें एक वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय किया जाता है जबकि मुद्रा बाजार में अल्पकालीन निधियों का लेन– देन होता है।
- पूंजी बाजार में तरलता सीमित होती है जबकि मुद्रा बाजार में तरलता अधिक होती है।
- अंश, ऋणपत्र और बॉन्ड इत्यादि पूंजी बाजार के उपकरण हैं जबकि मुद्रा बाजार के उपकरणों में काल मनी, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक प्रपत्र, जमा प्रमाणपत्र, इत्यादि प्रमुख उपकरण हैं।
- पूंजी बाजार में जोखिम अधिक रहता है क्योंकि इसमें हर प्रकार की कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय– विक्रय होता है।जबकि मुद्रा बाजार में सरकार, वित्तीय संस्थाओं और कुछ अच्छी कंपनियों की प्रतिभूतियों का ही क्रय– विक्रय होने से जोखिम अपेक्षाकृत कम रहता है अर्थात सुरक्षा रहती है।
- भारत में रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार का जबकि सेबी पूंजी बाजार का नियामक निकाय है।
- पूंजी बाजार में होने वाले सारे लेन देन दलालों के माध्यम से जबकि मुद्रा बाजार में दलालों के बिना भी लेनदेन हो जाता है।

16.16 वित्तीय बाजार का देश के आर्थिक विकास में योगदान

वित्तीय बाजार के विभिन्न संघटकों इत्यादि के अध्ययन के उपरान्त अब हम देश के आर्थिक विकास में वित्तीय बाजार के महत्व का अध्ययन करेंगे। देश के आर्थिक विकास में वित्तीय बाजार का महत्वपूर्ण स्थान है।

आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था की प्रगति में वित्तीय बाजार का महत्व बढ़ता जा रहा है। वित्तीय बाजार अर्थव्यवस्था में बचत, विनियोग और पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। सुदृढ़ वित्तीय बाजार समाज में बचतों को बढ़ावा देकर पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देता है। इसके अतिरिक्त वह बचतों को गतिमान उन्हें उत्पादक कार्यों में प्रेरित करता है। जिस देश में पूंजी निर्माण की दर उच्च होती है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। इस कार्य में विभिन्न वित्तीय संस्थाएं जैसे सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, जीवन बीमा कंपनियां और ऑफिस इत्यादि अपना योगदान करते हैं वित्तीय बाजार की ये संस्थाएं दूर–दराज में बिखरी बचतों को न सिर्फ एकत्र करती हैं बल्कि व्यक्तियों के बीच बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देती हैं। केवल बचतों को एकत्रित करके ही पूंजी निर्माण नहीं हो जाता। इन बचतों को उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होना भी चाहिए। वित्तीय बाजार में वित्तीय संस्थाएं बचत कर्ताओं से निवेशकों को निधियों का हस्तांतरण करके मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। बचतकर्ता अपनी निधियों को उधार देकर लाभ अर्जित करते हैं दूसरी तरफ, निवेशक भी अपनी निवेश योजनाओं को पूर्ण करने हेतु उधार लेकर लाभ कमाते हैं।

इस प्रकार वित्तीय बाजार अर्थव्यवस्था में अतिरेक इकाइयों (Surplus Units) से घाटे की इकाइयों (Deficit Units,) की तरफ निधियों का हस्तांतरण करके बचत, विनियोग और पंजी निर्माण में सहयोग देकर देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

16.17. सारांश

भारत सहित किसी भी देश के आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये वित्तीय संस्थाएं वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हुए अर्थव्यवस्था में तरलता को उपलब्ध कराते हुए बचतों को गतिशील बनाकर पूंजी निर्माण करती हैं। देश की सरकार या कॉरपोरेट क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां जब वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे जमा प्रमाणपत्र, ट्रेजरी बिल्स, सावधि जमा,शेयर, डिबेंचर, इत्यादि, को वित्तीय बाजार में जारी करते हैं तो उसे वित्तीय परिसंपत्ति के सृजन कहते हैं। भारत में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार वित्तीय बाजार के दो प्रमुख अंग हैं जहां विभिन्न वित्तीय उपकरणों के माध्यम से कारोबार होता है। काल मनी और ट्रेजरी बिल जहां मुद्रा बाजार के प्रमुख वित्तीय उपकरण हैं वहीं शेयर, ऋणपत्र और बॉन्ड इत्यादि पूंजी बाजार के प्रमुख वित्तीय उपकरण हैं। श्रेष्ठ प्रतिभूति (गिल्ट–एज्ड) बाजार सरकारी क्षेत्रक कंपनियों द्वारा जारी पूंजी बाजार का प्रमुख उपकरण है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे पुराना और बड़ा एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी सबसे महत्वपूर्ण 30 कंपनियों का सूचकांक है। भारत में बी.एस.ई.और एन. एस.ई. सहित कुल 23 मान्यता प्राप्त एक्सचेंज हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जहां देश में मुद्रा बाजार की, वहीं सेबी पूंजी बाजार की विनियामक संस्था है। यह वित्तीय बाजार देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

16.18 बोध प्रश्न

1. वित्तीय बाजार क्या है? संगठित पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं?
3. मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।
4. वित्तीय बाजार के क्या कार्य हैं! स्पष्ट कीजिए।
5. पूंजी बाजार के संघटकों को समझाइए।
6. मुद्रा बजार के संघटकों को समझाइए।
7. पूंजी बाजार को सक्रिय बनाने की दिशा में सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं।
8. देश के आर्थिक विकास में वित्तीय बाजार की भूमिका इंगित कीजिए।
9. भारत में शेयर बाजार की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।
10. पूंजी बाजार के उपकरणों पर टिप्पणी कीजिए।
11. वित्तीय बाजार के संघटकों को समझाइए।

16.19 संदर्भ सूची

1. भोले एल एम–वित्तीय संस्थान और बाजार (अंग्रेजी) टाटा मैक ग्राहिल लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. जॉन्सन एच जे – वित्तीय संस्थान और बाजार, मैकग्राहिल न्यूयार्क।
3. माचिराजू एम.आर.– इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. खान एम.वाई.–भारतीय वित्तीय प्रणाली, टाटा मैक ग्राहिल, लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. सहाय आई.एम.–फाइनेंसियल मार्केट ऑपरेशंस, एस.बी.पी.डी.पब्लिशिंग हाउस, आगरा।